

UPSC

करेंट अफेयर्स

जनवरी 2024



भारतीय न्याय संहिता,
2023



भारत-रूस संबंध



सरकारी ऋण पर (IMF)
रिपोर्ट



राम मंदिर



टेस्ट ट्यूब राइनो



भारत रत्न





KHAN GLOBAL STUDIES

Most Trusted Learning Platform



GET IT ON
Google Play



Download on the
App Store



Download the
Khan Global Studies App

विषय सूची

1. राजव्यवस्था एवं शासन	1-14	4.4. श्री परिक्रमा परियोजना	48
1.1. भारतीय न्याय संहिता, 2023	1	4.5. डोगरी लोक नृत्य	49
1.2. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023	3	4.6. सिलबम	50
1.3. भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023	5	4.7. पद्म पुरस्कार	50
1.4. डाकघर अधिनियम, 2023	7	4.8. भारत रत्न	50
1.5. दूरसंचार अधिनियम, 2023	9	4.9. शंकराचार्य एवं आदि-शंकराचार्य	51
1.6. अनुसूचित जातियों तक समान पहुंच	11	4.10. इंडियन नेशनल आर्मी (INA)	52
1.7. उच्चतम न्यायालय विधिक सेवा समिति (SCLSC)	12		
1.8. प्रेरणा: एक अनुभवात्मक शिक्षण कार्यक्रम	13	5. पर्यावरण, भूगोल एवं आपदा प्रबंधन	53-60
1.9. पालना योजना	13	5.1. आनुवंशिक रूप से संशोधित सरसों- डीएमएच-11	53
1.10. विशेषाधिकार समिति	14	5.2. गहरे समुद्र की प्रवाल भित्ति	54
		5.3. कुमकी	57
2. अंतर्राष्ट्रीय संबंध	15-30	5.4. सिल्वरलाइन तितली	57
2.2. भारत - यूनाइटेड किंगडम संबंध	16	5.5. मेलानिस्टिक टाइगर्स	58
2.3. भारत-कोरिया रक्षा संबंध	17	5.6. टेस्ट-ट्यूब राइनो	58
2.4. भारत-नेपाल संबंध	19	5.7. मोस्किटोफिश (Mosquitofish)	59
2.5. भारत-भूटान संबंध	21		
2.6. भारत और मध्य पूर्व	23	6. भूगोल और आपदा प्रबंधन	61-68
2.7. पाकिस्तान और ईरान	24	6.1. शीत लहरें (कोल्ड वेब)	61
2.8. फिलिस्तीनी शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र राहत और कार्य एजेंसी (UNRWA)	26	6.2. भारत में खनन	62
2.9. पश्चिम अफ्रीकी राज्यों का आर्थिक समुदाय (ECOWAS)	27	6.3. लीची की खेती	65
2.10. इथियोपिया और सोमालीलैंड के मध्य बंदरगाह समझौते पर हस्ताक्षर	28	6.4. लिथियम ब्लॉक के लिए अर्जेंटीना के साथ भारत का समझौता	66
2.11. अमालेक (Amlek)	29	6.5. पृथ्वी विज्ञान (पृथ्वी) योजना	67
		6.6. आइसबर्ग A23a	68
3. अर्थव्यवस्था	31-44		
3.1. भारत में सार्वजनिक ऋण पर (IMF) की रिपोर्ट	31	7. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी	69-80
3.2. भारत में खाद्य मुद्रास्फीति का डी-ग्लोबलाइजेशन	33	7.1. दुर्लभ रोग	69
3.3. पूंजीगत व्यय में वृद्धि	34	7.2. हनटिंग्टन रोग	70
3.4. राज्य गारंटी पर आरबीआई दिशा-निर्देश	35	7.3. मलेरिया के टीके की शुरुआत	70
3.5. सब्सिडी	36	7.4. गर्भाशय ग्रीवा कैंसर (Cervical Cancer)	72
3.6. सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग	38	7.5. सेमीकंडक्टर डिजाइन-लिंगड प्रोत्साहन योजना	73
3.7. ग्रो लोकल, ईट लोकल	39	7.6. इनसैट-3DS उपग्रह	75
3.8. भारत में आय असमानता	40	7.7. थर्टी मीटर टेलीस्कोप (Thirty Meter Telescope)	75
3.9. इलेक्ट्रिक वाहन और हाइब्रिड विकल्प	42	7.8. विशाल रेडियो टेलीस्कोप (स्ववायर किलोमीटर ऐरे ऑब्ज़र्वेटरी)	76
		7.9. दृष्टि 10 स्टारलाइनर: मानव रहित हवाई वाहन	77
4. इतिहास, कला एवं संस्कृति	45-46	7.10. रिजुपेव प्रौद्योगिकी	78
4.2. राम मंदिर	46	7.11. पेम्बा प्रभाव (Mpemba Effect)	79
4.3. कालाराम मंदिर	48	7.12. अभ्यास साइक्लोन	79
		7.13. सैन्य अभ्यास ' सदा तनसीक '	80

8. आंतरिक सुरक्षा 81-87

8.1. यूरोपीय बंदरगाह गठबंधन	81
8.2. भारत-म्यांमार मुक्त आवाजाही व्यवस्था (FMR)	83
8.3. विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम, 1976	85
8.4. ऑपरेशन सर्वशक्ति	87

9. सामाजिक मुद्दे 88-96

9.1. जातिगत जनगणना	88
9.2. एएसईआर (ASER) अध्ययन	90
9.3. डब्ल्यूएचओ पोषण मानक बनाम भारतीय मानक	92

9.4. भारत में बाल विवाह सम्बन्धी चिंताएं	93
9.5. सपिंड विवाह	95

10. अभ्यास प्रश्न 97-101

उत्तरमाला	102
-----------	-----

1. राज्यवस्था एवं शासन

1.1. भारतीय न्याय संहिता, 2023

संदर्भ

राष्ट्रपति द्वारा भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 को मंजूरी दी गयी है, जिसने 1860 की भारतीय दंड संहिता को प्रतिस्थापित किया है।

आवश्यकता

- यह नया कानून औपनिवेशिक प्रतीकों को हटाने का प्रयास करता है और इसका उद्देश्य न्याय प्रणाली का भारतीयकरण करना है।
- यह धारा 377 (समलैंगिकता से संबंधित) और धारा 497 (व्यभिचार से संबंधित) जैसे प्रावधानों, जिन्हें पूर्व में सुप्रीम कोर्ट ने अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया था, को हटाकर सुप्रीम कोर्ट के कई फैसलों को शामिल करने का भी प्रयास करता है।
- इसका उद्देश्य सजा देने के स्थान पर त्वरित न्याय प्रदान करना एवं अपराधिक न्याय प्रणाली में आमूल चूल परिवर्तन करना है।

प्रावधानों को बनाए रखा गया है, किन्तु इसमें कुछ पिछले अपराधों को हटाने के साथ-साथ कई नए अपराधों को शामिल किया गया है।

भारतीय दंड संहिता (आईपीसी), 1860

निम्न द्वारा प्रतिस्थापित

भारतीय न्याय संहिता, 2023

- इसमें 356 धाराएं होंगी (आईपीसी में 511 धाराएं थीं।)
- 175 धाराओं में संशोधन किया गया
- 8 धाराएं जोड़ी गईं और 22 धाराएं निरस्त की गईं



प्रमुख प्रावधान

- यद्यपि भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), 2023 में आईपीसी के अधिकांश

नए अपराध	हटाए गए अपराध	अन्य महत्वपूर्ण परिवर्तन
मॉब लिंगिंग इसमें मॉब लिंगिंग और घृणा अपराध हत्याओं से जुड़े अपराधों को संहिताबद्ध किया गया है और सजा को भी आजीवन कारावास से बढ़ाकर मृत्युदंड तक किया गया है। इसमें मॉब लिंगिंग को ऐसे अपराध के रूप में परिभाषित किया गया है जहां पांच या अधिक व्यक्तियों की भीड़ नस्ल, जाति, समुदाय या व्यक्तिगत विश्वास जैसे कारकों के आधार पर हत्या में शामिल होती है।	अप्राकृतिक यौन अपराध नवतेज सिंह जौहर मामले 2018 में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुरूप, बीएनएस ने भारतीय दंड संहिता की धारा 377 को निरस्त कर दिया है, जिसमें अन्य "अप्राकृतिक" यौन कृत्यों के अंतर्गत समलैंगिकता को अपराध माना गया था।	फर्जी खबर धारा 153B के तहत आईपीसी « राष्ट्रीय एकता के लिए प्रतिकूल आरोप लगाना, दावे करना » से सम्बंधित थी जिन्हें सामान्यतः पर "घृणास्पद भाषण" कहा जाता है। धारा 197 के तहत बीएनएसमें इस प्रावधान को बरकरार रखा गया है और साथ ही एक नया प्रावधान पेश किया गया है जिसके अंतर्गत झूठी और भ्रामक जानकारी प्रकाशित करना, अपराध माना गया है।
संगठित अपराध पहली बार संगठित अपराध को सामान्य आपराधिक कानून (धारा 111) के दायरे में लाया गया है। पहले यह MCOCA 1999 जैसे राज्य-विशिष्ट कानूनों और कर्नाटक, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान द्वारा बनाए गए समान प्रकार के कानूनों के अंतर्गत शामिल था।	व्यभिचार बीएनएस में व्यभिचार को अपराध की श्रेणी से हटा दिया गया है, जिसे 2018 के जोसेफ शाइन मामले में सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक करार दिया था।	लिंग तटस्थता यद्यपि बलात्कार संबंधी कानून केवल महिलाओं के लिए ही लागू हैं, बीएनएस ने लिंग तटस्थता लाने के लिए कुछ अन्य प्रावधानों में बदलाव किया है। उदाहरण के लिए- महिलाओं की गरिमा को ठेस पहुंचाने का अपराध (आईपीसी-354A) और ताक-झांक (आईपीसी-354C) में अब बीएनएस के तहत आरोपी के लिए लिंग तटस्थता सुनिश्चित की गयी है, जिसका अर्थ है कि महिलाओं पर भी कानून के तहत मामला दर्ज किया जा सकता है।
शादी का वादा करना बीएनएस के अंतर्गत धारा 69 में «कपटपूर्ण साधनों» के माध्यम से शादी करने के वादे को अपराध में शामिल किया गया है। कपटपूर्ण साधनों» में रोजगार या पदोन्नति का झूठा वादा, प्रलोभन देना या पहचान छिपाकर शादी करना शामिल है।	राजद्रोह बीएनएस के तहत, राजद्रोह अब अपराध नहीं है। हालांकि, धारा 152 के तहत , भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालने वाले कृत्यों को एक नए अपराध के रूप में शामिल किया है। इस प्रकार, यह अनिवार्य रूप से अपराध की प्रकृतिको 'राजद्रोह' से 'देशद्रोह' में बदल देता है।	सजा के एक रूप में सामुदायिक सेवा बीएनएस ने पहली बार ₹ 5000 से कम मूल्य की संपत्ति की चोरी, किसी लोक सेवक को रोकने के इरादे से आत्महत्या करने का प्रयास, और सार्वजनिक स्थान पर नशे में धुत और परेशानी का कारण बनना जैसे छोटे अपराधों के लिए सजा के रूप में सामुदायिक सेवा को शामिल किया है।

आत्महत्या का प्रयास विरोध प्रदर्शन के दौरान आत्मदाह और भूख हड़ताल के बढ़ते मामलों से निपटने के लिए, बीएनएस में एक नया प्रावधान पेश किया गया जो किसी भी लोक सेवक को अपने आधिकारिक कर्तव्य का निर्वहन करने के लिए मजबूर करने या रोकने के इरादे से आत्महत्या के प्रयासों को अपराध बनाता है।	ठगी आईपीसी की धारा 310 डकैती या बच्चों की चोरी से स्वभावतः संबद्ध लोगों को अपराधी और ठग माना गया था। बीएनएस ने इस प्रावधान को पूरी तरह से हटा दिया है।	अदालती कार्यवाही का अनधिकृत प्रकाशन नई जोड़ी गई धारा 73 में बलात्कार या यौन उत्पीड़न के मामलों में अदालती कार्यवाही से संबंधित 'किसी भी मामले' को बिना अनुमति के छापने या प्रकाशित करने पर रोक लगायी गयी है। हालाँकि, उच्चतम न्यायालय/ उच्च न्यायालय के निर्णयों पर रिपोर्ट का प्रकाशन इस प्रावधान के अंतर्गत अपराध नहीं माना जाएगा।
आतंकवाद धारा 113 का अंतर्गत आतंकवाद की परिभाषा को गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (UAPA) से लिया गया है और आतंकवाद को सामान्य आपराधिक कानून के दायरे में शामिल किया है।		

नए कानून से सम्बद्ध चिंताएं/मुद्दे

राजद्रोह के पहलुओं को बरकरार रखना

- धारा 152 के तहत बीएनएस में ऐसे कृत्यों जिन्हें भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालने के रूप में देखा जा सकता है, के दायरे को बढ़ाकर राजद्रोह के अपराध के कुछ पहलुओं को बरकरार रखा गया है।
- साथ ही, 'विनाशक गतिविधियों' (subversive activities) जैसे शब्दों को परिभाषित नहीं किया गया है, और यह स्पष्ट नहीं है कि कौन सी गतिविधियाँ विनाशक मानी जाएंगी।
- धारा 377 का पूर्ण लोप
- धारा 377 को पूरी तरह हटा दिए जाने से चिंताएँ बढ़ गई हैं क्योंकि यह प्रावधान अभी भी गैर-सहमति वाले यौन कृत्यों, पुरुषों के साथ बलात्कार और क्रूरता से निपटने में सहायक है।
- सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में इस प्रावधान को केवल उस सीमा तक असंवैधानिक करार दिया था जिसके तहत सहमति से समलैंगिक संबंधों को अपराध घोषित कर दिया गया था।

बलात्कार में लैंगिक तटस्थता का अभाव

- बीएनएस बलात्कार और यौन उत्पीड़न पर आईपीसी के प्रावधानों को बरकरार रखते हुए न्यायमूर्ति वर्मा समिति (2013) की सिफारिशों को शामिल करने में विफल रही है, जैसे - बलात्कार के अपराध को लिंग-तटस्थ बनाना और वैवाहिक बलात्कार को अपराध के रूप में शामिल करना।

ससुराल में मतभेद

- बीएनएस में आतंकवाद पर यूएपीए (UAPA) के समान प्रावधान जोड़े गए हैं। हालाँकि, आतंकवाद के वित्तपोषण से जुड़ा अपराध यूएपीए की तुलना में बीएनएस में अधिक व्यापक रूप से शामिल किया गया है।
- इसके अलावा, यह स्पष्ट नहीं है कि यूएपीए और बीएनएस दोनों समवर्ती रूप से कैसे काम करेंगे, विशेषतः जब प्रक्रियात्मक रूप से यूएपीए अधिक कठोर है और मामलों की सुनवाई विशेष अदालतों में की जाती है।

- सामुदायिक सेवा का दायरा अस्पष्ट है।
- बीएनएस के अंतर्गत पहली बार दंड के रूप में सामुदायिक सेवा का प्रावधान करते हुए, यह परिभाषित नहीं किया गया है कि सामुदायिक सेवा क्या होगी और इसे किस प्रकार प्रशासित किया जाएगा।
- गृह मामलों की स्थायी समिति (2023) ने 'सामुदायिक सेवा' की अवधि और प्रकृति को परिभाषित करने की सिफारिश की थी।

व्यापक परामर्श और विधायी परीक्षण का अभाव

- 150 साल से अधिक पुराने आपराधिक कानून को प्रतिस्थापित करने का विधेयक संसद में ऐसी परिस्थिति में पारित किया गया जब 146 सदस्यों को निलंबित कर दिया गया था। साथ ही सांसदों को बिल का अध्ययन करने के लिए सिर्फ 48 घंटे का समय दिया गया।
- कई विपक्षी सांसदों और राजनीतिक वैज्ञानिकों ने स्थायी समिति को परामर्श प्रदान करने वाले विशेषज्ञों में विविधता की कमी और नए कानून पारित करने में की गयी जल्दबाजी को उजागर किया है।

परिवर्तनकारी बदलाव का अभाव

- कई विशेषज्ञों ने इस बात पर प्रकाश डाला है कि नया कानून पुराने कानून की "व्यापक नकल" है, जिसमें केवल अनुभागों को पुनः व्यवस्थित किया गया है और इस प्रकार इसमें किसी भी प्रभावी परिवर्तन का अभाव है।

आगे की राह

- उचित कार्यान्वयन- कानून के उचित कार्यान्वयन हेतु सुधार पर ध्यान केन्द्रित किया जाना चाहिए क्योंकि कई कानूनों और नियमों होने के बावजूद, लंबी न्यायिक प्रक्रिया और न्यूनतम दोष सिद्धि दर भारतीय आपराधिक न्याय प्रणाली की प्रमुख चुनौतियाँ बनी हुई हैं।
- व्यापक परामर्श- समावेशिता और विविध दृष्टिकोण सुनिश्चित करने के लिए कानूनी विशेषज्ञों, कानून प्रवर्तन एजेंसियों, गैर सरकारी संगठनों और प्रभावित समुदायों सहित विभिन्न हितधारकों के साथ सक्रिय भागीदारी और परामर्श की आवश्यकता है।
- पुनर्वास पर ध्यान- नए कानून का जोर अपराधियों के सुधार और

- समाज में पुनः एकीकरण द्वारा 'पुनर्वासात्मक न्याय' सुनिश्चित करने पर होना चाहिए।
- लैंगिक अल्पसंख्यकों का समावेशन - सुप्रीम कोर्ट के संकेत के बावजूद कानूनी सुधार एलजीबीटीक्यू+(LGBTQ+) समुदाय की चिंताओं को दूर करने में विफल रहा है।
 - उदाहरण के लिए- बीएनएस की धारा 63 अभी भी बलात्कार को एक पुरुष द्वारा एक महिला के खिलाफ यौन उत्पीड़न के रूप में परिभाषित

- करती है और लैंगिक रूढ़िवादिता को जारी रखे हुए है। यह परिभाषा एक पुरुष द्वारा दूसरे पुरुष के खिलाफ या एक महिला द्वारा दूसरी महिला के खिलाफ यौन हमले को पहचानने में विफल है।
- सार्वजनिक जागरूकता और शिक्षा - आपराधिक न्याय प्रणाली के भीतर नागरिकों को उनके अधिकारों और दायित्वों के बारे में सूचित करने के लिए सार्वजनिक जागरूकता अभियान और शैक्षिक कार्यक्रम संचालित करना।

1.2. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023

संदर्भ

राष्ट्रपति ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 को मंजूरी दे दी है, जिसके बाद इसने आपराधिक प्रक्रिया संहिता (CrPC) 1973 का स्थान ले लिया।

प्रमुख विशेषताएं

- भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS, 2023) (जिसने CrPC की जगह ले ली) का उद्देश्य त्वरित न्याय प्रदान करना और उचित सजा दर सुनिश्चित करना है।
- जबकि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 ने CrPC के अधिकांश प्रावधानों को बरकरार रखा है, इसमें निम्न कई महत्वपूर्ण बदलाव भी प्रस्तुत किए हैं

दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी), 1973

निम्न द्वारा प्रतिस्थापित

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023

- इसमें 533 धाराएं होंगी (सीआरपीसी में 478 धाराएं थीं)।
- 160 धाराएं बदली गईं
- 9 धाराएं जोड़ी गईं और 9 धाराएं निरस्त की गईं



कुछ प्रमुख प्रावधान	सीआरपीसी के तहत मौजूद	भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता द्वारा किए गए परिवर्तन
विचाराधीन कैदी की हिरासत	मौत की सजा वाले अपराधों को छोड़कर, यदि किसी आरोपी ने सजा की अधिकतम अवधि का आधा हिस्सा हिरासत में बिताया है, तो उसे निजी बॉन्ड पर जमानत दी जानी चाहिए।	इसमें इस प्रावधान को बरकरार रखा गया है और जोड़ा गया है कि पहली बार के अपराधियों को अधिकतम सजा का एक तिहाई पूरा करने के बाद जमानत मिल सकती है। हालाँकि, यह निम्न पर लागू नहीं होगा: (i) आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध और (ii) ऐसे व्यक्ति जिनके खिलाफ एक से अधिक आपराधिक मामलों में कार्यवाही लंबित है।
चिकित्सा परीक्षण	इसमें कुछ मामलों में कम से कम एक उप-निरीक्षक स्तर के पुलिस अधिकारी के अनुरोध पर एक पंजीकृत चिकित्सक द्वारा आरोपी की चिकित्सा जांच की अनुमति दी गयी थी।	यह प्रावधान करता है कि कोई भी पुलिस अधिकारी ऐसी जांच का अनुरोध कर सकता है।
हस्ताक्षर और उंगलियों के निशान	सीआरपीसी एक मजिस्ट्रेट को किसी भी व्यक्ति का नमूना हस्ताक्षर या लिखावट प्रदान करने का आदेश देने का अधिकार देता है।	इसने उंगलियों के निशान और आवाज के नमूनों को शामिल करने के लिए इसका विस्तार किया है।
न्यायालयों का पदानुक्रम	सीआरपीसी भारत में आपराधिक मामलों के फैसले के लिए अदालतों का एक पदानुक्रम स्थापित करता है। यह राज्य सरकारों को 10 लाख से अधिक आबादी वाले क्षेत्रों को महानगरीय क्षेत्रों के रूप में अधिसूचित करने का भी अधिकार देता है। ऐसे क्षेत्रों में मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट होते हैं।	इसमें महानगरीय क्षेत्रों और महानगर मजिस्ट्रेटों के वर्गीकरण को हटा दिया गया है।
संपत्ति की कुर्की	सीआरपीसी पुलिस को संपत्ति जब्त करने की शक्ति प्रदान करती है, जब वह (i) चोरी होने का आरोप या संदेह हो, या (ii) किसी अपराध के होने का संदेह पैदा करने वाली परिस्थितियों में पाया गया हो। हालाँकि, यह केवल चल संपत्तियों पर लागू होता है।	भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में इसे अचल संपत्तियों तक भी विस्तारित कर दिया गया है।

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) द्वारा जोड़े गए प्रमुख प्रावधान

फोरेंसिक जांच

- भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता सात साल या उससे अधिक की सजा

वाले सभी अपराधों में एक विशेषज्ञ द्वारा फोरेंसिक साक्ष्य संग्रह को अनिवार्य बनाता है।

- इसमें यह भी प्रावधान है कि यदि किसी राज्य के पास फोरेंसिक सुविधा नहीं है, तो दूसरे राज्य से, फोरेंसिक सुविधाओं को प्राप्त करेगा।

दण्ड प्रक्रिया संहिता (CrPC)

- यह भारत में आपराधिक न्याय के प्रक्रियात्मक पहलुओं को नियंत्रित करता है। इसकी स्थापना IPC, 1860 के संचालन हेतु की गई थी और यह अपराधों की जांच, गिरफ्तारी, अभियोजन और जमानत की प्रक्रिया को नियंत्रित करता है।
- इसे पहली बार वर्ष 1861 में पारित किया गया था और तब से इसे कई बार संशोधित किया गया है।
- हालाँकि, वर्ष 1973 में, तत्कालीन अधिनियम को निरस्त कर दिया गया तथा मौजूदा CrPC लागू किया गया और अग्रिम जमानत जैसे बदलाव पेश किए गए।
- व्यक्ति बातचीत (plea bargaining) और गिरफ्तार व्यक्तियों के अधिकारों के प्रावधानों को जोड़ने के लिए वर्ष 2005 में इसमें और संशोधन किया गया।
- यह अपराधों को संज्ञेय और गैर-संज्ञेय की श्रेणियों में वर्गीकृत करता है।
- संज्ञेय अपराध वे होते हैं, जिनमें पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है और जांच शुरू कर सकती है।
- गैर-संज्ञेय अपराधों के लिए वारंट की आवश्यकता होती है और कुछ मामलों में पीड़ित या तीसरे पक्ष की शिकायत की आवश्यकता होती है।

इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली का उपयोग

- भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता ई-एफआईआर के माध्यम से अपराधों की जानकारी देने के लिए एक परिवर्तनकारी दृष्टिकोण प्रदान करता है, जो संवेदनशील अपराधों की शीघ्र जानकारी देने में मदद करेगा।
- इसमें प्रावधान है कि सभी सुनवाई (trials), पूछताछ और कार्यवाही इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली में आयोजित की जा सकती है। यह जांच, पूछताछ या सुनवाई के लिए इलेक्ट्रॉनिक संचार उपकरणों के उत्पादन का भी प्रावधान करता है जिनमें डिजिटल साक्ष्य होने की संभावना है।

अनुपस्थिति में सुनवाई

- भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में पहली बार आरोपी की गैरमौजूदगी में सुनवाई (trial) की बात कही गई है।
- यदि कोई घोषित अपराधी मुकदमे से बचने के लिए भाग गया है और उसकी गिरफ्तारी की तत्काल कोई संभावना नहीं है, तो उसकी अनुपस्थिति में मुकदमा चलाया जा सकता है और फैसला भी सुनाया जा सकता है।

समयबद्ध प्रक्रियाएँ

- भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में विभिन्न प्रक्रियाओं के लिए एक समय सीमा निर्धारित की गई है। उनमें से कुछ निम्न हैं:
- शिकायत मिलने के 3 दिन के भीतर एफआईआर दर्ज करना अनिवार्य होगा और 7 से 14 साल की सजा वाले मामलों में प्रारंभिक जांच 14 दिन के भीतर करानी होगी।
- रेप पीड़िता की मेडिकल रिपोर्ट सात दिन के अंदर कोर्ट में जमा करनी होगी।
- पहली सुनवाई से 60 दिनों के भीतर आरोप तय करना, 90 दिनों के

भीतर आरोप पत्र दाखिल करना और सुनवाई के समापन के बाद 30 दिनों (45 दिनों तक बढ़ाया जा सकता है) के भीतर निर्णय की घोषणा करना।

शून्य एफआईआर (जीरो FIR)

- भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता देश के किसी भी हिस्से से शून्य एफआईआर दर्ज करने की अनुमति देता है, यानी जब किसी पुलिस स्टेशन को किसी अन्य पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र में किए गए कथित अपराध के लिए शिकायत मिलती है, तो वह एफआईआर दर्ज करता है और फिर इसे आगे की जांच पड़ताल हेतु संबंधित पुलिस स्टेशन में स्थानांतरित कर देता है।

नए कानून के प्रमुख मुद्दे

पुलिस हिरासत

- भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 15 दिनों तक की पुलिस हिरासत की अनुमति देता है जिसे पूर्ण या आंशिक रूप से अधिकृत किया जा सकता है। इस प्रकार, यदि पुलिस ने 15 दिनों की हिरासत अवधि समाप्त नहीं की है तो जमानत से इनकार किया जा सकता है।

हथकड़ी प्रयोग करने की शक्ति

- इस संहिता में बार-बार हिरासत से भागने वाले अपराधी या बलात्कार, एसिड हमला, संगठित अपराध आदि जैसे अपराध करने वाले व्यक्ति की गिरफ्तारी के दौरान हथकड़ी के उपयोग का प्रावधान किया गया है।
- यह प्रावधान राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) के दिशानिर्देशों और उच्चतम न्यायालय के फैसलों का उल्लंघन करता है, जिसने हथकड़ी के इस्तेमाल को अमानवीय, अनुचित, मनमाना और अनुच्छेद 21 के प्रतिकूल माना है।

जमानत से इनकार

- सीआरपीसी में ऐसे आरोपी को जमानत देने का प्रावधान किया गया है, जिसने सजा की अधिकतम अवधि का आधा हिस्सा हिरासत में बिताया हो। हालाँकि, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में कई आरोपों का सामना करने वाले किसी भी व्यक्ति को यह सुविधा नहीं दी गई है।
- चूंकि कई मामलों में कई धाराओं के तहत आरोप शामिल होते हैं, इससे कई विचाराधीन कैदी अनिवार्य जमानत के लिए अयोग्य हो सकते हैं।
- इससे जेलों में भीड़भाड़ होगी। दिसंबर 2021 तक, भारत की जेलों में कुल अधिभोग दर 130% थी (भारत में कुल कैदियों का 77% विचाराधीन कैदी थे)।

संपत्ति कुर्क करने की शक्ति

- भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत अपराध की आय से अर्जित संपत्ति जब्त करने की शक्ति में धन शोधन निवारण अधिनियम (PMALA 2022) के अनुरूप सुरक्षा उपाय प्रदान नहीं किए गए हैं।

सजा संबंधी दिशानिर्देशों में सुधार

- सीआरपीसी में बदलावों पर उच्च स्तरीय समितियों की सिफारिशों (जैसे- सजा दिशानिर्देशों में सुधार और आरोपियों के अधिकारों को

संहिताबद्ध करना) को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में शामिल नहीं किया गया है।

1.3. भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023

संदर्भ

राष्ट्रपति ने भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 को मंजूरी दे दी है, जिसने 1872 के भारतीय साक्ष्य अधिनियम का स्थान ले लिया है।

प्रमुख विशेषताएँ

- भारतीय साक्ष्य अधिनियम (BSA) 2023, जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम (Indian Evidence Act-IEA) की जगह लाया गया है, जिसमें आईईए के अधिकांश प्रावधानों को बरकरार रखा गया है, जिसमें स्वीकारोक्ति, तथ्यों की प्रासंगिकता और सबूत का बोझ शामिल है।
- आईईए से धारित कुछ महत्वपूर्ण अंश निम्न हैं:
- स्वीकार्य साक्ष्य:** कानूनी कार्यवाही में शामिल पक्ष केवल स्वीकार्य साक्ष्य प्रस्तुत कर सकते हैं।
 - स्वीकार्य साक्ष्य को या तो 'विषयक तथ्य' या 'प्रासंगिक तथ्य' के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है।
 - आईईए दो प्रकार के साक्ष्य प्रदान करता है - दस्तावेजी और मौखिक साक्ष्य।
 - दस्तावेजी साक्ष्य में प्राथमिक (मूल दस्तावेज़ और उसके भाग) और द्वितीयक (दस्तावेज़ और मौखिक विवरण जो मूल की सामग्री को साबित करते हैं) साक्ष्य शामिल हैं।
- पुलिस का इकबालिया बयान:** किसी पुलिस अधिकारी के सामने किया गया कोई भी कबूलनामा (जिसमें पुलिस हिरासत भी शामिल है) तब तक अस्वीकार्य है जब तक कि उसे मजिस्ट्रेट द्वारा दर्ज न किया जाए।
- हालाँकि, किसी स्वीकारोक्ति को तब स्वीकार किया जा सकता है** यदि वह स्पष्ट रूप से उस स्वीकारोक्ति के परिणामस्वरूप खोजे गए तथ्य से संबंधित हो।
- एक सिद्ध तथ्य:** किसी तथ्य को तब सिद्ध माना जाता है जब न्यायालय प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर यह मानता है कि इसका अस्तित्व है या

भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872

निम्न द्वारा प्रतिस्थापित

भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023

- इसमें 170 धाराएं होंगी (भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 में 167 धाराएं)
- 23 धाराएं बदली गईं
- 1 धारा जोड़ी गई और 5 धाराएं निरस्त की गईं



इसके अस्तित्व में होने की संभावना है।

- जबकि भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 में आईईए के अधिकांश प्रावधानों को बरकरार रखा गया है, यह कई बदलाव भी पेश करता है। कुछ महत्वपूर्ण बदलावों में निम्न शामिल हैं:

IEA, 1872

- यह भारतीय न्यायालयों में साक्ष्य की स्वीकार्यता को नियंत्रित करता है। यह सभी सिविल और आपराधिक कार्यवाहियों पर लागू होता है।
- पिछले कुछ वर्षों में, इसे कुछ आपराधिक सुधारों और तकनीकी प्रगति के साथ संशोधित किया गया है।
- वर्ष 2000 में, द्वितीयक साक्ष्य के रूप में इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की स्वीकार्यता को शामिल करने के लिए आईईए में संशोधन किया गया था।
- बलात्कार के मामलों में सहमति से संबंधित प्रावधानों को जोड़ने के लिए (वोभत्स निर्भया सामूहिक बलात्कार मामले के बाद) वर्ष 2013 में इसमें संशोधन किया गया था। इमने यह साबित करने की जिम्मेदारी आरोपी पर डाल दी गई थी, और यह भी जोड़ा गया कि सहमति का निर्धारण करते समय पीड़िता का चरित्र और उसका यौन इतिहास प्रासंगिक नहीं होगा।

कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान	आईईए में मौजूद	भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 द्वारा किए गए परिवर्तन
दस्तावेज़ी प्रमाण	आईईए के तहत, किसी दस्तावेज़ में लेख, मानचित्र और रेखाचित्र (caricatures) शामिल होते हैं। यह दस्तावेज़ी साक्ष्य को प्राथमिक और द्वितीयक साक्ष्य के रूप में वर्गीकृत करता है।	भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 ने इस वर्गीकरण को बरकरार रखा है और कहा है कि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को भी दस्तावेज़ माना जाएगा।
मौखिक साक्ष्य	आईईए के तहत, मौखिक साक्ष्य में जांच के तहत किसी तथ्य के बारे में गवाहों द्वारा अदालतों के समक्ष दिए गए बयान शामिल हैं।	इसने इस प्रावधान को बरकरार रखा है और मौखिक साक्ष्य को इलेक्ट्रॉनिक रूप से देने की अनुमति देता है। इस प्रकार, यह गवाहों, आरोपी व्यक्तियों और पीड़ितों को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से गवाही देने की अनुमति देगा।

साक्ष्य के रूप में इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की स्वीकार्यता	इसके तहत, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को द्वितीयक साक्ष्य के रूप में वर्गीकृत किया गया है।	बीएसए इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को प्राथमिक साक्ष्य के रूप में वर्गीकृत करता है। इसमें यह भी प्रावधान है कि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड का कानूनी प्रभाव कागजी रिकॉर्ड के समान ही होगा। यह सेमीकंडक्टर मेमोरी या किसी संचार उपकरण (स्मार्टफोन, लैपटॉप) में संग्रहित जानकारी को शामिल करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड का विस्तार करता है।
द्वितीयक साक्ष्य का विस्तार		बीएसए ने द्वितीयक साक्ष्य का विस्तार करते हुए इसमें निम्न शामिल किया है: (i) मौखिक और लिखित स्वीकारोक्ति, और (ii) उस व्यक्ति की गवाही जिसने दस्तावेज़ की जांच की है और दस्तावेज़ों की जांच करने में कुशल है।
संयुक्त सुनवाई (एक ही अपराध के लिए एक से अधिक आरोपी के मुकदमों में)	आईईए का प्रावधान है कि एक संयुक्त मुकदमे में, यदि किसी एक आरोपी द्वारा किया गया कबूलनामा (जो दूसरे आरोपी को भी प्रभावित करता है) साबित हो जाता है तो इसे दोनों के खिलाफ कबूलनामा माना जाएगा।	इसमें कहा गया है कि यदि कोई आरोपी फरार हो गया है या गिरफ्तारी वारंट का जवाब नहीं दिया है तो कई व्यक्तियों के मुकदमे को संयुक्त मुकदमा माना जाएगा।

नए कानून की प्रमुख चुनौतियाँ

इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के मामले में सुरक्षा उपायों का अभाव

- वर्ष 2014 में उच्चतम न्यायालय ने माना था कि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड में छेड़छाड़ और बदलाव की आशंका है। इसमें कहा गया है कि पर्याप्त सुरक्षा उपायों के बिना अगर पूरा मुकदमा इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के सबूत पर आधारित है तो यह न्याय का मजाक बन सकता है।
- भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 प्राथमिक साक्ष्य के रूप में इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की स्वीकार्यता की अनुमति देता है। हालाँकि, खोज और जब्ती या जांच प्रक्रिया के दौरान ऐसे रिकॉर्ड के साथ छेड़छाड़ और विकृत करना को रोकने के लिए कोई सुरक्षा उपाय प्रदान नहीं किए गए हैं।
- इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की स्वीकार्यता में अस्पष्टता
- आईईए के तहत, दस्तावेज़ के रूप में स्वीकार्य होने के लिए सभी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को एक प्रमाणपत्र द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 ने स्वीकार्यता के लिए इन प्रावधानों को बरकरार रखा है।
- हालाँकि, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य को भी दस्तावेज़ के रूप में वर्गीकृत करता है (जिसे प्रमाणीकरण की आवश्यकता नहीं हो सकती है)। इस प्रकार, यह इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की स्वीकार्यता के संबंध में विरोधाभास पैदा करता है।

पुलिस हिरासत में बलपूर्वक प्राप्त की गई जानकारी के लिए सुरक्षा उपायों का अभाव

- आईईए के तहत, किसी सूचना/स्वीकारोक्ति को तभी स्वीकार किया जा सकता है यदि वह स्पष्ट रूप से उस जानकारी/स्वीकारोक्ति के परिणामस्वरूप खोजे गए तथ्य से संबंधित हो। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 ने इस प्रावधान को बरकरार रखा है।
✓ हालाँकि, उच्चतम न्यायालय और विभिन्न विधि आयोग की रिपोर्टों ने इस बात पर प्रकाश डाला है कि पर्याप्त सुरक्षा उपायों के बिना, जबरदस्ती पुलिस हिरासत में तथ्यों की खोज की जा सकती है।
- इसके अलावा, आईईए ऐसी जानकारी को स्वीकार्य होने की अनुमति देता है, यदि यह तब प्राप्त की गई थी जब आरोपी पुलिस हिरासत में था, लेकिन अगर वह बाहर था तो जानकारी को स्वीकृत नहीं किया जाएगा।

भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 ने इस प्रावधान को बरकरार रखा है।
✓ हालाँकि, विधि आयोग (2003) ने इस भेद को हटाने की सिफारिश की।

विधि आयोग की सिफारिशें शामिल नहीं

- भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 में विधि आयोग की कई सिफारिशों को शामिल नहीं किया गया है, जिसमें यह धारणा भी शामिल है कि अगर कोई आरोपी पुलिस हिरासत में घायल हुआ तो पुलिस अधिकारी ने उसे घायल किया है।

आगे की राह

- इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के लिए सुरक्षा उपाय** - गृह मामलों की स्थायी समिति (2023) ने यह अनिवार्य करने की सिफारिश की कि जांच के दौरान साक्ष्य के रूप में एकत्र किए गए सभी इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड को हिरासत की उचित श्रृंखला के माध्यम से सुरक्षित रूप से संभाला और सुरक्षित/संरक्षित किया जाए।
✓ वर्ष 2021 में, कर्नाटक उच्च न्यायालय ने इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की खोज और जब्ती के दौरान न्यूनतम सुरक्षा उपायों के लिए निम्न दिशानिर्देश पेश दिए हैं:
■ यह सुनिश्चित हो कि एक योग्य फॉरेंसिक परीक्षक खोज दल के साथ रहे।
■ जांच अधिकारी को इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की खोज और जब्ती के दौरान जब्त किए गए इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का उपयोग करने से रोकना।
■ किसी भी इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज डिवाइस (जैसे- पेन ड्राइव या हार्ड ड्राइव) को जब्त करना और उन्हें फ़ैराडे बैग में पैक करना। [फ़ैराडे बैग विद्युत चुम्बकीय संकेतों के संचरण (जो डिवाइस में संग्रहित डेटा को बाधित या नष्ट कर सकते हैं) को अवरुद्ध कर देते हैं]।
- विधि आयोग की सिफारिशें (2003)** - इसने सिफारिश की कि पुलिस हिरासत में धमकी, जबरदस्ती, हिंसा या यातना का उपयोग करके पाए गए तथ्य साबित करने योग्य नहीं होने चाहिए।
✓ इसने आगे सुझाव दिया कि तथ्यों से संबंधित जानकारी प्रासंगिक होनी चाहिए चाहे बयान पुलिस हिरासत के अंदर दिया गया हो या बाहर।

1.4. डाकघर अधिनियम, 2023

संदर्भ

हाल ही में भारत के राष्ट्रपति ने डाकघर विधेयक, 2023 (जो लंबे समय से चले आ रहे भारतीय डाकघर अधिनियम 1898 को प्रतिस्थापित करेगा) को मंजूरी दी।

विधेयक की आवश्यकता

- विधेयक का उद्देश्य भारतीय डाकघर अधिनियम 1898 में उल्लिखित पारंपरिक डाक प्रणाली से आगे डाकघर की भूमिका को विस्तृत करते हुए "भारत में डाकघरों से संबंधित कानून को समेकित और संशोधित करना" है।
- जैसा कि विधेयक में उल्लिखित है, समकालीन डाकघर नेटवर्क ने विभिन्न नागरिक-केंद्रित सेवाएं प्रदान करने हेतु अपने दायरे का विस्तार किया है, जिससे एक नए विधायी ढांचे की आवश्यकता को बल मिला है।

प्रमुख विशेषताएँ

प्रमुख विशेषताएँ	भारतीय डाकघर अधिनियम, 1898	डाकघर अधिनियम, 2023
अनन्य विशेषाधिकार	केंद्र सरकार को डाकघर स्थापित करने और डाक द्वारा पत्र भेजने के लिए अनन्य विशेषाधिकार प्रदान करता है। इसमें आकस्मिक सेवाएँ भी निर्दिष्ट हैं।	केंद्र सरकार को अनन्य विशेषाधिकार प्रदान नहीं करता है। भारतीय डाक को ही डाक टिकट जारी करने का अनन्य विशेषाधिकार प्राप्त है।
सेवाओं का दायरा	यह भारतीय डाक (इंडिया पोस्ट) द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं को निर्दिष्ट करता है, जिसमें डाक लेखों और मनी ऑर्डर की प्रदायगी भी शामिल है।	केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित सेवाएं प्रदान करने के लिए भारतीय डाक को सशक्त बनाता है।
महानिदेशक की शक्तियाँ	डाक सेवा महानिदेशक के पास डाक सेवाओं की प्रदायगी का समय और तरीका निर्धारित करने की शक्तियाँ हैं।	डाक सेवा महानिदेशक, डाक सेवा, शुल्कों एवं डाक टिकटों और डाक स्टेशनरी की आपूर्ति और बिक्री के लिए आवश्यक किसी भी गतिविधि के संबंध में नियम बना सकते हैं।
डाक वस्तुओं को रोकने की शक्तियाँ	सार्वजनिक आपातकाल, सार्वजनिक सुरक्षा या शांति के मद्देनजर डाक वस्तुओं/सामग्री को रोकने की शक्ति प्रदान की गयी। केंद्र या राज्य सरकारों द्वारा प्राधिकृत अधिकारी डाक को रोक सकते हैं।	राज्य की सुरक्षा, मैत्रीपूर्ण संबंध, सार्वजनिक व्यवस्था, आपातकाल, सार्वजनिक सुरक्षा या विधेयक या अन्य कानूनों के उल्लंघन के रूप में अवरोधन हेतु आधार निर्दिष्ट करता है। यह केंद्र सरकार द्वारा प्राधिकृत अधिकारी को डाक सामग्री को रोकने का अधिकार देता है।
डाक लेखों की जांच	प्रभारी अधिकारी उन वस्तुओं की जांच कर सकते हैं जिनमें संदिग्ध सामान या शुल्क के लिए उत्तरदायी वस्तुएं होने का संदेह है।	जांचने की शक्ति को समाप्त किया गया है। केंद्र सरकार को किसी अधिकारी को सीमा शुल्क या लाने-ले जाने के लिए किसी अन्य निर्दिष्ट प्राधिकारी को वस्तु पहुंचाने हेतु अधिकृत करने का अधिकार देता है।
दायित्व से छूट	जब तक कि स्पष्ट रूप से ऐसा न किया जाए, सरकार को दायित्व से छूट प्राप्त है। अधिकारियों को तब तक यह छूट प्राप्त है जब तक कि वे कपटपूर्ण या जानबूझकर ऐसे कृत्य में शामिल नहीं होते हैं।	यह छूट बरकरार रखी गयी है और केंद्र सरकार को नियमों के तहत भारतीय डाक की सेवाओं के लिए दायित्व निर्धारित करने की अनुमति देती है।
अपराधों और दंडों को हटाना	विभिन्न अपराधों और दंडों को निर्दिष्ट करता है, जिन्हें जन विश्वास (प्रावधानों का संशोधन) अधिनियम, 2023 द्वारा समाप्त कर दिया गया था।	भू-राजस्व के बकाया के रूप में उपयोगकर्ताओं द्वारा भुगतान नहीं की गई राशि की वसूली के अतिरिक्त विशिष्ट अपराधों या दंड का प्रावधान नहीं है।
निजी कूरियर सेवाओं का विनियमन	ऐसा कोई प्रावधान नहीं	2023 का अधिनियम, पहली बार निजी कूरियर सेवाओं को अपने दायरे में लाकर उन्हें नियंत्रित करता है।

चिंताएँ

प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायों का अभाव

- यह विधेयक भारतीय डाक के माध्यम से प्रेषित वस्तुओं की रोकथाम के लिए प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायों को निर्दिष्ट नहीं करता है।
- स्पष्ट दिशानिर्देशों के अभाव से अनियंत्रित अवरोधन (Interception)

प्रथाओं को बढ़ावा मिल सकता है, जिससे शक्तियों के दुरुपयोग के बारे में चिंताएँ बढ़ सकती हैं।

बोलने, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और निजता के अधिकार (अनुच्छेद 19) का उल्लंघन

- विधेयक में सुरक्षा उपायों की कमी भाषण और अभिव्यक्ति की

स्वतंत्रता के साथ-साथ व्यक्तियों की निजता के अधिकार (अनुच्छेद 21) के संभावित उल्लंघन के बारे में चिंताएं उत्पन्न करती हैं।

- उचित सुरक्षा उपायों के अभाव में अवरोधन गतिविधियों के माध्यम से मौलिक अधिकारों के उल्लंघन का जोखिम उत्पन्न हो सकता है।

अवरोधन के लिए व्यापक आधार

- विशिष्टता की कमी के कारण 'आपातकाल' शब्द सहित अवरोधन के आधारों में की आलोचना की जाती है।
- आलोचकों का तर्क है कि संभवतः संविधान द्वारा प्रदत्त उचित प्रतिबंधों से परे जाकर 'आपातकाल' शब्द की व्यापक रूप से व्याख्या की जा सकती है।

भारतीय डाक को दायित्व से छूट

- विधेयक भारतीय डाक को डाक सेवाओं में खामियों के लिए दायित्व से छूट प्रदान करता है, जिसमें अवरोधन से संबंधित गतिविधियाँ शामिल हो सकती हैं।
- दायित्व की अनुपस्थिति जवाबदेही को प्रभावित कर सकती है और अवरोधन कार्यों से प्रभावित व्यक्तियों के लिए पर्याप्त सहायता प्रदान नहीं किए जाने की सम्भावना उत्पन्न हो सकती है।

निर्दिष्ट अपराधों और दंडों का अभाव

- विधेयक में अवरोधन गतिविधियों से संबंधित किसी भी अपराध और दंड का उल्लेख नहीं है।
- अनधिकृत कार्यों के लिए स्पष्ट परिणामों (दंड) का न होना विधिक निर्वात उत्पन्न कर सकती है, जिससे प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा कदाचार को रोकना और निराकरण करना मुश्किल हो सकता है।

डाक सामग्री को अनाधिकृत रूप से प्राप्त करने पर कोई दंड नहीं

- इस विधेयक में किसी डाक अधिकारी द्वारा डाक वस्तुओं को अनाधिकृत रूप से प्राप्त करने पर परिणामों (दंड) की रूपरेखा का उल्लेख नहीं किया गया है।
- जवाबदेही की इस कमी का उपभोक्ताओं की निजता के अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है, क्योंकि यह अधिकार के संभावित दुरुपयोग की संभावना से युक्त है।

सरकार का पक्ष

- सरकार का तर्क है कि भारत के जटिल समाज में राष्ट्रीय सुरक्षा हेतु अवरोधन (Interception) प्रावधान आवश्यक हैं। सरकार इस प्रक्रिया में निष्पक्षता और पारदर्शिता के प्रति प्रतिबद्धता पर जोर देते हुए, अवरोधन प्रक्रिया की रूपरेखा तैयार करने वाले नियम बनाने का प्रयोजन रखती है।

गोपनीयता और निगरानी पर उच्चतम न्यायालय के फैसले

पीपुल्स यूनिन फॉर सिविल लिबर्टीज (PUCL) बनाम यूनिन ऑफ इंडिया (1996)

- संदर्भ: उचित प्रक्रिया पालन किये बिना टेलीफोनिक अवरोधन

की अनुमति देने वाले टेलीग्राफ अधिनियम की धारा 5(2) की संवैधानिकता को चुनौती।

- **निर्णय:** यह स्वीकार किया गया कि टेलीफोन टैपिंग निजता के मौलिक अधिकार का उल्लंघन है। सरकार को प्राप्त मनमानी निगरानी शक्तियों के विरुद्ध सुरक्षा उपाय लागू किए गए।
- **दिशानिर्देश:** अवरोधन आदेशों के लिए व्यापक दिशानिर्देश जारी किए गए, जिनमें केवल उच्च-स्तर के अधिकारियों द्वारा प्राधिकरण, वैकल्पिक साधनों पर विचार और विस्तृत रिकॉर्ड का रखरखाव शामिल है।
- **प्रभाव:** अनुच्छेद 19(1) (a) और अनुच्छेद 21 के तहत नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए अवरोधन शक्तियों को विनियमित करने हेतु एक उचित और निष्पक्ष प्रक्रिया की आवश्यकता पर जोर देते हुए एक मिसाल कायम की।

जस्टिस केएस पुट्टास्वामी बनाम भारत संघ (2017)

- **संदर्भ:** निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार घोषित करना।
- **निर्णय:** सर्वसम्मति से निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी गई, इस अधिकार का उल्लंघन करने वाले राज्य के उपायों हेतु सीमा निर्धारित की गई।
- **आवश्यकताएँ:** कानूनी अधिकार, वैध लक्ष्य, उपयुक्तता, आवश्यकता, आनुपातिकता और प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपाय।
- **व्यक्त की गयी चिंताएँ:** सूचनात्मक गोपनीयता को मान्यता दी गई और व्यक्तिगत डेटा पर सरकार के आधिपत्य और नियंत्रण के बारे में चिंताएँ प्रकट की गईं, सरकार के दमनकारी ('Big Brother' state) होने के खिलाफ चेतावनी दी गई।
- **प्रभाव:** गोपनीयता अधिकारों को प्रभावित करने वाले राज्य के उपायों की वैधता का आकलन करने के लिए एक मजबूत ढांचा स्थापित किया गया।

पेगासस आरोपों पर विशेषज्ञ समिति की नियुक्ति (2021)

- **संदर्भ:** केंद्र सरकार पर नागरिकों की जासूसी करने के लिए पेगासस का उपयोग करने का आरोप।
- **फैसला:** जासूसी के आरोपों की जांच के लिए एक विशेषज्ञ तकनीकी समिति नियुक्त की गई, जिसमें इस बात पर जोर दिया गया कि निजता का उल्लंघन करने की सरकार की शक्ति पूर्णतः निरपेक्ष नहीं है।
- **टिप्पणी:** इस बात पर जोर दिया गया कि निगरानी के डर से स्व-नियंत्रण (self-censorship) हो सकता है, जिससे व्यक्तिगत अधिकारों का प्रयोग प्रभावित हो सकता है।
- **बचाव के रूप में राष्ट्रीय सुरक्षा की आलोचना:** इसमें सरकार द्वारा बचाव के रूप में राष्ट्रीय सुरक्षा चिंताओं का उल्लेख करने की आलोचना करते हुए कहा गया कि राष्ट्रीय सुरक्षा को एक व्यापक कारण नहीं ठहराया जा सकता है।
- **प्रभाव:** निगरानी प्रथाओं की जांच में न्यायपालिका की भूमिका को सुदृढ़ किया और व्यक्तिगत गोपनीयता के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा को संतुलित करने के महत्व पर प्रकाश डाला गया।

आगे की राह

मजबूत प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायों को शामिल करना

- भारतीय डाक के माध्यम से डाक सामग्री को रोकने हेतु स्पष्ट और व्यापक प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायों को लागू किया जाए।
- निरीक्षण तंत्र लागू किया जाए जिसके लिए न्यायिक वारंट की आवश्यकता है और संवैधानिक सिद्धांतों का पालन सुनिश्चित किया जाए।
- ये उपाय व्यक्ति की बोलने, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और निजता के अधिकार की रक्षा के लिए आवश्यक हैं।

अवरोधन हेतु आधार को परिभाषित करना

- अवरोधन के आधारों विशेषकर 'आपातकाल' शब्द को स्पष्ट और परिष्कृत किया जाए।
- अवरोधन शक्तियों के संभावित दुरुपयोग को रोकने हेतु संविधान में निर्दिष्ट उचित प्रतिबंधों के साथ संरक्षण सुनिश्चित होना चाहिए।
- व्यक्तिगत अधिकारों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए, आपातकालीन शक्तियों के प्रयोग पर स्पष्ट सीमाएँ लागू की जाए।

संतुलित दायित्व ढाँचा

- डाकघर की जवाबदेही के लिए एक संतुलित ढाँचा स्थापित करने की जरूरत है।
- डाकघर की स्वतंत्रता और दक्षता को संरक्षित करते हुए संभावित दुरुपयोग के बारे में चिंताओं को दूर करने हेतु दायित्व के लिए स्पष्ट नियम निर्धारित किया जाए।
- दायित्व नियमों के प्रशासन में हितों के टकराव को रोकने हेतु उपाय करने की आवश्यकता है।

अनधिकृत रूप से डाक खोलने का समाधान

- डाक अधिकारियों द्वारा डाक वस्तुओं को अनाधिकृत रूप से खोलने के मामले का हल करने के लिए विधेयक में विशिष्ट अपराधों और दंडों को शामिल किया जाए।
- एक कानूनी ढाँचा बनाया जाए जिसमें व्यक्तियों को कदाचार, धोखाधड़ी, चोरी और अवरोधन गतिविधियों से संबंधित अन्य अपराधों के लिए जिम्मेदारी सुनिश्चित की जाए।
- उपभोक्ताओं के लिए निजता के अधिकार की सुरक्षा सुनिश्चित करने और अनधिकृत कार्यों को रोकने हेतु कानून को सशक्त करने की आवश्यकता है।

1.5. दूरसंचार अधिनियम, 2023

संदर्भ

हाल ही में संसद द्वारा पारित दूरसंचार विधेयक, 2023 को राष्ट्रपति ने मंजूरी दे दी।

उद्देश्य

- इस अधिनियम ने वर्ष 1885 के भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, वर्ष 1933 के भारतीय वायरलेस टेलीग्राफी अधिनियम और वर्ष 1950 के टेलीग्राफ तार (गैरकानूनी कब्ज़ा) अधिनियम को निरस्त कर दिया।
- इसने भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) अधिनियम, 1997 में भी संशोधन किया है।
- इसका उद्देश्य क्षेत्र को निवेशक-अनुकूल बनाने के लिए देश के सदियों पुराने दूरसंचार कानून में बदलाव लाना है।
- यह एक ऐसा कानूनी और नियामक ढाँचा बनाने का प्रयास करता है जो एक सुरक्षित और संरक्षित दूरसंचार नेटवर्क पर केंद्रित है जिससे डिजिटल रूप से समावेशी विकास उपलब्ध हो।
- इसका उद्देश्य वायरलेस नेटवर्क और इंटरनेट सेवा प्रदाताओं के लिए कानून को मजबूत करना और दूरसंचार ऑपरेटरों के लिए लाइसेंस और परमिट प्राप्त करने हेतु आवेदन की प्रक्रिया को सरल बनाना है।
- यह लाइसेंसिंग व्यवस्था से प्राधिकरण व्यवस्था में बदलाव का भी प्रतीक है, जहां भारत में सभी दूरसंचार सेवाओं को केंद्र सरकार से प्राधिकरण प्राप्त करने की आवश्यकता होती है।

प्रमुख विशेषताएँ

दूरसंचार संबंधित गतिविधियों हेतु प्राधिकरण	दूरसंचार नेटवर्क स्थापित करने और संचालित करने, दूरसंचार सेवाएं प्रदान करने या रेडियो उपकरण रखने के लिए केंद्र सरकार से पूर्व अनुमति की आवश्यकता होगी। मौजूदा लाइसेंस उनकी दी गई अवधि या पांच साल (जहां अवधि निर्दिष्ट नहीं है) के लिए वैध बने रहेंगे।
स्पेक्ट्रम का आवंटन	सरकार पहली अनुसूची में सूचीबद्ध संस्थाओं (जिसके लिए असाइनमेंट प्रशासनिक प्रक्रिया द्वारा किया जाएगा) को छोड़कर नीलामी के माध्यम से स्पेक्ट्रम आवंटित करेगी। सरकार किसी भी आवृत्ति सीमा (frequency range) का पुनः प्रयोजन या पुनर्निर्धारण कर सकती है और स्पेक्ट्रम को साझा करने, व्यापार करने, पट्टे पर देने और वापस जमा करने की अनुमति भी दे सकती है।
अवरोधन और खोज की शक्तियाँ	राष्ट्र की सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था या अपराधों को भड़काने की रोकथाम सहित निर्दिष्ट आधारों पर दूरसंचार को बाधित, निगरानी में रखा या अवरुद्ध किया जा सकता है। उक्त आधार पर दूरसंचार सेवाओं को निलंबित किया जा सकता है और सरकार सार्वजनिक आपातकाल या सार्वजनिक सुरक्षा के दौरान किसी भी दूरसंचार बुनियादी ढाँचे पर अस्थायी कब्ज़ा कर सकती है।
अधिकृत मार्ग	दूरसंचार सेवा प्रदाता सार्वजनिक और निजी संपत्ति में दूरसंचार बुनियादी ढाँचा बिछाने के लिए अधिकृत मार्ग का उपयोग कर सकते हैं।

उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा	केंद्र सरकार उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा के लिए उपाय उपलब्ध कर सकती है, जैसे- निर्दिष्ट संदेशों को प्राप्त करने के लिए पूर्व सहमति की आवश्यकता, बाधा उत्पन्न न करने रजिस्टर (Do Not Disturb register) तैयार करना और उपयोगकर्ताओं को मेलवेयर या निर्दिष्ट संदेशों की रिपोर्ट करने की सुविधा देने के लिए एक तंत्र।
ट्राई में नियुक्तियाँ	इस अधिनियम के द्वारा ट्राई अधिनियम में संशोधन किया गया है ताकि कम से कम 30 वर्षों के पेशेवर अनुभव रखनेवाले व्यक्ति ही अध्यक्ष के रूप में नियुक्त हो सके और कम से कम 25 वर्षों के पेशेवर अनुभव रखनेवाले व्यक्ति ही सदस्यों के रूप में नियुक्त हों।
भारत डिजिटल निधि	इस अधिनियम ने वर्ष 1885 के अधिनियम के तहत गठित यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिंगेशन फंड को बरकरार रखा है और इसका नाम बदलकर डिजिटल भारत निधि कर दिया है।
अपराध और दंड	यह प्राधिकरण के बिना दूरसंचार सेवाएं प्रदान करने, दूरसंचार नेटवर्क या डेटा तक अनधिकृत पहुंच प्राप्त करने या अनधिकृत उपकरण रखने के लिए विभिन्न नागरिक और आपराधिक अपराधों को निर्दिष्ट करता है।
न्यायनिर्णयन प्रक्रिया	यह अधिनियम नागरिक अपराधों के खिलाफ जांच करने और आदेश पारित करने के लिए एक न्यायनिर्णयन अधिकारी की नियुक्ति के साथ एक निष्पक्ष न्यायनिर्णयन तंत्र प्रदान करता है। अधिकारी के आदेशों के विरुद्ध अपील 30 दिनों के भीतर नामित अपील समिति के समक्ष दायर की जा सकती है। इसके अलावा, समिति के आदेशों के खिलाफ अपील 30 दिनों के भीतर टीडीसेट (TDSAT) में दायर की जा सकती है।

अधिनियम के गुण

- यह अधिनियम दरों के साथ-साथ 'अधिकृत मार्ग' नियमों और विनियमों के संदर्भ में राज्यों में एकरूपता लाता है।
- स्पेक्ट्रम के आवंटन हेतु उपग्रह-आधारित संचार नेटवर्क को शामिल करने से उभरते अंतरिक्ष क्षेत्र में विकास को बढ़ावा मिलेगा, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा मिलेगा और इसमें शामिल सभी हितधारकों के लिए समान अवसर सुनिश्चित होंगे।
- यह वैश्विक सहयोग को भी बढ़ावा देगा और नवाचार को बढ़ावा देने, स्टार्ट-अप के लिए अवसर पैदा करने और वैश्विक उपग्रह बाजार में देश की स्थिति को मजबूत करने में मदद करेगा।

अधिनियम के दोष

संचार अवरोधन के लिए सुरक्षा उपायों का अभाव

- यह अधिनियम प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायों को निर्दिष्ट नहीं करता है, बल्कि केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए नियमों को थोपता है।
- इसमें अवरोधन के आदेशों की समीक्षा के लिए एक स्वतंत्र निरीक्षण तंत्र का भी अभाव है।

निजता के अधिकार का उल्लंघन

- अधिनियम में दिए गए आधारों का उपयोग करते हुए, बड़े पैमाने पर निगरानी की अनुमति देने का आदेश दिया जा सकता है, जिससे

निजता के मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है।

- उच्चतम न्यायालय ने पुट्टास्वामी फैसले (2017) में कहा था कि निजता के अधिकार का कोई भी उल्लंघन इस तरह के हस्तक्षेप की आवश्यकता के अनुपात में होना चाहिए।
- अधिनियम में यह भी प्रावधान है कि दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को किसी भी सत्यापन योग्य बायोमेट्रिक-आधारित पहचान के माध्यम से अपने उपयोगकर्ताओं की पहचान सत्यापित करनी होगी। यह आवश्यकता आनुपातिक नहीं हो सकती है और निजता के मौलिक अधिकार का उल्लंघन कर सकती है।

तलाशी और जब्ती की शक्ति के बारे में सुरक्षा उपायों का अभाव

- अधिनियम केंद्र सरकार द्वारा अधिकृत किसी भी अधिकारी को निर्दिष्ट आधार पर किसी परिसर या वाहन की तलाशी लेने की अनुमति देता है। इस प्रकार, यह ऐसी कार्रवाइयों के खिलाफ कोई प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपाय निर्दिष्ट करने में विफल रहता है।

इंटरनेट निलंबन की स्थिति में सुरक्षा उपायों का अभाव

- यह अधिनियम केंद्र सरकार को विभिन्न आधारों पर इंटरनेट निलंबित करने का अधिकार प्रदान करता है। हालांकि, यह उच्चतम न्यायालय के साथ-साथ आईटी से संबंधित संसद की स्थायी समिति द्वारा अनुशंसित प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायों को शामिल करने में विफल रहा है।

अपराध और दंड से संबंधित चिंताएँ

- यह अधिनियम केंद्र सरकार को केवल एक अधिसूचना के माध्यम से तीसरी अनुसूची में अपराधों को जोड़ने, संशोधित करने या हटाने की अनुमति देता है, इस प्रकार संसद को ऐसी किसी भी भूमिका से बाहर कर देता है।
- अधिनियम में अधिसूचित संख्या से अधिक सिम कार्ड का उपयोग करने पर दंड का भी प्रावधान है, इस प्रकार यह सवाल उठता है कि क्या किसी व्यक्ति द्वारा उपयोग किए जानेवाले सिम कार्ड की संख्या पर कोई कानूनी सीमा होनी चाहिए।

आगे की राह

वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाना

- भारत ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया के समान सर्वोत्तम प्रथाओं को अपना सकता है। ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया में अवरोधन के मामले में न्यायिक आयुक्त की मंजूरी की आवश्यकता होती है।

एक नियामक उपाय के रूप में कार्यात्मक पृथक्करण

- यह अधिनियम बाजार में मनमानी को रोकने के लिए एक नियामक उपाय के रूप में कार्यात्मक पृथक्करण की अवधारणा को शामिल कर सकता है। मिसाल के तौर पर स्वीडन, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड और पोलैंड में इस अवधारणा का उपयोग किया जा रहा है।

वायरलाइन-आधारित संरचना की ओर गमन

- भारत को उच्च-गुणवत्ता वाले डिजिटल अनुप्रयोगों की ओर बढ़ने के लिए स्वयं को कई प्रौद्योगिकी विन्यासों में ढालना होगा और वायरलेस से वायरलाइन-आधारित संरचना में बदलाव की आवश्यकता होगी, क्योंकि वायरलाइन-आधारित संरचना 5g/6g गति प्रदान करने में कहीं अधिक सक्षम है।

अवसंरचना विकास पर जोर

- भारत डिजिटल निधि के माध्यम से सरकार को निजी निवेश के लिए प्रतिस्पर्धी स्थान बनाते हुए ग्रामीण और गैर-ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे के निर्माण हेतु स्पष्ट लक्ष्य लाने की जरूरत है।

1.6. अनुसूचित जातियों तक समान पहुंच

संदर्भ

केंद्र सरकार द्वारा 1,200 से अधिक अनुसूचित जातियों (SCs) के बीच लाभ और पहल के लिए एक समान वितरण तंत्र का मूल्यांकन और विकास करने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है।

पृष्ठभूमि

- यह निर्णय प्रधानमंत्री की अनुसूचित जाति के उप-वर्गीकरण की लगातार मांग का समाधान करने की प्रतिबद्धता से प्रेरित था, जो कि तेलंगाना में मडिगा समुदाय द्वारा प्रमुखता से उठाई गई मांग थी।

उप-वर्गीकरण के कारण

- मडिगा समुदाय द्वारा, जो तेलंगाना की अनुसूचित जाति आबादी का 50% (कुल का 15%) है, स्वयं को प्रमुख माला समुदाय द्वारा हाशिए पर महसूस किया जाता है।
- अन्य राज्यों में भी इसी प्रकार की शिकायतें मौजूद हैं, जहां प्रमुख अनुसूचित जाति समुदाय कथित तौर पर सभी अनु. जाति समुदायों के लिए मिलने वाले लाभों पर एकाधिकार बनाए हुए हैं।

अनुच्छेद 341(1): राज्य के राज्यपाल से परामर्श के बाद राष्ट्रपति किसी समूह को अनुसूचित जाति घोषित कर सकता है।
इसके बाद संसद को राष्ट्रपति द्वारा निर्दिष्ट उस समूह को अनुसूचित जाति की सूची में शामिल करने के लिए एक कानून पारित करना होता है।

समिति का उद्देश्य

- इस समिति का प्रमुख उद्देश्य देश भर में समान स्थिति वाले अनु. जाति, समुदायों के समक्ष आने वाली समस्याओं के समाधान के लिए वैकल्पिक समाधान प्रस्तुत करना है।

सभी राज्यों में विद्यमान चिंताएँ

- इसी तरह की आशंकाएं विभिन्न राज्यों में एससी समुदायों द्वारा व्यक्त की गई हैं, जहां एससी वर्ग के भीतर प्रमुख उपवर्गों पर दूसरे उपवर्गों को उचित लाभ देने से अनुचित रूप से वंचित रखने का आरोप है।
- राज्य और केंद्र दोनों सरकारों द्वारा स्थापित आयोगों ने इन दावों का समर्थन किया है, जिसके कारण पंजाब, बिहार और तमिलनाडु जैसे राज्यों द्वारा उप-वर्गीकरण के लिए राज्य-स्तरीय आरक्षण कानून निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गयी है।

अनुसूचित जाति संबंधी योजनाओं तक समान पहुंच को प्रभावित करने वाली चुनौतियाँ

- विशिष्ट समुदायों का प्रभुत्व: कुछ अनुसूचित जाति समुदाय, जिन्हें

विशिष्ट क्षेत्रों में प्रभावशाली माना जाता है, योजनाओं का असंगत रूप से लाभ प्राप्त कर सकते हैं, जिससे अन्य समुदायों को नुकसान हो सकता है।

- **जागरूकता सम्बन्धी असमानता:** हाशिए पर रहने वाले एससी समुदायों में प्रायः उपलब्ध योजनाओं के बारे में जागरूकता की कमी होती है, जिससे सीमित संसाधनों और ज्ञान के कारण लाभ प्राप्त करने की उनकी क्षमता बाधित होती है।
- **भौगोलिक बाधाएँ:** दूरस्थ स्थान और अपर्याप्त अवसंरचना बाधाएँ उत्पन्न कर सकते हैं, जिससे योजनाओं से संबंधित जानकारी और सेवाओं की पहुंच सीमित हो सकती है।
- **सभी के लिए उपयुक्त दृष्टिकोण:** विभिन्न एससी समुदायों की जमीनी स्तर की समस्याओं पर विचार किये बिना तैयार की गई योजनाओं के परिणामस्वरूप ऐसे कदम उठाए जा सकते हैं जो विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं हैं।
- **अपर्याप्त लक्ष्यीकरण:** पहचान मानदंडों द्वारा सबसे कमजोर लाभार्थियों की सटीक पहचान की संभावना कठिन होती है, जिससे पात्र व्यक्ति और समुदाय वंचित हो सकते हैं।
- **भ्रष्टाचार और अक्षमता:** नौकरशाही बाधाएँ, भ्रष्टाचार और सरकारी एजेंसियों के भीतर पारदर्शिता की कमी लाभों के कुशल वितरण में बाधा उत्पन्न कर सकती है, जिससे असमान पहुंच में वृद्धि हो सकती है।
- **जातिगत पूर्वाग्रह:** कुछ एससी समुदायों के खिलाफ विद्यमान सामाजिक पूर्वाग्रह बाधाएं उत्पन्न करने के साथ-साथ भेदभाव को कायम रखते हैं और योजना के लाभों तक पहुंच को बाधित करते हैं।
- **प्रतिशोध का डर:** सामाजिक बहिष्कार या हिंसा के बारे में चिंताएं व्यक्तियों को उनके व्यक्तिगत लाभों पर दावा करने से हतोत्साहित कर सकती हैं, जिससे पहुंच का अंतर और अधिक बढ़ जाता है।
- **कमजोर निगरानी प्रणाली:** योजनाओं की प्रगति और प्रभाव की निगरानी के लिए अपर्याप्त तंत्र असमान पहुंच के मुद्दों की तुरंत पहचान करने और उनके समाधान को चुनौतीपूर्ण बना देता है।
- **जवाबदेही का अभाव:** योजना कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी सरकारी एजेंसियों और अधिकारियों के लिए मजबूत जवाबदेही तंत्र की कमी न्यायसंगत पहुंच प्रदान करने में हुई विफलताओं में योगदान दे सकती है।

अनुसूचित जातियों से संबंधित योजनाएं

- आर्थिक सशक्तिकरण हेतु विभिन्न पहल

- ✓ राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त और विकास निगम(NSFDC): ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में 3.00 लाख रुपये तक की वार्षिक पारिवारिक आय वाले अनुसूचित जाति वर्ग के लाभार्थियों के लिए आय-सृजन गतिविधियों को वित्तपोषित करने के लिए स्थापित किया गया।
- ✓ राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त और विकास निगम(NSKFDC): राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियों के माध्यम से सफाई कर्मचारियों, हाथ से मैला ढोने वालों और उनके आश्रितों के बीच लाभार्थियों को आय-सृजन गतिविधियों के लिए ऋण सुविधाएं प्रदान करता है।
- ✓ अनुसूचित जाति विकास निगम(SCDCs)को सहायता हेतु योजना: पात्र, अनुसूचित जाति परिवारों की पहचान करने, आर्थिक विकास योजनाओं को प्रेरित करने और मार्जिन राशि तथा सब्सिडी सहित वित्तीय सहायता प्रदान करने में 27 राज्य-स्तरीय निगमों को सहायता प्रदान करती है।
- ✓ स्टैंड अप इंडिया: अनुसूचित जाति वर्ग के बीच उद्यमिता विकास को बढ़ावा देना।
- सामाजिक सशक्तिकरण विधान
 - ✓ नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955: भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 द्वारा अधिनियमित, जिसे शुरू में अस्पृश्यता (अपराध) अधिनियम, 1955 के रूप में जाना जाता था, वर्ष 1976 में इसका नाम बदल दिया गया। यह अधिनियम पूरे भारत में लागू है, अस्पृश्यता की प्रथा को समाप्त करता है। इसका प्रवर्तन राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन द्वारा किया जाता है।
 - ✓ मैनुअल स्कैवेंजर्स के रूप में रोजगार पर प्रतिबंध और उनका पुनर्वास अधिनियम, 2013 (MSAct, 2013): शुष्क शौचालयों और मैनुअल स्कैवेंजिंग (हाथ से मैला ढोना) को खत्म करना।
- अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए संवैधानिक प्रावधान
 - ✓ अस्पृश्यता का उन्मूलन (अनुच्छेद 17): अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता को स्पष्ट रूप से समाप्त करता है।
 - ✓ शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देना (अनुच्छेद 46): अनुच्छेद 46 राज्य को कमजोर वर्गों के शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देने का निर्देश देता है।
 - ✓ स्थिति को बेहतर करने के लिए विशेष प्रावधान (अनुच्छेद 15(4)): अनुच्छेद 15(4) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य हाशिये पर पड़े वर्गों के हितों को आगे बढ़ाने के लिए विशेष प्रावधानों की आवश्यकता को स्वीकार करता है।
 - ✓ पदोन्नति में आरक्षण (अनुच्छेद 16(4A)): अनुच्छेद 16(4A) विशेष रूप से एससी/एसटी के लिए पदोन्नति के मामलों में आरक्षण से सम्बंधित है, जिसका उद्देश्य राज्य सेवाओं में कम प्रतिनिधित्व को सुधारना है।
 - राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग (अनुच्छेद 338)
 - ✓ विधायी निकायों में आरक्षण (अनुच्छेद 330 और अनुच्छेद 332)।
 - ✓ स्थानीय निकायों में आरक्षण (भाग IX और IXA): भाग IX (पंचायतें) और भाग IXA (नगर पालिकाएं)

आगे की राह

- समिति भौगोलिक बाधाओं को दूर करने और योजनाओं तक पहुंच बढ़ाने के लिए जागरूकता बढ़ाने, लक्षित अभियानों का प्रस्ताव करने और बुनियादी ढांचे में रणनीतिक निवेश की आवश्यकता पर जोर देती है।
- इसके अलावा, वे विभिन्न एससी समुदायों के सामने आने वाली विशिष्ट चुनौतियों का समाधान करने के लिए योजनाओं को अनुकूलित करने, समावेशिता के लिए लक्ष्यीकरण मानदंडों को परिष्कृत करने और लाभों तक समावेशी पहुंच को बढ़ावा देने के लिए पारदर्शिता, जवाबदेही और कानूनी सहायता सुनिश्चित करने के महत्व पर बल देते हैं।

1.7. उच्चतम न्यायालय विधिक सेवा समिति (SCLSC)

संदर्भ

हाल ही में, उच्चतम न्यायालय के न्यायमूर्ति बी.आर. गवई को उच्चतम न्यायालय विधिक सेवा समिति (Supreme Court Legal Services Committee - SCLSC) के अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया है।

उच्चतम न्यायालय विधिक सेवा समिति (SCLSC) पर एक नजर

- उच्चतम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले मामलों के लिए समाज के कमजोर वर्गों को "मुफ्त और उपयुक्त विधिक सेवाएं" प्रदान करने के लिए विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 3A के तहत उच्चतम न्यायालय विधिक सेवा समिति (Supreme Court Legal Services Committee - SCLSC) का गठन किया गया है।
- विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम की धारा 3A में कहा गया है कि केंद्रीय प्राधिकरण (राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण या NALSA) समिति का गठन करेगा।

उच्चतम न्यायालय विधिक सेवा समिति (SCLSC) की संरचना

- इसमें अध्यक्ष मौजूदा उच्चतम न्यायालय के एक न्यायाधीश होते हैं। इसके अतिरिक्त, केंद्र द्वारा निर्धारित अनुभव और योग्यता रखने वाले अन्य सदस्य शामिल होते हैं।
- इसके अध्यक्ष और अन्य सदस्यों दोनों को भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) द्वारा नामित किया जाता है। इसके अतिरिक्त, भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) समिति के सचिव की नियुक्ति भी कर सकते हैं।
- यह समिति, भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) के परामर्श से, केंद्र द्वारा निर्धारित पात्रता और अनुभव रखने वाले अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति कर सकती है।
- विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 27 के तहत,

केंद्र को भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) के परामर्श से अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने के लिए अधिसूचना द्वारा नियम बनाने का अधिकार है।

✓ इसके बाद, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नियम, 1995 तैयार किया गया, जिसमें उच्चतम न्यायालय विधिक सेवा समिति (SCLSC) के सदस्यों की संख्या, अनुभव और योग्यताएँ शामिल हैं।

विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम (1987) पर एक नज़र

- वर्ष 1987 में, पूरे देश में एक समान पैटर्न पर कानूनी सहायता कार्यक्रमों को सांविधिक आधार देने हेतु विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम लागू किया गया था।
- इस अधिनियम का उद्देश्य महिलाओं, बच्चों, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के साथ-साथ सामान्य श्रेणी के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, औद्योगिक श्रमिकों, दिव्यांग व्यक्तियों और अन्य सहित पात्र समूहों को मुफ्त और उपयुक्त विधिक सेवाएँ प्रदान करना है।
- इस अधिनियम के तहत, विधिक सहायता कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की प्रक्रिया की निगरानी और आंकलन करने के साथ-साथ अधिनियम के तहत विधिक सेवाएँ उपलब्ध कराने हेतु नीतियाँ बनाने के लिए वर्ष 1995 में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA) का गठन किया गया था।
- साथ ही, विधिक सहायता और समर्थन प्रदान करने के लिए अधिनियम के तहत एक राष्ट्रव्यापी नेटवर्क की परिकल्पना की गई है।
- इस प्रकार, प्रत्येक राज्य में एक राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (SALSA) और प्रत्येक उच्च न्यायालय में एक उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति का गठन किया गया है।
- राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA) की नीतियों और निर्देशों को प्रभावी बनाने और राज्य में लोक अदालतों का संचालन करने हेतु जिलों में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण और अधिकांश तालुकों में तालुक विधिक सेवा समिति का गठन किया गया है।

1.8. प्रेरणा: एक अनुभवात्मक शिक्षण कार्यक्रम

संदर्भ

भारत सरकार के केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के तहत स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग ने 'प्रेरणा: एक अनुभवात्मक शिक्षण कार्यक्रम' प्रारंभ किया है।

प्रेरणा कार्यक्रम के उद्देश्य

- इसका उद्देश्य सभी प्रतिभागियों को एक सार्थक, अद्वितीय और प्रेरक अनुभव प्रदान करना है, जिससे उन्हें नेतृत्व गुणों के साथ सशक्त बनाया जा सके।
- प्रेरणा भारतीय शिक्षा प्रणाली के सिद्धांतों और मूल्य-आधारित शिक्षा के दर्शन को एकीकृत करने की दृढ़ प्रतिबद्धता से प्रेरित है जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 की आधारशिला है।

कार्यक्रम की विशेषताएँ

- प्रेरणा नौवीं से बारहवीं कक्षा के चयनित छात्रों के लिए एक सप्ताह तक चलने वाला आवासीय कार्यक्रम है।
- यह छात्रों के लिए सर्वोत्तम श्रेणी की तकनीक से युक्त एक अनुभवात्मक और प्रेरणादायक शिक्षण कार्यक्रम है जहाँ विरासत को नवाचार के साथ प्रस्तुत किया जाता है।
- देश के विभिन्न हिस्सों से प्रत्येक सप्ताह 20 चयनित छात्रों (10 लड़के और 10 लड़कियाँ) का एक बैच कार्यक्रम में भाग लेगा।
- दिन-वार कार्यक्रम अनुसूची में योग, सचेतन (mindfulness) और ध्यान सत्र शामिल होंगे, इसके बाद अनुभवात्मक शिक्षण, विषयगत सत्र और व्यावहारिक रुचिकर शिक्षण गतिविधियाँ होंगी।
- शाम की गतिविधियों में प्राचीन और विरासत स्थलों का दौरा, प्रेरणादायक

फिल्म प्रदर्शन, मिशन जीवन रचनात्मक गतिविधियाँ, प्रतिभा शो आदि शामिल होंगे जो समग्र शिक्षण दृष्टिकोण सुनिश्चित करेंगे।

- इनके अतिरिक्त छात्र विविध गतिविधियों में शामिल होंगे, स्वदेशी ज्ञान प्रणालियों, नवीनतम अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी को अपनाएँगे और प्रेरणादायक व्यक्तित्वों से सीख लेंगे।

कार्यक्रम के विषय

- आईआईटी गांधी नगर द्वारा तैयार प्रेरणा स्कूल का पाठ्यक्रम नौ मूल्य-आधारित विषयों पर आधारित है
 - ✓ स्वाभिमान और विनय,
 - ✓ शौर्य और साहस,
 - ✓ परिश्रम और समर्पण,
 - ✓ करुणा और सेवा,
 - ✓ विविधता और एकता,
 - ✓ सत्यनिष्ठा और शुचिता,
 - ✓ नाचार और जिज्ञासा,
 - ✓ श्रद्धा और विश्वास,
 - ✓ स्वतन्त्रता और कर्तव्य।

पंजीकरण की प्रक्रिया

- छात्र पोर्टल के माध्यम से पंजीकरण कर सकते हैं, जिसमें आवेदक महत्वाकांक्षी और आकांक्षी प्रेरणा कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए आवश्यक विवरण भर सकते हैं।

1.9. पालना योजना

संदर्भ

हाल ही में, पालना योजना की मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) जारी करने के लिए पालना के तहत आंगनवाड़ी-सह-क्रेच पर एक राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम नई दिल्ली में आयोजित किया गया था।

पालना योजना

- इसका उद्देश्य विशेष रूप से शहरी क्षेत्रों में मौजूद अंतर को कम करना है, जहाँ परिवार के सदस्य बच्चों की देखभाल के लिए उपलब्ध नहीं है और अर्थव्यवस्था में महिलाओं के योगदान के लिए सुविधा प्रदान

करने हेतु संस्थागत समर्थन की आवश्यकता है।

- पालना योजना के तहत मौजूदा आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और आंगनवाड़ी सहायिकाओं के साथ दो अतिरिक्त क्रेच कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं की प्रतिनियुक्ति की जाएगी।

- यह योजना कम आय वर्ग की महिलाओं को सहायता प्रदान करती है जो महीने में कम से कम 15 दिन या साल में छह महीने काम पर जाती हैं।
- ऐसे परिवार महीने में 26 दिन, दिन में 7.5 घंटे उपलब्ध क्रेच सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं।
- इन सब्सिडी युक्त सुविधाओं में गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के लिए प्रति माह ₹20 और अन्य परिवारों के लिए ₹100-200 के बीच शुल्क लिया जाएगा।

क्रेच (Creche)

- क्रेच एक ऐसी सुविधा है जो माता-पिता को काम पर रहने के दौरान अपने बच्चों को छोड़ने में सक्षम बनाती है और जहां बच्चों को उनके समग्र विकास के लिए प्रेरक वातावरण प्रदान किया जाता है।
- क्रेच को सामान्यतः 6 साल तक के बच्चों को सामूहिक देखभाल प्रदान करने के लिए तैयार किया गया है, जिन्हें दिन के दौरान अपने घर से दूर देखभाल, मार्गदर्शन और पर्यवेक्षण की आवश्यकता होती है।

1.10. विशेषाधिकार समिति

संदर्भ

हाल ही में लोकसभा विशेषाधिकार समिति ने तीन कांग्रेस सांसदों के निलंबन को रद्द करने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया।

विशेषाधिकार समिति

संरचना

- इस समिति में लोकसभा (जनता का सदन) में 15 सदस्य और राज्यसभा (राज्यों की परिषद) में 10 सदस्य होते हैं।
- समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति प्रायः लोकसभा में अध्यक्ष और राज्यसभा में सभापति द्वारा की जाती है।

भूमिका और कार्य

- विशेषाधिकार समिति विशेषाधिकार के प्रश्नों और सदन की अवमानना के मामलों के परीक्षण के लिए उत्तरदायी है।
- यह समिति संसदीय विशेषाधिकारों के उल्लंघन से संबंधित मामलों की जांच करती है।
- समिति संसद सदस्यों के विशेषाधिकार हनन के संदर्भों पर भी विचार करती है और रिपोर्ट प्रदान करती है।
- यह अवमानना या विशेषाधिकार के उल्लंघन के दोषी पाए गए व्यक्तियों को दंडित करने की अनुसंधान कर सकती है।

जांच की शक्तियां

- समिति के पास अपनी जांच के दौरान गवाहों को बुलाने और सबूतों के परीक्षण करने का अधिकार है।
- यह उन मामलों से संबंधित प्रासंगिक दस्तावेजों की भी मांग कर सकती है जिनकी वह जांच करती है।

रिपोर्ट और सिफारिशें

- समिति अपनी रिपोर्ट लोकसभा में अध्यक्ष और राज्यसभा में सभापति को सौंपती है।

संसदीय विशेषाधिकार

- संसदीय विशेषाधिकार एक विशेष अधिकार या छूट है जो संसद सदस्यों को अपने कार्यों को प्रभावी ढंग से करने में सक्षम बनाने के लिए प्रदान किया जाता है। इसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 105 में परिभाषित किया गया है। इसमें निम्नलिखित विशेषाधिकार शामिल हैं:
- संसद में भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, कुछ सीमाओं और प्रक्रिया के नियमों के अधीन है।
- संसद के सत्र के दौरान तथा सत्र के 40 दिन पहले और बाद में दीवानी मामलों में गिरफ्तारी से मुक्ति।
- संसद सत्र के दौरान किसी अदालत या प्राधिकरण के समक्ष गवाह के रूप में बुलाए जाने या कानूनी पेशेवर के रूप में पेश होने से मुक्ति।
- संसद और उसकी समितियों की रिपोर्ट, बहस और कार्यवाही प्रकाशित करने का अधिकार जिसके लिए किसी भी प्रकार से मानहानि के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता है।
- कुछ मामलों में दर्शक दीर्घाओं से अजनबियों को बाहर करने और गोपनीय रूप से बैठकें आयोजित करने का अधिकार।
- संसद के आंतरिक मामलों को विनियमित करने का अधिकार, जैसे सदस्यों का आचरण, व्यवस्था और अनुशासन को बनाए रखना, और अवमानना या विशेषाधिकार के उल्लंघन के लिए सजा।
- ये विशेषाधिकार संसद को सामूहिक रूप से और साथ ही व्यक्तिगत सदस्यों द्वारा व्यक्तिगत रूप से प्राप्त हैं। ये अधिकार संसद और उसके सदस्यों की गरिमा, अधिकार और स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए आवश्यक हैं। हालांकि, वे न्यायिक समीक्षा और नागरिकों के मौलिक अधिकारों के अधीन भी हैं। सदस्यों द्वारा इन अधिकारों का अपने व्यक्तिगत या राजनीतिक हितों के लिए दुरुपयोग या अनुचित प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

2. अंतर्राष्ट्रीय संबंध

2.1. भारत-रूस संबंध

संदर्भ

हाल ही में भारत और रूस ने कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र की भविष्य की बिजली उत्पादन इकाइयों के निर्माण से संबंधित कुछ बहुत महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए।

हाल के समझौतों के बारे में मुख्य बिंदु

- विदेश मंत्री एस जयशंकर ने द्विपक्षीय आर्थिक सहयोग पर ध्यान केंद्रित करते हुए उप प्रधान मंत्री डेनिस मंटुरोव के साथ एक व्यापक और सार्थक बैठक की।
- चर्चा के दौरान व्यापार, वित्त, कनेक्टिविटी, ऊर्जा, नागरिक उड्डयन और परमाणु क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति को स्वीकार किया गया।
- रूसी सुदूर पूर्व के लिए सहयोग के एक कार्यक्रम को अंतिम रूप दिया गया और भूमि और समुद्री गलियारों में कनेक्टिविटी कार्यक्रमों की योजना बनाई गई।
- परमाणु ऊर्जा और दवाओं, फार्मास्युटिकल पदार्थों और चिकित्सा उपकरणों से संबंधित क्षेत्रों में समझौतों पर हस्ताक्षर किए जाने का गवाह बना।
- भारत और यूरोशियन आर्थिक क्षेत्र के बीच मुक्त व्यापार समझौते पर व्यक्तिगत बातचीत शुरू करने के लिए बातचीत करने वाली टीमें जनवरी के अंत तक मिलेंगी।

कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र (केएनपीपी)

- भारत का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा स्टेशन, यह चेन्नई से 650 किमी दक्षिण में, तमिलनाडु के तिरुनेलवेली जिले में स्थित है।
- इसे न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (NPCIL) द्वारा विकसित किया जा रहा है।
- परियोजना के चरण एक में रूसी तकनीक पर आधारित दो 1,000 मेगावाट (मेगावाट) दबावयुक्त जल रिएक्टर (पीडब्ल्यूआर) इकाइयों का निर्माण किया गया था।
- परियोजना के दूसरे और तीसरे चरण में अतिरिक्त चार इकाइयां निर्माणाधीन हैं।
- यूनिट तीन और चार का निर्माण 2017 में शुरू हुआ, इन्हें 2023 तक चालू करने का लक्ष्य रखा गया।

सहयोग के क्षेत्र

सेक्टर	प्रसंग
ऐतिहासिक संबंध और रणनीतिक गठबंधन	- भारतीय स्वतंत्रता से पहले स्थापित, यह रिश्ता सोवियत संघ के साथ शीत युद्ध के दौरान फला-फूला। - वार्षिक शिखर सम्मेलनों सहित बार-बार उच्च-स्तरीय बैठकें, मजबूत राजनीतिक साझेदारी को प्रदर्शित करती हैं। - रूस भारत की यूएनएससी बोली का समर्थन करता है और कश्मीर के प्रति संवेदनशीलता दिखाता है; भारत यूक्रेन पर रूस की आलोचना वाले प्रस्तावों से दूर रहा।
आर्थिक एवं व्यापार सहयोग	- बढ़ाने का पारस्परिक लक्ष्य, जिसमें निवेश 50 बिलियन डॉलर तक पहुंच जाएगा। - विविध व्यापार मशीनरी, एयरोस्पेस, रसायन और कीमती धातुओं पर केंद्रित है। - मेक इन इंडिया पहल और स्मार्ट सिटी के विकास में रूसी सहयोग देखें।

रक्षा साझेदारी	- एस-400 मिसाइलों और सुखोई विमान जैसे सौदों के साथ रूस भारत का सबसे बड़ा रक्षा आपूर्तिकर्ता बना हुआ है। - ब्रह्मोस मिसाइल और Su-30 MKI जैसे संयुक्त कार्यक्रम गहरे सैन्य सहयोग को प्रदर्शित करते हैं। - नियमित संयुक्त सैन्य अभ्यास, INDRA और AVIA-INDRA, रक्षा बंधन को मजबूत करते हैं।
ऊर्जा सुरक्षा साझेदारी	- परमाणु ऊर्जा एक प्रमुख क्षेत्र है, जिसमें रूस भारत में रिएक्टरों का निर्माण कर रहा है और बांग्लादेश परियोजनाओं पर सहयोग कर रहा है। - एलएनजी आपूर्ति और आर्कटिक अन्वेषण पर हालिया समझौता ज्ञापन ऊर्जा सहयोग पर नए सिरे से ध्यान केंद्रित करने का संकेत देते हैं।
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी सहयोग	- अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, शिक्षा और अनुसंधान में निरंतर सहयोग। - रूस ने भारत के पहले उपग्रहों को लॉन्च करने और क्रायोजेनिक इंजन विकसित करने में सहायता की। - आर्कटिक अनुसंधान और गगनयान अंतरिक्ष यात्री मिशन चल रहे सहयोग के उदाहरण हैं।
सांस्कृतिक संबंध	- मजबूत ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंध, सदियों पुराने। - भारतीय फिल्मों और योग रूस में काफी लोकप्रिय हैं। "नमस्ते रूस" जैसे कार्यक्रम लोगों से लोगों के बीच आदान-प्रदान को बढ़ावा देते हैं।

चुनौतियां

- बढ़ती लागत, रक्षा ऑर्डरों में कमी और आपूर्ति में देरी की चिंताएं बाधाएं पैदा करती हैं।
- भारत के रक्षा आयात में विविधता और अमेरिकी चिंताएं और जटिलताएं बढ़ाती हैं।
- ऊर्जा कूटनीति पर ध्यान केंद्रित करना, तीसरे देशों में संयुक्त परियोजनाएं और "मेक इन इंडिया" का उपयोग संबंधों को पुनर्जीवित कर सकता है।
- साइबर सुरक्षा, अंतरिक्ष और जलवायु परिवर्तन जैसे नए क्षेत्रों में सहयोग एक मजबूत भविष्य सुनिश्चित कर सकता है।

आगे बढ़ने का रास्ता

- रूस एक महत्वपूर्ण राजनीतिक, राजनयिक और सैन्य भागीदार बना हुआ है।
- में इसकी वीटो शक्ति वैश्विक आधिपत्य के खिलाफ मूल्यवान समर्थन प्रदान करती है और भारत इसका उपयोग वैश्विक व्यवस्था में बहुध्रुवीयता को बनाए रखने और अपने हितों की रक्षा के लिए कर सकता है।
- भारत-रूस संबंध रक्षा से परे विशेष रूप से ऊर्जा, प्रौद्योगिकी और व्यापार जैसे क्षेत्रों में आर्थिक संबंधों को मजबूत करने में निहित हैं।

2.2. भारत - यूनाइटेड किंगडम संबंध

संदर्भ

हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की यात्रा में यूनाइटेड किंगडम से भारतीय युद्धपोतों के लिए विद्युत प्रणोदन तकनीक को प्राप्त करने के लिए सरकार-से-सरकार के बीच समझौता शामिल होने की संभावना है।

सहयोग के क्षेत्र

- भारत और यूके के बीच ऐतिहासिक संबंध हैं, वर्ष 2021 में भारत-यूके शिखर सम्मेलन के दौरान दोनों देश एक अस्पष्ट भारत-यूके रोडमैप 2030 के रूप में अगले 10 वर्षों के लिए सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए एक नई परिवर्तनकारी और व्यापक रणनीतिक साझेदारी पर सहमत हुए।

ऐतिहासिक संबंध	1600: नवगठित ईस्ट इंडिया कंपनी को महारानी एलिजाबेथ द्वारा भारत में व्यापार करने के लिए एक चार्टर प्रदान किया गया। 1868-1947: भारत में ब्रिटिश शासन का काल 1950: गणतंत्र बनने के बाद भारत ने राष्ट्रमंडल देशों का हिस्सा बने रहने का निर्णय किया।
राजनीतिक संबंध	2004: यूनाइटेड किंगडम के साथ भारत के बहुआयामी द्विपक्षीय संबंधों को एक कदम आगे ले जाते हुए रणनीतिक साझेदारी में परिवर्तित किया गया। एक समसामयिक और गतिशील साझेदारी की ओर, "दोनों देशों ने "भारत-यूके" नामक एक संयुक्त वक्तव्य पर हस्ताक्षर किए। (जिसमें सालाना विदेश मंत्रियों के शिखर सम्मेलन और नियमित बैठकों का आह्वान किया गया) 2010: 'भविष्य के लिए उन्नत साझेदारी' के तहत दोनों देशों के संबंधों को फिर से स्थापित किया गया। यूनाइटेड किंगडम संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) में स्थायी सदस्यता के भारत के अनुरोध का समर्थन करता है।
आर्थिक एवं वाणिज्यिक संबंध	- अप्रैल 2021 और मार्च 2022 के बीच, यूके और भारत के बीच वस्तुओं और सेवाओं (निर्यात और आयात) में कुल व्यापार 32.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। - भारत से यूनाइटेड किंगडम को कुल निर्यात 21.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर था, जबकि यूनाइटेड किंगडम से आयात 10.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। - यूनाइटेड किंगडम के साथ भारत का व्यापार अधिशेष है। - यूनाइटेड किंगडम भारत का सातवां सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य है। - भारत यूके का एफडीआई का दूसरा सबसे बड़ा स्रोत भी है।
रक्षा संबंध	2015 में, रक्षा और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा साझेदारी ढांचा पेश किया गया था, जिसमें अधिक साइबर, रक्षा और समुद्री सहयोग पर जोर दिया गया और "मेक इन इंडिया" परियोजनाओं के लिए यूके के समर्थन पर जोर दिया गया। - लगभग 70 रक्षा-संबंधित कंपनियां एचएएल में विमान/हेलीकॉप्टर निर्माण/रख-रखाव के लिए सामान की आपूर्ति करती हैं, जिसमें इजिप्शन सीटें, ईंधन टैंक किट, हाइड्रोलिक पंप, इंजन स्पेयर इत्यादि शामिल हैं, साथ ही जगुआर, मिराज, और किरण जैसे पुराने प्लेटफार्मों का समर्थन भी करती हैं। - अपनी इंडो-पैसिफिक नीति के हिस्से के रूप में, यूनाइटेड किंगडम ने हिंद महासागर में एक कैरियर स्ट्राइक ग्रुप तैनात किया है।

परमाणु सहयोग	2010: भारत-ब्रिटेन ने एक असेन्य परमाणु सहयोग घोषणापत्र पर हस्ताक्षर किए हैं जो परमाणु व्यापार सहित परमाणु क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने और सुविधाजनक बनाने में मदद करेगा।
संस्कृति	- नेहरु केंद्र (TNC), भारत की सांस्कृतिक पहुँच का उच्चायोग है। - यह केंद्र अपने परिसर में विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन करता है। - वर्ष 2010 में, भारत और यूनाइटेड किंगडम ने सांस्कृतिक सहयोग पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। - इंग्लैंड की महारानी ने बकिंगहम पैलेस में 2017 यूके भारत संस्कृति वर्ष के आधिकारिक उद्घाटन का आयोजन किया।
पर्यावरण	यह रणनीति अप्रैल 2022 में जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त घोषणा से पहले आई थी, जो नवंबर 2021 में ग्लासगो में सीओपी26 के बाद जारी की गई थी। ग्लासगो जलवायु समझौता सीओपी26 का परिणाम था।
शिक्षा	1996 में विज्ञान और प्रौद्योगिकी समझौते पर हस्ताक्षर किए गए, जो शिक्षा सहयोग की शुरुआत को प्रदर्शित करता है। 2006 में 'विज्ञान और नवाचार परिषद' के गठन ने विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में सहयोग प्रदान किया। 2021-2022 में पंजीकृत लगभग 120,000 भारतीय छात्रों के साथ, यूके में विदेशी छात्रों के रूप में भारत की सबसे अधिक आबादी है।
स्वास्थ्य सहयोग	- भारत-यूके रणनीतिक साझेदारी का एक महत्वपूर्ण घटक स्वास्थ्य क्षेत्र है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, एस्ट्राजेनेका और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के बीच COVID-19 वैक्सीन पर सफल सहयोग। - नवंबर 2020 में भारतीय प्रधानमंत्री की यूके यात्रा के दौरान 'आयुर्वेद' कार्यक्रम ने यूके में आयुर्वेद और योग के बारे में जागरूकता और अभ्यास को तेज करने के लिए ऑनलाइन मॉड्यूल प्रारंभ किया।
भारत-ब्रिटेन निवेश	- अप्रैल 2000 से सितंबर 2023 तक, यूके द्वारा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) में \$34,513.58 मिलियन का निवेश किया, जो भारत में छठा सबसे बड़ा निवेशक है। 2022 तक, 618 यूके-आधारित व्यवसाय भारत में काम कर रहे थे, जिनका कुल राजस्व \$45.6 बिलियन से अधिक था और 466,640 प्रत्यक्ष कर्मचारी थे।

भारत और यूके के बीच अन्य घटनाक्रम

- एक्सेस इंडिया प्रोग्राम (AIP):** इसे सितंबर 2017 में लंदन में भारतीय उच्चायोग द्वारा यूके की एसएमई उद्यमों को भारत में निवेश करने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए लॉन्च किया गया था। इसका मुख्य लक्ष्य "मेक इन इंडिया" अभियान के हिस्से के रूप में विनिर्माण सुविधाएं स्थापित करना है।
- ग्रीन बांड:** लंदन स्टॉक एक्सचेंज ने 500\$ मिलियन के ग्रीन बांड

उपकरणों को सूचीबद्ध किया है जो भारतीय रेलवे वित्त निगम (IRFC) ने इस ऑफर के माध्यम से जुटाए हैं।

- **स्टार्ट-अप इंडिया पहल को प्रोत्साहन:** यूके स्टार्ट-अप इंडिया वेंचर कैपिटल फंड के लिए अतिरिक्त £20 मिलियन के अलावा 75 स्टार्ट-अप व्यवसायों को £160 मिलियन प्रदान करेगा।
- **स्मार्ट सिटी विकास योजना वाराणसी:** यूनाइटेड किंगडम वाराणसी रेलवे स्टेशन के नियोजित नवीनीकरण के लिए और अधिक तकनीकी सहायता प्रदान करेगा।

चुनौतियां

- **प्रवासी भारतीयों पर ब्रेक्सिट का प्रभाव-** ब्रिटेन में भारतीय प्रवासियों के कई सदस्यों ने ब्रेक्सिट के खिलाफ मतदान किया क्योंकि यह संभावना है कि ब्रिटेन द्वारा अधिक कुशल प्रवासन के लिए अपनी सीमाएं खोलने के बाद ब्रिटेन में भारतीय आईटी विशेषज्ञों को कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ेगा।
- **अवैध आप्रवासन:** यूनाइटेड किंगडम में लगभग 1 लाख अवैध भारतीय आप्रवासी हैं। ब्रिटेन द्वारा भारत सरकार पर अनधिकृत भारतीयों की वापसी को सुनिश्चित करने के लिए दबाव बनाया जा रहा है।
- **आतंकवाद:** संयुक्त राज्य अमेरिका (USA) के विपरीत, ब्रेक्सिट पर

लंदन के परिप्रेक्ष्य में भारत अभी भी पाकिस्तान के साथ जुड़ा हुआ है। पिछले दशकों में भारत के निरंतर प्रयासों के बावजूद, भारत का दावा है कि द्विपक्षीय संबंध आर्थिक दायरे से परे सुरक्षा और आतंकवाद जैसे मुद्दों तक विस्तृत हैं।

- **चीन का प्रभाव:** इन सामान्य हितों के बावजूद, हिंद महासागर में चीन की भागीदारी पर यूके और भारत की राय कभी-कभी भिन्न रही है। भारत इस क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभाव, विशेषकर बेल्ट एंड रोड इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान (BRI) के तहत बंदरगाहों में उसके निवेश को लेकर चिंतित है।

निष्कर्ष

- भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक है और यूके के साथ मुक्त व्यापार समझौते (FTA) ने देश के व्यापार की मात्रा बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यह समय दोनों देशों के बीच इस प्रकार के संबंधों के लिए उपयुक्त है। यूनाइटेड किंगडम सशस्त्र बलों के संयुक्त अभ्यास, सुरक्षा और रक्षा सहयोग के माध्यम से विभिन्न क्षेत्रों में भारत के साथ अपने संबंधों को बढ़ा सकता है, और विश्व व्यापार संगठनों, संयुक्त राष्ट्र जैसे अंतर्राष्ट्रीय निकायों में सुधार प्राप्त करने के लिए भारत के साथ काम कर सकता है।

2.3. भारत-कोरिया रक्षा संबंध

संदर्भ

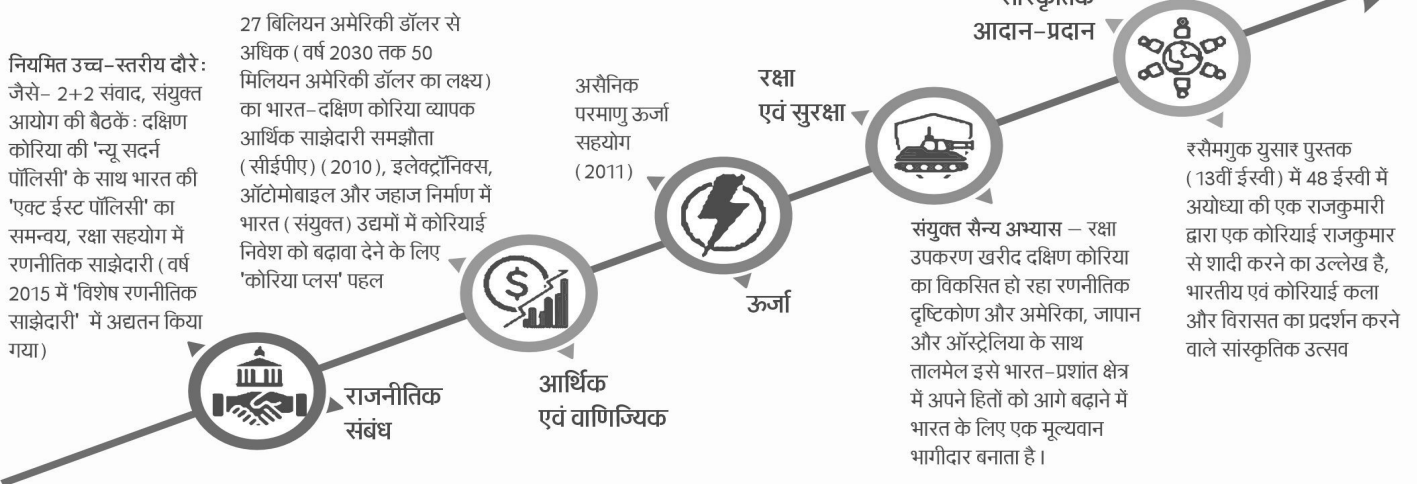
हाल ही में भारत के थल सेनाध्यक्ष जनरल मनोज पांडे की कोरिया गणराज्य (ROK) की यात्रा, भारत-कोरिया रक्षा संबंधों के पथ में एक महत्वपूर्ण मोड़ का प्रतीक है।

यात्रा का विवरण

- भारत-कोरिया रक्षा सहयोग अंतर्राष्ट्रीय शांति और स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण है।

- हाल की उच्च-स्तरीय प्रतिबद्धताओं के बावजूद व्यापक रक्षा ढांचे के लिए साझा दृष्टिकोण का अभाव बना हुआ है।
- एक स्थायी क्षेत्रीय व्यवस्था के निर्माण में नीतियों को संरेखित करने

भारत-दक्षिण कोरिया संबंध



और प्रभावी ढंग से संचालित करने के लिए एक मजबूत संरचना की आवश्यकता है।

- कोरिया और भारत के लिए द्विपक्षीय सहयोग में बाधाओं को पार करना और एक आदर्श परिवर्तन को अपनाना एक प्रकार की अनिवार्यता है जो तेजी से विकसित हो रहे वैश्विक परिदृश्य में उनकी भूमिकाओं की अधिक गहन समझ उत्पन्न करने में सक्षम हो।

भारत-कोरिया संबंध

इतिहास और संबंध	- वर्ष 1973 में स्थापित राजनयिक संबंध, वर्ष 2015 में "विशेष रणनीतिक साझेदारी" में परिवर्तित किए गए। - रानी हेओ ह्वंग-ओके और साझा बौद्ध विरासत के माध्यम से ऐतिहासिक जुड़ाव - भारत ने चिकित्सा कर्मियों और युद्धविराम प्रस्ताव के माध्यम से कोरियाई युद्ध प्रयासों का समर्थन किया।
आर्थिक साझेदारी	- वर्ष 2022 में द्विपक्षीय व्यापार 27.8 बिलियन डॉलर की रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गया। - भारत खनिज ईंधन, अनाज और लौह/इस्पात का निर्यात करता है; कोरिया ऑटो पार्ट्स, दूरसंचार उपकरण और लौह/इस्पात का निर्यात करता है। "कोरिया प्लस" पहल और एसएमई केंद्र भारत में कोरियाई निवेश को बढ़ावा दे रहा है।
सांस्कृतिक संबंध	- बुसान में इंडियन कल्चरल सेंटर और इंडिया सेंटर सांस्कृतिक आदान-प्रदान को बढ़ावा देते हैं। - वार्षिक सारंग उत्सव भारतीय कला और संगीत का प्रदर्शन करता है। - कोरिया में गांधी और बुद्ध जैसी भारतीय विभूतियों की मूर्तियाँ स्थापित की गई हैं। - छात्रों, पेशेवरों और प्रवासी संघों का सक्रिय भारतीय समुदाय।

भारत-कोरिया रक्षा सहयोग

- कोरियाई युद्ध में भारत की महत्वपूर्ण भूमिका रही है:
 - ✓ तटस्थ राष्ट्र प्रत्यावर्तन आयोग (NNRC) का नेतृत्व किया।
 - ✓ एक चिकित्सा इकाई और संरक्षक बल को तैनात किया गया।
 - ✓ संयुक्त राष्ट्र द्वारा अपनाए गए युद्धविराम समझौते का प्रस्ताव रखा।
- सहयोग के लिए स्थापित मंच
 - ✓ रक्षा नीति संवाद (अब "2+2 वार्ता" का हिस्सा)।
 - ✓ संयुक्त समिति की बैठक (रक्षा उद्योग और लॉजिस्टिक)।
 - ✓ संचालन समिति की बैठक (संयुक्त रक्षा अनुसंधान एवं विकास)।
- सहयोग के क्षेत्र
 - ✓ रक्षा उपकरण सह-उत्पादन (उदाहरण के लिए, K9 वज्र तोपखाना), प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और संयुक्त अभ्यास।
 - ✓ जहाज निर्माण, विमानन, अर्धचालक और इलेक्ट्रिक वाहनों में भविष्योन्मुखी सहयोग।
 - ✓ क्वाड और आसियान-भारत समुद्री अभ्यास जैसी बहुपक्षीय साझेदारियाँ साझा रणनीतिक हितों को प्रदर्शित करती हैं।
 - ✓ सितंबर 2019 में दोनों देशों के बीच रक्षा उद्योग सहयोग के लिए

एक रोडमैप पर हस्ताक्षर किए गए थे।

- ✓ दोनों तटरक्षकों के बीच 11वीं उच्च-स्तरीय बैठक अप्रैल 2023 में नई दिल्ली में आयोजित की गई थी।
- ✓ राष्ट्रीय रक्षा कॉलेज के एक प्रतिनिधिमंडल ने एक अध्ययन दौरे पर 09-04 जून 2023 तक कोरिया गणराज्य का दौरा किया।

रक्षा में तकनीकी सहयोग

- उन्नत रक्षा प्रणालियों के संयुक्त विकास के लिए तकनीकी क्षमताओं का लाभ उठाना।
- भविष्य के संघर्षों में प्रौद्योगिकी की महत्वपूर्ण भूमिका की साझा समझ सहयोग के असीमित अवसरों के द्वार खोलती है।
- नवाचार और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने वाली पारस्परिक रूप से लाभकारी रक्षा प्रौद्योगिकी और उद्योग साझेदारी की संभावना।
- महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अंतरिक्ष युद्ध, सूचना युद्ध और साइबर सुरक्षा में सहयोग की खोज करना।

शांति स्थापना, अभ्यास और क्षेत्रीय सुरक्षा

- क्षेत्रीय और वैश्विक स्थिरता को बढ़ाने में सहयोगात्मक प्रयासों के लिए संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना विशेषज्ञता का उपयोग करना।
- हिंद महासागर में संयुक्त गश्त और सूचना साझाकरण सहित समुद्री सुरक्षा में सहयोग।
- मानवीय सहायता और आपदा राहत (HADR) में संयुक्त अभ्यास और सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करना।
- सेना की क्षमताओं को मजबूत करने और अंतरसंचालनीयता को बढ़ावा देने के लिए नौसैनिक फोकस से परे सहयोग को बढ़ाना।
- स्थायी रक्षा सहयोग के लिए भू-राजनीतिक जटिलताओं से निपटने के लिए एक रणनीतिक, संतुलित दृष्टिकोण और अनुकूलनशीलता की आवश्यकता पर बल देना।

भारत-कोरिया रक्षा संबंधों में चुनौतियाँ

- भारत की भूमिका के पुनर्मूल्यांकन का विरोध: भारत को केवल रक्षा उत्पादों के खरीदार से परे देखने में कोरियाई सरकार की अनिच्छा।
- शीत युद्ध की मानसिकता से बदलाव: सोवियत गुट के साथ भारत की लंबे समय से चली आ रही शीत युद्ध की धारणा गहरी साझेदारी में बाधा उत्पन्न कर रही है।

मानवीय सहायता और आपदा राहत (HADR)

- यह सूचना का आदान-प्रदान करने और जोखिम में कमी और लचीलेपन, क्षेत्रीय प्रतिक्रिया और आपदा अवसंरचना में सहायता बलों के एकीकरण और एससीओ सदस्यों के बीच वैश्विक सहयोग को बढ़ावा देने पर सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने के लिए है।

- रणनीतिक सोच में बदलाव: भारत के साथ सार्थक जुड़ाव के लिए कोरियाई रणनीतिक सोच में आवश्यक बदलाव का अभाव।
- हथियार अधिग्रहण फोकस को संतुलित करना: भारत द्वारा कोरिया से हथियार प्राप्त करने और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण पर अत्यधिक जोर देने से, संभावित रूप से व्यापक रणनीतिक विचारों की उपेक्षा होती है।
- लाभ-प्रेरित दृष्टिकोण: कोरियाई रक्षा प्रतिष्ठान का ध्यान भारत को

हथियारों की बिक्री से होने वाले लाभ पर होने के कारण संभावित रूप से गतिशील भू-राजनीतिक परिदृश्य में रणनीतिक प्राथमिकताओं की अनदेखी हो रही है।

- **शक्तिशाली हथियार लॉबी से निपटना:** दोनों देशों में शक्तिशाली हथियार लॉबी से उत्पन्न होने वाली संभावित बाधाएं, दीर्घकालिक रणनीतिक लक्ष्यों पर अल्पकालिक लाभ को प्राथमिकता देती हैं।
- **उभरती हुई गठबंधन चुनौतियां:** उत्तर कोरिया, चीन और रूस का नया गठबंधन जटिल रणनीतिक चुनौतियां प्रस्तुत करता है जिसके लिए प्रत्येक पक्ष के लक्ष्यों की सूक्ष्म समझ की आवश्यकता होती है।

2.4. भारत-नेपाल संबंध

संदर्भ

भारत और नेपाल ने व्यापार, पारगमन और अनधिकृत व्यापार से निपटने के लिए सहयोग पर भारत-नेपाल अंतर-सरकारी उप-समिति (IGSC) के नवीनतम सत्र में सुचारु रूप से सीमा पार संपर्क बढ़ाने पर केंद्रित पारगमन संधि (Treaty of Transit) जैसी द्विपक्षीय पहलों को निष्पादित करने के लिए अपने समर्पण की पुष्टि की है।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

- भारत और नेपाल, करीबी पड़ोसियों के रूप में, दोस्ती और सहयोग का एक सहस्राब्दी पुराना बंधन साझा करते हैं जो **खुली सीमा** और रिश्तेदारी और संस्कृति में निहित लोगों से लोगों के बीच गहरे संबंधों की विशेषता है।
- भारत और नेपाल, आधुनिक राजनीतिक सीमाओं से भी पूर्व समय से एक प्राचीन सांस्कृतिक इतिहास साझा करते हैं। **बुद्ध की जन्मस्थली लुम्बिनी**, वर्तमान नेपाल में स्थित है, जो दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक और आध्यात्मिक संबंधों को और मजबूत करती है।
- भारत ने नेपाल को राजशाही से लोकतांत्रिक गणराज्य तक विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

राजनीतिक संबंध

- भारत और नेपाल के बीच अद्वितीय बंधन की नींव वर्ष 1950 की भारत-नेपाल शांति और मित्रता संधि में निहित है।
- नेपाल के संविधान के निर्माण में भारत की महत्वपूर्ण भूमिका रही है, क्योंकि भारत इस हिमालयी राष्ट्र में शांति प्रक्रिया और लोकतांत्रिक परिवर्तन के प्रमुख समर्थकों में से एक था।

भारत और नेपाल के बीच रक्षा सहयोग

- भारत उपकरणों की आपूर्ति और आवश्यक प्रशिक्षण प्रदान करके नेपाल सेना के आधुनिकीकरण प्रयासों का सक्रिय रूप से समर्थन करता है।
- 'भारत-नेपाल बटालियन-स्तरीय संयुक्त सैन्य अभ्यास **सूर्य किरण**' सहित नियमित संयुक्त सैन्य अभ्यास, सशस्त्र बलों के समन्वय और क्षमताओं को बढ़ाने में योगदान करते हैं।
- नेपाल के लगभग 32,000 गोरखा सैनिक वर्तमान में भारतीय सेना में सेवारत हैं।

आगे की राह

- भारत-कोरिया रक्षा संबंधों को मजबूत और गहरा करने के लिए उच्च-स्तरीय यात्राओं से परे जाकर सक्रिय कदमों की आवश्यकता है।
- **क्षेत्रीय सुरक्षा पर एक संयुक्त अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन** की मेजबानी, जिसमें **अमेरिका और जापान** जैसे साझेदार शामिल होंगे, एक साझा दृष्टिकोण और मजबूत संरचना को बढ़ावा दे सकता है।
- इसके अतिरिक्त, आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक-प्लस और इंडो-पैसिफिक समुद्री सुरक्षा पहल जैसे **बहुपक्षीय संगठनों में भागीदारी क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ा सकती है और साझा रणनीतिक चुनौतियों का समाधान कर सकती है।**

आर्थिक संबंध

- **व्यापार:** भारत नेपाल का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है।
- **निवेश:** भारत नेपाल में निवेश का सबसे बड़ा स्रोत है, नेपाल के कुल एफडीआई स्टॉक के 32% से अधिक के लिए जिम्मेदार है।
- **प्रवासी:** नेपाली रुपया भारत से जुड़ा हुआ है; स्थलाबद्ध नेपाल व्यापार के लिए भारतीय बंदरगाहों पर निर्भर है, और **8 मिलियन नेपाली भारत में काम करते हैं।**
- **संपर्क:** भारत और नेपाल के बीच **पारगमन संधि** है, जो पारस्परिक रूप से सहमत मार्गों और तौर-तरीकों के द्वारा एक दूसरे के क्षेत्र के माध्यम से पारगमन अधिकार प्रदान करती है।
- **विकास कार्यक्रम:** **भारत -नेपाल रेल सेवा समझौता (RSA) 2004** दोनों देशों के बीच रेल-माल ढुलाई परिवहन को नियंत्रित करता है।
- **पर्यटन:** दोनों देश असंख्य मंदिरों और तीर्थ स्थलों का घर हैं।



विद्युत क्षेत्र में सहयोग

- भारत और नेपाल के बीच 1971 से एक दूसरे के ट्रांसमिशन

अवसंरचना का लाभ उठाते हुए दोनों देशों के सीमावर्ती क्षेत्रों में विद्युत् आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विद्युत् आदान-प्रदान का समझौता हुआ है।

- नेपाल वर्तमान में भारत को 450 मेगावाट से अधिक बिजली निर्यात करता है।
- भारत ने नेपाल में पोखरा (1 मेगावाट), त्रिसुली (21 मेगावाट), पश्चिमी गंडक (15 मेगावाट), और देवीघाट (14.1 मेगावाट), अरुण III जैसी विभिन्न जलविद्युत परियोजनाओं का निर्माण किया है।

जल संसाधन पर सहयोग

- 2008 में स्थापित एक मजबूत त्रि-स्तरीय तंत्र जल-संबंधित समस्याओं पर चर्चा की सुविधा प्रदान करता है।
- **कोशी समझौता** (1954, 1966 में संशोधित) और **गंडक समझौता** (1959, 1964 में संशोधित) जल संसाधनों में महत्वपूर्ण भारत-नेपाल सहयोग को चिह्नित करते हैं।
- अन्य संधियों के अतिरिक्त **महाकाली संधि** (1996) महाकाली नदी के पानी का न्यायसंगत उपयोग सुनिश्चित करती है।

सांस्कृतिक संबंध

- 1991 में स्थापित बी. पी. कोइराला इंडिया-नेपाल फाउंडेशन, शैक्षिक, सांस्कृतिक, वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग के साथ-साथ आपसी समझ और ज्ञान के आदान-प्रदान को बढ़ावा देता है।
- सहयोगी शहरों काठमांडू-वाराणसी, लुंबिनी-बोधगया और जनकपुर-अयोध्या का जुड़ाव।

शिक्षा

- भारत सरकार नेपाली नागरिकों को सालाना लगभग 3000 छात्रवृत्ति/सीटें प्रदान करती है।

मानवीय सहायता

- वर्ष 2015 में नेपाल में आए भूकंप के दौरान भारत ने तेजी से प्रतिक्रिया दी।
- भारत नेपाल को COVID-19 टीके उपलब्ध कराने वाला पहला देश भी था।

पारस्परिक रणनीतिक महत्व

रणनीतिक स्थान

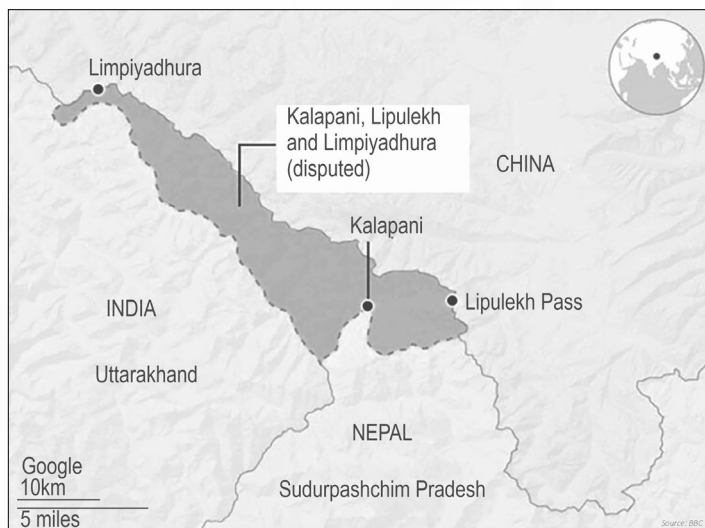
- नेपाल की भौगोलिक स्थिति भारत के लिए महत्वपूर्ण है, जो इसके रणनीतिक हितों में योगदान करती है। भूटान के साथ भारत की 'हिमालयी सीमा' पर स्थित नेपाल एक महत्वपूर्ण **बफर राज्य के रूप में कार्य करता है** (भौगोलिक रूप से दो बड़े देशों के बीच स्थित एक शांतिपूर्ण देश, जो उनके बीच युद्ध की संभावना को कम करता है)।

भारत-नेपाल संबंधों में चुनौतियाँ

- **शांति एवं मैत्री संधि से असहजता:** वर्ष 1950 की शांति और मित्रता

संधि ने नेपाली नागरिकों को भारत में अधिकार प्रदान किए, लेकिन नेपाल में कुछ गुट इसे असमान और भारत द्वारा थोपा गया मानते हैं।

- **अनसुलझे क्षेत्रीय विवाद:** ब्रिटिश औपनिवेशिक विरासत के कारण भारत-नेपाल सीमा पर चल रहे विवाद, विशेष रूप से पश्चिमी नेपाल में कालापानी-लिपियाधुरा-लिपुलेख ट्राइजंक्शन क्षेत्र और दक्षिणी नेपाल में सुस्ता क्षेत्र जैसे भागों में, अभी भी बने हुए हैं।
- **चीन का प्रभाव:** निवेश और आर्थिक सहायता के कारण नेपाल का चीन की ओर झुकाव, भारत के प्रभाव को चुनौती देता है। नेपाल में चीन की बेल्ट एंड रोड पहल एक बफर राज्य के रूप में उसकी भूमिका को लेकर चिंता पैदा करती है।
- **सुरक्षा चुनौतियाँ:** खुली भारत-नेपाल सीमा सुरक्षा खतरों का कारण बनती है, जिससे हथियारों, गोला-बारूद और नकली मुद्रा की तस्करी होती है, जिससे भारत के लिए जोखिम उत्पन्न होता है।
- **विश्वास की कमी:** भारत द्वारा परियोजनाओं के धीमे कार्यान्वयन और नेपाली राजनीति में कथित हस्तक्षेप ने दोनों देशों के बीच विश्वास को तनावपूर्ण बना दिया है। कुछ जातीय समूहों को लगता है कि भारत ने उनकी राजनीतिक स्वतंत्रता को कमजोर किया है।



आगे की राह

बयानबाजी पर कूटनीति को प्राथमिकता

- पारस्परिक रूप से संवेदनशील और व्यवहार्य समाधान के लिए क्षेत्रीय राष्ट्रवाद की बयानबाजी पर शांतिपूर्ण वार्ताको प्राथमिकता देना।
- एक उदार पड़ोसी के रूप में भारत को पड़ोस-प्रथम नीति का पालन करना चाहिए।

जल विवादों का सौहार्दपूर्ण समाधान

- सीमा पार जल विवादों के लिए अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत द्विपक्षीय राजनयिक वार्ता का समर्थन करना।
- एक मॉडल के रूप में सफल भारत-बांग्लादेश सीमा विवाद समाधान का उपयोग करके एक समाधान तंत्र का प्रस्ताव करना।

नेपाल के साथ सक्रिय भागीदारी

- लोगों से लोगों के बीच बातचीत, नौकरशाही सहयोग और राजनीतिक संवाद के माध्यम से नेपाल के साथ जुड़ाव बढ़ाना।
- मित्रता के संकेत के रूप में अधिक समावेशी वक्तव्यों की दिशा में मार्गदर्शन करते हुए नेपाल के आंतरिक मामलों का सम्मान करना।

आर्थिक बंधनों को मजबूत बनाना

- एक विद्युत व्यापार समझौता विकसित करना जो भारत और नेपाल के बीच विश्वास को बढ़ावा देने में सक्षम हो।
- अन्य ऊर्जा स्रोतों की तुलना में चरम मांग के प्रबंधन, निवेश बचाने और प्रदूषण को कम करने में जलविद्युत के महत्व को स्वीकार करना।

समावेशी नीतियों के लिए मार्गदर्शन

- नेपाल को उसके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप किए बिना अधिक

समावेशी नीतियों के लिए पथप्रदर्शन करना, न कि निर्देश देना।

- एक बड़े भाई के रूप में भारत की छवि को कमजोर करते हुए मित्रता और सहयोग की भावना को बढ़ावा देना।

1950 की शांति और मित्रता की संधि

वर्ष 1950 की शांति और मित्रता संधि भारत और नेपाल के बीच एक द्विपक्षीय संधि है जो दोनों दक्षिण एशियाई पड़ोसियों के बीच घनिष्ठ रणनीतिक संबंध स्थापित करती है। इस संधि पर 31 जुलाई 1950 को हस्ताक्षर किये गये थे।

संधि के प्रमुख प्रावधान:

- दोनों सरकारों ने किसी भी पड़ोसी राज्य के साथ किसी भी गंभीर मनमुटाव या गलतफहमी जिससे दोनों सरकारों के बीच मौजूद मैत्रीपूर्ण संबंधों में किसी भी तरह का उल्लंघन हो सकता है, के बारे में एक-दूसरे को सूचित करने की प्रतिबद्धता जतायी।
- नेपाल सरकार नेपाल की सुरक्षा के लिए आवश्यक हथियार, गोला-बारूद या युद्ध जैसी सामग्री और उपकरण भारत के क्षेत्र से या उसके माध्यम से आयात करने के लिए स्वतंत्र होगी।
- आर्थिक गतिविधियों, निवास, संपत्ति, मुक्त आवाजाही आदि के बारे में नागरिकों का एक-दूसरे के साथ राष्ट्रीय व्यवहार।

2.5. भारत-भूटान संबंध

संदर्भ

भूटान के नए प्रधान मंत्री शेरींग टोबगे के नियुक्ति समारोह के बाद विदेश सचिव विनय क्वात्रा ने तीन दिवसीय यात्रा के लिए भूटान का दौरा किया।

यात्रा के परिणाम

- वार्ता में द्विपक्षीय संबंध, 'माइंडफुलनेस सिटी' परियोजना, चीन के साथ सीमा चर्चा और प्रधान मंत्री टोबगे को भारत आने का निमंत्रण शामिल था।
- रेल परियोजनाओं, इलेक्ट्रिक बसों, सीमा सुरक्षा और रोहिंग्या मुद्दों पर चर्चा की जाएगी।
- विदेश मंत्री एस जयशंकर ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में हिंद महासागर सम्मेलन में भाग लेंगे, जहां विभिन्न क्षेत्रीय नेताओं के साथ चर्चा होने की उम्मीद है।
- भारत और पाकिस्तान ने एक-दूसरे के उच्चायोगों में सेवा करने के लिए राजनयिकों, राजनयिक कर्मचारियों और परिवार के सदस्यों के लिए असाइनमेंट वीजा का आदान-प्रदान किया। यह पाकिस्तान में 8 फरवरी को होने वाले चुनाव से एक सप्ताह पहले आया है।

भारत-भूटान संबंध

ऐतिहासिक

- भारत और भूटान के बीच राजनयिक संबंध 1968 में थिम्पू में एक निवासी प्रतिनिधि की नियुक्ति के साथ शुरू हुए।
- 1968 से पहले, **सिक्किम में संबंधों का प्रबंधन राजनीतिक अधिकारी द्वारा किया जाता था।**
- भारत-भूटान संबंधों की आधारशिला **1949 में हस्ताक्षरित मित्रता और सहयोग की संधि है, जिसे फरवरी 2007 में नवीनीकृत किया गया।**

राजनीतिक

- अगस्त 2019 में, प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी की भूटान यात्रा ने चार महत्वपूर्ण द्विपक्षीय परियोजनाओं की शुरुआत को चिह्नित किया।



- ✓ 720 मेगावाट मंगदेछू हाइड्रोप्रोजेक्ट का शुभारंभ, दक्षिण एशियाई उपग्रह के उपयोग के लिए इसरो के ग्राउंड अर्थ स्टेशन की स्थापना, रुपये कार्ड की शुरुआत और भारत के राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क और भूटान के अनुसंधान एवं शिक्षा नेटवर्क के बीच अंतरसंबंध का विस्तार शामिल था।

- विभिन्न परियोजनाओं की प्रगति की निगरानी के लिए चौथी भारत-भूटान विकास सहयोग वार्ता जनवरी 2023 को थिम्पू में होगी।

आर्थिक संबंध

- व्यापार, वाणिज्य और पारगमन पर भारत-भूटान समझौता, पहली बार 1972 में हस्ताक्षरित और 2016 में संशोधित, एक मुक्त व्यापार व्यवस्था स्थापित करता है।
- 2014 के बाद से, भूटान के साथ भारत का व्यापार लगभग तीन गुना

हो गया है, जो 2021-22 में 1422 मिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया है, जो भूटान के कुल व्यापार का लगभग 80% है।

- भारत का हिस्सा 50% है, जो इसे देश में निवेश का प्रमुख स्रोत बनाता है।
- 800 से अधिक परियोजनाएँ चल रही हैं, जो भूटान की बाहरी अनुदान निधि का 73% प्रतिनिधित्व करती हैं।

रक्षा संबंध

- 2000 सदस्यीय एक मजबूत भारतीय सैन्य प्रशिक्षण दल (IMTRAT) पश्चिमी भूटान में तैनात है, जो रॉयल भूटान सेना को निरंतर प्रशिक्षण सहायता प्रदान करता है।
- भारतीय वायु सेना भूटान को हवाई रक्षा कवर प्रदान करती है, जिसमें आरबीए पायलटों को भारत में प्रशिक्षित किया जाता है।

जलविद्युत सहयोग

- भारत को जलविद्युत निर्यात से महत्वपूर्ण राजस्व उत्पन्न करता है।
- चार परिचालन परियोजनाएँ भारत को 2136 मेगावाट बिजली की आपूर्ति करती हैं।

शिक्षा सहयोग

- चिकित्सा और इंजीनियरिंग जैसे विविध क्षेत्रों में भूटानी छात्रों के लिए भारत सरकार द्वारा 950 से अधिक वार्षिक छात्रवृत्तियाँ प्रदान की जाती हैं।
- लगभग 4,000 भूटानी छात्र भारतीय विश्वविद्यालयों में अपनी स्नातक की पढ़ाई स्व-वित्तपोषित करते हैं।

सांस्कृतिक और बौद्ध संबंध

- भूटानी तीर्थयात्री अक्सर भारत में बौद्ध स्थलों की यात्रा करते हैं, जिनमें बोधगया, राजगीर, नालंदा, सिक्किम और उदयगिरि शामिल हैं।

भारतीय प्रवासी

- अनुमान है कि लगभग 50,000 भारतीय नागरिक भूटान में रहते हैं, जो मुख्य रूप से थिम्पू, फुंटशोलिंग और गेलेफू जैसे शहरी क्षेत्रों में केंद्रित हैं।

भारत के लिए भूटान का महत्व

- बफर राज्य : भूटान भारत और चीन के बीच एक महत्वपूर्ण बफर राज्य के रूप में कार्य करता है, जो "चिकन नेक" कॉरिडोर की सुरक्षा करता है। यह रणनीतिक स्थान संभावित खतरों से रक्षा प्रदान करता है और भारत की सुरक्षा को बढ़ाता है।
- चीन के प्रभाव का मुकाबला: भारत के साथ भूटान के घनिष्ठ संबंध क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभाव के प्रतिकार के रूप में कार्य करते हैं और क्षेत्रीय स्थिरता में योगदान करते हैं।
- जलविद्युत परियोजनाएँ : भूटान की जलविद्युत परियोजनाएँ भारत की ऊर्जा सुरक्षा में महत्वपूर्ण योगदान देती हैं।

- साझा विरासत: साझा मूल्यों और धार्मिक प्रथाओं सहित भारत और भूटान के बीच गहरे सांस्कृतिक और ऐतिहासिक संबंध दोस्ती और समझ की भावना को बढ़ावा देते हैं।

भारत और भूटान चुनौतियाँ

- चीन का बढ़ता प्रभाव: भारत, भूटान में चीन के बढ़ते आर्थिक और राजनीतिक प्रभाव को लेकर चिंतित है। मौजूदा सीमा विवाद और भूटान की राजनयिक स्वायत्तता में संभावित बदलाव इस क्षेत्र में भारत के रणनीतिक प्रभाव के लिए चुनौतियाँ पैदा कर सकते हैं।
- बुनियादी ढाँचा विकास चुनौतियाँ: भूटान के पहाड़ी इलाके और पर्यावरणीय विचार बड़े पैमाने पर बुनियादी ढाँचा परियोजनाओं में बाधाएँ पेश करते हैं, जिससे आर्थिक विकास और भारतीय सहायता के लाभ प्रभावित होते हैं।
- पारदर्शिता और संचार की कमी: दोनों सरकारों के बीच पारदर्शिता और खुले संचार की कमी से श्रम और अविश्वास पैदा हो सकता है, जो बड़े हुए राजनयिक संवाद और सहयोग की आवश्यकता पर प्रकाश डालता है।
- भूटान में बदलती गतिशीलता
 - ✓ भूटान की बढ़ती राजनीतिक परिपक्वता और अधिक राजनयिक स्वायत्तता की इच्छा से भारत के रणनीतिक हितों में कुछ विचलन हो सकता है।
 - ✓ भारतीय सहायता और व्यापार पर भूटान की निर्भरता एक असमान शक्ति गतिशील बनाती है, जो संभावित रूप से आर्थिक विविधीकरण और आत्मनिर्भरता में बाधा डालती है।
 - ✓ भूटान के अनसुलझे सीमा विवाद, भूटान और भारत दोनों के लिए संभावित सुरक्षा जोखिम पैदा करते हैं।
- बाहरी चुनौतियाँ
 - ✓ चीन का प्रभाव: भूटान में चीन की बढ़ती आर्थिक और राजनीतिक भागीदारी इस क्षेत्र में संभावित रूप से कम होते भारतीय प्रभाव के बारे में चिंता पैदा करती है।
 - ✓ जल संसाधन प्रबंधन: साझा जल संसाधन, विशेष रूप से भारत में बहने वाली नदियाँ, विवाद का एक स्रोत हो सकती हैं, जिसके लिए सावधानीपूर्वक प्रबंधन और सहयोग की आवश्यकता होती है।
 - ✓ क्षेत्रीय सुरक्षा: नेपाल और बांग्लादेश जैसे अन्य क्षेत्रीय खिलाड़ियों का उदय और उनके संभावित गठबंधन, भारत-भूटान की गतिशीलता को प्रभावित कर सकते हैं।
- पड़ोसी देश आयात
 - ✓ नेपाल: भारत और भूटान दोनों के साथ नेपाल की भौगोलिक निकटता और ऐतिहासिक संबंध एक जटिल भू-राजनीतिक परिदृश्य बनाते हैं। नेपाल में राजनीतिक अस्थिरता इस क्षेत्र में फैल सकती है, जिससे भारत-भूटान संबंध प्रभावित हो सकते हैं।
 - ✓ बांग्लादेश: भौगोलिक रूप से भूटान से सीमा साझा करते हुए बांग्लादेश एक महत्वपूर्ण व्यापारी भागादार के रूप में स्थापित है हालाँकि, सीमा विवाद और सीमा पार प्रवासन संबंधी मुद्दे तनाव का एक कारण बन सकते हैं।

- ✓ **म्यांमार:** म्यांमार की हालिया राजनीतिक उथल-पुथल और चल रहे मानवीय संकट अप्रत्यक्ष रूप से भारत-भूटान संबंधों को प्रभावित कर सकते हैं, खासकर सुरक्षा सहयोग के संबंध में।

आगे बढ़ने का रास्ता

- भारत के साथ सैन्य संबंधों को गहरा करके और दीर्घकालिक सुरक्षा के लिए विविध साझेदारियों की तलाश करके भूटान के लिए एक

लचीली रक्षा तैयार करना।

- साझा चुनौतियों से संयुक्त रूप से निपटकर, समझ को बढ़ावा देकर और एक सामंजस्यपूर्ण और संपन्न भविष्य का निर्माण करके पारस्परिक समृद्धि के लिए सहयोग करें।
- रणनीतिक सहयोग को मजबूत करने से दोनों देश आम सुरक्षा चिंताओं को दूर करने, आतंकवाद, मादक पदार्थों की तस्करी और अंतरराष्ट्रीय अपराधों के खिलाफ सहयोग करने में सक्षम होंगे।

2.6. भारत और मध्य पूर्व

संदर्भ

आईएनएस विशाखापत्तनम अदन की खाड़ी में समुद्री डकैती-रोधी गश्त कर रहा है।

मध्य पूर्व

- मध्य पूर्व एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें एशिया, अफ्रीका और यूरोप के कुछ भाग शामिल हैं।
- मध्य पूर्व शब्द का प्रयोग पहली बार 20वीं सदी की शुरुआत में इसे निकट पूर्व (Near East) और सुदूर पूर्व (Far East) से अलग पहचानने के लिए किया गया था।
- मध्य पूर्व दक्षिण पश्चिम एशिया में भूमध्य सागर के पूर्व में स्थित है। इसमें मिस्र का दक्षिण-पूर्वी तट और तुर्की का उत्तरी तट शामिल है।
- इसमें इराक, ईरान, सऊदी अरब, यमन, ओमान, बहरीन, कतर, संयुक्त अरब अमीरात, कुवैत, इजराइल, जॉर्डन और सऊदी अरब जैसे देश शामिल हैं। इसके अलावा, तुर्की (जो आधिकारिक तौर पर यूरोप का एक हिस्सा है) भी शामिल है।

भारत और मध्य पूर्व संबंध

सांस्कृतिक

- **मक्का और मदीना**, जो इस क्षेत्र में हैं और दोनों देशों के बीच एक एकीकृत शक्ति के रूप में काम करते हैं, जहाँ प्रत्येक वर्ष भारत से लगभग एक लाख मुसलमानों का स्वागत किया जाता है।

आर्थिक संबंध

- संयुक्त अरब अमीरात के संदर्भ में, 2018-19 वित्तीय वर्ष में द्विपक्षीय व्यापार 20% से अधिक की वृद्धि के साथ 59.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया।
- सऊदी अरब के विजन 2030 के भाग के रूप में आर्थिक विविधीकरण की दिशा में खाड़ी अर्थव्यवस्थाओं के प्रयासों - ने जुड़ाव की दर को तेज कर दिया है। सऊदी अरब भारत का गैस और तेल का दूसरा सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता है।

संपर्क

- मध्य पूर्वी देश एक दूसरे को आर्थिक गतिविधि के केंद्र के रूप में स्वीकारते हैं; ऐसा ही एक उदाहरण भारत-मध्य पूर्व यूरोप कॉरिडोर है, जिसका उद्देश्य चीन के विस्तारवादी उद्देश्यों ("बेल्ट एंड रोड" पहल) को चुनौती देना है।

- **लाल सागर, अदन की खाड़ी और स्वेज़ नहर** संपर्क के अन्य केंद्र हैं।
- चाबहार बंदरगाह और अंतर्राष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण परिवहन गलियारे का विकास भी ईरान के साथ भारत के संबंधों को बेहतर बनाने में योगदान दे रहा है।

रक्षा सहयोग

- भारत, संयुक्त अरब अमीरात और ओमान जैसे देशों के साथ रक्षा संबंधों का विस्तार कर रहा है।
- भारत और ओमान नियमित रूप से द्विपक्षीय अभ्यास का आयोजन करते हैं और ओमान भारतीय जहाजों और विमानों के लिए ईंधन भरने की सुविधा प्रदान करता है।
- भारत ने हाल ही में सैन्य और लॉजिस्टिकल सहायता के लिए अरब सागर पर ओमान के महत्वपूर्ण रणनीतिक बंदरगाह डुकम तक पहुंच प्राप्त की है। इससे हिंद महासागर क्षेत्र (आईओआर) में भारत की स्थिति मजबूत होगी।
- भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने सेना-से-सेना के बीच आदान-प्रदान, कार्मिक प्रशिक्षण और रक्षा उत्पादन सहित कई क्षेत्रों में अपने रक्षा सहयोग का विस्तार करने पर सहमति व्यक्त की है।

महत्व

• व्यापार और निवेश

- ✓ संयुक्त राष्ट्र कॉमट्रेस डेटाबेस के अनुसार, वर्ष 2017 से 2021 तक भारत के कुल द्विपक्षीय वाणिज्यिक वस्तु व्यापार में ईरान और जीसीसी (GCC) सदस्य देशों की हिस्सेदारी 15.3% थी।
- ✓ **लुक ईस्ट नीति का** उद्देश्य एशियाई देशों के साथ गहरे संबंधों को प्रोत्साहित करना है, जो **भारत की लुक वेस्ट नीति का पूरक है।**

• ऊर्जा सुरक्षा

- ✓ भारत कुल कच्चे तेल का 60% से अधिक खाड़ी देशों से प्राप्त (आयात) करता है। (ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन अध्ययन: सऊदी अरब से 18% और इराक से 22%)।
- ✓ **प्रवासी:** लगभग 8.5 मिलियन भारतीय, या विदेश में काम करने वाले सभी भारतीयों में से लगभग 65 प्रतिशत, विभिन्न उद्योगों में कार्यरत हैं और इस क्षेत्र के पश्चिम एशियाई देशों में रहते हैं।

• धन का प्रेषण

- ✓ भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) की रिपोर्ट है कि सात पश्चिम एशियाई देशों-संयुक्त अरब अमीरात (UAE), संयुक्त राज्य अमेरिका (USA), कतर, सऊदी अरब, कुवैत, यूनाइटेड किंगडम और ओमान-का भारत को प्राप्त होने वाले धन के प्रेषण में 82% योगदान है।

भारत-मध्य पूर्व संबंधों में चुनौतियाँ

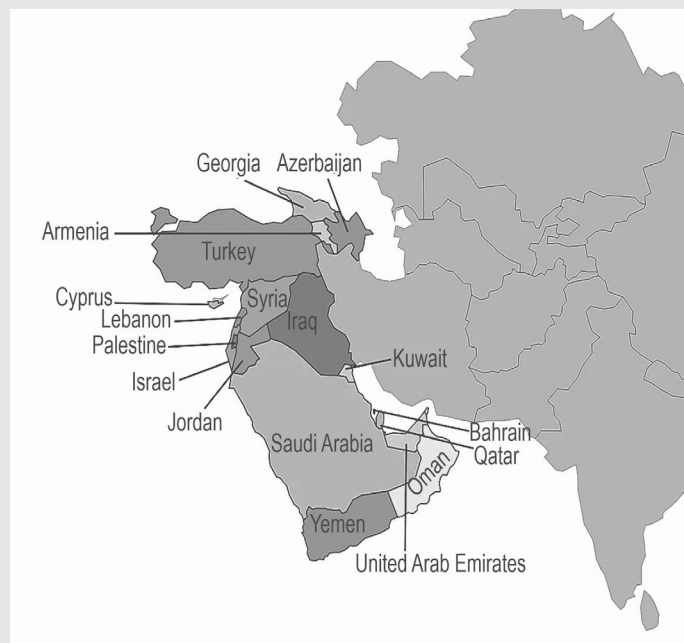
• ऊर्जा दुविधा

- ✓ ईरान भारत से गैस और तेल खरीदने पर विचार करने का आग्रह कर रहा है क्योंकि भारत ने गंभीर पश्चिमी और अमेरिकी प्रतिबंधों के बावजूद रूस से तेल खरीदना जारी रखा है।
- ✓ संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा काटसा(CAATSA) प्रतिबंध लगाए जाने के बाद, स्थिति कठिन हो गई है।

• आतंकवाद और धार्मिक उग्रवाद

- ✓ भारत धार्मिक कट्टरवाद के उदय और कुछ देशों में इसके राजनीतिक रूप से जिहादी कट्टरवाद और आतंकवाद के रूप में प्रकट होने को लेकर बहुत चिंतित है।
- ✓ भारत में बड़ी संख्या में मुस्लिम आबादी है, फिर भी कश्मीर हिंसक बना हुआ है। भारत अपनी मुस्लिम आबादी के एक हिस्से में कट्टरपंथ को लेकर चिंतित है। पाकिस्तान अखिल-इस्लाम का उपयोग करके परिस्थितियों का लाभ लेने का प्रयास करता है।
- ✓ पश्चिम एशिया में **राजनीतिक अस्थिरता** का असर भारत की ऊर्जा सुरक्षा और क्षेत्रीय आर्थिक हितों पर पड़ सकता है।
- ✓ **क्षेत्रीय संघर्ष**: क्षेत्रीय संघर्षों में इस क्षेत्र के देशों की भागीदारी या पाकिस्तान के साथ उनके संबंधों के परिणामस्वरूप उन देशों के साथ भारत के संबंध प्रभावित हो सकते हैं।

पश्चिम एशिया, जिसे पश्चिमी एशिया या दक्षिण पश्चिम एशिया के नाम से भी जाना जाता है, एशिया का सबसे पश्चिमी क्षेत्र है। इसकी सीमा भूमध्य सागर, काला सागर, कैस्पियन सागर, फारस की खाड़ी, अरब सागर और लाल सागर से लगती है। इसमें निम्नलिखित देश शामिल हैं: आर्मेनिया, अज़रबैजान, बहरीन, साइप्रस, जॉर्जिया, ईरान इराक, इज़राइल, जॉर्डन, कुवैत, लेबनान, ओमान, फिलिस्तीन, कतर, सऊदी अरब, सीरिया, तुर्की, संयुक्त अरब अमीरात, यमन



खाड़ी देश वो देश हैं जिनकी सीमा मध्य पूर्व में फारस की खाड़ी से लगती है। खाड़ी देश निम्न प्रकार हैं: बहरीन, कुवैत, इराक, ओमान, कतर, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और ईरान। इराक को छोड़कर ये देश, एक क्षेत्रीय राजनीतिक और आर्थिक संघ, खाड़ी सहयोग परिषद (GCC) के भी सदस्य हैं।

2.7. पाकिस्तान और ईरान

संदर्भ

प्रारंभिक तनाव और सैन्य व्यस्तताओं के आलोक में, ईरान और पाकिस्तान ने बातचीत और सहयोग पर बल देते हुए तनाव को कम करने की दिशा में सफलतापूर्वक कदम आगे बढ़ाए हैं।

पृष्ठभूमि

- ईरान और पाकिस्तान के बीच नवीनतम संघर्ष मुख्य रूप से उनकी साझा सीमा के दोनों ओर सक्रिय अलगाववादी आतंकवादी समूहों की मौजूदगी से प्रेरित है।
- जैश अल-अदल और बलूच लिबरेशन आर्मी जैसे इन समूहों ने क्रमशः ईरानी और पाकिस्तानी ठिकानों पर हमले किए हैं।
- दोनों देश एक-दूसरे पर इन समूहों (जिन्हें वे आतंकवादी मानते हैं) को सुरक्षित पनाह और समर्थन देने का आरोप लगाते हैं।
- स्थिति तब बिगड़ गई जब 16 जनवरी, 2024 को ईरान ने पाकिस्तानी क्षेत्र पर हवाई हमले किए, जिसमें दो बच्चों की मौत हो गई।
- पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई में 18 जनवरी, 2024 को ईरानी क्षेत्र पर

हवाई हमले किए, जिसमें कम से कम नौ लोग मारे गए।

- यह पहली बार था कि दोनों पड़ोसियों ने एक दूसरे के क्षेत्रों में सीमा पार हमले किए, जिससे व्यापक क्षेत्रीय संघर्ष का खतरा बढ़ गया है।

सहयोग का चरण

- वर्ष 1979 में ईरान की इस्लामी क्रांति से पहले, दोनों देशों के संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ बेहतर सम्बन्ध थे।
- दोनों एक सैन्य गठबंधन 'बगदाद संधि' (बाद में CENTO) का हिस्सा थे।
- भारत और पाकिस्तान के बीच वर्ष 1965 और वर्ष 1971 के युद्ध के दौरान, ईरान ने पाकिस्तान को सामग्री और हथियार सहायता प्रदान की।

दोनों देशों के बीच मतभेद के बिंदु

- **सांप्रदायिक संघर्ष:** पाकिस्तान, मुख्य रूप से एक सुन्नी देश है, जो ईरान के अयातुल्ला खुमैनी के अधीन सत्ता में आये शिया शासन से संघर्ष में शामिल हो गया।
- **भू-राजनीतिक दरार:** वर्ष 1979 के बाद ईरान अमेरिका का विरोधी बन गया, जबकि पाकिस्तान ने विशेषकर 9/11 के हमलों और उसके उपरान्त होने वाले "आतंकवाद के खिलाफ युद्ध" के बाद अमेरिका के साथ गठबंधन किया।
- **क्रांतिकारी महत्वाकांक्षा:** ईरान की विदेश नीति (जिसका उद्देश्य इस्लामी क्रांति फैलाना था) ने अपने अरब पड़ोसियों को अलग-थलग कर दिया, जिसके परिणामस्वरूप क्षेत्रीय हितों में विभाजन हुआ।
- **अफगानिस्तान विवाद:** ईरान ने अफगानिस्तान में तालिबान के विरुद्ध उत्तरी गठबंधन का समर्थन किया। तालिबान ऐसा समूह था जिसे बनाने में पाकिस्तान ने सहायता की थी, जिससे हितों का टकराव बढ़ गया।
- **बलूचिस्तान की दुविधा की स्थिति:**
 - ✓ **साझी विरासत:** ईरान-पाकिस्तान सीमा के दोनों ओर रहने वाले बलूच लोगों के बीच मजबूत सांस्कृतिक, नस्ली और भाषाई संगति है।
 - ✓ **उत्पीड़न और असहमति:** दोनों ही देशों में बलूच समुदायों पर अत्याचार किया गया है, जिससे अलगाववादी आंदोलन को बढ़ावा मिला है।
 - ✓ **सीमा-पार विद्रोह:** बलूच विद्रोही खुली सीमा के पार जाकर सैन्य और नागरिक ठिकानों पर हमला करते हैं, जिससे सम्बन्ध खराब हुए हैं।
 - ✓ **विद्रोही समूहों में विविधता:** ईरान में बलूच विद्रोहियों के बीच प्रायः धार्मिक संबंध होते हैं, जबकि पाकिस्तान में वे धर्मनिरपेक्ष नस्लीय-राष्ट्रवाद के पक्षधर हैं।

सुलह के प्रयास

- **बेनजीर भुट्टो की यात्रा:** प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो ने वर्ष 1995 की अपनी तेहरान यात्रा के दौरान ईरान को "एक दोस्त, एक पड़ोसी और इस्लाम में एक भाई" की संज्ञा देते हुए सहयोग पर बल दिया और अमेरिकी प्रतिबंधों पर खेद प्रकट किया।
- **जरदारी का काल:** आसिफ अली जरदारी के राष्ट्रपति काल में ईरान के साथ सहयोग में वृद्धि (विशेषकर व्यापार और ऊर्जा में) हुई, किन्तु सुन्नी-शिया संघर्ष जारी रहा।
- **नवाज़ शरीफ़ के काल में परिवर्तन:** वर्ष 2013 में प्रधानमंत्री बनने के बाद नवाज़ शरीफ़ ने पाकिस्तान की स्थिति को ईरान से दूर कर दिया, अरब सहयोगियों के साथ संबंध बेहतर किए और ईरान-पाकिस्तान गैस पाइपलाइन परियोजना को भी नज़रअंदाज़ कर दिया।

ईरान-पाकिस्तान तनाव कम होने का भारत पर संभावित प्रभाव

- **सकारात्मक प्रभाव**
 - ✓ **क्षेत्रीय तनाव में कमी:** एक स्थिर ईरान-पाकिस्तान संबंध अधिक शांतिपूर्ण दक्षिण एशियाई क्षेत्र में योगदान दे सकता है, जिससे भारत की पश्चिमी सीमा पर सुरक्षा संबंधी चिंताएँ कम हो सकती हैं और अन्य क्षेत्रीय प्राथमिकताओं पर अधिक ध्यान दिया जा सकता है।

- ✓ **बेहतर व्यापार और पारगमन:** तनाव में कमी ईरान और पाकिस्तान के बीच आर्थिक सहयोग में सहायक हो सकती है, जिससे चाबहार बंदरगाह के माध्यम से मध्य एशिया और मध्य पूर्व तक पहुंच बढ़ने से भारत को लाभ होगा। इससे भारतीय व्यवसायों के लिए नए व्यापार और पारगमन के अवसर खुल सकते हैं।
- **संभावित चुनौतियाँ**
 - ✓ **दीर्घकालीन अविश्वास:** नवीनतम तनाव कम होने के बावजूद, ईरान और पाकिस्तान के बीच ऐतिहासिक तनाव और अविश्वास बना रह सकता है, जिससे स्थिर और सहयोगात्मक संबंध बनाए रखने में चुनौतियाँ उत्पन्न हो सकती हैं। इससे दोनों देशों के साथ मजबूत, स्वतंत्र संबंध बनाने के भारत के प्रयासों पर असर पड़ सकता है।
 - ✓ **छद्म संघर्ष: एक-दूसरे के क्षेत्रों में आतंकवादी समूहों का समर्थन करने के ऐतिहासिक आरोप फिर से उभर सकते हैं,** जिससे संभावित रूप से क्षेत्र अस्थिर हो सकता है। भारत को ऐसे संघर्षों में शामिल किया जा सकता है, जिससे इसकी क्षेत्रीय स्थिरता और सुरक्षा प्रभावित हो सकती है।
 - ✓ **वृहत शक्ति समीकरण:** इस क्षेत्र में चीन की भागीदारी ईरान और पाकिस्तान के साथ संबंधों को संतुलित करने के भारत के प्रयासों को जटिल बना सकती है। भारत के लिए अपनी रणनीतिक स्वायत्तता बनाए रखने के लिए इन भू-राजनीतिक समीकरणों को समझना महत्वपूर्ण है।

ईरान-पाकिस्तान तनाव कम करने में वैश्विक/क्षेत्रीय शक्तियों की भूमिका

भारत

- **क्षेत्रीय प्रभाव हेतु प्रतिस्पर्धा:** भारत और पाकिस्तान के बीच स्थायी प्रतिद्वंद्विता ईरान के साथ उनके संबंधों तक व्याप्त है। ईरान के साथ संबंध मजबूत करने के भारत के प्रयासों को पाकिस्तान अपने क्षेत्रीय प्रभाव के लिए चुनौती के रूप में देख सकता है।

चीन

- **साझा हित:** क्षेत्र में अमेरिकी प्रभुत्व के बारे में साझा चिंताओं के कारण चीन, पाकिस्तान और ईरान के लिए एक महत्वपूर्ण भागीदार बन गया है। आतंकवाद विरोधी और आर्थिक पहल पर सहयोग (विशेष रूप से बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (BRI) के अंतर्गत सहयोग) ने तीनों देशों के बीच संबंधों को मजबूत किया है।
- **मध्यस्थता के प्रयास:** चीन, पाकिस्तान और ईरान के बीच मध्यस्थता में सक्रिय भूमिका निभाता है।

अमेरिका

- **प्रतिस्पर्धी हित:** इस क्षेत्र में अमेरिका के प्रतिस्पर्धी हित हैं, जिसका लक्ष्य ईरानी प्रभाव का मुकाबला करना और पाकिस्तान के साथ अपना गठबंधन बनाए रखना है।

रूस

- **संतुलन प्रयास:** चीन के तरह ही रूस के ईरान और पाकिस्तान के साथ घनिष्ठ संबंध हैं। संभवतः इसने तनाव कम करने को प्रोत्साहित किया।

आगे की राह

- ईरान-पाकिस्तान के बीच तनाव कम होने के बाद भारत की रणनीतिक राह में चुनौतियों और अवसरों का चतुराई से सामना करना शामिल है। क्षेत्रीय सहयोग और व्यापार को बढ़ाने का लक्ष्य रखते हुए, भारत को

अविश्वास और संभावित परोक्ष संघर्षों के प्रति सचेत रहना चाहिए।

- चाबहार बंदरगाह में अपने निवेश का लाभ उठाकर, भारत आर्थिक संबंधों को मजबूत कर सकता है।
- स्थायी सहयोग स्थापित करने के लिए ऐतिहासिक समस्याओं का सक्रिय रूप से संज्ञान लेते हुए ईरान और पाकिस्तान के साथ संबंधों को संतुलित करना रणनीतिक स्वायत्तता को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है।
- चीन और अमेरिका जैसे वैश्विक प्रतिस्पर्धियों के साथ कूटनीतिक रूप से जुड़ने और क्षेत्रीय संघर्षों को कम करने से दक्षिण एशिया अधिक स्थिर हो सकेगा।

2.8. फिलिस्तीनी शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र राहत और कार्य एजेंसी (UNRWA)

संदर्भ

संयुक्त राज्य अमेरिका सहित नौ पश्चिमी देशों, जिन्होंने सामूहिक रूप से वर्ष 2022 के लिए यूएनआरडब्ल्यूए के बजट में 50% से अधिक का योगदान दिया, ने एजेंसी को अपने वित्तीय समर्थन को अस्थायी रूप से निलंबित करने का निर्णय किया है।

फॉर्म का शीर्ष

यूएनआरडब्ल्यूए (UNRWA)

- यूएनआरडब्ल्यूए का मतलब निकट पूर्व में फिलिस्तीनी शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र राहत और कार्य एजेंसी है।
- यह संयुक्त राष्ट्र की एक एजेंसी है जो 1948 के फिलिस्तीन युद्ध और उसके बाद के संघर्षों से विस्थापित फिलिस्तीनी शरणार्थियों, साथ ही उनके वंशजों की राहत और मानव विकास का समर्थन करती है।

स्थापना

- 8 दिसंबर, 1949 को संयुक्त राष्ट्र महासभा संकल्प 302 द्वारा स्थापित।
- 1948 के अरब-इजरायल संघर्ष (नकबा) के दौरान फिलिस्तीनियों के विस्थापन से उत्पन्न मानवीय संकट की प्रतिक्रिया के रूप में शुरू किया गया।
- प्रारंभ में इसकी कल्पना तात्कालिक जरूरतों को पूरा करने के लिए एक अस्थायी एजेंसी के रूप में की गई थी, लेकिन शरणार्थी स्थिति की लंबी प्रकृति के कारण इसका अस्तित्व जारी रहा।

शासनादेश

- प्राथमिक अधिदेश फिलिस्तीन शरणार्थियों के लिए प्रत्यक्ष राहत और कार्य कार्यक्रम प्रदान करने के सिद्धांत पर आधारित है।
- पिछले कुछ वर्षों में शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, सामाजिक सेवाओं और आपातकालीन राहत को शामिल करते हुए जनादेश का विस्तार किया गया है।
- यूएनआरडब्ल्यूए की भूमिका फिलिस्तीनी शरणार्थियों के मानव विकास का समर्थन करने और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने तक विस्तृत हो गई है।

कार्यक्षेत्र

- **पांच क्षेत्रों में काम करता है:** जॉर्डन, लेबनान, सीरिया, वेस्ट बैंक (पूर्वी येरुशलम सहित), और गाजा पट्टी।
- प्रत्येक क्षेत्र में एक निदेशालय होता है जो यूएनआरडब्ल्यूए के कार्यक्रमों और सेवाओं के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार होता है।
- इन क्षेत्रों में एजेंसी की उपस्थिति में फिलिस्तीनी शरणार्थी समुदायों के

साथ सीधा जुड़ाव शामिल है।

फंडिंग

- मुख्य रूप से संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों और अन्य अंतर्राष्ट्रीय दाताओं के स्वैच्छिक योगदान पर निर्भर है।
- फंडिंग, नियमित और आपातकालीन दोनों अपीलों से आती है।

चुनौतियाँ

- इजरायल-फिलिस्तीनी संघर्ष की राजनीतिक जटिलताओं से संबंधित चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है।
- सुरक्षा संबंधी चिंताएँ और कुछ क्षेत्रों में आवाजाही पर प्रतिबंधित सेवाओं की पहुँच को प्रभावित करते हैं।
- जनसांख्यिकीय वृद्धि और शरणार्थी आबादी की बढ़ती ज़रूरतें निरंतर चुनौतियाँ खड़ी करती हैं।
- फंडिंग के स्तर में अस्थिरता एक लगातार चुनौती रही है, जिससे यूएनआरडब्ल्यूए की स्थिर और निरंतर सहायता प्रदान करने की क्षमता प्रभावित हो रही है।

यूएनआरडब्ल्यूए द्वारा दी जाने वाली सेवाएं

- **शिक्षा:** 700 से अधिक स्कूलों का संचालन करता है, जिनमें लगभग 530,000 छात्र पढ़ते हैं। बुनियादी शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण और उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति कार्यक्रम प्रदान करता है।
- **स्वास्थ्य देखभाल:** स्वास्थ्य केंद्रों, क्लीनिकों और अस्पतालों का संचालन करता है, प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल, मातृ देखभाल और टीकाकरण सेवाएं प्रदान करता है।
- **सामाजिक सेवाएँ:** राहत और सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सहित कई प्रकार की सामाजिक सेवाएँ प्रदान करती है।
- **आपातकालीन राहत:** संकट, संघर्ष और आपात स्थितियों पर प्रतिक्रिया, तत्काल राहत, आश्रय और सहायता प्रदान करना।

आलोचना और विवाद

- **राजनीतिकरण:** UNRWA पर राजनीतिक रूप से पक्षपाती होने का आरोप लगाया गया है, कुछ आलोचकों का तर्क है कि इसके संचालक शरणार्थी मुद्दे को बनाए रखने में योगदान करते हैं।
- **कुप्रबंधन:** भ्रष्टाचार और अक्षमता के आरोपों सहित कथित कुप्रबंधन के मामले सामने आए हैं।

सुधार प्रयास

- **सुधार पहल:** यूएनआरडब्ल्यूए ने दक्षता, पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने के लिए विभिन्न सुधार शुरू किए हैं।
- **दाता समन्वय:** अधिक टिकाऊ फंडिंग मॉडल सुनिश्चित करने के लिए दाताओं और हितधारकों के साथ समन्वय में सुधार के लिए काम करता है।

2.9. पश्चिम अफ्रीकी राज्यों का आर्थिक समुदाय (ECOWAS)

संदर्भ

हाल ही में, बुर्किना फासो, माली और नाइजर देशों ने पश्चिम अफ्रीकी ब्लॉक ECOWAS से अपनी तत्काल वापसी की घोषणा की है।

वापसी के कारण

- नाइजर (2023), बुर्किना फासो (2022) और माली (2020) में तख्तापलट के कारण साहेल राष्ट्रों और ECOWAS के बीच तनाव बढ़ गया है। इन देशों को ECOWAS से निलंबन और भारी प्रतिबंधों का सामना करना पड़ा है।
- जिहादी हिंसा और गरीबी से जूझ रहे तीन देशों ने "अलायंस ऑफ साहेल स्टेट्स" का गठन किया और ECOWAS की आलोचना की।
✓ उन्होंने गुट पर बुरे विश्वास का आरोप लगाया, और साहेल से फ्रांसीसी सेना की वापसी ने गिनी की खाड़ी के राज्यों में दक्षिण की ओर फैलने वाले संघर्षों के बारे में चिंताएँ बढ़ा दीं।
- नाइजर के सैन्य शासन द्वारा नियुक्त प्रधान मंत्री ने बातचीत की कमी और भारी आर्थिक प्रतिबंधों पर निराशा व्यक्त करते हुए, एक नियोजित बैठक को टालने के लिए ECOWAS की आलोचना की है।



Source: Research Gate

इकोवास के बारे में

- ECOWAS, एक क्षेत्रीय राजनीतिक एवं आर्थिक समूह है, जिसमें पश्चिम अफ्रीका के 15 देश शामिल हैं।
- इसकी स्थापना 28 मई, 1975 को 15 पश्चिम अफ्रीकी देशों द्वारा लागोस की संधि पर हस्ताक्षर के साथ की गई थी।
- ECOWAS का मुख्य उद्देश्य पश्चिम अफ्रीकी देशों के बीच विकास और स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए अपने सदस्य राज्यों के बीच आर्थिक एकीकरण और सहयोग को बढ़ावा देना है।

इकोवास के लक्ष्य और उद्देश्य

- **आर्थिक एकीकरण:** एक साझा बाजार स्थापित करना और एकल मुद्रा, "इको" को अपनाने के लिए एक रोडमैप का विकास करना।
- **व्यक्तियों, वस्तुओं और सेवाओं की मुक्त आवाजाही:** क्षेत्र के भीतर लोगों, वस्तुओं और सेवाओं की मुक्त आवाजाही को बढ़ावा देना, व्यापार में बाधाओं को दूर करना और आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देना।
- **सीमा पार सहयोग:** अंतरराष्ट्रीय अपराध, अवैध प्रवास और सार्वजनिक स्वास्थ्य चुनौतियों जैसे मुद्दों के समाधान के लिए सीमा पार सहयोग को बढ़ावा देना।

- **संघर्ष की रोकथाम और समाधान:** यह पश्चिम अफ्रीकी क्षेत्र में संघर्ष की रोकथाम, समाधान, शांति स्थापना मिशन और मध्यस्थता प्रयासों में भूमिका निभाता है।
- **कृषि और उद्योग को बढ़ावा देना:** आत्मनिर्भरता और आर्थिक विकास को बढ़ाने के लिए क्षेत्र के भीतर कृषि और उद्योग को विकसित करना और बढ़ावा देना।
- **सामाजिक और सांस्कृतिक एकीकरण:** पश्चिम अफ्रीका में समुदाय और एकजुटता की भावना को मजबूत करने के लिए सदस्य देशों के बीच सामाजिक और सांस्कृतिक एकीकरण को बढ़ावा देना।

ECOWAS के सदस्य राज्य

- बेनिन, बुर्किना फासो, केप वर्ड, आइवरी कोस्ट (कोटे डी आइवर), घाना, गिनी, गिनी-बिसाऊ, लाइबेरिया, माली, नाइजर, नाइजीरिया, सेनेगल, सेरा लिओन, चल देना, गाम्बिया।

नोट: भारत को ECOWAS में पर्यवेक्षक का दर्जा प्राप्त है।

2.10. इथियोपिया और सोमालीलैंड के मध्य बंदरगाह समझौते पर हस्ताक्षर

प्रसंग

हाल ही में, इथियोपिया ने सोमालीलैंड से पृथक हुए क्षेत्र के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसके अनुसार इथियोपिया द्वारा बरबेरा के लाल सागर बंदरगाह का उपयोग किया जा सकता है।

बरबेरा बंदरगाह

- **अवस्थिति:** बरबेरा बंदरगाह अदन की खाड़ी में स्थित है और सोमालीलैंड की वाणिज्यिक राजधानी के रूप में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है।
- **सामरिक महत्व:** बरबेरा बंदरगाह समझौता इथियोपिया को लाल सागर, अदन की खाड़ी और स्वेज नहर तक महत्वपूर्ण पहुंच के साथ-साथ व्यापार के लिए रणनीतिक समुद्री मार्ग प्रदान करता है।
- **ऐतिहासिक संदर्भ:** वर्ष 1993 में इरिट्रिया के पृथक होने के बाद अफ्रीका के दूसरे सबसे अधिक आबादी वाले देश इथियोपिया की अपनी प्रत्यक्ष समुद्री पहुंच समाप्त हो गयी थी। बरबेरा पोर्ट समझौते का उद्देश्य इथियोपिया के समुद्री संपर्क को पुनः स्थापित करना है।

सोमालीलैंड का विवरण

आधिकारिक स्थिति

- सोमालीलैंड, जिसे आधिकारिक तौर पर सोमालीलैंड गणराज्य के रूप में जाना जाता है, **हॉर्न ऑफ अफ्रीका में एक गैर-मान्यता प्राप्त राज्य है।** यद्यपि सोमालीलैंड को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सोमालिया के भाग के रूप में मान्यता प्राप्त है किन्तु इसकी अपनी पृथक सरकार और संस्थान है।

भौगोलिक स्थिति

- यह अदन की खाड़ी के दक्षिणी तट पर स्थित है।
- इसकी सीमा उत्तर-पश्चिम में जिबूती, दक्षिण और पश्चिम में इथियोपिया और पूर्व में सोमालिया से लगती है।
- इसकी राजधानी **हर्गेइसा** है जो सबसे बड़ा शहर है।

राजनीतिक परिदृश्य

- लोकतांत्रिक ढंग से निर्वाचित प्रशासन के द्वारा शासित।
- इसका उद्देश्य सोमालीलैंड गणराज्य की सरकार के रूप में सक्रिय रूप से अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त करना है।
- सोमालीलैंड के चुनिंदा विदेशी सरकारों के साथ अनौपचारिक संबंध हैं जिनके प्रतिनिधिमंडलों का यह हर्गेइसा में स्वागत करता है।

मान्यता और प्रतिनिधित्व

- यह चीन गणराज्य (ताइवान) द्वारा मान्यता प्राप्त है तथा यहाँ कई अन्य देशों, विशेष रूप से इथियोपिया, के प्रतिनिधि कार्यालय स्थित हैं।
- इन संबंधों के बावजूद, सोमालीलैंड की स्व-घोषित स्वतंत्रता को



आधिकारिक मान्यता प्राप्त नहीं हुई है।

सोमालिया के बारे में प्रमुख तथ्य: एक भौगोलिक अवलोकन अवस्थिति

- **अफ्रीका के हॉर्न** में स्थित, सोमालिया उत्तर में अदन की खाड़ी, पूर्व में हिंद महासागर, पश्चिम में केन्या और इथियोपिया और उत्तर पश्चिम में जिबूती से सीमा साझा करता है।

द्वीप

- सोमालिया के तट से दूर स्थित, कई द्वीप इसकी भौगोलिक समृद्धि में योगदान करते हैं। इसमें शामिल है:
- **बाजुनी द्वीप समूह:** सोमाली-केन्या सीमा के पास स्थित है।
- **सोकोत्रा द्वीप समूह:** इसमें सोकोत्रा, अब्द अल कुरी और साम्हा जैसे द्वीप शामिल हैं। यह विचार देने योग्य है कि सोकोत्रा द्वीप समूह, यमन द्वारा प्रशासित किया जाता है।

2.11. अमालेक (Amlek)

संदर्भ

हाल ही में इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय (आईसीजे) में अमालेक के संदर्भ ने फिलिस्तीनियों के खिलाफ हिंसा के लिए नरसंहार के औचित्य के रूप में इसके उपयोग करने के बारे में चिंताएं बढ़ा दी हैं। वकील टेम्बेका न्गुकुकेटोबी ने तर्क दिया कि गाजा में नागरिक हत्याओं को उचित ठहराने के लिए इजरायली सैनिकों द्वारा इसका सक्रिय रूप से आह्वान किया जाता है।

अमालेक और गाजा में इजरायली कार्रवाइयों से इसके संबंध को समझना

- **ऐतिहासिक संदर्भ:** अमालेकियों, अमालेक के वंशज, एक प्राचीन बाइबिल राष्ट्र थे, ऐसा माना जाता है कि मिस्र से भागने के बाद यहूदी लोगों पर हमला करने वाले वे पहले लोग थे। शब्द "अमालेक" एक प्राचीन बाइबिल राष्ट्र और उसके वंशजों को संदर्भित करता है। हिब्रू बाइबिल, विशेष रूप से पलायन और विधिविवरण (Exodus and Deuteronomy) में, इजरायलियों के खिलाफ उनकी हिंसा का वर्णन करता है।
- **सामूहिक दंड के लिए बाइबिल का औचित्य:** हिब्रू बाइबिल "सामूहिक दंड" पर जोर देते हुए, अमालेक के विनाश का प्रावधान करती है। यह यहूदी लोगों को अपनी याददाश्त मिटाने का निर्देश देती है। पैगंबर सैमुअल द्वारा निर्देशित राजा शाऊल को अमालेक का अस्तित्व मिटाने का आदेश दिया गया है, जिसमें पुरुषों, महिलाओं, शिशुओं और जानवरों सहित किसी को भी नहीं बर्खा जाएगा।
- **'अमालेक के रूप में अन्य':** पूरे इतिहास में, रब्बीनिक विद्वानों ने यहूदी परंपरा में अमालेक को बुराई के अवतार के रूप में चित्रित किया है।

समाजशास्त्री गेराल्ड क्रॉमर का कहना है कि यह वर्णन यहूदी लोगों के लिए खतरा बनने वाले अन्य देशों या समूहों के लिए एक रूपक की तरह प्रयोग किया जाता है। नेतन्याहू का आह्वान ऐतिहासिक उत्पीड़न को उजागर करने और क्रूर सामूहिक प्रतिशोध को उचित ठहराने के लिए है।

- **आधुनिक उदाहरण:** वर्ष 1994 में, इजरायली चरमपंथी भरूच गोल्डस्टीन ने इस विश्वास से प्रेरित होकर कि फिलिस्तीनी अमालेकवासी थे, निहत्थे फिलिस्तीनियों की हत्या की। गोल्डस्टीन का मकबरा इजरायली अति-दक्षिणपंथियों के लिए एक तीर्थ स्थल बन गया है। फिलिस्तीनियों को अमालेकियों के रूप में चित्रण करने की दक्षिणपंथी इजरायली निवासियों की प्रवृत्ति के घातक परिणाम हुए हैं।

निष्कर्ष

- ऐतिहासिक और समकालीन समय में, अमालेक कथा का उपयोग, फिलिस्तीनियों के खिलाफ हिंसा और सामूहिक दंड को उचित ठहराने की इसकी संभावना के बारे में चिंता पैदा करता है।

Our Other Programmes

UPSC PRELIMS + MAINS
FOUNDATION BATCH 2025
English Medium

Fee : ~~₹10,000/-~~ ₹8,500/-

Register Now

By Khan Sir & Team



करेंट अफेयर्स
UPSC (Prelims) 2024

हिंदी माध्यम Live Batch

Offer Fee ₹699/-

Register Now



Current Affairs
UPSC (Prelims) 2024

English Medium Live Batch

Offer Fee ₹699/-

Register Now



Scan to Know More

3. अर्थव्यवस्था

3.1. भारत में सार्वजनिक ऋण पर (IMF) की रिपोर्ट

संदर्भ

अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) ने अपने नवीनतम अनुच्छेद IV परामर्श के अंतर्गत भारत को चेतावनी का संकेत दिया है कि प्रतिकूल परिस्थितियों में सरकारी ऋण वित्तीय वर्ष 2027-28 तक सकल घरेलू उत्पाद के 100 प्रतिशत तक पहुँच सकता है।

भारत के संबंध में आईएमएफ के अनुच्छेद IV परामर्श के मुख्य बिंदु

- आईएमएफ ने भारत के साथ अनुच्छेद IV परामर्श पर अपनी रिपोर्ट में भारत के ऋणों की दीर्घकालिक स्थिरता से संबंधित चिंताओं को बढ़ा दिया है।
- इसमें कहा गया है कि केंद्र और राज्यों सहित भारत का सामान्य सरकारी ऋण वित्तीय वर्ष 2027-28 तक प्रतिकूल परिस्थितियों में सकल घरेलू उत्पाद के 100 प्रतिशत तक पहुँच सकता है।
- इसमें इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि बजट घाटा कम होने के बावजूद सामान्य सरकारी ऋण उच्च स्तर पर बना हुआ है, जिसके कारण राजकोषीय बफर को पुनः मजबूत करने की आवश्यकता है।
- इस संबंध में, आईएमएफ के कार्यकारी बोर्ड ने उच्च सार्वजनिक ऋण स्तर और आकस्मिक देयता जोखिमों को देखते हुए “महत्वाकांक्षी मध्यम अवधि के समेकन प्रयासों” की सिफारिश की है।
- बोर्ड ने अधिकारियों को पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देने और भारत के विकास लक्ष्यों के साथ नीतियों को संरेखित करने के लिए एक मजबूत मध्यम अवधि के वित्तीय ढांचे को स्थापित करने के लिए भी प्रोत्साहित किया।

आईएमएफ के अनुच्छेद IV परामर्श

- आईएमएफ, अपने समझौते के अनुच्छेद IV के तहत, प्रत्येक वर्ष अपने सदस्यों के साथ द्विपक्षीय चर्चा करता है।
- इसके तहत एक स्टाफ टीम संबंधित देश का दौरा करती है, आर्थिक और वित्तीय जानकारी एकत्र करती है, और शीर्ष अधिकारियों के साथ देश के आर्थिक विकास और नीतियों पर चर्चा करती है।
- मुख्यालय लौटने पर, कर्मचारी एक रिपोर्ट तैयार करते हैं, जो आईएमएफ के कार्यकारी बोर्ड द्वारा चर्चा का आधार बनता है।

सरकार की प्रतिक्रिया

- सरकार ने इस बात को स्पष्ट किया कि यह रिपोर्ट केवल सबसे खराब परिदृश्य की बात करती है जो कि वास्तविक नहीं है।
- इसमें बताया गया है कि आईएमएफ द्वारा दिए गए विभिन्न अनुकूल और प्रतिकूल परिदृश्यों के बीच, एक चरम स्थिति की संभावना के तहत, जैसे- एक सदी में एक बार होने वाली कोविड-19 महामारी की संभावना, ऐसी परिस्थिति में वित्तीय वर्ष 2027-28 तक प्रतिकूल झटकों के कारण सामान्य सरकारी ऋण ‘ऋण-जीडीपी अनुपात का 100 प्रतिशत’ तक हो सकता है।
- ✓ इस बात पर भी प्रकाश डाला गया है कि यह रिपोर्ट बताती है कि अनुकूल परिस्थितियों में, सामान्य सरकारी ऋण-जीडीपी अनुपात उसी अवधि में 70% से नीचे आ सकता है।

- ऋण स्तरों पर अन्य देशों के साथ तुलना को साझा करते हुए, सरकार ने जोर देकर कहा कि “भारत ने अपेक्षाकृत अच्छा प्रदर्शन किया है” और ऋण का स्तर वित्तीय वर्ष 2020-21 के लगभग 88 प्रतिशत की तुलना में “तेजी से” गिरकर वित्तीय वर्ष 2022-23 में लगभग 81 प्रतिशत तक हो गया, जो कि अभी भी वर्ष 2002 के ऋण स्तर से नीचे है।
- ✓ रिपोर्ट में यह भी उल्लेख किया गया है कि अमेरिका, ब्रिटेन और चीन के लिए ‘सबसे खराब स्थिति’ से संबंधित आँकड़े क्रमशः 160 प्रतिशत, 140 प्रतिशत और 200 प्रतिशत रहे हैं, जो भारत के 100 प्रतिशत की तुलना में कहीं अधिक खराब है।
- सरकार द्वारा इस बात पर बल दिया गया कि इस सदी में भारत के समक्ष (जैसे वैश्विक वित्तीय संकट, टेपर ट्रैडिंग, कोविड-19, रूस-यूक्रेन युद्ध, आदि) उत्पन्न चुनौतियाँ वैश्विक थीं तथा इसने पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को समान रूप से प्रभावित किया है।

सरकारी ऋण

- सरकारी ऋण वर्ष या तिमाही के अंत में बकाया कुल सकल ऋण है जो कि सरकारी उपक्षेत्रों के मध्य और इसके ही अंतर्गत समेकित होता है। इसमें केंद्र और राज्य सरकार दोनों का ऋण शामिल है।
- केंद्र और राज्य सरकारों का संयुक्त ऋण वित्तीय वर्ष 2020-21 में 88 प्रतिशत के मुकाबले वित्तीय वर्ष 2022-23 में सकल घरेलू उत्पाद का 81 प्रतिशत था, जो कि राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन (FRBM) अधिनियम द्वारा निर्दिष्ट स्तरों से कहीं अधिक है।
- एफआरबीएम अधिनियम, 2003 : इसके अंतर्गत सरकार के लिए राजकोषीय घाटे, राजस्व घाटे और सार्वजनिक ऋण को कम करने, सरकार के राजकोषीय संचालन में अधिक पारदर्शिता लाने के लिए लक्ष्य को निर्धारित किया गया है।
- ✓ सरकार एफआरबीएम अधिनियम को लाने के वर्षों बाद भी इसके लक्ष्यों को प्राप्त करने में असफल रही है तथा यह अधिनियम कई बार संशोधित किया गया है।
- ✓ वर्ष 2016 में, एनके सिंह की अध्यक्षता में एफआरबीएम समीक्षा समिति द्वारा अधिनियम में कुछ संशोधनों की सिफारिश की गयी, जिसमें से महत्वपूर्ण संशोधन इस प्रकार है:
 - इसने वर्ष 2023 तक सामान्य रूप से (संयुक्त) सरकार के लिए ऋण-जीडीपी अनुपात को 60 प्रतिशत तक करने की सिफारिश की, जिसमें यह अनुपात केंद्र सरकार के लिए 40 प्रतिशत और राज्य सरकारों के लिए 20 प्रतिशत पर रखने की सिफारिश शामिल है।

- इसमें एक «एस्केप क्लॉज» का भी प्रावधान किया गया, जिसके तहत केंद्र सरकार विशेष परिस्थितियों के दौरान लचीले ढंग से राजकोषीय घाटे के लक्ष्य का पालन कर सकती है।
- वर्ष 2020 में, कोविड-19 महामारी के आने के कारण सरकार ने इस लक्ष्य में छूट देने की अनुमति हेतु एस्केप क्लॉज का प्रयोग किया जिस कारण राजकोषीय लक्ष्यों को आगे बढ़ा दिया गया।

सार्वजनिक ऋण में वृद्धि के लिए उत्तरदायी कारक

- **सब्सिडी बिल में वृद्धि:** सरकार द्वारा दी जाने वाली सब्सिडी, जैसे कि खाद्य, ईंधन और उर्वरक के लिए प्रदत्त सब्सिडी, यदि प्रभावी ढंग से प्रबंधित नहीं की जाती है, तब ऐसी परिस्थिति में राजकोषीय लक्ष्य प्रभावित हो सकते हैं।
 - ✓ सरकार ने हाल ही में 80 करोड़ से अधिक भारतीयों को मुफ्त खाद्यान्न उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना (PMGKAY) का विस्तार किया है। इस योजना के विस्तार से सरकारी कोष पर 11.8 लाख करोड़ रुपये का वित्तीय बोझ पड़ेगा।
 - ✓ अक्टूबर, 2023 के अंत तक 44,000 करोड़ रुपये की बजटीय उर्वरक सब्सिडी लगभग समाप्त हो गई थी, जिसे केंद्र सरकार ने बढ़ाकर अब 57,360 करोड़ रुपये कर दिया है।
 - ✓ मनरेगा के लिए अतिरिक्त निधि: 60,000 करोड़ रुपये के बजटीय परिव्यय के मुकाबले 19 दिसंबर, 2023 तक 79,770 करोड़ रुपये की राशि पहले ही खर्च की जा चुकी है और अनुदान की पहली अनुपूरक मांग के माध्यम से 14,520 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि आवंटित की गई है।
- **राज्य सरकारों द्वारा प्रदत्त निशुल्क सेवाएँ:** चुनावी वर्षों के दौरान, मुफ्त बिजली, कृषि ऋणों की माफी, मुफ्त सार्वजनिक परिवहन, पुरानी पेंशन योजना के कार्यान्वयन आदि ने राज्यों की राजकोषीय स्थिति को प्रभावित किया है।
- **कोविड-19- से उत्पन्न व्यवधान:** कोविड-19- से उत्पन्न व्यवधान के कारण उत्पन्न आर्थिक मंदी के परिणामस्वरूप कर संग्रह में कमी आई है, जिसके कारण ऋण लेने के विकल्प का प्रयोग किए बिना अपने व्यय के वित्तपोषण सरकार की क्षमता कम हुई है।
- **ब्याज भुगतान का दुष्पक्र:** मौजूदा ऋण के भुगतान के लिए सरकार द्वारा नियमित रूप से भुगतान किया जाता है। ऋण में वृद्धि के कारण सरकार के बजट परिव्यय का एक बड़ा हिस्सा ब्याज भुगतान के लिए प्रयोग किया जाता है, जिससे अन्य खर्चों के लिए सरकार के पास कम राशि उपलब्ध होती है जिसके परिणामस्वरूप भविष्य में उधार लेने की संभावना और अधिक बढ़ जाती है।

बढ़ते ऋण स्तर रोकने के लिए सरकारी उपाय

- **राजकोषीय सुदृढीकरण:** सदी में एक बार देखे जाने वाली महामारी और अन्य वैश्विक प्रतिकूलताओं के बावजूद, सरकार द्वारा राजकोषीय घाटे को कम करने और सार्वजनिक ऋण की वृद्धि को नियंत्रित करने

के लिए राजकोषीय समेकन की अवधारणा पर बल दिया गया है।

- **राजस्व को बढ़ाने के उपाय:** सरकार ने राजस्व सृजन को बढ़ाने के साथ-साथ कर आधार को व्यापक बनाने के लिए कई उपायों को लागू किया है। इसमें जीएसटी जैसे कर सुधारों को लागू करना, कर प्रशासन को सुव्यवस्थित करना, कर चोरी और वर्जन का समाधान करना और राजस्व प्राप्त करने के प्रयासों को बढ़ाने के लिए अनुपालन को बढ़ावा देना शामिल है।
- **पूँजीगत व्यय (Capex) में वृद्धि:** पिछले साल के बजट में, सरकार ने वित्तीय वर्ष 2024 के लिए पूँजीगत व्यय में 10 लाख करोड़ रुपये की रिकॉर्ड वृद्धि की घोषणा की थी, जो वित्तीय वर्ष 2023 के 7.28 लाख करोड़ रुपये की तुलना में 37.4 प्रतिशत अधिक है।
 - ✓ नॉमिनल जीडीपी के प्रतिशत के रूप में समग्र सकल स्थिर पूँजी निर्माण भी एक दशक के उच्चतम स्तर %34 पर पहुंच गया है।
- **सार्वजनिक संपत्ति का प्रबंधन:** सरकार ने मूल्य निर्धारण (Unlock) करने, अतिरिक्त संसाधन जुटाने और राजकोषीय बोझ को कम करने के लिए सार्वजनिक संपत्तियों का लाभ उठाने और गैर-प्रमुख संपत्तियों का विनिवेश करने पर ध्यान केंद्रित किया है।
 - ✓ इसमें राज्य के स्वामित्व वाले उद्यमों का निजीकरण, सार्वजनिक अवसंरचना संपत्तियों का मुद्रीकरण, और राजकोषीय स्थिरता को बढ़ाने के लिए सार्वजनिक संसाधनों के प्रबंधन को अनुकूलित करना शामिल है।
 - ✓ सरकार ने आगामी चार वर्षों वित्त वर्ष 2022 से 2025 तक-कोर परिसंपत्तियों का मुद्रीकरण करके 6 लाख करोड़ रुपये के लक्ष्य के साथ राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन (NMP) शुरूआत की है।
- **व्यापक आर्थिक स्थिरता:** भारत ने राजकोषीय स्थिरता का समर्थन करने के लिए व्यापक आर्थिक स्थिरता बनाए रखने को प्राथमिकता दी है। इसमें ठोस मौद्रिक नीतियां अपनाना, मुद्रास्फीति के अनुमानों का प्रबंधन करना, विनिमय दर स्थिरता बनाए रखना और स्थायी राजकोषीय परिणामों के लिए अनुकूल वातावरण बनाने के लिए वित्तीय स्थिरता को बढ़ावा देना शामिल है।

आगे की राह

- हालाँकि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) के ऋण अनुमानों को मध्यम अवधि के सबसे खराब परिदृश्य के रूप में देखा जा सकता है, जबकि चुनावी वर्ष में राजकोषीय सुधार की दिशा पर बने रहने की अल्पकालिक चुनौती सबसे खराब परिदृश्य से बचने में काफी सहायता कर सकती है।
- इस प्रकार, अधिक निजी क्षेत्र के निवेश को लाना, और घाटे को इस वर्ष के अनुमानित 5.9 प्रतिशत से वित्तीय वर्ष 2025-26 तक जीडीपी के 4.5 प्रतिशत तक लाने की अपनी प्रतिबद्धता पर बने रहने के लिए ऋण लेने की दर के उच्च स्तर को कम करना, भारत की राजकोषीय स्थिरता बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है।

3.2. भारत में खाद्य मुद्रास्फीति का डी-ग्लोबलाइजेशन

संदर्भ

वैश्विक खाद्य कीमतें (वर्ष 2022 के उच्चतम स्तर से) पिछले एक साल में कम हो गई हैं, जबकि भारत में खाद्य मुद्रास्फीति स्थिर और ऊंची बनी हुई है।

मुख्य विवरण

- यूक्रेन पर रूस के आक्रमण के दौरान एफएओ के खाद्य मूल्य सूचकांक पर आधारित वैश्विक खाद्य मुद्रास्फीति वर्ष 2022 में चरम पर पहुंचने के बाद से काफी गिर गई है।
- सूचकांक वर्ष 2022 में औसतन 143.7 अंक से गिरकर वर्ष 2023 में 124 अंक हो गया है, जो 13.7% की गिरावट दर्शाता है।
- यदि कोई दिसंबर 2023 के मासिक मूल्य (118.5 अंक) की तुलना रूस-यूक्रेन युद्ध छिड़ने के तुरंत बाद मार्च 2022 (159.7 अंक) के सर्वकालिक उच्च स्तर से करता है, तो गिरावट और भी अधिक (25.8%) है।
- नवंबर 2022 से वैश्विक खाद्य मुद्रास्फीति नकारात्मक स्थिति में है, भारत के साथ यह विपरीत है।
- भारत के आधिकारिक उपभोक्ता खाद्य मूल्य सूचकांक (CFPI) ने दिसंबर 2023 में लगातार मुद्रास्फीति 9.5% दर्ज की जबकि एफएफपीआई शून्य से 10.1% कम है।

एफएओ खाद्य मूल्य सूचकांक (FFPI)

- एफएफपीआई खाद्य वस्तुओं की एक समूह हेतु वैश्विक कीमतों में मासिक परिवर्तन को मापता है।
- इसमें पांच वस्तु समूह मूल्य सूचकांकों का औसत शामिल है, जो वित्तीय वर्ष 2014-2016 तक प्रत्येक समूह के औसत निर्यात शेरों द्वारा भारित है।
- आधार अवधि संशोधन: एफएफपीआई ने जुलाई 2020 में आधार अवधि में संशोधन किया और मूल्य दायरा का विस्तार किया।

भारत में खाद्य मुद्रास्फीति के डी-ग्लोबलाइजेशन में योगदान देने वाले कारक

- **वस्तुओं में आत्मनिर्भरता:** अनाज, चीनी, डेयरी और पोल्ट्री जैसी वस्तुओं में भारत की आत्मनिर्भरता भारत में घरेलू कीमतों पर वैश्विक मुद्रास्फीति के प्रसार को कम करती है।
- **सीमित आयात निर्भरता:** भारत में घरेलू कीमतों पर वैश्विक मुद्रास्फीति के ऐसे प्रसार की गुंजाइश काफी हद तक खाद्य तेलों और दालों तक सीमित है, जिसमें भारत काफी हद तक आयात पर निर्भर है।
 - ✓ **खाद्य तेलों के मामले में,** भारत अपनी वार्षिक खपत आवश्यकता का 60% से अधिक आयात करता है।
- **निर्यात-आधारित मुद्रास्फीति और सरकारी हस्तक्षेप:** शुरुआत में, उच्च वैश्विक कीमतों ने निर्यात को प्रोत्साहित किया, जिससे घरेलू कमी और मुद्रास्फीति हुई। हालांकि, गेहूं, चावल, चीनी और प्याज के निर्यात पर सरकार के रणनीतिक प्रतिबंध ने इस संबंध को तोड़ दिया, जिससे निर्यात-प्रेरित मुद्रास्फीति को रोका जा सका।
- **कम वैश्विक कीमतों का प्रभाव:** वर्तमान कम वैश्विक कीमतों (विशेष रूप से दालों और पाम तेल जैसे प्रमुख आयातों के लिए) ने भी भारत के लिए आयातित मुद्रास्फीति के जोखिम को व्यावहारिक रूप से खारिज कर दिया है।

- **बाहरी कारकों का सीमित प्रभाव:** स्वेज नहर के माध्यम से जहाजों की आवाजाही पर यमन के हूती हमलों जैसे बाहरी मामलों का भारत में खाद्य पदार्थों के आयात पर न्यूनतम प्रभाव पड़ता है, जिससे घरेलू कीमतों पर उनका प्रभाव कम हो जाता है।
 - ✓ दालों के मामले में, अरहर और उड़द मुख्य रूप से मोजाम्बिक, तंजानिया, मलावी और म्यांमार से आते हैं, मसूर ऑस्ट्रेलिया और कनाडा से आते हैं। इनकी दुलाई स्वेज नहर मार्ग से नहीं होती है।
 - ✓ खाद्य तेल में भी, इंडोनेशिया और मलेशिया से पाम तेल तथा अर्जेंटीना और ब्राजील से सोयाबीन का आयात, दक्षिण अटलांटिक और हिंद महासागर के माध्यम से किया जाता है।
- **घरेलू कारकों का प्रभुत्व:** खाद्य मुद्रास्फीति का भविष्य का चक्र मुख्य रूप से घरेलू कारकों द्वारा संचालित होने की उम्मीद है, जो वैश्विक मूल्य गतिविधि पर उत्पादन प्रतिफल पर जोर देता है।

भारत में खाद्य मुद्रास्फीति की चुनौतियाँ/प्रतिकूल परिस्थितियाँ

बाह्य कारक

- **यमन के हूती हमले:** इन हमले से प्रमुख आयात मार्ग अप्रभावित रहे, लाल सागर के हमलों ने रूस और यूक्रेन से सूरजमुखी तेल के आयात को प्रभावित किया है।
 - ✓ इनका प्रभाव न्यूनतम है क्योंकि भारत के कुल 16.5 मिलियन टन खाद्य तेल आयात में सूरजमुखी की हिस्सेदारी केवल 3 मिलियन टन है।
- **दुलाई लागत में वृद्धि:** हूती हमलों ने जहाजों को केप ऑफ गुड होप के माध्यम से लंबे मार्गों पर चलने के लिए मजबूर कर दिया है, इस प्रकार 15-20 दिनों की यात्रा का समय और माल दुलाई लागत में 18-20 डॉलर प्रति टन बढ़ गया है।

घरेलू कारक

- **उच्च घरेलू उत्पादन की आवश्यकता:** कम वैश्विक कीमतें मजबूत घरेलू उत्पादन (विशेषकर अनाज, दालों और चीनी का) के बिना खाद्य मुद्रास्फीति को कम नहीं कर सकती हैं।
- **अनाज:** गेहूं की बढ़ी बुआई के बावजूद, अनाज बनने और भरने के दौरान गर्मी के तनाव को लेकर चिंता बनी हुई है, जिससे समय से पहले पकने के कारण संभावित उपज के नुकसान का खतरा है, जैसा कि वित्तीय वर्ष 2021-22 की फसल के साथ हुआ था।
 - ✓ बेमौसम भारी बारिश के कारण खड़ी फसल खराब हो जाती है, जिससे सरकार के अनाज भंडार पर और दबाव पड़ता है, जो पहले से ही सात साल के निचले स्तर पर है।
- **दाल:** पिछले साल की तुलना में इस रबी सत्र (season) में बुआई कम

होने के कारण दालों की मौजूदा ऊंची कीमतें और बढ़ सकती हैं।

- **चीनी:** छह साल के निचले स्टॉक के साथ नए सत्र की शुरुआत और वास्तविक उत्पादन में अनिश्चितता से भविष्य में चीनी की कीमतों पर असर पड़ने की संभावना है।

निष्कर्ष

- अंतर्राष्ट्रीयकीमतों में गिरावट के बावजूद भारत की खाद्य मुद्रास्फीति

वैश्विक प्रवृत्ति से अलग है और ऊंची बनी हुई है। यह अनोखी स्थिति आयात पर सीमित निर्भरता, निर्यात प्रतिबंधों और गेहूं, दालों और चीनी जैसे प्रमुख खाद्य पदार्थों के घरेलू उत्पादन के बारे में चिंताओं से प्रेरित है।

- घरेलू उत्पादन को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करना और रणनीतिक उपाय अपनाना मौजूदा चुनौतियों पर अंकुश लगाने और आने वाले महीनों में खाद्य कीमतों को स्थिर करने के लिए आवश्यक है।

3.3. पूंजीगत व्यय में वृद्धि

संदर्भ

केंद्र सरकार द्वारा वित्त वर्ष 2023-24 के बजट में पूंजीगत व्यय के लिए सकल घरेलू उत्पाद(जीडीपी) के 3 प्रतिशत से अधिक अर्थात् 10 लाख करोड़ रुपये से अधिक का आवंटन किया गया है। इस कदम से प्रेरित होकर, राज्यों द्वारा भी पूंजीगत व्यय (capital expenditure) में उल्लेखनीय वृद्धि की गयी है। साथ ही, राज्य अब राजकोषीय सुदृढ़ीकरण की ओर बढ़ रहे हैं।

मुख्य निष्कर्ष

- राज्य सरकारें सामूहिक रूप से कुल प्रमुख सरकारी व्यय के 3/5वें भाग से अधिक के लिए उत्तरदायी हैं। उनके द्वारा ऐतिहासिक रूप से राजस्व व्यय पर ध्यान केंद्रित किया जाता रहा है।
- हालाँकि, वित्त वर्ष 2023-24 में पूंजीगत व्यय में महत्वपूर्ण वृद्धि होने के साथ एक उल्लेखनीय परिवर्तन भी हुआ है, जो पूर्ववर्ती रुझान से विचलन को दर्शाता है।
- अप्रैल-नवंबर 2023 की अवधि के दौरान राज्यों (अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मणिपुर और मेघालय को छोड़कर) के पूंजीगत परिव्यय में 45.7 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जबकि राजस्व व्यय में 9.3 प्रतिशत की मामूली वृद्धि हुई।
- कुल व्यय के लिए पूंजीगत परिव्यय के अनुपात से मापी गई व्यय की गुणवत्ता, इस अवधि के दौरान आठ साल के उच्चतम 14.1 प्रतिशत पर पहुंच गई।

19.5 प्रतिशत की मजबूत वृद्धि दर्ज की गयी।

- नॉमिनल जीडीपी वृद्धि धीमी होने के बावजूद, कुशल कर प्रशासन और अर्थव्यवस्था के बढ़ते औपचारिकीकरण के कारण राज्यों के कर राजस्व में तेजी आई है।

बढ़े हुए पूंजीगत व्यय का प्रभाव

सकारात्मक प्रभाव

1. आर्थिक विकास में तेजी

- **अवसंरचना विकास:** उच्च पूंजीगत व्यय प्रायः अवसंरचना परियोजनाओं में बढ़े हुए निवेश के रूप में परिलक्षित होता है, जिससे आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलता है।
- **रोजगार सृजन:** बुनियादी ढांचा परियोजनाएं रोजगार सृजित करती हैं, जिससे बेरोजगारी दर में कमी आती है।

2. उत्पादकता और प्रतिस्पर्धात्मकता में वृद्धि

- **तकनीकी प्रगति:** पूंजीगत व्यय समग्र उत्पादकता को बढ़ाने, उन्नत प्रौद्योगिकियों के अधिग्रहण करने और लागू करने की दिशा में किया जाता है।
- **वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता:** बेहतर तकनीक और दक्षता वैश्विक मंच पर प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने में योगदान करती है।

3. उद्योगों पर गुणक प्रभाव

- **आपूर्ति श्रृंखला पर प्रभाव:** पूंजीगत परियोजनाओं में निवेश का आपूर्ति श्रृंखला के भीतर विभिन्न उद्योगों पर कई गुना प्रभाव पड़ता है।
- **आर्थिक विविधीकरण:** पूंजीगत व्यय आर्थिक गतिविधियों में विविधता लाता है, जिससे विशिष्ट क्षेत्रों पर निर्भरता कम हो जाती है।

4. उन्नत सार्वजनिक सेवाएँ

- **गुणवत्तापूर्ण अवसंरचना:** उच्च पूंजीगत व्यय परिवहन, स्वास्थ्य देखभाल और शिक्षा सुविधाओं जैसी गुणवत्तापूर्ण सार्वजनिक अवसंरचना के विकास को सक्षम बनाता है।
- **जीवन स्तर में सुधार:** बेहतर सार्वजनिक सेवाओं का नागरिकों के

पूंजीगत व्यय में वृद्धि को प्रेरित करने वाले कारक

निधियों का अग्रिम निर्गमन

- मासिक कर हस्तांतरण और पूंजीगत सहायता पर विशेष योजना के लिए समय पर धन के व्यय ने राज्यों के पूंजीगत व्यय में वृद्धि की है।

विशेष सहायता योजना

- केंद्र सरकार ने नवंबर 2023 तक विशेष सहायता योजना के तहत 973.74 बिलियन रुपये के पूंजीगत व्यय को स्वीकृति दी है जबकि 590.3 बिलियन रुपये जारी किए हैं।
- इस योजना का उद्देश्य राज्यों को पूंजीगत निवेश में सहायता के माध्यम से पूंजीगत व्यय में वृद्धि में योगदान करना है।

राज्यों के राजस्व में उछाल

- राज्यों के कर राजस्व (SOTR) और गैर-कर राजस्व (SONTR) में वित्तीय वर्ष के पहले आठ माह के दौरान क्रमशः 11.5 प्रतिशत और

जीवन की गुणवत्ता पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है।

पूँजीगत व्यय से जुड़ी चिंताएँ

1. बजटीय तनाव

- **राजकोषीय घाटे की चिंताएँ:** निरंतर उच्च पूँजीगत व्यय के कारण राजकोषीय घाटा बढ़ सकता है। यह प्रभावी बजट प्रबंधन के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकता है।
- **ऋण संचयन:** पूँजीगत परियोजनाओं के लिए उधार लेने से ऋण के बोझ में वृद्धि हो सकती है, जो देश के समग्र वित्तीय स्थिति को प्रभावित करता है।

2. मुद्रास्फीति का दबाव

- **मांग-आपूर्ति असंतुलन:** व्यापक पूँजीगत व्यय अर्थव्यवस्था में मांग-आपूर्ति असंतुलन पैदा कर सकता है, जिससे मुद्रास्फीति बढ़ने की संभावना होती है।
- **बढ़ी हुई लागत:** उच्च सरकारी व्यय से संसाधनों की लागत में वृद्धि हो सकती है, जो मुद्रास्फीति के दबाव में योगदान कर सकती है।

3. संसाधनों का गलत आवंटन

- **कुप्रबंधन जोखिम:** पूँजीगत परियोजनाओं के अनुपयुक्त नियोजन और क्रियान्वयन के परिणामस्वरूप संसाधनों का गलत आवंटन हो सकता है।

- **अकुशल निवेश:** यदि पूँजीगत व्यय को उत्पादक परिसंपत्तियों में निवेशित नहीं किया जाता है, तब इससे संसाधनों का आवंटन व्यर्थ हो सकता है।

श्रेणी	प्रकृति	उदाहरण	उद्देश्य	प्रभाव
राजस्व व्यय	चालू, दैनिक खर्च	वेतन, पेंशन, ब्याज भुगतान, सब्सिडी	मौजूदा बुनियादी ढांचे और सेवाओं को बनाए रखना	अल्पकालिक फोकस, तत्काल उपभोग
पूँजीगत व्यय	लंबी अवधि की परिसंपत्तियों में निवेश	बुनियादी ढांचे का विकास, निर्माण परियोजनाएं	भविष्य के विकास के लिए परिसंपत्तियों निर्माण या उन्हें बढ़ाना	दीर्घकालिक फोकस आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करता है

राजकोषीय घाटा सरकार की कुल आय और कुल व्यय के बीच का अंतर है। यह उस स्थिति को दर्शाता है जहां सरकार का खर्च उसकी आय से अधिक हो जाता है।

- **सरकारी व्यय:** इसे दो प्रकारों में विभाजित किया जा सकता है; पूँजीगत और राजस्व व्यय।

3.4. राज्य गारंटी पर आरबीआई दिशा-निर्देश

संदर्भ

हाल ही में, भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा गठित एक कार्य समूह ने राज्य सरकारों द्वारा प्रदान की गई गारंटी से जुड़ी चिंताओं को हल करने के लिए विशिष्ट सिफारिशें दी हैं। इन सुझावों से राज्य सरकारों द्वारा बेहतर वित्तीय प्रबंधन को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।

गारंटी क्या है?

- 'गारंटी' एक कानूनी प्रतिबद्धता है जिसमें राज्य भुगतान करने, निवेशक या ऋणदाता को उधारकर्ता के संभावित डिफॉल्ट जोखिम से बचाने की जिम्मेदारी लेता है। भारतीय अनुबंध अधिनियम (1872) के अनुसार, यह एक अनुबंध है जिसमें तीन पक्ष शामिल होते हैं: मुख्य देनदार, लेनदार और ज़मानतदार। मुख्य देनदार डिफॉल्ट के जोखिम वाली इकाई है, लेनदार गारंटी का प्राप्तकर्ता है, और गारंटी प्रदान करने वाली इकाई (इस संदर्भ में राज्य सरकारें) को 'ज़मानत' कहा जाता है।
- ऐसे परिदृश्य में जहां A, B को सामान या सेवाएं प्रदान करता है, और B सहमत भुगतान को पूरा करने में विफल रहता है, B को डिफॉल्ट माना जाता है और बकाया ऋण के लिए कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। इस बिंदु पर, C हस्तक्षेप करता है, B की ओर से भुगतान को कवर करने का वचन देता है, और A गारंटी का गठन करते हुए इस व्यवस्था से सहमत होता है।

गारंटी का उद्देश्य क्या है?

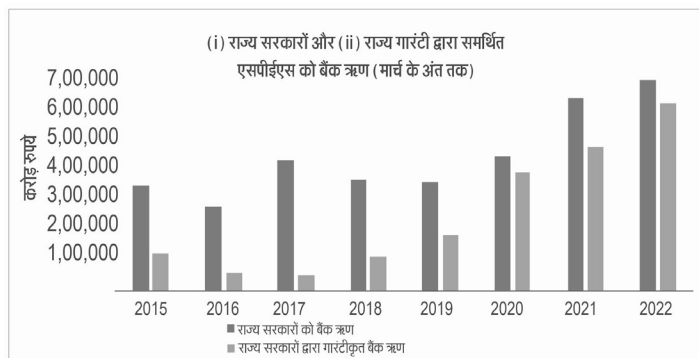
- राज्य स्तर पर 'गारंटी' के प्राथमिक उद्देश्य में तीन महत्वपूर्ण परिदृश्य शामिल हैं।

- सबसे पहले, द्विपक्षीय या बहुपक्षीय एजेंसियों से रियायती ऋण प्राप्त करने के लिए संप्रभु गारंटी आवश्यक हो जाती है, खासकर सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लिए।
- दूसरे, गारंटियों का उपयोग उन परियोजनाओं या गतिविधियों की व्यवहार्यता बढ़ाने के लिए किया जाता है जो महत्वपूर्ण सामाजिक और आर्थिक लाभ प्रदान करने की क्षमता रखते हैं।
- अंत में, गारंटी का उपयोग सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को कम ब्याज दरों पर या अधिक अनुकूल शर्तों के तहत संसाधनों को सुरक्षित करने में सुविधा प्रदान करने के लिए किया जाता है।

परिणाम

- **वित्तीय सुविधा:** गारंटियों को उनके वित्तीय लचीलेपन के लिए प्राथमिकता दी जाती है, जिससे संस्थाओं को अग्रिम नकद भुगतान की तत्काल आवश्यकता के बिना समर्थन सुरक्षित करने की अनुमति मिलती है।
- **राजकोषीय जोखिम:** अनुकूल परिस्थितियों में अहानिकर प्रतीत होने वाली गारंटियाँ, आर्थिक चुनौतियों के दौरान महत्वपूर्ण राजकोषीय जोखिम पैदा करती हैं, जिससे अप्रत्याशित नकदी बहिर्वाह और ऋण में वृद्धि होती है।

- **लागत का अनुमान लगाने में कठिनाई :** विशिष्ट घटनाओं द्वारा गारंटियों की अप्रत्याशित शुरुआत से संस्थाओं के लिए संभावित लागत और नकदी बहिर्वाह के समय का सटीक अनुमान लगाना चुनौतीपूर्ण हो जाता है, जिससे प्रभावी वित्तीय योजना जटिल हो जाती है।



आरबीआई कार्य समूह की सिफारिशें

- **गारंटियों का एकीकृत समूहन:** शर्तों या गारंटियों के प्रकार के आधार पर भेदों को समाप्त करना, इस बात पर जोर देना कि सभी गारंटियों में, उनकी प्रकृति की परवाह किए बिना, आकस्मिक देनदारियां शामिल हैं जो भविष्य में बढ़ सकती हैं।
- **गारंटियों की व्यापक परिभाषा:** 'गारंटी' शब्द की व्यापक रूप से व्याख्या की जानी चाहिए, जिसमें किसी भी नाम से ज्ञात सभी उपकरण शामिल हैं जो भविष्य में उधारकर्ता (राज्य उद्यम) की ओर से भुगतान करने के लिए गारंटर (राज्य सरकार) पर दायित्व लगा सकते हैं।
- **सरकारी गारंटी के लिए दिशानिर्देश:** राज्य सरकारों को अपनी गारंटी नीति तैयार करते समय भारत सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों का पालन करना चाहिए:
 - ✓ गारंटी केवल अंतर्निहित ऋण की मूल राशि और सामान्य ब्याज घटक के लिए दी जा सकती है;
 - ✓ बाहरी वाणिज्यिक उधारों के लिए गारंटी नहीं बढ़ाई जा सकती;
 - ✓ ऋणदाता द्वारा लगाई गई शर्तों के आधार पर, राज्य सरकार परियोजना ऋण के 80 प्रतिशत से अधिक के लिए गारंटी नहीं दे सकती है;

- ✓ गारंटियाँ, एक बार अनुमोदित होने के बाद, वित्त विभाग की पूर्व मंजूरी के बिना किसी अन्य एजेंसी को हस्तांतरित नहीं की जाएंगी;
- ✓ निजी क्षेत्र की कंपनियों/संस्थानों को सरकारी गारंटी प्रदान नहीं की जाएगी; और
- ✓ गारंटी देते समय सरकार द्वारा उचित पूर्व शर्तें निर्दिष्ट की जा सकती हैं, उदाहरण के लिए, गारंटी की अवधि, जोखिम को कवर करने के लिए शुल्क लगाना, उधार लेने वाली इकाई के प्रबंधन बोर्ड में सरकार के लिए प्रतिनिधित्व, इसकी संपत्तियों पर बंधक या ग्रहणाधिकार, प्रस्तुतीकरण सरकार को समय-समय पर रिपोर्ट और खाते भेजना, उसके खातों का ऑडिट कराने का अधिकार, आदि।
- **सरकारी गारंटी का परिभाषित उद्देश्य:** सरकारी गारंटी जारी करने का उद्देश्य सामान्य वित्तीय नियम, 2017 के नियम 276 के अनुरूप होना चाहिए। गारंटी को बजटीय संसाधनों का स्थानापन्न नहीं करना चाहिए या राज्य के लिए प्रत्यक्ष देनदारियां नहीं बनानी चाहिए।
- **गारंटी डेटा की मानकीकृत रिपोर्टिंग:** राज्य सरकारों को भारत सरकार लेखा मानकों (आईजीएस) का पालन करते हुए गारंटी-संबंधित डेटा का खुलासा करना चाहिए, जिससे नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (सीएजी) और आरबीआई द्वारा ऑडिटिंग की सुविधा मिल सके।
- **गारंटी जारी करने की सीमा:** राज्य सरकारों द्वारा जारी गारंटी पर एक उचित सीमा, यानी राजस्व प्राप्तियों का 5% या सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) का 0.5%, जो भी कम हो।
- **जोखिम वर्गीकरण और भार:** राज्य सरकारों को उचित जोखिम भार निर्दिष्ट करते हुए परियोजनाओं/गतिविधियों को उच्च, मध्यम या निम्न जोखिम के रूप में वर्गीकृत करना चाहिए। जोखिम मूल्यांकन में पिछले डिफॉल्ट रिकॉर्ड पर विचार किया जाना चाहिए, और राज्यों को अपने जोखिम भार असाइनमेंट पद्धति का खुलासा करना चाहिए।
- **गारंटी शुल्क संरचना:** प्रदत्त गारंटी शुल्क को उधारकर्ताओं/परियोजनाओं/गतिविधियों के जोखिम को प्रतिबिंबित करना चाहिए।
- **बिल्डिंग गारंटी रिडेम्पशन फंड (जीआरएफ):** राज्यों को गारंटी रिडेम्पशन फंड (जीआरएफ) के निर्माण में योगदान देना चाहिए, जिसका लक्ष्य फंड के गठन से पांच वर्षों में उनकी कुल बकाया गारंटी का 5% का वांछनीय स्तर प्राप्त करना है।

3.5. सब्सिडी

प्रसंग

पीएम मोदी सरकार ने अपने पहले कार्यकाल में समग्र सब्सिडी खर्च को कम करते हुए आवास, स्वच्छता और बैंक खातों जैसी बुनियादी जरूरतों के लिए योजनाओं को प्राथमिकता दी। इसे "नए कल्याणवाद" से लक्षित सब्सिडी पर नए सिरे से ध्यान केंद्रित करने के बदलाव के रूप में देखा जाता है।

सब्सिडी क्या है?

- डब्ल्यूटीओ के अनुसार, सब्सिडी समझौते और अमेरिकी कानून (1930 के टैरिफ अधिनियम का शीर्षक VII) के तहत सब्सिडी का एक विशेष अर्थ है। सब्सिडी को सरकार द्वारा लाभ प्रदान करने वाले वित्तीय योगदान के रूप में परिभाषित किया गया है। सब्सिडी जिन रूपों

में दी जा सकती है उनमें शामिल हैं

- ✓ निधियों का सीधा हस्तांतरण (उदाहरण के लिए : अनुदान),
- ✓ धन या देनदारियों का संभावित हस्तांतरण (उदाहरण के लिए : ऋण गारंटी),
- ✓ त्यागा हुआ सरकारी राजस्व (उदाहरण के लिए : कर क्रेडिट),

- ✓ वस्तुओं की खरीद, या वस्तुओं या सेवाओं के प्रावधान (सामान्य बुनियादी ढांचे के अलावा)।
- **सब्सिडी की तीन मुख्य श्रेणियाँ**
 - ✓ **प्रत्यक्ष सब्सिडी:** इसमें सरकार को वस्तुओं या सेवाओं के आदान-प्रदान के बिना मौद्रिक भुगतान करना शामिल है।
 - ✓ **अप्रत्यक्ष सब्सिडी:** इसमें सीधे मौद्रिक लाभ प्रदान किए बिना तीसरे पक्ष का समर्थन करना शामिल है, जैसे ऋण या अन्य गैर-मौद्रिक लाभ के माध्यम से।
 - ✓ **सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली सब्सिडी:** इसमें कल्याणकारी भुगतान, बेरोजगारी लाभ और उद्यमों को समर्थन सहित कई वित्तीय सहायता शामिल हैं।

भारत सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली विभिन्न प्रकार की की सब्सिडी

- **खाद्य सब्सिडी**
 - ✓ गरीबी रेखा से नीचे की आबादी को आवश्यक खाद्य सामग्री उपलब्ध कराना।
 - ✓ **योजनाएं:** राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए), अंत्योदय अन्न योजना (एएवाई) और प्रधान मंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएम-जीकेएवाई)।
- **शिक्षा सब्सिडी**
 - ✓ उच्च तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त करने वाले योग्य छात्रों का समर्थन करना।
 - ✓ योजनाएं: प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (पीएमएमवीवाई), एससी/एसटी छात्रों के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना और केंद्रीय क्षेत्र ब्याज सब्सिडी योजना (सीएसआईएस) योग्यता-आधारित छात्रवृत्ति योजनाएं।
- **निर्यात/आयात सब्सिडी**
 - ✓ अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उत्पादों को प्रतिस्पर्धी बनाकर निर्यात को प्रोत्साहित करना और घरेलू कंपनियों को समर्थन देना।
 - ✓ योजनाएं: भारत से माल निर्यात योजना (एमईआईएस), भारत से सेवा निर्यात योजना (एसईआईएस), मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए), निर्यात-उन्मुख इकाइयाँ (ईओयूएस) और विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड)।
- **आवास सब्सिडी**
 - ✓ हाशिए पर रहने वाले समुदायों के लिए आवास खर्च कम करना।
 - ✓ योजनाएं: प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई), आवास ऋण के लिए ब्याज सब्सिडी योजना और क्रेडिट लिंकड सब्सिडी योजना (सीएलएसएस)।
- **तेल एवं ईंधन सब्सिडी**
 - ✓ पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों को नियंत्रित करके आर्थिक संकट का समाधान करना।
 - ✓ योजनाएं: तेल विपणन कंपनियों (ओएमसी) को प्रत्यक्ष सब्सिडी और मूल्य नियंत्रण तंत्र।

- **कर सब्सिडी**
 - ✓ उपभोग या उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए विशिष्ट व्यवसायों या उद्योगों पर कर का बोझ कम करना।
 - ✓ योजनाएं: स्टार्टअप इंडिया कर लाभ, बुनियादी ढांचा निवेश प्रोत्साहन और विशेष आर्थिक क्षेत्र।
- **परिवहन सब्सिडी**
 - ✓ सुदूर क्षेत्रों में औद्योगीकरण को बढ़ावा देना।
 - ✓ योजनाएं: परिवहन सब्सिडी योजना (टीएसएस) और माल ढुलाई सब्सिडी योजना।
- **जीवाश्म ईंधन सब्सिडी**
 - ✓ जीवाश्म ईंधन और उनके उत्पादन की लागत को कम करना।
 - ✓ कोयला खनन कंपनियों और तेल अन्वेषण कंपनियों को कर में छूट।
- **कृषि या फार्म सब्सिडी**
 - ✓ कृषि व्यवसायों और खेतों का समर्थन करना, कृषि वस्तु आपूर्ति का प्रबंधन करना और उनकी लागत एवं आपूर्ति को प्रभावित करना।
 - ✓ योजनाएं: न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी), उर्वरकों और कीटनाशकों पर सब्सिडी और फसल बीमा योजनाएं।

सरकारें सब्सिडी क्यों प्रदान करती हैं?

- **मूल्य स्थिरता और गरीबी निवारण:** सब्सिडी आर्थिक कठिनाइयों के दौरान उपभोक्ताओं की सहायता करती है, मूल्य स्थिरता सुनिश्चित करती है और गरीबी को रोकती है।
- **रणनीतिक उद्योग समर्थन:** सरकारें राष्ट्रीय सुरक्षा और आर्थिक विकास के लिए कृषि, मछली पकड़ने और विनिर्माण जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों को सब्सिडी देती हैं।
- **सामाजिक कल्याण और समानता संवर्धन:** सब्सिडी कम आय वाली आबादी के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और सार्वजनिक परिवहन जैसी महत्वपूर्ण सेवाओं तक पहुंच में सुधार करती है, असमानता को कम करती है और मानव विकास को बढ़ावा देती है।
- **बाजार विफलता सुधार :** बाजार विफलताओं को संबोधित करते हुए, सब्सिडी सकारात्मक बाह्यताओं के साथ वस्तुओं या सेवाओं के उत्पादन को प्रोत्साहित करती है या अपूर्ण जानकारी को सुधारती है।
- **राजनीतिक विचार:** सब्सिडी राजनीतिक उद्देश्यों से प्रभावित हो सकती है, जो मजबूत आर्थिक औचित्य के अभाव में भी विशिष्ट क्षेत्रों या जनसांख्यिकी से समर्थन प्राप्त करने में सरकारों की मदद करती है।
- **पर्यावरण संरक्षण प्रोत्साहन:** पर्यावरण-अनुकूल प्रथाओं और प्रौद्योगिकियों को प्रोत्साहित करना, नवीकरणीय ऊर्जा या टिकाऊ कृषि के लिए सब्सिडी प्रदूषण में कमी और संसाधन संरक्षण में योगदान करती है।
- **तकनीकी नवाचार समर्थन:** सब्सिडी अनुसंधान और विकास को प्रोत्साहित करती है, नई प्रौद्योगिकियों में नवाचार को बढ़ावा देती है और प्रारंभिक वित्तीय बाधाओं पर काबू पाने में कंपनियों की सहायता करती है।

- **व्यापार संवर्धन रणनीतियाँ:** निर्यात सब्सिडी वैश्विक प्रतिस्पर्धा को बढ़ाती है, संभावित रूप से राष्ट्रीय आय को बढ़ाती है, हालांकि यह व्यापार संघर्ष को ट्रिगर कर सकती है।
- **विदेश नीति के उद्देश्य:** सब्सिडी का उपयोग विदेशी सहायता या भू-राजनीतिक लक्ष्यों के लिए साधन के रूप में किया जाता है, जो कि अंतरराष्ट्रीय मामलों और गठबंधनों को प्रभावित करता है।

भारत में सब्सिडी से संबंधित चुनौतियाँ

- **राजकोषीय बोझ**
 - ✓ सब्सिडी की अत्यधिक लागत सरकार के वित्त पर अत्यधिक दबाव डालती है।
 - ✓ 2023-24 में, भारत के लिए अनुमानित सब्सिडी बिल आश्चर्यजनक रूप से ₹5.92 लाख करोड़ (US\$74 बिलियन) है।
 - ✓ यह स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा और बुनियादी ढांचे के विकास जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों से संसाधनों को हटा देता है।
- **अकुशल लक्ष्यीकरण और रिसाव**
 - ✓ कई सब्सिडी में उचित लक्ष्यीकरण तंत्र का अभाव होता है, जिससे रिसाव होता है और अनपेक्षित प्राप्तकर्ताओं को लाभ होता है।
 - ✓ भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (CAG), 2022 की रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया है।
 - ✓ विभिन्न सब्सिडी कार्यक्रमों में लीकेज की राशि आश्चर्यजनक रूप से ₹1.2 लाख करोड़ (US\$15 बिलियन) थी।
- **बाज़ार की विकृतियाँ**
 - ✓ सब्सिडी बाज़ार की कीमतों और प्रोत्साहनों को विकृत कर सकती है, जिससे संसाधनों का अकुशल आवंटन और सब्सिडी वाली वस्तुओं की अधिक खपत हो सकती है।
 - ✓ उदाहरण के लिए, सस्ते सब्सिडी वाले उर्वरक अत्यधिक उपयोग को बढ़ावा दे सकते हैं, जिससे मिट्टी के स्वास्थ्य और पर्यावरण को

नुकसान पहुँच सकता है।

- **पर्यावरणीय चिंता**
 - ✓ कुछ सब्सिडी, जैसे कि जीवाश्म ईंधन के लिए, नवीकरणीय ऊर्जा में निवेश को हतोत्साहित कर सकती हैं और पर्यावरणीय गिरावट में योगदान कर सकती हैं।
 - ✓ कमज़ोर आबादी को समर्थन देने और टिकाऊ प्रथाओं को बढ़ावा देने के बीच संतुलन बनाना महत्वपूर्ण है।
- **राजनीतिक दबाव**
 - ✓ सब्सिडी की लोकप्रियता उन्हें राजनीतिक रूप से संवेदनशील बनाती है, जिससे अक्सर सुधार आवश्यक होने पर भी निहित स्वार्थों से प्रतिरोध होता है।
 - ✓ राजनीतिक व्यवहार्यता और आर्थिक तर्कसंगतता के बीच संतुलन बनाना एक चुनौती बनी हुई है।

एक्शनएंड एमोसिएशन

- यह सामाजिक और पारिस्थितिक न्याय के लिए काम करने वाला संगठन है।
- यह 1972 से भारत में सबसे अधिक वंचित समुदायों से सम्बंधित कार्यों से जुड़ा हुआ है।
- एक पंजीकृत भारतीय संगठन के रूप में, यह सभी के लिए समानता, भाईचारा और स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए भागीदारों के साथ 24 राज्यों में काम करता है।
- एक्शनएंड 40 से अधिक देशों में मौजूद वैश्विक नेटवर्क का भी हिस्सा है।

आगे की राह

- **भारत की सब्सिडी चुनौतियों से निपटने के लिए, चार-आयामी दृष्टिकोण महत्वपूर्ण है:** आधार के साथ बेहतर लक्ष्यीकरण, प्रभावशाली क्षेत्रों को प्राथमिकता देकर सब्सिडी को तर्कसंगत बनाना, पारदर्शिता के लिए डीबीटी का विस्तार करना और नवीकरणीय ऊर्जा एवं कुशल परिवहन जैसे दीर्घकालिक विकल्पों में निवेश करना। सब्सिडी पर यह बहुआयामी रणनीति अधिक न्यायसंगत और कुशल प्रणाली का मार्ग प्रशस्त करती है।

3.6. सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग

संदर्भ:

हाल ही में, भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार के द्वारा **फिच, मूडीज़ और स्टैंडर्ड एंड पूअर्स** की सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग पद्धतियों की आलोचना की गयी है।

सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग क्या है?

- सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग किसी देश या संप्रभु इकाई की **साख का एक स्वतंत्र मूल्यांकन** है।
- निवेशक किसी विशेष देश के बांड की जोखिम क्षमता का आकलन करने के लिए सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग का उपयोग करते हैं।
- निवेशक निवेश-ग्रेड और सट्टा/जंक ग्रेड के साथ बांड में जोखिम का अनुमान लगाने के लिए रेटिंग का भी उपयोग करते हैं।
- प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए कई देशों द्वारा इसकी मांग की गई।
- निवेशकों के विश्वास को बढ़ाने के लिए एसएंडपी, मूडीज़ और फिच जैसी एजेंसियों द्वारा यह रेटिंग प्रदान की जाती है।

क्रेडिट रेटिंग एजेंसियाँ (CRAs)

- यह वित्तीय मजबूती और ऋण पुनर्भुगतान के लिए कंपनियों और सरकारी संस्थाओं का मूल्यांकन करती हैं।
- कार्य: निवेशकों को बांड जारीकर्ताओं और सॉवरेन ऋण के बारे में सूचित करना।
- भारत: क्रिसिल(CRISIL), केयर(CARE), आईसीआरए(IICRA), एसएमआईए (SMREA), ब्रिकवर्क रेटिंग, इंडिया रेटिंग और रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड सहित सात पंजीकृत एजेंसियाँ हैं।
- वैश्विक उद्योग: मूडीज़, स्टैंडर्ड एंड पूअर्स और फिच का प्रभुत्व।
- रेटिंग स्केल: वर्णमाला चिह्न (AAA, AA, A, B) साख का आकलन करते हैं।
 - ✓ उच्च रेटिंग कम डिफॉल्ट जोखिम का संकेत देती है, जिसमें AAA मजबूत वित्तीय क्षमता का संकेत है।
 - ✓ BBB से नीचे की रेटिंग खराब साख का संकेत देती है।

- सॉवरेन क्रेडिट जोखिम सरकार की ऋण चुकाने की क्षमता को दर्शाते हैं।

साँवरेन क्रेडिट रेटिंग के निर्धारक

- **प्रति व्यक्ति आय:** उच्च आय ऋण पुनर्भुगतान में सहायता करती है।
- **जीडीपी वृद्धि:** मजबूत वृद्धि उच्च कर राजस्व के माध्यम से ऋण दायित्वों को पूरा करने में सहायता करती है।

सेबी विनियम, 1999

- सेबी मुख्य रूप से 1992 के सेबी अधिनियम के तहत रेटिंग एजेंसियों को विनियमित करता है।
- **डिस्कलोजर-आधारित व्यवस्था:** सेबी (क्रेडिट रेटिंग एजेंसियाँ) विनियम, 1999 रेटिंग मानदंड, कार्यप्रणाली, डिफॉल्ट मान्यता नीति और हितों के टकराव संबंधी दिशानिर्देशों का खुलासा अनिवार्य करता है।
- **मुद्रास्फीति:** उच्च मुद्रास्फीति वित्तीय समस्याओं और राजनीतिक अस्थिरता का संकेत देती है।
- **बाहरी ऋण:** ऐसे ऋणों पर भारी निर्भरता से डिफॉल्ट का खतरा बढ़ जाता है।
- **आर्थिक विकास:** विकसित देशों को कम डिफॉल्ट जोखिम के रूप में देखा जाता है।
- **डिफॉल्ट का इतिहास:** पिछले डिफॉल्ट के कारण साँवरेन क्रेडिट जोखिम उच्च होता है।

भारत में साँवरेन क्रेडिट रेटिंग पर नवीनतम आर्थिक सर्वेक्षण का रुख

- सकारात्मक प्रदर्शन के बावजूद भारत को **कम रेटिंग प्राप्त हुई।**
- कम मात्रा में विदेशी मुद्रा ऋण और पर्याप्त मुद्रा भंडार का होना भारत की ताकत है।
- क्रेडिट रेटिंग से बाधित होने के स्थान पर विकास को **प्राथमिकता देने का सुझाव दिया गया है।**
- पूर्वाग्रहों को दूर करने के लिए विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के बीच **सहयोग की सिफारिश की गयी है।**

क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों की आलोचना

- **प्रतिक्रियाशीलता और पूर्वाग्रह:** एजेंसियों को प्रतिक्रियाशील और पक्षपाती माना जाता है, विशेषकर उभरते बाजारों के लिए।
- **असमान व्यवहार:** अफ्रीकी देशों की रेटिंग अपग्रेड करने में चुनौतियों के लिए कुछ एजेंसियों की आलोचना की गई।
- **क्षेत्रीय और सांस्कृतिक प्रभाव:** घरेलू देश और सांस्कृतिक समानताएँ रेटिंग को प्रभावित करती हैं।
- **हितों का टकराव:** क्षतिपूर्ति संरचना, स्वतंत्रता और निष्पक्षता के बारे में चिंताएँ उत्पन्न करती हैं।

3.7. ग्रो लोकल, ईट लोकल

संदर्भ

हाल ही में, पश्चिम बंगाल के विभिन्न जिलों के किसानों द्वारा कोताई, पूर्व मेदिनीपुर में एक स्वदेशी बीज महोत्सव का आयोजन किया गया।

महोत्सव का विवरण

- धान, दालें और सब्जी की स्वदेशी प्रजातियों के साथ सैकड़ों किसानों ने भाग लिया।
- महोत्सव के दौरान किसानों ने स्वदेशी बीज की किस्मों के बारे में पारंपरिक ज्ञान का आदान-प्रदान किया।

एक्शनएड एसोसिएशन

- यह सामाजिक और पारिस्थितिक न्याय के लिए काम करने वाला संगठन है।
- यह 1972 से भारत में सबसे अधिक वंचित समुदायों से सम्बंधित कार्यों से जुड़ा हुआ है।
- एक पंजीकृत भारतीय संगठन के रूप में, यह सभी के लिए समानता, भाईचारा और स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए भागीदारों के साथ 24 राज्यों में काम करता है।
- एक्शनएड 40 से अधिक देशों में मौजूद वैश्विक नेटवर्क का भी हिस्सा है।

- इस पहल का उद्देश्य देशी बीजों पर **विशेषज्ञता को संरक्षित करना और उसे साझा करना है।**
- इस महोत्सव का आयोजन एक गैर सरकारी संगठन **एक्शनएड (ActionAid)** द्वारा **काजला जनकल्याण समिति और पूर्व मेदिनीपुर किसान स्वराज समिति** के सहयोग से किया गया था।
- **ग्रो लोकल, ईट लोकल:** इसका अर्थ अपने समुदाय के पास उगाए गए या उत्पादित खाद्यान को खरीदकर स्थानीय किसानों और उत्पादकों की सहायता करना है। इसमें फल, सब्जियाँ, मांस, डेयरी और अन्य कृषि उत्पाद शामिल हो सकते हैं।

स्थानीय उगाओ, स्थानीय खाओ का भारत पर महत्वपूर्ण प्रभाव



सामाजिक आर्थिक

- छोटे किसानों को सशक्त बनाना और सहायता देना
- स्थिति परक खाद्य प्रणाली का निर्माण
- खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा देना

पर्यावरण

- कार्बन फुटप्रिंट को कम करना
- जैव विविधता का संरक्षण
- सतत भूमि उपयोग को बढ़ावा

स्वास्थ्य और कल्याण

- भोजन की गुणवत्ता और सुरक्षा बढ़ाना
- स्वस्थ आहार का समर्थन
- खाद्य स्रोतों के साथ सम्पर्क सृजन

बीज बैंक

- ये ऐसी विशेष सुविधाएं हैं जो भविष्य में उपयोग के लिए आनुवंशिक विविधता को संरक्षित करने के लिए विभिन्न फसलों के बीजों का भंडारण करती हैं। सीड बैंक पारंपरिक बीजों पर ध्यान केंद्रित करते हैं - जो लंबे समय तक जीवित रहते के साथ-साथ सूखने और ठण्ड से जमने के प्रति सहनशील होते हैं।

प्रकार

- खेत में: सामुदायिक या घरेलू बैंकों की तरह किसानों द्वारा कुछ महीनों से लेकर वर्षों तक संग्रहीत बीज।
- बाह्य-स्थान: मध्यम से दीर्घकालिक भंडारण के लिए नियंत्रित वातावरण वाले राष्ट्रीय, क्षेत्रीय या वैश्विक बैंक।
- स्व-स्थान: फसलों और घरेलू फसलों के जंगली सापेक्षों को कृषि जीन अभयारण्यों जैसी प्राकृतिक व्यवस्था में रखा जाता है।

- स्थानीय स्तर पर उगाए गए खाद्यान्न का उपभोग:** स्थानीय स्रोतों से खरीदे गए खाद्यान्न का उपभोग करने से, लंबी दूरी के परिवहन और सुपरमार्केट पर निर्भरता कम हो जाती है।

चुनौतियां

- अवसंरचना और लॉजिस्टिक्स:** स्थानीय उपज के भंडारण, परिवहन और विपणन के लिए मजबूत अवसंरचना निर्माण महत्वपूर्ण है।
- उपभोक्ता जागरूकता और शिक्षा:** स्थानीय भोजन के लाभों के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देना और उपभोक्ताओं को स्थानीय उत्पादों की पहचान करने और उन तक पहुंच के बारे में शिक्षित करना आवश्यक है।
- आर्थिक व्यवहार्यता:** सभी के लिए किफायती बनाए रखते हुए किसानों और उपभोक्ताओं दोनों के लिए उचित मूल्य सुनिश्चित करने के लिए सावधानीपूर्वक योजना के निर्माण और सहयोग की आवश्यकता होती है।

3.8. भारत में आय असमानता**संदर्भ**

एसबीआई के एक हालिया शोध से पता चलता है कि पिछले दशक में भारत में आय असमानता में उल्लेखनीय गिरावट आई है।

रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्ष

- गिनी गुणांक गिरावट**
 - असमानता का माप गिनी गुणांक, 2014-15 में 0.472 से गिरकर 2022-23 में 0.402 हो गया है, जो लगभग 15% की कमी का संकेत देता है।
- करदाता डेटा विश्लेषण**

गिनी गुणांक

- यह लॉरेंज वक्र से प्राप्त होता है, जो किसी देश में आर्थिक विकास के संकेतक के रूप में कार्य करता है।
- यह जनसंख्या के भीतर आय समानता के स्तर को मापता है।
- गिनी गुणांक का पैमाना 0 (पूर्ण समानता) से 1 (पूर्ण असमानता) तक होता है।

- यह विश्लेषण करदाताओं के आंकड़ों पर आधारित है, जो कर योग्य सीमा से नीचे आने वाले आय अर्जित करने वालों के एक महत्वपूर्ण हिस्से के बहिष्कार के बारे में चिंताएं बढ़ाता है।
- प्रति वर्ष ₹2.5 लाख से कम कमाने वाले लगभग 80% आय-प्राप्तकर्ताओं को करदाता डेटा में नहीं माना जाता है।

एक जिला एक उत्पाद (ODOP)

- इस पहल का उद्देश्य देश के सभी जिलों में संतुलित क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देना है।
- इस पहल का उद्देश्य सभी क्षेत्रों में समग्र सामाजिक-आर्थिक विकास को सक्षम करने के लिए देश के प्रत्येक जिले (एक जिला - एक उत्पाद) से कम से कम एक उत्पाद का चयन, ब्रांड और प्रचार करना है।
- इस योजना में देश भर के 761 जिलों से कुल 1102 उत्पादों की पहचान की गयी है।

आगे की राह

- किसानों और उपभोक्ताओं को जोड़ना:** स्थानीय उपज को बढ़ावा देने के लिए ओडीओपी प्लेटफार्मों का उपयोग करना, जबकि जीआई टैग प्रमाणीकरण अद्वितीय किस्मों की रक्षा करता है और किसानों को प्रोत्साहित करता है।
- स्थानीय बुनियादी ढांचे का समर्थन:** स्थानीय भोजन का कुशल वितरण सुनिश्चित करने के लिए भंडारण, प्रसंस्करण और परिवहन बुनियादी ढांचे में निवेश करना।
- उपभोक्ता जागरूकता बढ़ाना :** उपभोक्ताओं को स्थानीय भोजन के लाभों के बारे में शिक्षित करने के लिए गैर सरकारी संगठनों और सरकारी एजेंसियों के साथ साझेदारी करना।

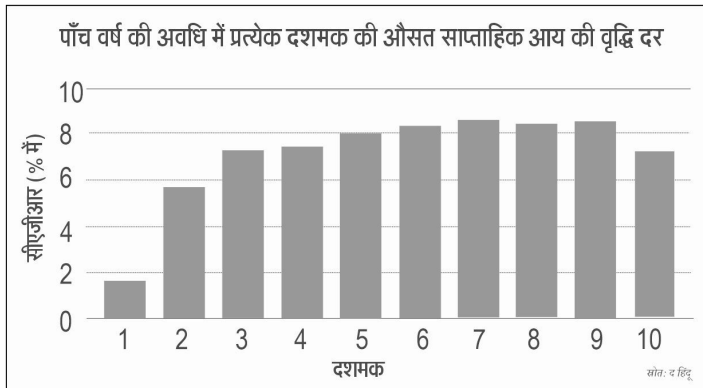
गिनी गुणांक

	2017-18	2022-23
कुल	0.4297	0.4197
स्वनियोजित	0.37077	0.3765
नियमित वेतनभोगी कर्मचारी	0.43947	0.43198
आकस्मिक वेतन भोगी श्रमिक	0.27619	0.263

- आय ध्रुवीकरण**
 - गिनी गुणांक में समग्र गिरावट के बावजूद, विशेष रूप से स्व-रोज़गार श्रमिकों के बीच आय ध्रुवीकरण का प्रमाण है।
 - उच्च 10% की आय निचले 30% की तुलना में तेजी से बढ़ी है, स्व-रोज़गार श्रेणी में उल्लेखनीय ध्रुवीकरण दिखा है।

• समग्र असमानता विश्लेषण

- ✓ गिनी गुणांक 2017-18 में 0.4297 से गिरकर 2022-23 में 0.4197 हो गया है, लेकिन स्व-रोज़गार के लिए असमानता में थोड़ी वृद्धि हुई है।



• ध्रुवीकरण में परिवर्तन

- ✓ अध्ययन आय में ध्रुवीकरण की अवधारणा का परिचय देता है, जो ऊपरी और निचली आय के पैमाने के बीच भाग्य में अंतर दिखाता है।
- ✓ 90/10 अनुपात, जो शीर्ष 10% और निचले 10% के बीच आय अंतर को दर्शाता है, 2017-18 में 6.7 से बढ़कर 2022-23 में 6.9 हो गया है।

• कार्य के विभिन्न रूपों के बीच ध्रुवीकरण

- ✓ वेतनभोगियों के लिए 90/10 अनुपात में गिरावट आई है, विशेष रूप से नियमित वेतनभोगी श्रमिकों के लिए, जबकि स्व-रोज़गार वाले लोगों के लिए इसमें उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।
- ✓ व्यक्तियों के शीर्ष और निचले 10% के बीच आय का अंतर उल्लेखनीय रूप से बढ़ गया है।

90/10 अनुपात		
	2017-18	2022-23
कुल	6.667	6.94
स्वनियोजित	6	8.33
नियमित वेतनभोगी कर्मचारी	8.75	7.25
आकस्मिक वेतन भोगी श्रमिक	4	3.56

भारत में आय असमानता के कारण

- **आर्थिक विकास पैटर्न:** कुछ क्षेत्रों और आईटी जैसे उच्च-कुशल व्यवसायों में उच्च वेतन का अनुभव होता है, जबकि कम-कुशल और अनौपचारिक क्षेत्र के श्रमिकों को स्थिर या घटती आय का सामना करना पड़ता है।
- **भूमि स्वामित्व और कृषि आय:** कम उत्पादकता और बाजार में उतार-चढ़ाव सहित कृषि में असमान भूमि वितरण और चुनौतियाँ, विशेष रूप से छोटे और

सीमांत किसानों के लिए आय असमानताओं में योगदान करती हैं।

- **शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंच:** गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल तक सीमित पहुंच, शहरी क्षेत्रों और अमीर आबादी के बीच केंद्रित, सामाजिक गतिशीलता को प्रतिबंधित करती है और आय असमानता को मजबूत करती है।
- **सामाजिक असमानताएं:** जाति, लिंग और धार्मिक भेदभाव शिक्षा, रोजगार के अवसरों और संसाधन पहुंच को प्रभावित करते हैं, कमाई की क्षमता को प्रभावित करते हैं और आय के अंतर को बढ़ाते हैं।
- **कराधान संरचना:** जीएसटी जैसे अप्रत्यक्ष करों पर निर्भरता, अमीर व्यक्तियों द्वारा कर चोरी के साथ मिलकर, आय वितरण को विकृत करती है और वित्तीय असमानता में योगदान करती है।
- **बेरोजगारी और अल्परोजगार:** उच्च बेरोजगारी दर, मुद्रास्फीति और अल्परोजगार आर्थिक असमानताएं पैदा करते हैं, जिससे नियोजित और बेरोजगार व्यक्तियों के बीच अंतर बढ़ जाता है।
- **वैश्वीकरण और तकनीकी परिवर्तन:** वैश्वीकरण के प्रभाव से कुछ उद्योगों को लाभ होता है, जिससे असमान आर्थिक विकास होता है। स्वचालन और तकनीकी प्रगति कौशल सेट के आधार पर आय स्तर को प्रभावित कर सकती है।
- **अनौपचारिक श्रम बाज़ार:** महत्वपूर्ण अनौपचारिक क्षेत्र, जो सीमित नौकरी सुरक्षा और लाभों की विशेषता है, श्रमिकों के बीच आय असमानताओं में योगदान देता है।
- **धन संकेंद्रण:** संपत्ति के स्वामित्व और वित्तीय परिसंपत्तियों सहित आबादी के एक छोटे प्रतिशत के बीच संपत्ति का संकेंद्रण, आय असमानता को बढ़ाता है।
- **सामाजिक और जातिगत गतिशीलता:** जाति, लिंग और धर्म पर आधारित ऐतिहासिक असमानताएं आय वितरण को प्रभावित करती हैं, जिससे हाशिए पर रहने वाले समूहों के लिए आर्थिक अवसरों में बाधाएं पैदा होती हैं।
- **काला धन और भ्रष्टाचार:** अर्थव्यवस्था में काले धन और भ्रष्टाचार की मौजूदगी करधान प्रणाली को कमजोर करती है, जिससे असमान आय वितरण होता है।

भारत में आय असमानता को दूर करने के लिए सरकारी उपाय

• संवैधानिक प्रावधान

- ✓ **अनुच्छेद 38:** आजीविका के पर्याप्त साधनों के अधिकार की गारंटी देता है और संसाधनों के समान वितरण की वकालत करता है।
- ✓ **अनुच्छेद 39(बी):** राज्य को यह सुनिश्चित करने का आदेश देता है कि भौतिक संसाधनों का स्वामित्व और नियंत्रण कुछ लोगों के हाथों में केंद्रित न हो।
- ✓ **अनुच्छेद 46:** समाज के कमजोर वर्गों, अनुसूचित जनजातियों और अनुसूचित जातियों के विकास को बढ़ावा देता है।
- **कानूनी प्रयास**
 - ✓ **न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948:** बुनियादी जीवन स्तर सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न उद्योगों और व्यवसायों के लिए न्यूनतम वेतन मानक निर्धारित करता है।

- ✓ **शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009:** 6-14 आयु वर्ग के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा की गारंटी देता है, जिससे सभी के लिए शिक्षा तक पहुंच में सुधार होता है।
- ✓ **मनरेगा (महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम), 2005:** आय सुरक्षा और ग्रामीण विकास को बढ़ाते हुए, ग्रामीण परिवारों के लिए एक वित्तीय वर्ष में 100 दिनों के रोजगार की गारंटी प्रदान करता है।
- **प्रमुख योजनाएँ**
 - ✓ **प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी):** इसका उद्देश्य सरकारी सब्सिडी की दक्षता और पारदर्शिता में सुधार करना, संभावित रूप से रिसाव को कम करना और यह सुनिश्चित करना है कि लाभ इच्छित प्राप्तकर्ताओं तक पहुंचे।
 - ✓ **राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020:** गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक समान पहुंच, संभावित रूप से कौशल अंतराल और आय असमानता को कम करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है।
 - ✓ **प्रधान मंत्री आवास योजना (पीएमएवाई):** शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में कम आय वाले परिवारों को आवास सहायता प्रदान करती है, रहने की स्थिति में सुधार करती है और गरीबी को कम करती है।
 - ✓ **स्वच्छ भारत मिशन:** इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता और स्वच्छता में सुधार करना, विशेष रूप से कमजोर समुदायों के लिए

बेहतर स्वास्थ्य और कल्याण में योगदान देना है।

- ✓ **प्रधान मंत्री किसान संपन्न योजना (पीएम-किसान):** छोटे और सीमांत किसानों को आय सहायता प्रदान करती है, कृषि आय और ग्रामीण आजीविका को बढ़ाती है।
- ✓ **कौशल भारत मिशन:** कार्यबल को कुशल बनाने और उन्नत करने, व्यक्तियों को नौकरी बाजार के लिए प्रासंगिक कौशल से लैस करने और रोजगार क्षमता में सुधार करने पर ध्यान केंद्रित करता है।
- ✓ **प्रधान मंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई), 2014:** बैंक रहित व्यक्तियों के लिए बैंक खाते और वित्तीय सेवाओं तक पहुंच प्रदान करके वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देता है।

आगे की राह

- इन उपायों की सफलता उनके कुशल कार्यान्वयन, लाभार्थियों के सटीक लक्ष्यीकरण और मूल्यांकन की निरंतर प्रक्रिया पर निर्भर करती है।
- सामाजिक भेदभाव और संसाधनों तक असमान पहुंच जैसी प्रणालीगत चुनौतियों का समाधान भारत में अधिक आय समानता की दिशा में पर्याप्त प्रगति के लिए महत्वपूर्ण है।
- इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सभी के लिए अधिक समावेशी और न्यायसंगत समाज को बढ़ावा देने के लिए सरकार, नागरिक समाज और निजी क्षेत्र को शामिल करने वाले सहयोगात्मक प्रयासों की आवश्यकता है।

3.9. इलेक्ट्रिक वाहन और हाइब्रिड विकल्प

संदर्भ

हाल ही में, यह बहस छिड़ी है कि भारत में हाइब्रिड वाहन इलेक्ट्रिक वाहनों का विकल्प हो सकते हैं।

- **इलेक्ट्रिक वाहन (EVs):** इसमें प्रणोदन हेतु स्व-समाहित बैटरियों, सौर पैनल या ईंधन को विद्युत में परिवर्तित करने वाले विद्युत जनरेटर द्वारा ऊर्जा प्राप्त इलेक्ट्रिक मोटर का उपयोग किया जाता है। इलेक्ट्रिक वाहन का लक्ष्य पारंपरिक ईंधन पर निर्भरता कम करना, पर्यावरणीय स्थिरता और स्वच्छ परिवहन व्यवस्था में योगदान देना है।
- **हाइब्रिड इलेक्ट्रिक वाहन (HEVs):** इसमें किसी आंतरिक दहन इंजन को एक इलेक्ट्रिक मोटर के साथ जोड़ा जाता है। ये उत्सर्जन को कम करते हुए दो ऊर्जा स्रोतों के बीच निर्बाध रूप से अदल-बदल (स्विच) करके ईंधन दक्षता बढ़ाते हैं। हाइब्रिड इलेक्ट्रिक वाहन ऑटोमोटिव उद्योग में पूर्ण विद्युतीकरण हेतु एक व्यावहारिक संबंध स्थापित करते हैं।

ईवी के लिए सरकारी नीतियां

नीति/योजना	विवरण
फेम इंडिया योजना (2015)	• सम्बंधित मंत्रालय: भारी उद्योग मंत्रालय। • उद्देश्य: इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड वाहन विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन योजना (NEMPP) का हिस्सा बनना। • प्रोत्साहन: इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड वाहन प्रौद्योगिकियों के उत्पादन और अपनाने को प्रोत्साहित करने हेतु सब्सिडी।

उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन (PLI) योजना - उन्नत रसायन विज्ञान सेल (CCA) बैटरी भंडारण पर राष्ट्रीय कार्यक्रम	• लक्ष्य: इलेक्ट्रिक वाहनों में ऊर्जा भंडारण हेतु उन्नत रसायन विज्ञान सेल (ACC) बैटरी। • उद्देश्य: उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहनों के माध्यम से बैटरी के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देना। • लाभ: इलेक्ट्रिक वाहन क्षेत्र में ऊर्जा दक्षता और स्थिरता बढ़ाना।
बैटरी स्वैपिंग नीति	• उद्देश्य: देशभर में इलेक्ट्रिक वाहनों (EVs) के लिए बैटरी मानकों का मानकीकरण करना। • लाभ • सामान पहुंचाने और अंतर-शहर परिवहन जैसे समयबद्ध क्षेत्रों में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देना। • बैटरी की रिचार्जिंग में लगने वाले लंबे समय की आशंकाओं को दूर करते हुए त्वरित बैटरी अदल-बदल की सुविधा देनेवाला। • इलेक्ट्रिक वाहनों की विशिष्ट श्रेणियों के भीतर एक समान बैटरी विन्यास सुनिश्चित करके अंतरसंचालनीयता बढ़ाना। • कार्यान्वयन: प्रभावी नीति कार्यान्वयन हेतु एक विधायी ढांचा पेश किया जाएगा।

इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने में चुनौतियाँ

सब्सिडी वितरण संबंधी चिंताएँ

- जैसा कि नॉर्वे, अमेरिका और चीन जैसे विभिन्न बाजारों में देखा गया है, इलेक्ट्रिक वाहन अपनाने की सफलता अक्सर **राज्य सब्सिडी पर निर्भर** करती है। हालाँकि, एक उल्लेखनीय समस्या अग्रिम सब्सिडी और कर छूट का अनुपातहीन वितरण है, जिसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा **मध्यम या उच्च-मध्यम वर्ग** (आमतौर पर बैटरी इलेक्ट्रिक 4-पहिया वाहनों के प्राथमिक खरीदार) को लाभ पहुंचाता है।

चार्जिंग बुनियादी ढांचा की असमानता

- अग्रिम खरीद सब्सिडी की उम्मीद की जाती है, विश्व बैंक के विश्लेषण से पता चलता है कि इलेक्ट्रिक वाहन अपनाने को बढ़ावा देने के लिए चार्जिंग बुनियादी ढांचे में निवेश चार से सात गुना अधिक करना जरूरी है।
- 85% फास्ट चार्जर और 55% धीमे चार्जर के साथ वैश्विक चार्जिंग बुनियादी ढांचे पर चीन का कब्जा है। इसके विपरीत, बढ़ते इलेक्ट्रिक वाहन बाजार के वर्ष 2030 तक **45-50 मिलियन वाहनों तक पहुंचने के बावजूद**, भारत में वर्तमान में केवल **2,000** सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन परिचालन में हैं।

अद्वितीय चार्जिंग अवसंरचना आवश्यकताएँ

- भारत के वाहन क्षेत्र में **दोपहिया और तिपहिया वाहनों का वर्चस्व** है, जिनकी चार्जिंग ज़रूरतें कारों और बसों से अलग हैं। अधिकांश इलेक्ट्रिक दोपहिया और तिपहिया वाहन धीमी चार्जिंग के लिए बेहतर अनुकूल हैं, और विकल्प के रूप में बैटरी अदल-बदल (स्वैपिंग) का उत्थान विविध चार्जिंग समाधानों की आवश्यकता पर प्रकाश डालता है।

उच्च उत्सर्जन

- व्हील-टू-व्हील (WTW) आधार पर हाइब्रिड के 133 ग्राम/किमी की तुलना में ईवी 158 ग्राम/किमी उत्सर्जन करते हैं।** इस विश्लेषण में कच्चे तेल के खनन, शोधन और बिजली उत्पादन सहित कुल उत्सर्जन पर विचार किया गया है, जो केवल **टेलपाइप उत्सर्जन** (टैंक-टू-व्हील, या TTW) से हटकर एक व्यापक मूल्यांकन प्रदान करता है।
- इसकी तुलना में, पारंपरिक पेट्रोल और डीजल वाहन क्रमशः 176 ग्राम/किमी और 201 ग्राम/किमी उत्सर्जन करते हैं।

विद्युत स्रोत दुविधा

- इलेक्ट्रिक वाहन को बढ़ावा देनेवाले कई देश नवीकरणीय ऊर्जा से उत्पन्न बिजली के उच्च दर से लाभान्वित होते हैं, जैसे- नॉर्वे, जिसमें 99% जलविद्युत शक्ति है। इसके विपरीत, भारत **कोयले से चलने वाले थर्मल संयंत्रों पर बहुत अधिक निर्भर** है, जिससे इलेक्ट्रिक वाहन द्वारा बिजली की बढ़ती मांग के पर्यावरणीय प्रभाव के बारे में चिंता बढ़ गई है।

वैश्विक मूल्य श्रृंखला निर्भरता

- अकेले इलेक्ट्रिक वाहन बैटरी बनाने के लिए भारत को 50,000 टन से अधिक लिथियम की आवश्यकता है। हालाँकि, **वैश्विक लिथियम** उत्पादन का 90% से अधिक हिस्सा चिली, अर्जेंटीना, बोलीविया, ऑस्ट्रेलिया और चीन जैसे विशिष्ट देशों में पाया जाता है।
- भारत को अपनी बीईवी मांग को पूरा करने में एक महत्वपूर्ण चुनौती का सामना करना पड़ता है, जो मुख्य रूप से अन्य देशों से सीमित संख्या में आयात पर निर्भर है, इस प्रकार संभावित आपूर्ति श्रृंखला कमजोरियों को उजागर करती है।

भारतीय संदर्भ में इलेक्ट्रिक वाहनों की तुलना में हाइब्रिड के लाभ

- कुल कार्बन का कम उत्सर्जन:** बिजली उत्पादन के स्रोत के कारण हाइब्रिड वर्तमान में इलेक्ट्रिक वाहन (158 ग्राम/किमी) की तुलना में 16% कम कार्बन (133 ग्राम/किमी) उत्सर्जित करते हैं। यह हाइब्रिड को पर्यावरण की दृष्टि से अधिक उपयुक्त विकल्प बनाता है।
- व्यावहारिक मध्यम अवधि समाधान:** हाइब्रिड भारत के लिए एक व्यावहारिक मध्यम अवधि समाधान (5-10 वर्ष) है, क्योंकि यह देश अधिक महत्वपूर्ण नवीकरणीय बिजली उत्पादन की ओर बढ़ रहा है। यह दृष्टिकोण मौजूदा बुनियादी ढांचे की व्यावहारिक बाधाओं के साथ कम उत्सर्जन की आवश्यकता को संतुलित करता है।
- डीकार्बोनाइजेशन अभियान:** हाइब्रिड भारत के डीकार्बोनाइजेशन लक्ष्यों के साथ मेल खाते हैं, जबकि देश एक मजबूत इलेक्ट्रिक वाहन पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण किया है, ऐसे में यह एक संक्रमणकालीन समाधान प्रदान करता है।
- स्वामित्व परिप्रेक्ष्य की लागत:** हाइब्रिड से खरीदने की लागत कम होती है, जो कम से मध्यम अवधि में उपभोक्ताओं के लिए आर्थिक रूप से अधिक व्यवहार्य विकल्प प्रदान करते हैं।
- उत्सर्जन का अभिसरण:** इलेक्ट्रिक वाहन और हाइब्रिड से होनेवाले उत्सर्जन को अभिसरण होने (एक बिंदु की ओर जाने) में 7-10 साल लग सकते हैं। इससे संकेत मिलता है कि निकट भविष्य में हाइब्रिड इलेक्ट्रिक वाहन की तुलना में कम उत्सर्जन जारी रख सकते हैं।

इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए आगे की राह

- किफायती बीईवी मॉडल को ध्यान में रखते हुए उचित वितरण के लिए सब्सिडी नीतियों में सुधार करने की जरूरत है। निर्माताओं को लागत प्रभावी बीईवी विकल्प तैयार करने हेतु प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।
- व्यापक और सुलभ सार्वजनिक चार्जिंग प्रणाली में निवेश को प्राथमिकता देने की जरूरत है, साथ ही विविध चार्जिंग समाधानों हेतु निजी क्षेत्र की भागीदारी और नवाचार को प्रोत्साहित करना आवश्यक है।
- विद्युत उत्पादन में नवीकरणीय ऊर्जा की दिशा में तेजी से बदलाव हेतु नीतियां लागू की जाएं।
- लिथियम पर निर्भरता कम करते हुए वैकल्पिक बैटरी प्रौद्योगिकियों के लिए अनुसंधान एवं विकास में निवेश किया जाए। स्थिर और विविध आपूर्ति श्रृंखला हेतु लिथियम उत्पादक देशों के साथ साझेदारी का पता लगाया जाए।

Test Series

UPSC Prelims 2024

Offline



Online

**Detailed
Solutions for
all
Questions
(PDF)**

**Time -
Bound,
Disciplined, &
Result-
Oriented
Tests**

**Holistic
Coverage
of all
Study
Materials
& Sources**

**Fundamental
and
Comprehensive
Test**

**Pattern and
Trend Based
on UPSC CSE
Prelims
Exam**



Scan to Know More



4. इतिहास, कला एवं संस्कृति

4.1. पुरापाषाणकालीन क्वार्टजाइट औजारों की खोज

संदर्भ

हाल ही में तेलंगाना के मुलुगु जिले में आई बाढ़ के उपरांत एक नवीन खोज में पुरापाषाणकालीन क्वार्टजाइट औज़ार प्राप्त हुए हैं।

खोज में प्राप्त औज़ार

- ✓ खोज में 15.5 सेमी लम्बी, 11 सेमी चौड़ी और 5.5 सेमी मोटी पत्थर की कुल्हाड़ी प्राप्त हुई।
- ✓ पुरातत्वविदों के अनुसार, पत्थर की कुल्हाड़ी निम्न पुरापाषाण काल की है और लगभग 30 लाख वर्ष पूर्व की है।
- ✓ औज़ार चिपिंग शैली, सामग्री और उपकरणों के आकार पर आधारित हैं।
- ✓ उपयोग: पुरापाषाणकालीन शिकारी भारी क्वार्टजाइट और बड़े औज़ारों का प्रयोग करते थे। दुनिया भर में इसी प्रकार की हस्त - कुल्हाड़ियाँ खोजी गई हैं।
- ✓ इन औज़ारों का उपयोग लकड़ी काटने और भोजन हेतु जानवरों को मारने के लिए किया जाता था।
- ✓ यह खोज तेलंगाना और मध्य भारत में मानव बस्तियों की समझ को और पीछे तक ले जाती है।



Source: The Hindu

पूर्ववर्ती खोज

- 1863 में, ईस्ट इंडिया कंपनी की भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण टीम को मद्रास (वर्तमान चेन्नई) के पास अत्रिपक्कम में एक पुरापाषाण स्थल मिला, जहां प्रारंभिक मनुष्यों द्वारा बनाई गयी दो फलक वाली प्रस्तर कुल्हाड़ियाँ प्राप्त हुई थीं।
- ये औज़ार लगभग 15 लाख वर्ष पुराने हैं।
- पुरापाषाण संस्कृति को मद्रास हस्त-कुल्हाड़ी उद्योग या मद्रासियन संस्कृति के रूप में जाना जाता है।

पुरापाषाण काल

- पुरापाषाण युग को प्राचीन पाषाण युग या प्रारंभिक पाषाण युग के नाम से भी जाना जाता है।
- इसकी अवधि 33 लाख वर्ष ईसा पूर्व की है। यह काल 10,000 वर्षों तक जारी रहा।
- पैलियोलिथिक नाम प्रसिद्ध पुरातत्वविद् जॉन लब्बॉक द्वारा वर्ष 1865 में दिया गया था।
- इस काल की शुरुआत होमिनिंस (मानव जैसे प्राणियों) द्वारा पत्थर के औज़ारों के प्रथम उपयोग से मानी जाती है और लगभग 11,650 साल पहले मेसोलिथिक काल की शुरुआत के साथ इसकी समाप्ति हुई।
- समय के साथ मानव प्रजाति द्वारा अनुभव की गई वृद्धि के कारण इसे आरंभिक, मध्य और उत्तर पुरापाषाण काल में वर्गीकृत किया गया है।
- निम्न या प्रारंभिक पुरापाषाण काल: 2.6 मिलियन-250,000 साल पहले, सरल छोटे प्रस्तर औज़ार और पत्थर के अपरिष्कृत काटने के उपकरण मनुष्यों द्वारा बनाए गए थे।

- मध्य पुरापाषाण काल: इस अवधि में 250,000 साल पहले से, फलक औज़ारों पर फोकस रहा, जो कुछ क्षेत्रों में 30,000 साल पहले तक लोकप्रिय रहे।
- उच्च या उत्तर पुरापाषाण काल (40,000-10,000 ईसा पूर्व): इसमें उपकरण के आकार और स्रोत सामग्री (अब बहुत सारी हड्डी, सींग और हाथीदांत) दोनों में भारी प्रसार देखा गया।

पुरापाषाण युग में प्रौद्योगिकी का विकास हुआ

- पुरापाषाण युग के दौरान, मनुष्य शिकारियों के छोटे समूहों में रहते थे जो भोजन और संसाधनों की तलाश में विभिन्न वातावरणों में घूमते थे।
- उन्होंने विभिन्न उद्देश्यों के लिए विभिन्न प्रकार के पत्थर के औज़ारों का उपयोग करके विभिन्न जलवायु और परिदृश्यों के साथ स्वयं को अनुकूलित किया। उदाहरण के लिए, वे मांस और हड्डियों को काटने के लिए तेज ब्लेडों का उपयोग करते थे, जानवरों की खाल और सीपियों को छेदने के लिए नुकीले सिरों का उपयोग करते थे, और गुफाओं की

दीवारों पर आभूषण और प्रतीक बनाने के लिए उत्कीर्णक उपकरणों का उपयोग करते थे।

- उन्होंने उपकरण और कपड़े बनाने के लिए लकड़ी, हड्डी, सींग, हाथी दांत, सीप और पौधों के रेशों जैसी अन्य सामग्रियों का भी उपयोग किया।

सांस्कृतिक विकास

- पुरापाषाण युग मानव उद्विकास और सांस्कृतिक विकास का भी काल है।
- समय के साथ बड़े मस्तिष्क, छोटे दांत और जबड़े, चपटे चेहरे, लंबे अंग और शरीर पर अधिक बाल आदि परिवर्तनों के साथ धीरे-धीरे मनुष्यों की शारीरिक बनावट बदलती गयी।
- मनुष्यों ने भाषा कौशल का भी विकास किया जिससे वे एक-दूसरे के साथ अधिक प्रभावी ढंग से संवाद करने में सक्षम हुए।
- उन्होंने अपनी रचनात्मकता और भावनाओं को कला रूपों के माध्यम से व्यक्त किया, जैसे गुफा की दीवारों पर पेंटिंग (जिसे गुफा पेंटिंग या प्रागैतिहासिक कला के रूप में भी जाना जाता है), हड्डी या हाथी दांत से बनी मूर्तियां (जिन्हें लघु मूर्तियों या प्रतिमाओं के रूप में भी जाना जाता है), जानवरों की हड्डियों या सीपियों से बने संगीत वाद्ययंत्र (जिसे बांसुरी या सीटी के रूप में भी जाना जाता है), और मोतियों या सीपियों

से बने आभूषण (जिसे हार या कंगन के रूप में भी जाना जाता है)।

धार्मिक जीवन

- उन्होंने शवाधान (जिसे अंत्येष्टि संस्कार के रूप में भी जाना जाता है) जैसे अनुष्ठानों का भी आयोजन किया, जो उनके मृत रिश्तेदारों या पूर्वजों के प्रति उनके सम्मान को दर्शाता था।

पुरापाषाण युग की प्रासंगिकता

- पुरापाषाण युग मानव इतिहास का एक उल्लेखनीय काल था जिसने कई मायनों में हमारी आधुनिक दुनिया को आकार दिया।
- यह वह समय था जब मनुष्यों ने पहली बार विभिन्न प्रयोजनों के लिए पत्थर के औजारों का उपयोग करना सीखा; विभिन्न वातावरणों में कैसे अनुकूलन करें; शारीरिक विकास कैसे करें; मौखिक रूप से संवाद कैसे करें; कला कैसे बनाएं; भावनाओं को कैसे व्यक्त करें; जीवन का सम्मान कैसे करें; दूसरों के साथ सहयोग कैसे करें; कठोर परिस्थितियों में कैसे जीवित रहें; नई ज़मीन कैसे तलाशें; अन्य प्रजातियों के साथ कैसे बातचीत करें; संस्कृति का विकास कैसे करें; अपने अस्तित्व के चिह्न कैसे छोड़ें?

4.2. राम मंदिर

संदर्भ

22 जनवरी, 2024 को निर्धारित 'प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम' श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा का प्रतीक है।

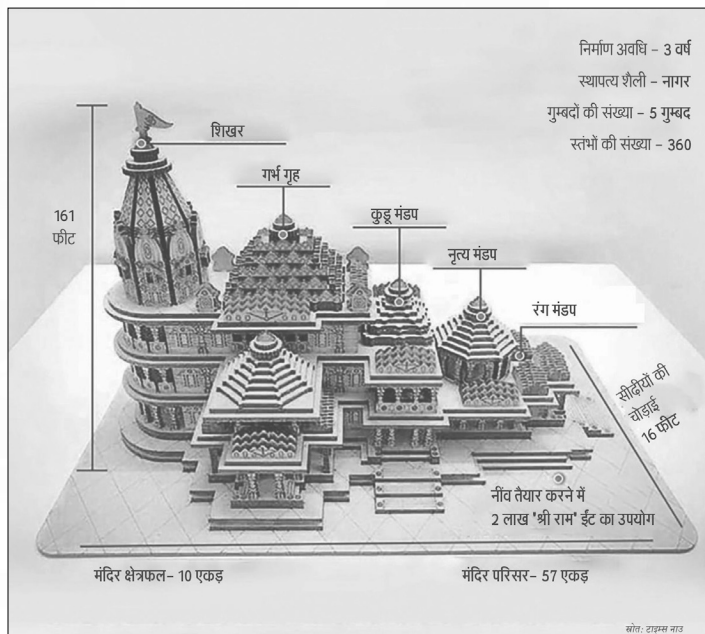
अयोध्या का राम मंदिर

- लाखों लोगों की भक्ति और आस्था का प्रतीक भव्य राम मंदिर अयोध्या की सांस्कृतिक और धार्मिक पहचान के केंद्र में है।
- गर्भगृह में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान के बाद, मंदिर को 24 जनवरी से भक्तों के लिए खोल दिया जाएगा।
- राम मंदिर के मूल डिज़ाइन की योजना वर्ष 1988 में अहमदाबाद के सोमपुरा परिवार द्वारा बनाई गई थी। यद्यपि, वास्तु शास्त्र और शिल्प शास्त्र के अनुरूप वर्ष 2020 में इसमें कुछ बदलाव किए गए थे।

वास्तुकला की नागर शैली की विशेषताएँ

- गुजराती चालुक्य वास्तुकला मंदिर वास्तुकला की नागर शैली से संबंधित है।
- मंडप: ये मुख्य मंदिर के सामने सभा स्थल हैं। दक्षिण भारत के विपरीत, इन मंदिरों में व्यापक चहारदीवारी या प्रवेश द्वार दुर्लभ ही होते हैं।
- शिखर: यह मंदिर का आयताकार या चौकोर आधार वाला गुम्बद होता है, जिसकी ऊंचाई और चौड़ाई अलग-अलग होती है। गर्भगृह सदैव शिखर के ठीक नीचे स्थित होता है।
- आमलक: शिखर का ऊर्ध्वधर सिरा एक क्षैतिज नालीदार चक्रिका की ओर जाता है, जिसे आमलक के नाम से जाना जाता है। शीर्ष पर एक गोलाकार आकृति स्थापित की जाती है जिसे कलश कहा जाता है।
- वाहन: यह प्रमुख देवता की सवारी को संदर्भित करता है, जो आमतौर पर गर्भगृह से दिखता है।
- मंडप: मंदिर के गर्भगृह में पांच मंडप और द्वार होंगे।
- ✓ भारत में नागर मंदिरों के उदाहरणों में कोणार्क और मोढेरा, गुजरात में सूर्य मंदिर शामिल हैं।

- सोमपुरा परिवार ने कम से कम 15 पीढ़ियों से दुनिया भर में 100 से अधिक मंदिरों के डिज़ाइन में योगदान दिया है, जिसमें सोमनाथ मंदिर भी शामिल है।



- श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण का प्रबंधन पूरी तरह से श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट द्वारा किया जाता है।

मंदिर की वास्तुकला

- राम मंदिर दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा हिंदू मंदिर परिसर होगा,

जिसकी चौड़ाई 235 फीट (72 मीटर), लंबाई 360 फीट (110 मीटर) और ऊंचाई 161 फीट (49 मीटर) होगी।

- मंदिर के वास्तुकार चंद्रकांत भाई सोमपुरा हैं (जिन्होंने गुजरात के अक्षरधाम मंदिर को भी डिजाइन किया था)।
- मंदिर का डिजाइन नागर शैली में निर्मित है, जो वास्तुकला की गुजरात-चालुक्य शैली से प्रभावित है।
- नागर शैली में मंदिर के 360 स्तंभ इसके आकर्षण और स्थापत्य बनावट को उत्कृष्ट बनाते हैं। राम मंदिर की डिजाइन संरचना से पता चलता है कि यह भारत का सबसे बड़ा मंदिर होगा।
- मंदिर एक वर्गाकार या आयताकार तल पर पत्थर या ईंटों से बनाए गए हैं, जिसके केंद्र में एक शिखर स्थित है।
- यह मंदिर तीन मंजिला है, जिसकी प्रत्येक मंजिल 20 फीट ऊंची है।
- ग्रेनाइट पत्थर का उपयोग:
 - ✓ नींव को रोलर-कॉम्पैक्ट कंक्रीट की 14 मीटर मोटी परत से बनाया गया है, जो इसे कृत्रिम चट्टान का रूप देता है।
 - ✓ जमीन की नमी से बचाने के लिए 21 फुट ऊंचा ग्रेनाइट का चबूतरा बनाया गया है।
- मंदिर निर्माण में कहीं भी लोहे का प्रयोग नहीं किया गया है।
- इस स्थापत्य शैली में, मंदिर छोटे बुजों से घिरा हुआ है जिन्हें **मुख मंडप** कहा जाता है।
- प्रथम तल पर श्री राम दरबार।
- पर्यावरण और जल संरक्षण पर बल देते हुए, 70 एकड़ क्षेत्र में से 70% क्षेत्र को हरा-भरा रखा गया है।
- राम मंदिर की ईंटों पर "श्री राम" लिखा है।
- पांच मंडप (हॉल) निम्न हैं
 - ✓ नृत्य मंडप ✓ सभा मंडप ✓ कीर्तन मंडप
 - ✓ रंग मंडप ✓ प्रार्थना मंडप
- देवता
 - ✓ भगवान राम, मंदिर के मुख्य देवता हैं इसलिए गर्भगृह में राम की मूर्ति राम के लला रूप में स्थापित की गई है।
 - ✓ परिसर के चारों कोनों पर सूर्य, भगवती, गणेश, शिव को समर्पित मंदिर हैं।
 - ✓ राम मंदिर की उत्तरी और दक्षिणी भुजा पर क्रमशः अन्नपूर्णा और हनुमान के मंदिर होंगे।
 - ✓ परिसर में महर्षि वाल्मिकी, वशिष्ठ, विश्वामित्र, अगस्त्य, निषाद राज, शबरी आदि के मंदिर प्रस्तावित हैं।

राम मंदिर का महत्व

सामाजिक सद्भाव

- मंदिर का निर्माण सामाजिक एकता को बढ़ावा देता है और देश में हिंदुओं की लंबे समय से चली आ रही धार्मिक और आध्यात्मिक आकांक्षा को पूरी करता है।
- अयोध्या विवाद और राम मंदिर के निर्माण में हिंदुओं और मुसलमानों के बीच दशकों से चले आ रहे धार्मिक संघर्ष को समाप्त करने, सामाजिक सद्भाव और धार्मिक शांति स्थापित करने की क्षमता है।

सांस्कृतिक संरक्षण

- अयोध्या का प्राचीन भारतीय महाकाव्य (रामायण) से एक मजबूत ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंध है।
- मंदिर भवन भारत की सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण और उत्सव का प्रतीक है।

अवसंरचना का विकास

- अयोध्या धीरे-धीरे विकास के नए मील के पत्थर स्थापित कर रही है और खुद को आध्यात्मिक राजधानी के रूप में स्थापित कर रही है।
- **आर्थिक:** राम मंदिर का निर्माण आर्थिक विकास को पुनर्जीवित कर सकता है, रोजगार उत्पन्न कर सकता है और **पर्यटन बढ़ा** सकता है, जिसके परिणामस्वरूप स्थानीय विकास के अवसर बढ़ सकते हैं।

राम मंदिर से जुड़ी ऐतिहासिक घटनाएँ

- 1528: मुगल बादशाह बाबर के अधीन एक सेनापति मीर बाकी ने वर्ष 1528 और वर्ष 1529 के बीच बाबरी मस्जिद का निर्माण कराया।
- 1859: ब्रिटिश औपनिवेशिक प्रशासन द्वारा पूजा स्थलों को अलग करने के लिए बाइबंदी की गयी, जिससे मुसलमानों को आंतरिक भाग और हिंदुओं को बाहरी भाग का उपयोग करने की अनुमति मिली।
- 1986: एक जिला न्यायाधीश ने निर्देश दिया कि विवादित मस्जिद के दरवाजे खोल दिए जाएं ताकि हिंदू वहां पूजा कर सकें। बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी का गठन किया गया।
- 2003: भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) ने मस्जिद स्थल की जांच की, मस्जिद के नीचे एक मंदिर के संकेत मिले।
- 2019: 9 नवंबर को उच्चतम न्यायालय द्वारा आदेश दिया गया कि विवादित भूमि (2.77 एकड़) को राम जन्मभूमि मंदिर बनाने के लिए एक ट्रस्ट को सौंप दिया जाए और सुनौती वक्फ बोर्ड को मस्जिद बनाने के लिए अयोध्या में अतिरिक्त 5 एकड़ जमीन दी जाए।

अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान

- अयोध्या शोध संस्थान को अंतर्राष्ट्रीय शोध संस्थान का दर्जा प्राप्त है।

अयोध्या

- अयोध्या उत्तर प्रदेश में पवित्र सरयू नदी के तट पर स्थित एक शहर है।
- अयोध्या जिसे पहले साकेत के नाम से जाना जाता था, कोशल साम्राज्य की प्रारंभिक राजधानी थी।

अयोध्या अनुसंधान संस्थान

- इसे प्रचलित रूप में 'अयोध्या शोध संस्थान' के नाम से जाना जाता है और इसे अगस्त 1986 में शुरू किया गया था और ऐतिहासिक तुलसी स्मारक भवन में स्थित किया गया था।
- यह राज्य सरकार के संस्कृति विभाग के अधीन एक स्वायत्त निकाय है।

- **कुमारगुप्त और स्कंदगुप्त के शासनकाल के दौरान**, साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र से अयोध्या स्थानांतरित कर दी गई और साकेत का प्राचीन नाम बदलकर अयोध्या कर दिया गया।
- 11वीं और 12वीं शताब्दी में, अयोध्या में **कन्नौज साम्राज्य** का उदय हुआ जिसे अवध के नाम से भी जाना जाता है।
- 18वीं शताब्दी में, 1764 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से पराजित होने से पहले अवध स्वतंत्र था।
- अंग्रेजों ने अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया, जिससे वंशानुगत भू-राजस्व प्राप्तकर्ताओं के अधिकार समाप्त होने के कारण 1857 में भारतीय विद्रोह हुआ।
- वर्ष 1877 में, उत्तर-पश्चिमी प्रांत बनाने के लिए अवध को आगरा प्रेसीडेंसी में मिला दिया गया, जो बाद में आगरा और अवध का संयुक्त प्रांत बन गया, जो अब उत्तर प्रदेश राज्य है।

4.3. कालाराम मंदिर

संदर्भ

हाल ही में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के मंदिरों के शहर नासिक में प्रतिष्ठित कालाराम मंदिर का दौरा किया।

कालाराम मंदिर

- कालाराम मंदिर महाराष्ट्र के नासिक शहर के पंचवटी क्षेत्र में गोदावरी के तट पर स्थित है।

मंदिर की विशिष्टता और वास्तुकला

- कालाराम मंदिर का नाम भगवान कालाराम की एक काली मूर्ति से लिया गया है जिसका शाब्दिक अर्थ «काला राम» है।
- गर्भगृह में राम, सीता एवं लक्ष्मण की मूर्तियाँ हैं और मुख्य द्वार पर हनुमान की एक काली मूर्ति है।
- इस मंदिर में प्रतिदिन हजारों श्रद्धालु आते हैं और इसे वर्ष 1792 में पेशवा सरदार रंगाराव ओढेकर के प्रयासों से बनाया गया था।
- ऐसा मान्यता है कि सरदार ओढेकर को गोदावरी नदी में भगवान राम की एक काले रंग की मूर्ति होने का स्वप्न आया था, उन्होंने मूर्तियों को नदी से प्राप्त किया और मंदिर का निर्माण कराया।
- मुख्य मंदिर में 14 सीढ़ियाँ हैं, जो राम के 14 वर्ष के वनवास को दर्शाती हैं।
- इसमें 84 स्तंभ हैं, जो 84 लाख प्रजातियों के चक्र (जिन्हें मनुष्य के रूप में जन्म लेने के लिए पूरा करना होता है) का प्रतिनिधित्व करते हैं।
- मंदिर परिसर में एक बहुत पुराना पेड़ भी है, जिसके नीचे पत्थर पर



भगवान दत्तात्रेय के पैरों के निशान बने हुए हैं।

पंचवटी की विशिष्टता

- पंचवटी का रामायण में एक विशेष स्थान है, इसलिए हिंदू धर्म में भी इसका विशेष स्थान है।
- पंचवटी मध्य भारत में दंडकारण्य का एक भाग है, जिसका रामायण में भगवान राम के वनवास के दौरान प्रारंभिक निवास के रूप में महत्व है।

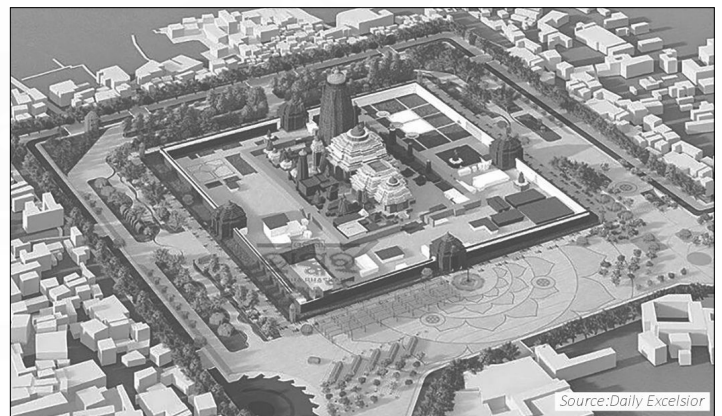
4.4. श्री परिक्रमा परियोजना

संदर्भ

ओडिशा सरकार ने पुरी में जगन्नाथ मंदिर के आसपास केंद्रित 800 करोड़ रुपये की व्यापक परिधीय विकास पहल, श्री मंदिर परिक्रमा प्रकल्प परियोजना का उद्घाटन किया है।

श्री मंदिर परिक्रमा प्रकल्प परियोजना

- इसमें हेरिटेज कॉरिडोर शामिल है, जो मंदिर को नौ क्षेत्रों में विभाजित करने वाला 75 मीटर चौड़ा गलियारा है।
- इसमें औपचारिक शोभायात्रा के लिए 10 मीटर का अंतर प्रदिक्षना और पीने के पानी की सुविधा, मिनी-क्लॉक रूम, सूचना-सह-दान केंद्र, टॉयलेट और एक आपातकालीन लेन से सुसज्जित एक सार्वजनिक सुविधा क्षेत्र भी है।
- इसमें मेघनादा पचेरी (मंदिर की दीवार) से सटे 7 मीटर हरे रंग का बफर जोन शामिल है।
- राज्य सरकार ने लोगों की भागीदारी को प्रोत्साहित करते हुए प्रत्येक गांव में अर्पण रथों के जुलूस के साथ एक व्यापक आउटरीच कार्यक्रम आयोजित किया।



- यह मंदिर सभी हिंदुओं, विशेष रूप से वैष्णव परंपराओं के लिए पवित्र है (अभिमान क्षेत्रम वैष्णव परंपरा का हिस्सा है)।
- रामानुजाचार्य, निम्बार्काचार्य, वल्लभाचार्य और रामानंद जैसे प्रसिद्ध वैष्णव संतों का इस मंदिर के साथ घनिष्ठ संबंध रहा है।

जगन्नाथ पुरी मंदिर

- यह जगन्नाथ (विष्णु का एक रूप) को समर्पित सबसे महत्वपूर्ण हिंदू मंदिर है।

- यह पुरी में रहने वाले चैतन्य महाप्रभु सहित **गौड़ीय वैष्णववाद** के अनुयायियों को आकर्षित करता है।
- मंदिर की अद्वितीय विशेषता यह है कि जगन्नाथ की प्रतिमा लकड़ी (नीम की लकड़ी, जिसे दारू के नाम से जाना जाता है) से बनी है और इसे प्रत्येक 12 या 19 साल में एक प्रतिकृति द्वारा औपचारिक रूप से बदल दिया जाता है।
- कलिंग वास्तुकला में निर्मित यह मंदिर, चार धाम तीर्थ स्थलों में से एक है।

मंदिर निर्माण

- वर्तमान मंदिर का निर्माण 10 वीं ईस्वी से पहले का है, जिसका पुनर्निर्माण पूर्वी गंग वंश के राजा अनंतवर्मन चोडगंगा ने किया था।

- मंदिर परिसर का परवर्ती राजाओं के अधीन और विकास हुआ, जिनमें गंगा और गजपति राजवंश शामिल थे।

रथ यात्रा

- इसे हिंदू परंपरा में सबसे बड़ा और सबसे पुराना रथ उत्सव माना जाता है।
- यह रथ यात्रा आषाढ़ (जून या जुलाई) माह के शुक्ल पक्ष के दौरान प्रत्येक वर्ष आयोजित की जाती है।
- इस त्योहार में देवताओं को ले जाने वाले विशाल काष्ठ रथों को जगन्नाथ मंदिर से गुंडिचा मंदिर तक औपचारिक रूप से खींचना शामिल है, जहां वे जगन्नाथ मंदिर (बहुदा यात्रा) में अपने निवास पर लौटने से पहले एक सप्ताह तक रहते हैं।

4.5. डोगरी लोक नृत्य

संदर्भ

हाल ही में, भारत सरकार द्वारा जम्मू के डोगरी लोक नर्तक रोमालो राम को प्रतिष्ठित पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

डोगरी लोक नृत्य

- **शैली:** जम्मू के डुग्गर क्षेत्र से उत्पन्न, डोगरी लोक नृत्य डोगरा समुदाय की विशिष्ट सांस्कृतिक पहचान का खूबसूरत प्रतीक है।
- **समूह संरचना:** सामान्य रूप से एक सहयोगात्मक प्रयास वाले इस नृत्य शैली में कलाकारों का एक समूह एक साथ भाग लेता है। प्रमुख (मुख्य) कलाकार न केवल नृत्य करता है बल्कि गायन भी करता है, जबकि अन्य लोग चिमटा और ड्रम जैसे वाद्ययंत्रों का उपयोग करते हुए एक ताल में सहयोग करते हैं।
- **सामाजिक समारोह और उत्सव:** डोगरी लोक नृत्य विभिन्न सामाजिक समारोहों में उत्सव का वातावरण तैयार करने के लिए उत्सवों में महत्वपूर्ण स्थान रखता है, जो सामुदायिक आनंद और भावना का प्रतीक है।
- **प्रदर्शन में विविधता:** यह नृत्य शैली विविध परिवर्तनों को प्रदर्शित करती है, जिसमें कुछ अभिनय में महिला और पुरुष दोनों शामिल होते हैं, जबकि अन्य अभिनय विशेष रूप से महिलाओं द्वारा प्रस्तुत किए जाते हैं। रंगीन पारंपरिक पोशाक का उपयोग इन सांस्कृतिक प्रदर्शनों की जीवंतता को बढ़ाता है।



Source: Pinterest

डोगरी भाषा

- **भौगोलिक प्रसार:** यह भाषा मुख्य रूप से जम्मू और कश्मीर के जम्मू क्षेत्र में बोली जाती है। इसके अलावा, पश्चिमी हिमाचल प्रदेश, उत्तरी पंजाब और उत्तर-पूर्वी पाकिस्तानी पंजाब में डोगरी बोलने वाले छोटे समुदाय हैं।
- **आधिकारिक मान्यता:** वर्ष 2003 से डोगरी को भारत की 22 अनुसूचित भाषाओं में से एक के रूप में मान्यता दी गई है और इसे जम्मू एवं कश्मीर में पांच आधिकारिक भाषाओं में भी शामिल किया गया है।
- **लेखन और लिपि:** डोगरी ऐतिहासिक रूप से पुरानी डोगरा अक्षर लिपि में लिखी गई थी, जिसे बाद में महाराजा रणबीर सिंह द्वारा डोगरा

अक्षर में संशोधित किया गया (जिसे लोकप्रियता प्राप्त नहीं हुई) था। वर्तमान में डोगरी भाषा की आधिकारिक लिपि देवनागरी है।

- **सांस्कृतिक महत्व:** कविता, कथा और नाटकीय रचनाओं को शामिल करने वाली एक समृद्ध साहित्यिक परंपरा के साथ, डोगरी भाषा डोगरा समुदाय की सांस्कृतिक और भाषाई विरासत को संरक्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
- **साहित्यिक योगदान:** वर्ष 1873 में, संस्कृत के प्रतिष्ठित लीलावती ग्रन्थ को डोगरी भाषा में अनुवादित करके प्रकाशित किया गया था।
- **कवि और पत्रिकाएँ:** कवि दत्त जैसे चर्चित कवियों ने डोगरी साहित्य में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। "शिराज़ा डोगरी" (जम्मू और कश्मीर कला, संस्कृति और भाषा अकादमी द्वारा प्रकाशित) जैसी साहित्यिक पत्रिकाएँ डोगरी रचनाओं को बढ़ावा देती हैं।
- **आधिकारिक स्थिति:** साहित्य अकादमी की सामान्य परिषद द्वारा "स्वतंत्र आधुनिक साहित्यिक भाषा" के रूप में नामित, डोगरी को वर्ष 2003 में संविधान में अपनी मान्यता के बाद भारत में राष्ट्रीय भाषा का दर्जा प्रदान किया गया था।

4.6. सिलंबम

संदर्भ

तमिलनाडु के पारंपरिक खेल **सिलंबम** को खेलो इंडिया यूथ गेम्स के इतिहास में पहली बार प्रदर्शन खेल (demo sport) के रूप में पेश किया जा रहा है।

सिलंबम क्या है?

- यह मूल रूप से तमिलनाडु में होने वाली एक भारतीय मार्शल आर्ट है। इस शैली का उल्लेख तमिल संगम साहित्य में भी मिलता है।
- सिलम्पादिकारम और संगम साहित्य के अन्य ग्रंथों में इसका उल्लेख है जिससे पता चलता है कि सिलंबम का अभ्यास ईसा पूर्व चौथी शताब्दी से किया जाता रहा है।
- 'सिलम्बम' शब्द केरल के कुरिंजी पहाड़ियों के एक विशेष प्रकार

के बांस को संदर्भित करता है। इस प्रकार के बांस का उपयोग पहले आत्मरक्षा और जानवरों से बचने के लिए किया जाता था और बाद में यह मार्शल आर्ट के रूप में विकसित हुआ।

- मदुरै शहर सिलंबम प्रसार के केंद्र बिंदु के रूप में बनाया गया है।
- सिलंबम स्टाफ को यूनानियों, रोमनवासियों और मिश्रवासियों द्वारा अपनाया गया था और मध्य पूर्व, उत्तरी अफ्रीका और यूरोप में इनकी सहायता की गई थी।

4.7. पद्म पुरस्कार

प्रसंग

भारत की पहली महिला हाथी महावत, पारबती बरुआ, आदिवासी पर्यावरणविद् चामी मुर्मू और मिजोरम के सामाजिक कार्यकर्ता संगथंकिमा भारत के चौथे सर्वोच्च नागरिक सम्मान, पद्म श्री पुरस्कार के 32 प्राप्तकर्ताओं में से हैं।

पद्म पुरस्कार

- पद्म पुरस्कार भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों में से एक है, जिसकी स्थापना वर्ष 1954 में की गई थी।
 - वर्ष 1978 और 1979 तथा 1993 से 1997 के दौरान संक्षिप्त व्यवधानों को छोड़कर प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर इसकी घोषणा की जाती है।
 - यह पुरस्कार भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किया जाता है।
 - यह पुरस्कार के द्वारा सार्वजनिक सेवा-संबंधी कार्यों और विषयों में उत्कृष्टता को मान्यता दी जाती है।
 - पुरस्कार कोई उपाधि नहीं है और इसे प्राप्तकर्ता के नाम के साथ प्रत्यय या उपसर्ग के रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता है।
1. पद्म विभूषण : असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए।
 2. पद्म भूषण : उच्च कोटि की विशिष्ट सेवा के लिए।
 3. पद्म श्री : विशिष्ट सेवा के लिए।

पात्रता

- ये पुरस्कार जाति, व्यवसाय, स्थिति या लिंग से परे सभी व्यक्ति इसे प्राप्त करने की योग्य रखते हैं।
- कोई व्यक्ति अपने पिछले पुरस्कार से कम से कम पांच साल बाद उच्च

श्रेणी का पद्म पुरस्कार प्राप्त कर सकता है।

पात्र नहीं है

- डॉक्टरों और वैज्ञानिकों को छोड़कर सरकारी कर्मचारी, जिनमें पीएसयू के लिए काम करने वाले लोग भी शामिल हैं, इन पुरस्कारों के लिए पात्र नहीं हैं।
- सामान्यतः यह पुरस्कार मरणोपरांत नहीं दिया जाता है। हालाँकि, विशेष रूप से योग्य परिस्थितियों में, सरकार मरणोपरांत पुरस्कार देने पर विचार कर सकती है।

नामांकन प्रक्रिया

- पद्म पुरस्कारों के लिए प्राप्त सभी नामांकन पद्म पुरस्कार समिति के समक्ष रखे जाते हैं, जिसका गठन प्रत्येक वर्ष प्रधानमंत्री द्वारा किया जाता है।
- पद्म पुरस्कार समिति की अध्यक्षता कैबिनेट सचिव करते हैं और इसमें गृह सचिव, राष्ट्रपति के सचिव और चार से छह प्रतिष्ठित व्यक्ति सदस्य के रूप में शामिल होते हैं।
- समिति की सिफारिशें अनुमोदन के लिए प्रधानमंत्री और भारत के राष्ट्रपति को प्रस्तुत की जाती है।

4.8. भारत रत्न

सन्दर्भ

हाल ही में समाजवाद के प्रतीक बिहार के प्रखर समाजवादी पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को मरणोपरांत भारत रत्न प्रदान करने की घोषणा की गई है।

कर्पूरी ठाकुर के बारे में

- कर्पूरी ठाकुर जो 'जन नायक' (People's Leader) के रूप में जाने

जाते थे, राम मनोहर लोहिया को अपना गुरु मानते थे। **आचार्य नरेंद्र और जयप्रकाश नारायण** देव उनके आदर्श थे।

- उन्होंने आठवीं कक्षा तक की शिक्षा निःशुल्क कर दिया था। उर्दू को दूसरी आधिकारिक भाषा घोषित किया गया था।
- वर्ष 1978 में उन्होंने बिहार में पिछड़े वर्गों के लिए 26% आरक्षण लागू किया।
- वह मुंगेरी लाल आयोग की सिफारिशों को लागू करने के लिए प्रसिद्ध हैं, जिसने इस कोटा व्यवस्था की नींव रखी।
- इसके कारण घटनाओं की एक श्रृंखला शुरू हो गई जिसकी परिणति 1990 में मंडल आयोग की सिफारिशों के रूप में हुई।

भारत रत्न

- देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार "भारत रत्न" वर्ष 1954 में शुरू किया गया था।
- जाति, व्यवसाय, पद या लिंग के भेदभाव के बिना कोई भी व्यक्ति इन पुरस्कारों के लिए पात्र है।
- यह मानव प्रयास के किसी भी क्षेत्र में उच्चतम स्तर की असाधारण सेवा/प्रदर्शन को मान्यता देने के लिए प्रदान किया जाता है।
- राष्ट्रपति से भारत रत्न के लिए स्वयं प्रधानमंत्री द्वारा सिफारिशें की जाती हैं।
- इसके लिए किसी औपचारिक अनुशांसा की आवश्यकता नहीं है।

भारत रत्न पाने के लाभ

- भारत रत्न पुरस्कार विजेताओं को भारत भर में यात्रा करते समय राज्य अतिथि के रूप में माना जाता है।
- पुरस्कार विजेताओं के हवाई अड्डे पर एक वीआईपी लाउंज और एक पृथक आव्रजन स्टेशन होता है।

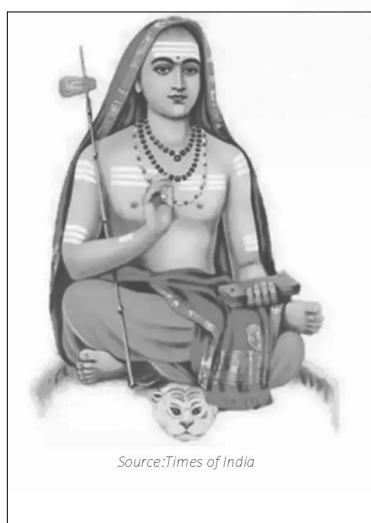


- एयर इंडिया आजीवन प्रथम श्रेणी उड़ान यात्रा की निःशुल्क पेशकश करती है।
- पुरस्कार विजेता आवश्यकतानुसार Z-श्रेणी की सुरक्षा प्राप्त कर सकते हैं।
- गृह मंत्रालय द्वारा जारी वरीयता तालिका में भारत रत्न पुरस्कार विजेताओं को 7A स्थान पर रखा जाता है।
- भारत रत्न पुरस्कार के विजेताओं को भारत के प्रधानमंत्री के वेतन के 50% के बराबर पेंशन प्राप्त होती है। इसके अतिरिक्त, सभी प्राप्तकर्ताओं को सनद नामक एक प्रमाण पत्र और एक पीपल के पत्ते के आकार का पदक प्राप्त होता है।

4.9. शंकराचार्य एवं आदि-शंकराचार्य

संदर्भ

हाल ही में, द्वारका, जोशीमठ, पुरी और श्रृंगेरी के हिंदू मठों का प्रतिनिधित्व करने वाले चार शंकराचार्यों के अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन में शामिल न होने के निर्णय ने ध्यानाकर्षित किया है।



शंकराचार्य

- शब्द "शंकराचार्य" का अर्थ होता है - 'शंकर के मार्ग के शिक्षक' के और यह एक धार्मिक उपाधि है जो चार प्रमुख मठों या पीठों के प्रमुखों द्वारा धारण की जाती है। ऐसी मान्यता है कि इनकी स्थापना आदि शंकराचार्य (लगभग 788 ई. - 820 ई.) द्वारा की गई थी।
- परंपरा के अनुसार, ये धार्मिक शिक्षक उस वंश से संबंधित हैं जिससे स्वयं आदि शंकराचार्य सम्बंधित हैं। हालाँकि, 14वीं

शताब्दी में विजयनगर साम्राज्य द्वारा श्रृंगेरी मठ को सहायता देना प्रारंभ करने से पूर्व की अवधि में इन मठों के अस्तित्व के ऐतिहासिक साक्ष्य बहुत कम मिलते हैं।

- भारतविद पॉल हैकर का मानना है कि वर्ष 1386 से पहले, श्रृंगेरी मठ के निदेशकों (प्रमुखों) की ऐतिहासिक समयावधि अविश्वसनीय रूप से लंबी होती थी, जिनमें से प्रत्येक की अवधि 60 वर्ष से अधिक थी।
- यह कथन संभावित रूप से इन मठों को वैध प्रमाणित करने के लिए वंश की पूर्वव्यापी स्थापना के बारे में प्रश्नचिह्न लगाता है।
- वंश की पूर्वव्यापी स्थापना का उद्देश्य इन मठों को वैधता प्रदान करना, उन्हें ज्ञान और शिक्षा के केंद्रों में परिवर्तित करना हो सकता है। इन मठों में आज धार्मिक स्थल, मंदिर, पुस्तकालय और आवास शामिल हैं, जो शंकर की परंपरा को संरक्षित करने और आगे बढ़ाने के लिए समर्पित जटिल और व्यापक संगठन का निर्माण करते हैं।

आदि-शंकर

- आदि शंकर का जन्म वर्तमान केरल के एर्नाकुलम जिले में पेरियार नदी के किनारे स्थित कलाडी गाँव में हुआ था।
- **विद्वान-भिक्षु जीवन:** गोविंदाचार्य के मार्गदर्शन में अध्ययन शुरू करने के बाद, शंकर एक विद्वान-भिक्षु बन गए। उन्होंने बड़े पैमाने पर यात्राएँ कीं, प्रचलित दार्शनिक परंपराओं को चुनौती दी, मठों की स्थापना की और मठवासी परम्परा की व्यवस्था की।
- **भौगोलिक यात्राएँ:** शंकर की यात्राएँ तमिलनाडु के कांची से लेकर असम के कामरूप तक व्याप्त हैं, जिसमें कश्मीर, हिमालय केदार और

बद्री धाम, गंगा पर काशी (वाराणसी) और बंगाल की खाड़ी पर पुरी जैसे क्षेत्र शामिल थे।

- **अद्वैत वेदांत का प्रचार:** आदि शंकराचार्य (शंकर) ने पूरे भारत में अद्वैत वेदांत दर्शन का प्रचार करते हुए कट्टरपंथी अद्वैतवाद (जहां अनुभवजन्य धारणा को भ्रामक माना जाता है और ब्रह्म का सिद्धांत यथार्थ वास्तविकता है) पर जोर दिया।
- **वहुकृतिक रचनाकार:** उन्हें 116 रचनाओं के लेखक के रूप में श्रेय दिया जाता है, जिसमें 10 उपनिषदों, ब्रह्मसूत्र और भगवद गीता पर प्रसिद्ध टिप्पणियाँ (भाष्य) शामिल हैं।

4.10. इंडियन नेशनल आर्मी (INA)

संदर्भ

23 जनवरी, 2024 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 127 वीं वर्षगांठ मनायी गयी।

आईएनए

- इसे आज़ाद हिंद फ़ौज के नाम से भी जाना जाता है।
- **उद्देश्य:** भारत को ब्रिटिश शासन से स्वतंत्र कराना।
- **मुख्यालय:** सिंगापुर, बाद में म्यांमार के रंगून में स्थानांतरित किया गया (जनवरी 1944 से)।
- **लड़ाकू ब्रिगेड:** इनका नाम गांधी, आज़ाद, नेहरू, बोस और रानी झाँसी ब्रिगेड (एक पूर्ण रूपेण महिला बल) के नाम पर रखा गया था।
- **पुनरुद्धार:** वर्ष 1943 में सुभाष चंद्र बोस द्वारा। 12,000 - मजबूत आईएनए सैनिकों से बढ़कर अंततः 40,000 से अधिक सैनिक शामिल।
 - ✓ मलाया (मलेशिया) और बर्मा में भारतीय निर्वासित आबादी के कई नागरिक स्वयंसेवक भी शामिल हुए। इसकी अपनी मुद्रा, डाक टिकट और प्रतीक थे जो स्वतंत्र भारत की परिकल्पना को दर्शाते थे।
- **सफल अभियान:** आईएनए ने बर्मा सीमा को पार करके मार्च 1944 में भारतीय धरती पर पहुंचकर तिरंगा झंडा फहराया तथा इसके उपरान्त कोहिमा और इंफाल तक पहुँच गयी।
 - ✓ इसके द्वारा अंडमान द्वीप समूह और मणिपुर के कुछ हिस्सों पर

बहुत कम समय के लिए नियंत्रण स्थापित कर लिया गया था। दो नारे "दिल्ली चलो" और "जय हिंद" आईएनए के युद्ध घोष थे।

- **सकारात्मक प्रभाव**
 - ✓ यद्यपि आईएनए को वर्ष 1945 में भंग कर दिया गया था, किन्तु इसने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित किया। इसने भारतीय सैनिकों को उत्तेजित कर दिया जिसकी परिणति वर्ष 1946 में रॉयल इंडियन नेवी और रॉयल इंडियन एयरफोर्स के विद्रोह के रूप में परिलक्षित हुई।
 - ✓ शाह नवाज खान, प्रेम सहगल और गुरबख्श सिंह दिल्ली ने सबसे पहले और सबसे प्रसिद्ध कोर्ट मार्शल (INA-Trial) का सामना किया ,और भारतीयों की एकता का एक शक्तिशाली प्रतीक बन गए।
 - ✓ आईएनए सांप्रदायिक विभाजन से बिल्कुल भी प्रभावित नहीं था। उन्होंने सशस्त्र संघर्ष में शामिल भारतीय महिलाओं की क्षमताओं और अपनी मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिए प्रवासी भारतीयों के उत्साह और चिंताओं का भी प्रदर्शन किया।

5. पर्यावरण, भूगोल एवं आपदा प्रबंधन

5.1. आनुवंशिक रूप से संशोधित सरसों- डीएमएच-11

संदर्भ

हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से सवाल किया है कि उसने तकनीकी विशेषज्ञ समिति (टीईसी) की रिपोर्टों पर विचार क्यों नहीं किया, जिसे अदालत ने डीएमएच-11 की जीएम फसल की जैव सुरक्षा की जांच के लिए नियुक्त किया था।

आनुवंशिक रूप से संशोधित (जीएम) फसलें

- आनुवंशिक रूप से संशोधित (जीएम) फसलें आनुवंशिक रूप से संशोधित (जीएम) जीवों का एक उपप्रकार है।
- डब्ल्यूएचओ के अनुसार, आनुवंशिक रूप से संशोधित जीवों (जीएमओ) को ऐसे जीवों (यानी पौधे, जानवर या सूक्ष्मजीव) के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिनमें आनुवंशिक सामग्री (डीएनए) को इस तरह से बदल दिया गया है जो संभोग और/या प्राकृतिक पुनर्संयोजन द्वारा स्वाभाविक रूप से नहीं होता है।
- प्रौद्योगिकी को अक्सर “आधुनिक जैव प्रौद्योगिकी” या “जीन प्रौद्योगिकी” कहा जाता है, कभी-कभी “पुनः संयोजक डीएनए प्रौद्योगिकी” या “आनुवंशिक इंजीनियरिंग” भी कहा जाता है।
- जेनेटिक इंजीनियरिंग एक जीव से दूसरे जीव में, यहां तक कि असंबद्ध प्रजातियों में भी विशिष्ट जीन के स्थानांतरण की सुविधा प्रदान करती है।
- आनुवंशिक रूप से संशोधित (जीएम) जीवों से प्राप्त या उपयोग किए जाने वाले परिणामी उत्पादों को आमतौर पर जीएम खाद्य पदार्थ या फसल कहा जाता है।

आनुवंशिक रूप से संशोधित (जीएम) फसलों के उद्देश्य

- आनुवंशिक रूप से संशोधित (जीएम) फसलें, आनुवंशिक इंजीनियरिंग का उपयोग करके परिवर्तित की जाती हैं, जिसका उद्देश्य कीट प्रतिरोध, रोग प्रतिरोध और शाकनाशी सहिष्णुता जैसे लक्षण पेश करना है।
- इन फसलों को पोषण मूल्य बढ़ाने, दवा उत्पादन और जैव ईंधन विकास के लिए भी संशोधित किया गया है।

जीएम फसलों का उत्पादन

- जीएम फसलें पहली बार 1990 के दशक के मध्य में संयुक्त राज्य अमेरिका में पेश की गईं, वर्तमान में विश्व स्तर पर व्यापक रूप से खेती और उपयोग की जाती हैं।
- भारत में, बीटी कपास एकमात्र स्वीकृत जीएम फसल है, जो देश के 90% से अधिक कपास क्षेत्र को कवर करती है।

जीएमओ फूड्स के लाभ

- कीट नियंत्रण
 - ✓ आनुवंशिक संशोधन में बैसिलस थुरिंगिएन्सिस से बीटी जीन जैसे सुरक्षात्मक जीन का परिचय दिया जाता है, जो मक्का, कपास और सोयाबीन जैसी फसलों में कीटों के लिए प्राकृतिक प्रतिरोध प्रदान करता है।

- ✓ कीटनाशकों में कमी: 1996 में अमेरिका में पेश किए गए कीट-प्रतिरोधी जीएम मकई ने कीटनाशकों के उपयोग को 90% तक कम कर दिया है, जिससे किसानों के समय और संसाधनों की बचत हुई है।
- ✓ बेहतर उत्तरजीविता और अधिक उपज: कुछ जीएमओ फसलों को जीन के साथ संशोधित किया जाता है जो सूखे जैसी तनावपूर्ण परिस्थितियों में जीवित रहने और ब्लाइट जैसी बीमारियों के प्रतिरोध को बढ़ाता है जिसके परिणामस्वरूप किसानों के लिए अधिक उपज होती है।
- बढ़ा हुआ पोषण मूल्य
 - ✓ आनुवंशिक संशोधन खाद्य पदार्थों की पोषण सामग्री को बढ़ा सकता है, उदाहरण के लिए, विटामिन ए की कमी को दूर करने के लिए उच्च बीटा-कैरोटीन वाला सुनहरा चावल।
- स्थायी कृषि
 - ✓ जीएमओ प्रौद्योगिकी सतत प्रणालियों की सुविधा प्रदान करती है, जैसे बिना जुताई वाली खेती, जो वायुमंडल से कार्बन ग्रहण करती है और मिट्टी के स्वास्थ्य को बढ़ाती है।
- जलवायु परिवर्तन शमन
 - ✓ सड़क से 15.6 मिलियन कारों को हटाने के बराबर ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में कटौती करने में भूमिका निभाई।
- फसल सुरक्षा
 - ✓ हानिकारक कीड़ों, आक्रामक खरपतवारों और बीमारियों के खिलाफ लक्षित सुरक्षा प्रदान करते हैं, अन्य जीवों या पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना फसलों की सुरक्षा करते हैं।

आनुवंशिक रूप से संशोधित (जीएम) फसलों के नुकसान

- पारिस्थितिकी तंत्र व्यवधान और जैव विविधता जोखिम
 - ✓ वांछित लक्षण उत्पन्न करने के लिए जेनेटिक इंजीनियरिंग विशिष्ट जीवों का पक्ष ले सकती है, जिससे पारिस्थितिकी तंत्र में व्यवधान और जैव विविधता के लिए उच्च जोखिम पैदा हो सकता है। यह परिवर्तन जीन प्रवाह की प्राकृतिक प्रक्रिया को बाधित कर सकता है।
- खेती की बढ़ी हुई लागत और विपणन
 - ✓ जीएम फसल उत्पादन से खेती की लागत बढ़ सकती है और लाभ-संचालित कृषि पद्धतियों पर ध्यान केंद्रित किया जा सकता है।
- कीट प्रतिरोध का विकास
 - ✓ कीट-प्रतिरोधी गुणों वाली जीएम फसलों के अत्यधिक उत्पादन से समय के साथ प्रभावशीलता कम हो सकती है। कीट निवारक के रूप में उपयोग किए जाने वाले विषाक्त पदार्थों के प्रति प्रतिरोध विकसित कर सकते हैं।

- शाकनाशी का उपयोग और स्वास्थ्य जोखिम
 - ✓ जैविक रूप से परिवर्तित जीएम खाद्य पदार्थ मानव स्वास्थ्य के लिए जोखिम पैदा कर सकते हैं, जिससे उपभोक्ताओं पर प्रभाव का गहन मूल्यांकन आवश्यक हो जाता है।
 - ✓ राउंडअप जैसी शाकनाशियों का विरोध करने के लिए तैयार की गई जीएमओ फसलें, शाकनाशी के बढ़ते उपयोग और संबंधित स्वास्थ्य जोखिमों के बारे में चिंताएं बढ़ाती हैं।

आनुवंशिक रूप से संशोधित जीवों से संबंधित वैश्विक सम्मेलन

- जैविक विविधता पर कन्वेंशन (सीबीडी में वर्ष का भी उल्लेख है):
 - ✓ जैव विविधता संरक्षण के लिए कानूनी रूप से बाध्यकारी संधि।
 - ✓ उद्देश्यों में जैविक विविधता का संरक्षण, घटकों का टिकाऊ उपयोग और आनुवंशिक संसाधन उपयोग से लाभों का उचित साझाकरण शामिल है।
- जैव सुरक्षा पर कार्टाजेना प्रोटोकॉल
 - ✓ जीवित संशोधित जीवों (एलएमओ) के सीमा पार गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करता है।
 - ✓ जानवरों सहित जीएमओ के प्रबंधन, परिवहन और उपयोग को संबोधित करता है।
 - ✓ 2000 में स्वीकृत, 2003 में लागू हुआ।
- नागोया प्रोटोकॉल
 - ✓ आनुवंशिक संसाधनों तक पहुंच और जीएमओ सहित उनके उपयोग से होने वाले लाभों के उचित बंटवारे से संबंधित है।
 - ✓ 2010 में नागोया, जापान में COP10 में अपनाया गया।
 - ✓ 2014 में लागू हुआ।

भारत में जीएमओ के लिए नियामक ढांचा

- पर्यावरण, वन और जलवायु मंत्रालय
 - ✓ पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 द्वारा शासित।
 - ✓ जीएमओ से संबंधित सभी गतिविधियों, संचालन और उत्पादों की निगरानी।
- जेनेटिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति (जीईएसी)
 - ✓ पर्यावरण, वन और जलवायु मंत्रालय के तहत अधिकृत निकाय।
 - ✓ जिम्मेदारियों में जीएमओ गतिविधियों की समीक्षा, निगरानी और अनुमोदन शामिल है।
 - ✓ जीएमओ के आयात, निर्यात, परिवहन, निर्माण, उपयोग और बिक्री को कवर करता है।

- पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 (ईपीए)
 - ✓ किसी भी जीएमओ, पदार्थ या कोशिकाओं के आयात, निर्यात, परिवहन, निर्माण, भंडारण, प्रसंस्करण, उपयोग या बिक्री के लिए जीईएसी से अनुमोदन अनिवार्य है।
 - ✓ रोगजनक जीवों, जीएमओ या कोशिकाओं से जुड़े अनुसंधान की अनुमति केवल प्रयोगशालाओं या अधिनियम द्वारा अधिसूचित निर्दिष्ट क्षेत्रों में ही दी जाती है।
 - ✓ के साथ स्केलिंग या पायलट संचालन के लिए जीईएसी से स्पष्ट अनुमति की आवश्यकता होती है।
- जैविक विविधता अधिनियम, 2002
 - ✓ भारतीय जैविक संसाधनों तक पहुंच के लिए राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण (एनबीए) के साथ अनुमोदन और लाभ-साझाकरण समझौते की आवश्यकता है।
- पादप संगरोध आदेश, 2003
 - ✓ जीएम संयंत्रों और संयंत्र सामग्रियों सहित जीएमओ के आयात और निर्यात को नियंत्रित करता है।
- खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006
 - ✓ एफएसएसईआई को जीएमओ-व्युत्पन्न खाद्य पदार्थों के लिए सुरक्षा मानक स्थापित करने का अधिकार दिया गया।
 - ✓ मानव उपभोग के लिए उपयुक्तता सुनिश्चित करने वाले सुरक्षा मूल्यांकन के प्रावधान शामिल हैं।

आगे की राह

- जिम्मेदार जीएमओ प्रथाओं को बढ़ावा देने में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए रिलीज से पहले संपूर्ण जोखिम मूल्यांकन करना शामिल है।
- स्पष्ट लेबलिंग उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों का सम्मान करते हुए, सूचित विकल्पों के साथ सशक्त बनाती है।
- पर्यावरण, जैव विविधता और स्वास्थ्य पर दीर्घकालिक जीएमओ प्रभावों को समझने के लिए सहयोगात्मक अनुसंधान महत्वपूर्ण है।
- चर्चाओं में विविध हितधारकों को शामिल करना, चल रही पर्यावरण निगरानी को लागू करना और टिकाऊ कृषि और जैव विविधता संरक्षण के लिए जीएमओ को डिजाइन करना एक व्यापक दृष्टिकोण में योगदान देता है।
- मानकीकृत समझौतों के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय सहयोग जीएमओ के सुसंगत और जिम्मेदार वैश्विक विकास, परीक्षण और व्यापार को सुनिश्चित करता है।

5.2. गहरे समुद्र की प्रवाल भित्ति

संदर्भ

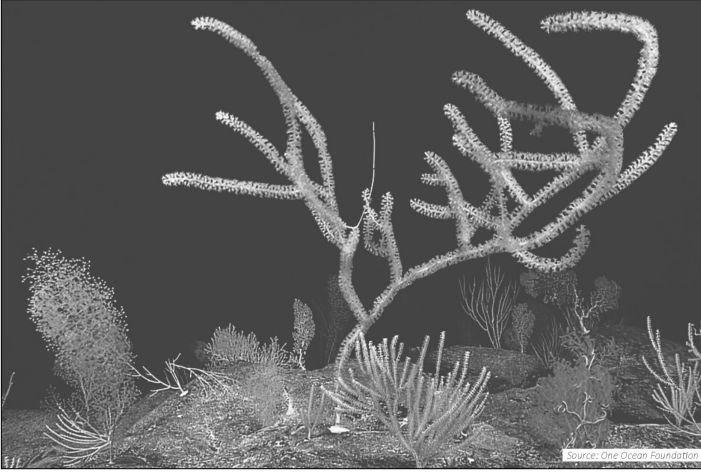
दुनिया की सबसे बड़ी गहरे समुद्र की प्रवाल भित्ति, फ्लोरिडा से दक्षिण कैरोलिना तक लाखों एकड़ में फैली हुई है, जो वर्मॉट के आकार से भी अधिक है।

गहरे समुद्र की प्रवाल भित्ति

- वैज्ञानिकों द्वारा किए गए मानचित्रण से यह पता चलता है कि यह

विश्व स्तर पर सबसे बड़े गहरे समुद्र में प्रवाल शैल क्षेत्र है, जो येलोस्टोन नेशनल पार्क के क्षेत्रफल का तीन गुना है।

- ब्लेक पठार पर ठंडे पानी के प्रवाल के ढेर एक शैल(भित्ति) का निर्माण करते हैं, जो समय के साथ प्रवाल शैलों के मलबे में फंसी कंकाल सामग्री और अवसाद से बनते हैं।
- यह चट्टान लगभग 310.69 मील लंबी और 68.35 मील चौड़ी है, जो मियामी से चार्ल्सटन, दक्षिण कैरोलिना तक फैली हुई है।



कैसे हुई खोज?

- अनुसंधान जहाजों पर लगे 31 मल्टी-बीम सोनार का उपयोग करके खोजा गया, क्योंकि गहराई स्कूबा डाइविंग अन्वेषण को रोकती है।
- सोनार डेटा से मानचित्रों द्वारा निर्देशित दूर से संचालित उप का उपयोग अन्वेषण के लिए किया गया, जिसमें जनता के लिए लाइव वीडियो फ़ीड प्रसारित किए गए।

गहरे समुद्र की प्रवाल बनाम उथली प्रवाल

- गहरे समुद्र की प्रवालों में ठंडे पानी के भित्ति अपनी गहराई के कारण ग्रेट बैरियर रीफ जैसी उथले पानी की चट्टानों से जैविक रूप से भिन्न होते हैं।
- उथली प्रवालों के विपरीत, गहरे पानी की प्रवालों प्रकाश संश्लेषण पर निर्भर नहीं होती हैं; इसके बजाय, वे जल स्तंभ से फिल्टर-फीडिंग कणों को पकड़ते हैं।
- जबकि गहरे पानी की प्रवालों उथले प्रवालों को प्रभावित करने वाले गर्म पानी के कारण मूंगा विरंजन से बचती हैं, फिर भी वे बदलती पर्यावरणीय परिस्थितियों से प्रभावित होती हैं।

प्रवाल भित्ति

- प्रवाल भित्ति जटिल पानी के नीचे के पारिस्थितिक तंत्र हैं जो मूंगा पॉलीप्स द्वारा स्रावित कैल्शियम कार्बोनेट एक्सोस्केलेटन के संचय से बनते हैं।
- फ़ाइलम निडारिया से संबंधित ये छोटे जीव, उपनिवेश बनाते हैं जो उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय समुद्री वातावरण में पाए जाने वाले विविध और रंगीन चट्टान संरचनाओं का निर्माण करते हैं।

प्रवाल भित्तियां कैसे बनती हैं

- प्रवाल भित्तियां समय के साथ मूंगा कंकालों के विकास और जमाव से जुड़ी एक धीमी प्रक्रिया से विकसित होती हैं।
- कोरल पॉलीप्स कैल्शियम कार्बोनेट का स्राव करते हैं, जिससे चट्टान बनाने वाली कठोर संरचनाएं बनती हैं।
- विकास पानी के तापमान, प्रकाश की उपलब्धता और पानी की स्पष्टता जैसे कारकों से प्रभावित होता है।

प्रवाल भित्तियों के प्रकार

1. तटीय चट्टानें: ये चट्टानें तट के करीब स्थित हैं और सीधे समुद्र तट से जुड़ी हुई हैं।
2. बैरियर रीफ्स: तट के समानांतर लेकिन एक लैगून द्वारा अलग। ग्रेट बैरियर रीफ इसका एक उल्लेखनीय उदाहरण है।
3. एटोल: बिना किसी केंद्रीय द्वीप वाले लैगून के चारों ओर गोलाकार चट्टानें। इनका निर्माण प्रायः ज्वालामुखीय द्वीपों के धंसने से होता है।

प्रवाल भित्तियों का महत्व

- **जैव विविधता:** प्रवाल भित्तियां समुद्री जीवन की एक विशाल शृंखला का समर्थन करती हैं, जो कई प्रजातियों के लिए आवास और प्रजनन आधार प्रदान करती हैं।
- **आर्थिक मूल्य:** प्रवाल भित्तियां पर निर्भर मत्स्य पालन तटीय अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान देता है। इसके अतिरिक्त, प्रवाल भित्तियों से संबंधित पर्यटन आय और रोजगार उत्पन्न करता है।
- **औषधीय संसाधन:** प्रवाल जीवों से प्राप्त यौगिकों में औषधीय क्षमता होती है।
- **वैश्विक जलवायु संतुलन:** प्रवाल भित्तियां कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषण में भूमिका निभाती हैं, जिससे जलवायु परिवर्तन को कम करने में मदद मिलती है।

भारत में प्रवाल भित्तियां

- भारत विविध मूंगा पारिस्थितिक तंत्रों का घर है, विशेष रूप से अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, मन्नार की खाड़ी और लक्षद्वीप द्वीप समूह में।
- ये चट्टानें देश की समुद्री जैव विविधता में योगदान देती हैं और पानी के नीचे के पारिस्थितिकी तंत्र में रुचि रखने वाले पर्यटकों को आकर्षित करती हैं।

विश्व में महत्वपूर्ण प्रवाल भित्तियां

1. ग्रेट बैरियर रीफ (ऑस्ट्रेलिया): दुनिया की सबसे बड़ी मूंगा चट्टान प्रणाली, जो अपनी असाधारण जैव विविधता के लिए जानी जाती है।
2. मेसोअमेरिकन बैरियर रीफ (कैरेबियन): दूसरी सबसे बड़ी रीफ प्रणाली, जो कई देशों तक फैली हुई है।
3. अंडमान और निकोबार द्वीप समूह (भारत): इन द्वीपों में अद्वितीय समुद्री जीवन के साथ व्यापक मूंगा चट्टानें हैं।

प्रवाल भित्तियां पारिस्थितिकी तंत्र

- कोरल रीफ पारिस्थितिकी तंत्र परस्पर जुड़े जीवों के जटिल नेटवर्क हैं।

- इनमें विभिन्न प्रकार की मछलियाँ, अकशेरुकी और सूक्ष्मजीव शामिल हैं जो जीवित रहने के लिए एक-दूसरे पर निर्भर हैं।
- मूंगा चट्टानें तटीय सुरक्षा और पोषक चक्रण जैसी आवश्यक सेवाएं भी प्रदान करती हैं।

प्रवाल भित्तियों की सूक्ष्मजीव जैव विविधता

- मूंगा चट्टानें बैक्टीरिया और आर्किया सहित विभिन्न प्रकार के सूक्ष्मजीवों की मेजबानी करती हैं, जो मूंगा जीवों के साथ जटिल सहजीवी संबंध बनाते हैं।
- ये सूक्ष्मजीव पोषक चक्र, रोग प्रतिरोधक क्षमता और समग्र पारिस्थितिकी तंत्र स्वास्थ्य में योगदान करते हैं।
- मूंगा चट्टान पारिस्थितिकी तंत्र के लचीलेपन को समझने के लिए सूक्ष्मजीव जैव विविधता को समझना महत्वपूर्ण है।

कोरल ब्लीचिंग क्या है?

- कोरल ब्लीचिंग तब होती है जब कोरल पॉलीप्स तनाव के कारण अपने ऊतकों से सहजीवी शैवाल (ज़ूक्सैन्थेला) को बाहर निकाल देते हैं, जो अक्सर ऊंचे समुद्री तापमान के कारण होता है।
- इससे रंग की हानि होती है और लंबे समय तक तनाव रहने पर मूंगों की मृत्यु हो सकती है।

प्रवाल भित्तियों को खतरा

- **जलवायु परिवर्तन:** समुद्र का बढ़ता तापमान मूंगे के विरंजन में योगदान देता है।
- **महासागरीय अम्लीकरण:** महासागरों द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ता अवशोषण मूंगा विकास को प्रभावित करता है।
- **अत्यधिक मछली पकड़ना:** मछली की आबादी कम हो जाती है, जिससे मूंगा चट्टान पारिस्थितिकी तंत्र के भीतर संतुलन बिगड़ जाता है।
- **प्रदूषण:** तटीय क्षेत्रों से अपवाह प्रदूषकों का परिचय देता है, और समुद्री मलबा मूंगे को शारीरिक रूप से नुकसान पहुंचा सकता है।
- **विनाशकारी मछली पकड़ने की प्रथाएँ:** डायनामाइट मछली पकड़ने और ट्रॉलिंग सीधे मूंगा चट्टानों को नुकसान पहुंचाती हैं।
- **स्नोफ्लेक कोरल - जैव विविधता के लिए खतरा:** स्नोफ्लेक कोरल (कैरिजोआ रिड्सेई) एक आक्रामक प्रजाति है जो अंतरिक्ष के लिए देशी कोरल के साथ प्रतिस्पर्धा करती है, जिससे संभावित रूप से कोरल रीफ पारिस्थितिकी तंत्र के भीतर जैव विविधता में गिरावट आती है।

प्रवाल भित्तियों संरक्षण प्रयास

- **समुद्री संरक्षित क्षेत्र:** मूंगा चट्टानों की सुरक्षा के लिए ऐसे क्षेत्रों की स्थापना करना जहां मानवीय गतिविधियों को नियंत्रित किया जाता है।
- **मूंगा पुनरुद्धार:** नर्सरी में मूंगा उगाना और उन्हें खराब क्षेत्रों में रोपना।
- **सतत मछली पकड़ने की प्रथाएँ:** अत्यधिक मछली पकड़ने और

विनाशकारी प्रथाओं को रोकने के लिए नियमों को लागू करना।

- **सार्वजनिक जागरूकता और शिक्षा:** प्रवाल भित्तियों के महत्व और उनके संरक्षण के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देना।

आगे की राह

1. **टिकाऊ प्रबंधन**
 - प्रवाल भित्तियों वाले क्षेत्रों में स्थायी प्रबंधन प्रथाओं को लागू करना और लागू करना।
 - इसमें आगे की गिरावट को रोकने के लिए मछली पकड़ने, पर्यटन और तटीय विकास पर नियम शामिल हैं।
2. **अनुसंधान और निगरानी**
 - पर्यावरणीय परिवर्तनों के प्रति उनकी गतिशीलता, लचीलेपन और प्रतिक्रियाओं को बेहतर ढंग से समझने के लिए प्रवाल भित्ति पारिस्थितिकी प्रणालियों के चल रहे अनुसंधान और निगरानी में निवेश करें।
3. **अंतर्राष्ट्रीय सहयोग**
 - प्रवाल भित्तियों पर वैश्विक खतरों से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और सूचना-साझाकरण को बढ़ावा देना।
 - संयुक्त प्रयासों में ज्ञान का आदान-प्रदान, क्षमता निर्माण और समन्वित संरक्षण पहल शामिल हो सकते हैं।
4. **सामुदायिक व्यस्तता:**
 - प्रवाल भित्तियों संरक्षण प्रयासों में स्थानीय समुदायों को शामिल करें।
 - शिक्षा कार्यक्रमों में संलग्न रहें, समुदायों को अपने समुद्री संसाधनों का प्रबंधक बनने के लिए सशक्त बनाएं और जिम्मेदारी की भावना को बढ़ावा दें।
5. **जलवायु परिवर्तन शमन**
 - जलवायु परिवर्तन को कम करने के वैश्विक प्रयासों में सक्रिय रूप से भाग लें।
 - ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करना और जलवायु लचीलेपन को बढ़ावा देने वाली पहलों का समर्थन करना मूंगा चट्टानों के दीर्घकालिक अस्तित्व के लिए महत्वपूर्ण है।
6. **तकनीकी नवाचार**
 - प्रवाल बहाली के लिए नवीन तकनीकों का पता लगाएं और उनमें निवेश करें, जैसे उन्नत मूंगा खेती तकनीक और लचीलापन बढ़ाने के लिए आनुवंशिक हस्तक्षेप।

निष्कर्ष

- प्रवाल भित्तियाँ, विशाल पारिस्थितिकीय और आर्थिक मूल्य के महत्वपूर्ण समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र, कई खतरों का सामना करते हैं जिनके लिए तत्काल और समन्वित कार्रवाई की आवश्यकता होती है। दुनिया की सबसे बड़ी गहरे समुद्र की मूंगा चट्टान की खोज इन नाजुक पारिस्थितिक तंत्रों की निरंतर खोज और समझ के महत्व को रेखांकित करती है।

5.3. कुमकी

संदर्भ

ओडिशा सरकार ने हाल ही में तमिलनाडु सरकार से चार कुमकी हाथियों और उनके महावतों की मांग की है।

कुमकी क्या है?

- कुमकी या कूमकी शब्द का प्रयोग भारत में प्रशिक्षित बंदी एशियाई हाथियों के लिए किया जाता है, जिनका उपयोग जंगली हाथियों को पकड़ने, घायल हाथियों को बचाने या उन्हें चिकित्सा उपचार प्रदान करने में सहायता के लिए किया जाता है।
- कुमकी को जंगली हाथियों के प्रबंधन और उन्हें खदेड़ने में सहायता करने के लिए रणनीतिक रूप से तैनात किया जा सकता है, जिससे फसलों, मानव आवासों को होने वाले नुकसान एवं मानव और हाथी दोनों के जीवन को होने वाले संभावित नुकसान को कम किया जा सकता है।
- प्रशिक्षण प्रक्रिया के दौरान उनमें कुछ प्रमुख जंगली विशेषताओं को बनाए रखने का प्रयास किया जाता है, जिससे आवश्यकता पड़ने पर उनका उपयोग जंगली हाथियों को बलपूर्वक नियंत्रित करने में किया जा सके।
- जब जंगली हाथी मानव बस्तियों पर आक्रमण करते हैं और उन्हें भगाने के लिए कुमकी हाथियों का उपयोग किया जाता है, तब ऐसी स्थिति में संभवतः सीधे शारीरिक टकराव की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि क्षेत्र सम्बन्धी व्यवहार गंध और जंतु व्यवहार के अन्य रूपों द्वारा निर्धारित होता है।
- तमिलनाडु ने वन्यजीव संरक्षण प्रयासों के लिए कुमकी हाथियों और उनके महावतों को सफलतापूर्वक प्रशिक्षित और उनका उपयोग किया है।



मानव-हाथी संघर्ष

- प्राकृतिक आवास के नुकसान और विखंडित होने से हाथियों और मनुष्यों के बीच संघर्ष उत्पन्न होता है। जब हाथियों और मनुष्य के बीच संपर्क होता है तब फसलों पर हमला होना, मौतें होना और आवाज की भी क्षति होती है। संघर्ष का कारण हाथी दांत को पाना भी होता है।
- हाथी हजारों से लाखों डॉलर तक का नुकसान पहुंचाते हैं। भारत में प्रत्येक वर्ष फसलों पर हमले के दौरान 100 से भी अधिक लोगों की जान जाती है और 40-50 हाथियों की हत्या हो जाती है।
- वित्तीय वर्ष 2023-2024 में ओडिशा में मनुष्यों और हाथियों के बीच संघर्ष के 230 मामले दर्ज किए गए।

5.4. सिल्वरलाइन तितली

संदर्भ

दक्षिणी पश्चिमी घाट के पेरियार क्षेत्र में मेघमलाई पहाड़ियों में सिल्वरलाइन तितली की एक नई प्रजाति (सिगारिटिस मेघमलैएंसिस) की खोज की गई है।

- **नाम और उत्पत्ति:** इस प्रजाति का नाम मेघमलाई क्षेत्र (जहां इसकी खोज की गई थी) के नाम पर रखा गया है।
- **खोजी दल:** त्रावणकोर नेचर हिस्ट्री सोसाइटी (TNHS) और वनम ट्रस्ट के शोधकर्ताओं ने यह खोज की।
- **खोज का स्थान:** यह विशिष्ट सिगारिटिस इडुक्की जिले के पेरियार की ऊंची पहाड़ियों में पाया गया था।

खोज का महत्व

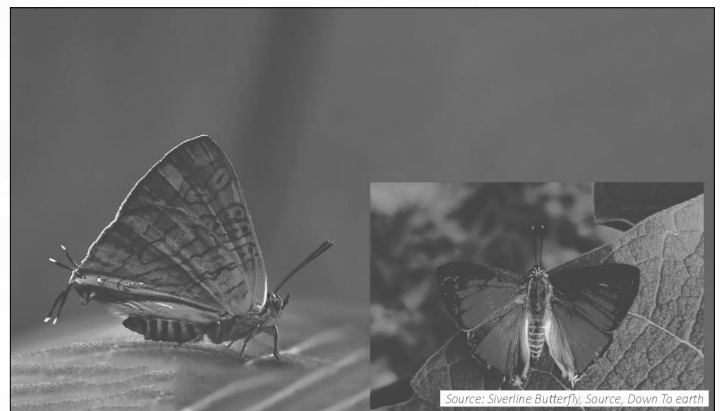
- सिगारिटिस मेघमलैएंसिस 33 वर्षों में पश्चिमी घाट में खोजी जाने वाली पहली तितली प्रजाति है।
- शोधकर्ताओं ने शुरुआत में वर्ष 2018 में पेरियार के ऊंचे इलाकों में सिगारिटिस जीनस की विशिष्ट प्रजातियों को देखा था।

पर्यावास सीमा

- विस्तृत खोज से पता चला है कि यह प्रजाति मेघमलाई और निकटवर्ती पेरियार टाइगर रिजर्व तक ही सीमित है।

पश्चिमी घाट में सिगारिटिस की प्रजातियाँ

- पश्चिमी घाट में सिगारिटिस की निम्न सात प्रजातियाँ हैं: सी. एलिमा एलिमा, सी. शिस्टेसिया, सी. इक्टिस, सी. लोहिता लाजुलेरिया, सी.



लिलासिनस, सी. एब्जॉर्मिस, और सी. वल्केनस।

- सी. लिलासिनस को छोड़कर, सिगारिटिस की सभी प्रजातियाँ दक्षिणी पश्चिमी घाट में पायी गई हैं।

संरक्षण निहितार्थ

- यह खोज जैव विविधता संरक्षण के लिए मेघमलाई क्षेत्र और पेरियार टाइगर रिजर्व के महत्व को रेखांकित करती है।

5.5. मेलानिस्टिक टाइगर

संदर्भ

ओडिशा सिमलीपाल टाइगर रिजर्व (एसटीआर) के पास एक मेलानिस्टिक टाइगर सफारी शुरू करेगा।

मेलानिस्टिक टाइगर

- काले बाघ के रूप में जाना जाता है और ये बंगाल बाघों की एक दुर्लभ उप-प्रजाति हैं।
- इसके शरीर पर मजबूत काली धारियां होती हैं, जो **छद्म मेलेनिज्म** के कारण होती हैं।
- IUCN स्थिति- संकटग्रस्त
- वन्यजीवन संरक्षण अधिनियम स्थिति- वन्यजीवन संरक्षण अधिनियम 1972 की किसी भी अनुसूची में सूचीबद्ध नहीं है।

प्राकृतिक वास

- मेलानिस्टिक बाघों का प्राकृतिक आवास ओडिशा में सिमलीपाल टाइगर रिजर्व के घने जंगल हैं।
- सिमलीपाल टाइगर रिजर्व दुनिया का एकमात्र स्थान है जहां ये बाघ पाए जाते हैं।

सिमलीपाल टाइगर रिजर्व

- सिमलीपाल टाइगर रिजर्व ओडिशा के सबसे उत्तरी क्षेत्र मयूरभंज जिले में स्थित है।
- यह यूनेस्को-सूचीबद्ध बायोस्फीयर रिजर्व, राष्ट्रीय उद्यान और टाइगर रिजर्व है।
- इस पथ में उच्च जल स्तर और मौसमी जल स्रोत हैं जो बुधबलंगा, सालंदी और बैतरणी नदी की सहायक नदियों से जुड़े हैं।



Source: Indian Express

छद्म मेलेनिज्म

- ट्रांसमेम्ब्रेन एमिनोपेप्टिडेज क्यू (ताकपेप) में एकल उत्परिवर्तन से प्रेरित होता है, जो अन्य बिल्ली प्रजातियों में भी समान लक्षण पैदा करता है।
- एसटीआर, ओडिशा के मयूरभंज जिले में स्थित और झारखंड और पश्चिम बंगाल की सीमा पर स्थित है, जो एशिया का दूसरा सबसे बड़ा जीवमंडल है और देश में मेलेनिस्टिक रॉयल बंगाल बाघों के लिए एकमात्र प्राकृतिक आवास है।

5.6. टेस्ट-ट्यूब राइनो

संदर्भ

हाल ही में, बर्लिन स्थित लाइबनिज-इंस्टीट्यूट फॉर जू एंड वाइल्डलाइफ रिसर्च के वैज्ञानिकों ने घोषणा की कि प्रयोगशाला में विकसित गैंडा भ्रूण को आरोपित करके पहली बार इन-विट्रो फर्टिलाइजेशन (IVF) द्वारा गैंडा गर्भधारण कराया गया है।

आईवीएफ क्या है?

- बांझपन के इलाज की एक प्रमुख विधि आईवीएफ (in-vitro fertilization-IVF) में सहायक प्रजनन तकनीक (ART) में शामिल है।
- इस प्रक्रिया में एक अंडे और शुक्राणु को मिलाकर शरीर के बाहर एक भ्रूण का निर्माण किया जाता है, जिसे बाद में आरोपण और गर्भावस्था हेतु महिला के गर्भाशय में वापस डाल दिया जाता है।

गैंडों पर आईवीएफ तकनीक की संभावनाएं

- वर्ष 2009 में चार उत्तरी सफेद गैंडों को प्राकृतिक रूप से प्रजनन हेतु चेक गणराज्य चिड़ियाघर से केन्याई रिजर्व में स्थानांतरित किया गया था।
- दो नर (सुनी और सूडान) अब मर चुके हैं, जबकि दो मादा (नाजिन और

उसकी बेटी फातू) रोगग्रस्त होने के कारण प्रजनन करने में असमर्थ पाए गए। इसका मतलब यह था कि आईवीएफ के माध्यम से उत्तरी सफेद गैंडा उत्पन्न करने का एकमात्र तरीका सरोगेसी था।

सफेद गैंडे

- हाथियों के बाद सफेद गैंडे दूसरे सबसे बड़े स्थलीय स्तनपायी हैं।
- इन्हें चौकोर होंठ वाले गैंडे के रूप में भी जाना जाता है। सफेद गैंडे का ऊपरी होंठ चौकोर होता है और उनपर लगभग कोई बाल नहीं होता है।
- इनके वयस्क नर की ऊंचाई 1.85 मीटर और वजन 3.6 टन तक हो सकता है। इनकी मादाएं बहुत छोटी होती हैं, लेकिन फिर भी उनका वजन आश्चर्यजनक रूप से 1.7 टन तक हो सकता है।

जीवन चक्र

- सफेद गैंडे की सामाजिक संरचनाएँ जटिल होती हैं। बछड़ों वाली मादाओं युक्त 14 गैंडों तक के समूह बन सकते हैं। वयस्क नर लगभग 1-3 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रों की रक्षा करते हैं। आवास की गुणवत्ता और जनसंख्या घनत्व के आधार पर, वयस्क महिलाओं का घरेलू दायरा सात गुना बड़ा हो सकता है।
- इनकी मादाएं 5-4 साल की उम्र में यौन परिपक्वता प्राप्त कर लेती हैं लेकिन 7-6 साल तक प्रजनन नहीं करती हैं। नर आमतौर पर 10 से 12 साल की उम्र तक संसर्ग नहीं करते हैं। वे चालीस साल तक जीवित रह सकते हैं।
- उप-प्रजातियाँ: आनुवंशिक रूप से सफेद गैंडे की दो भिन्न उप-प्रजातियाँ (उत्तरी और दक्षिणी) होती हैं, जो अफ्रीका में दो अलग-अलग स्थानों पर पाई जाती हैं।
- अधिकांश सफेद गैंडे (%98.8) केवल चार देशों (दक्षिण अफ्रीका, नामीबिया, ज़िम्बाब्वे और केन्या) में रहते हैं।



गैंडे की अन्य प्रजातियाँ

- सुमात्रा के गैंडे: ये गैंडों की प्रजातियों में सबसे छोटे गैंडे होते हैं, सुमात्रा के गैंडों के गहरे भूरे से लेकर काले रंग के दो सींग होते हैं। ये अपनी गति और चपलता के लिए प्रसिद्ध हैं एवं इन गैंडों को आईयूसीएन द्वारा गंभीर रूप से लुप्तप्राय के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
- जावा गैंडा: इनकी लगभग 60 गैंडों की आबादी जावा, इंडोनेशिया तक सीमित है, साथ ही जावन गैंडा पांच गैंडा प्रजातियों में सबसे अधिक खतरे की स्थिति में है। इनके सांवले भूरे रंग और 10 इंच तक के एक सींग होते हैं जिसके कारण, यह बड़े एक सींग वाले गैंडे जैसा दिखता है। इसे गंभीर रूप से लुप्तप्राय के रूप में भी वर्गीकृत किया गया है।
- काला गैंडा: ये पूर्वी और दक्षिणी अफ्रीकी देशों के मूल निवासी हैं एवं काला गैंडा (ब्लैक राइनो) दो अफ्रीकी गैंडों की प्रजातियों में से छोटा है। काले गैंडे चरने के बजाय चारण (browsing) की आदतों से पहचाने जाते हैं एवं वे शाकाहारी होते हैं। आईयूसीएन द्वारा उन्हें गंभीर रूप से लुप्तप्राय के रूप में भी सूचीबद्ध किया गया है।

आईयूसीएन स्थिति

- उत्तरी सफेद गैंडा: गंभीर रूप से संकटग्रस्त
 - ✓ उत्तरी सफेद गैंडे मूल रूप से दक्षिणी चाड, मध्य अफ्रीकी गणराज्य, दक्षिण-पश्चिमी सूडान, उत्तरी कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य (DRC) और उत्तर-पश्चिमी युगांडा में पाए जाते थे।
- दक्षिणी सफेद गैंडा: लुप्त होने के करीब
 - ✓ उन्नीसवीं सदी के अंत में दक्षिणी सफेद गैंडे (जो कभी पूरे दक्षिणी अफ्रीका में चर्चित थे) विलुप्त मान लिए गए थे, लेकिन वर्ष 1895 में दक्षिण अफ्रीका के क्वाज़ुलु नेटाल में 100 से भी कम गैंडों के एक छोटे समूह की खोज की गई थी।

5.7. मॉस्किटोफिश (Mosquitofish)

संदर्भ

आंध्र प्रदेश, ओडिशा और पंजाब में सरकार और गैर सरकारी संगठन स्थानीय शिकायतों के प्रत्युत्तर में मच्छरों की आबादी को नियंत्रित करने के लिए मॉस्किटोफिश का उपयोग कर रहे हैं।

मॉस्किटोफिश क्या है?

- वेस्टर्न मॉस्किटोफिश (गंबुसिया एफिनिस) एक छोटी, जीवित बच्चों को जन्म देने वाली मछली है जो मूल रूप से उत्तरी अमेरिका में खाड़ी तट और निचले मिसिसिपी नदी जल धारा के ताजे और खारे पानी में पाई जाती है।
- मच्छरों पर नियंत्रण के लिए दुनिया के कई हिस्सों में इसका प्रयोग किया गया, लेकिन कुछ क्षेत्रों में यह एक आक्रामक प्रजाति बन गई है।
- आईयूसीएन (IUCN) द्वारा इसे "100 सबसे अधिक आक्रामक प्रजातियों" में से एक माना गया है।
- विशेषताएँ

- ✓ **आकार:** मादाओं का आकार अधिकतम 70 मिमी तक होता है, जबकि नर छोटे होते हैं जो 51 मिमी तक हो सकते हैं।
- ✓ **वाह्य आकृति:** ग्रे-भूरे रंग के साथ काले शल्क का क्रॉस-हैच पैटर्न। मादाएं बड़ी होती हैं और मूत्रजनन द्वार के पास एक काला धब्बा होता है। घुमावदार पेक्टोरल पंखों के कारण नर की शक्ल झुकी हुई होती है।
- ✓ **आहार:** यह सर्वाहारी होती है जो क्रस्टेशियाई, कीड़े, मोलस्क, टैडपोल, छोटी मछलियाँ और शैवाल खाती है।
- ✓ **प्रजनन:** मादाएं जीवित बच्चों, अर्थात् पूर्ण विकसित बच्चों को जन्म देती हैं। इस मछली के क्लच का आकार 5 से 100 तक होने

के कारण प्रति वर्ष एक से अधिक बार प्रजनन करना संभव है।

- प्राकृतिक आवास
 - ✓ उथला, धीमी गति से बहने वाला पानी, जिसमें कच्छ भूमि, दलदल, लैगून और मुहाना शामिल हैं।
 - ✓ 40 PSU तक मीठे पानी से लेकर खारे पानी तक, तापमान और लवणता की एक विस्तृत श्रृंखला को सहन करने में सक्षम।
- पारिस्थितिक प्रभाव
 - ✓ मच्छरों के लार्वा के प्रति उनकी तीव्र भूख के कारण मच्छरों की आबादी को नियंत्रित करने के लिए इसे पेश किया गया।
 - ✓ विशेष रूप से पानी के छोटे, सीमित निकायों में, यह देशी मछली प्रजातियों के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकती है और उनका शिकार कर सकती है। यह खाद्य श्रृंखला को भी बदलकर पारिस्थितिकी तंत्र को बाधित कर सकती है।

भारत में मॉस्किटोफिश

- 1910 के दशक में और बाद में 1960 के दशक में तालाबों और मीठे पानी के निकायों में मच्छर नियंत्रण के प्राथमिक उद्देश्य के साथ भारत में लाया गया था।
- इन मछलियों ने आंध्र प्रदेश, ओडिशा, पंजाब, दिल्ली और पश्चिम बंगाल सहित भारत भर के विभिन्न क्षेत्रों में सफलतापूर्वक खुद को स्थापित किया है।



- मॉस्किटोफिश अपनी मूल प्रवृत्तियों के अनुरूप विशिष्ट आवासों के लिए प्राथमिकता प्रदर्शित करती हैं:
 - ✓ **उथला, धीमी गति से बहने वाला पानी:** यह मछली तालाबों, आर्द्रभूमि, दलदल, चावल के खेतों और खाइयों जैसे विभिन्न जल निकायों में पायी जा सकती है।
 - ✓ **घनी वनस्पति:** इस मछली के छोटे बच्चे प्रचुर मात्रा में जलीय पौधों वाले क्षेत्रों में शरण लेते हैं।
 - ✓ **गर्म तापमान:** भारत की गर्म जलवायु में पनपते हुए, यह मछली -24 34 डिग्री सेल्सियस तापमान स्पेक्ट्रम के अंतर्गत आने वाली सर्वोत्कृष्ट परिस्थितियों के साथ अनुकूलनशीलता का प्रदर्शन करती है।

6. भूगोल और आपदा प्रबंधन

6.1. शीत लहरें (कोल्ड वेब)

संदर्भ

भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने एक पूर्वानुमान जारी किया है जिसमें उत्तर भारत के हिस्सों को प्रभावित करने वाली शीत लहर की संभावना का संकेत दिया गया है।

शीत लहर

- शीत लहर को एक विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र में तापमान में तीव्र और महत्वपूर्ण गिरावट के रूप में परिभाषित किया जाता है, जिसमें ठंड की स्थिति होती है और अक्सर ठंडी और शुष्क वायु द्रव्यमान की विशेषता होती है।
- भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) शीत लहर की शुरुआत की घोषणा करने के लिए कुछ मानदंडों का उपयोग करता है। मानदंड में आमतौर पर तापमान सीमा और अवधि शामिल होती है।

आईएमडी का ठंडे दिनों/शीत लहर का मानदंड

तापमान सीमाएँ

- मैदानी क्षेत्र:** किसी स्टेशन का न्यूनतम तापमान 10°C से कम होने पर शीत दिवस घोषित किया जाता है।
- पहाड़ी क्षेत्र:** जब किसी स्टेशन का न्यूनतम तापमान 0°C से नीचे होता है तो ठंडे दिन घोषित किए जाते हैं।

प्रस्थान-आधारित मानदंड

- शीत दिवस:** अधिकतम तापमान सामान्य से -4.5°C से -6.4°C के बीच रहता है।
- गंभीर शीत दिवस:** अधिकतम तापमान सामान्य से -6.5 डिग्री सेल्सियस से अधिक है।

वास्तविक न्यूनतम तापमान मानदंड (केवल मैदानी इलाकों के लिए):

- शीत लहर:** यह तब घोषित की जाती है जब न्यूनतम तापमान 4°C से नीचे हो।
- गंभीर शीत लहर:** यह तब घोषित की जाती है जब न्यूनतम तापमान 2°C से नीचे हो।

तटीय स्टेशन

- तटीय स्टेशनों के लिए शीत लहर की घोषणा तब की जाती है जब न्यूनतम तापमान -4.5 डिग्री सेल्सियस से नीचे हो या जब वास्तविक न्यूनतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस से नीचे हो।

शीत लहर के लिए उत्तरदायी कारण

1. उच्च दाब प्रणालियाँ

- उच्च दाब प्रणालियों की उपस्थिति से हवा का अवतलन हो सकता है, जिसके परिणामस्वरूप हवा का रुद्धोष्म संपीड़न हो सकता है, जिससे अधिक ऊंचाई पर तापमान बढ़ सकता है और सतह पर ठंडक हो सकती है।

2. ठंडी वायुराशियों का अंतः क्रमण

- कुछ मौसम पैटर्न के दौरान, ध्रुवीय क्षेत्रों या अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों से ठंडी हवाएं दक्षिण की ओर बढ़ती हैं और उन क्षेत्रों पर अंतः क्रमण करती हैं जो इतने कम तापमान के अनुकूल नहीं हैं नहीं हैं।

3. साफ़ आसमान और विकिरणीय शीतलता:

- सर्दियों की रातों के दौरान साफ़ आसमान पृथ्वी की सतह से तेजी से गर्मी को अंतरिक्ष में विकीर्ण करने की अनुमति देता है। इस विकिरणीय शीतलन प्रभाव से तापमान में उल्लेखनीय गिरावट आती है।

4. भौगोलिक विशेषताएँ:

- स्थानीय भौगोलिक विशेषताएं, जैसे कि पहाड़ और घाटियाँ, ठंडी हवा की गति को प्रभावित कर सकती हैं, जिससे शीत लहर का प्रभाव तीव्र हो सकता है।

5. मौसमी परिवर्तन:

- मौसमी परिवर्तन, जैसे कि मानसून की वापसी, शीत लहर की स्थिति की स्थापना के लिए आदर्श स्थिति प्रदान करने में सहायता होता है।

प्रभाव

1. स्वास्थ्य सम्बन्धी मुद्दे

- शीत लहर के दौरान श्वसन संबंधी बीमारियों का प्रसार बढ़ने से स्वास्थ्य सुविधाओं पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है।
- शहरी मलिन बस्तियों में गरीब वर्ग के लोगों को अक्सर चरम मौसम की स्थिति के दौरान स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंचने में चुनौतियों का सामना करना पड़ता है।

2. कृषि पर प्रभाव

- शीत लहरों के परिणामस्वरूप “कृष्ण तुषार” हो सकती है, जो पौधों की कोशिकाओं में पानी की मात्रा को जमाकर फसलों को नुकसान पहुंचाती है।
- फल देने वाली फसलें जैसे खट्टे फल, जो ठंड के प्रति संवेदनशील हैं, को काफी नुकसान हो सकता है।

3. ऊर्जा की खपत

- शीत लहर के कारण ऊर्जा की खपत में वृद्धि होती है क्योंकि घरों और उद्योगों में हीटिंग की आवश्यकताएं बढ़ जाती हैं।
- यह बढ़ी हुई मांग बिजली ग्रिडों पर दबाव डाल सकती है, जिससे स्थानीय स्तर पर बिजली कटौती हो सकती है।

4. पशुधन

- पशुधन, विशेष रूप से उत्तरी क्षेत्रों में, लंबे समय तक ठंड के दौरान शीतदंश और चारे की कमी जैसी चुनौतियों का सामना करते हैं।

सरकारी उपाय

1. प्रभावी ढंग से भविष्यवाणी करने के लिए प्रौद्योगिकी को अपनाना:
 - शीत लहर की भविष्यवाणी की सटीकता बढ़ाने के लिए सरकार उपग्रह इमेजरी और उन्नत मौसम मॉडल सहित आधुनिक तकनीक में निवेश करती है।
 - बेहतर निर्णय लेने के लिए वास्तविक समय डेटा प्रदान करने के लिए स्वचालित मौसम स्टेशन तैनात किए गए हैं।
2. समाज कल्याण कार्यक्रम
 - यह सुनिश्चित करने के लिए योजनाएं लागू की जाती हैं कि बेघर व्यक्तियों को अत्यधिक ठंड की स्थिति के दौरान आश्रय की सुविधा मिले।
3. कृषि-सलाहकार
 - सरकार शीत लहर के दौरान फसलों के लिए सुरक्षात्मक उपायों हेतु किसानों का मार्गदर्शन करने के लिए मौसम के पूर्वानुमान के आधार पर कृषि-सलाह जारी करती है।
 - कृषि विस्तार सेवाएँ इस जानकारी को जमीनी स्तर पर प्रसारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।

नियंत्रण के उपाय

1. आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाएँ
 - शीत लहर के दौरान आपातकालीन चिकित्सा सेवाओं को मजबूत किया जाता है, प्रभावित क्षेत्रों में अतिरिक्त स्वास्थ्य कर्मचारी तैनात किए जाते हैं।
 - दूर-दराज के क्षेत्रों तक पहुँचने के लिए मोबाइल चिकित्सा इकाइयाँ स्थापित की जाती हैं जहाँ स्वास्थ्य सेवाएँ सीमित हो सकती हैं।
2. परिवहन प्रबंधन
 - बर्फोली सड़कों पर दुर्घटनाओं को रोकने के लिए अधिकारी गति प्रतिबंध और सलाह सहित यातायात प्रबंधन उपायों को लागू करते हैं।
 - प्रतिकूल मौसम की स्थिति के दौरान लोगों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए सार्वजनिक परिवहन सेवाओं को मजबूत किया गया है।

6.2. भारत में खनन

संदर्भ

खान मंत्रालय ने जाम्बिया (तांबा समृद्ध) में एक उद्योग प्रतिनिधिमंडल भेजने की योजना बनाई है।

खुदाई

- खनन पृथ्वी से बहुमूल्य पदार्थ निकालने की प्रक्रिया है। इसका उपयोग किसी भी ऐसे संसाधन को प्राप्त करने के लिए किया जाता है जिसे कृत्रिम रूप से उगाया या उत्पादित नहीं किया जा सकता है। अधिक विशेष रूप से, खनन का उपयोग जीवाश्म ईंधन, खनिज और पानी जैसे गैर-नवीकरणीय संसाधनों को प्राप्त करने के लिए किया जाता है।

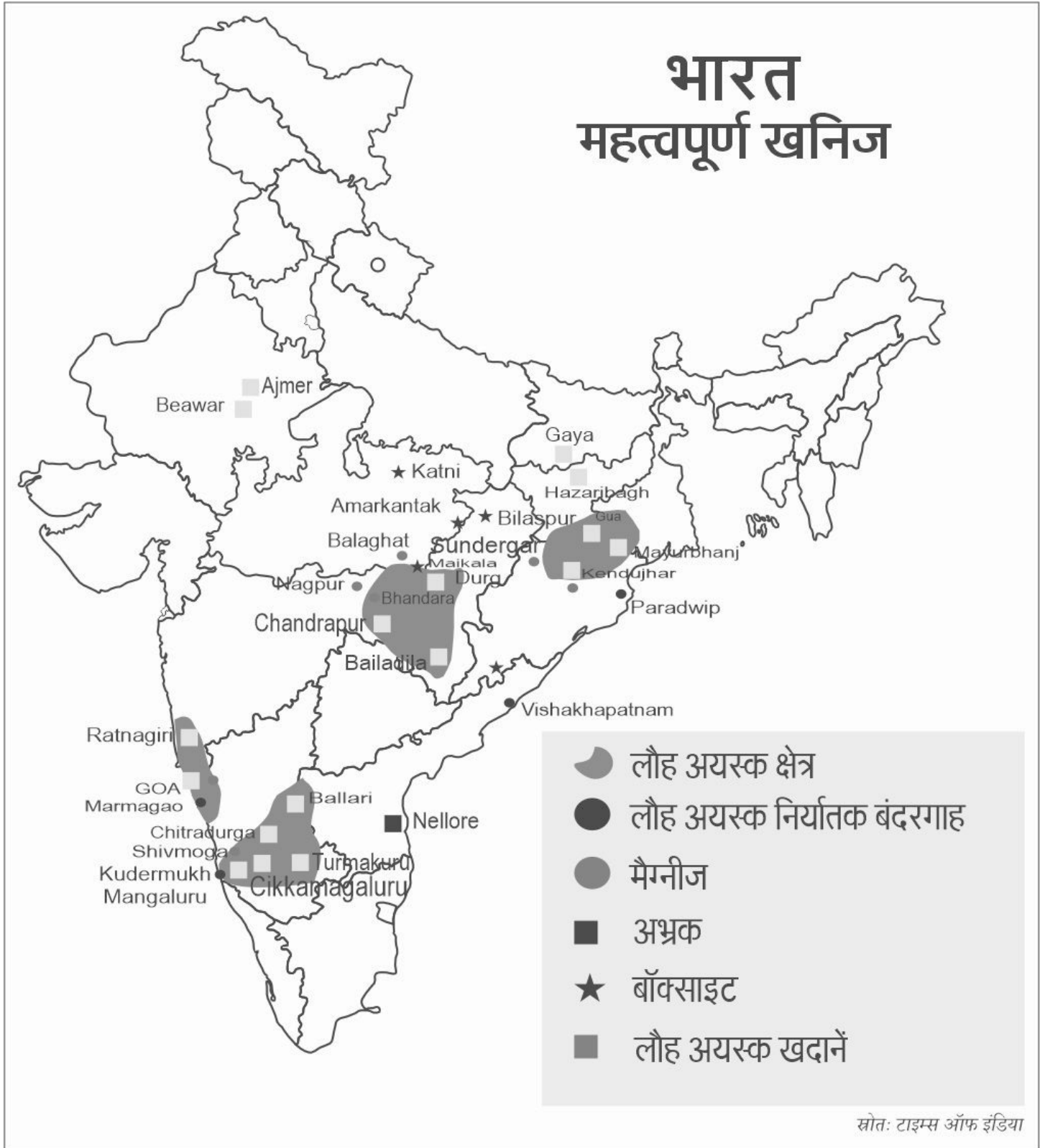
आगे बढ़ने का रास्ता

1. अनुसंधान और विकास
 - अधिक सटीक भविष्यवाणी मॉडल विकसित करने के लिए जलवायु पैटर्न और शीत लहरों पर उनके प्रभाव पर निरंतर शोध आवश्यक है।
 - जलवायु-लचीली कृषि पद्धतियों में निवेश से फसलों पर प्रभाव को कम करने में मदद मिल सकती है।
2. हरित बुनियादी ढांचा
 - शहरी नियोजन में हरित स्थलों और वृक्षों के आवरण का विकास शामिल है, जो अत्यधिक तापमान के खिलाफ प्राकृतिक बफर के रूप में कार्य कर सकते हैं।
 - हरित बुनियादी ढांचा शहरी ताप द्वीप प्रभाव को कम करने में भी योगदान देता है।
3. अंतर्राष्ट्रीय सहयोग
 - पड़ोसी देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ सहयोगात्मक प्रयास शीत लहर के प्रभाव को प्रबंधित करने और कम करने के लिए ज्ञान और संसाधनों के आदान-प्रदान को बढ़ा सकते हैं।
4. सामुदायिक भागीदारी
 - समुदाय-आधारित आपदा तैयारी कार्यक्रम महत्वपूर्ण हैं, जो प्रतिक्रिया योजनाओं को विकसित करने और लागू करने में समुदाय की भागीदारी के महत्व पर जोर देते हैं।
 - प्रशिक्षण कार्यक्रम समुदायों को प्राथमिक चिकित्सा, आपातकालीन प्रतिक्रिया और समुदाय के नेतृत्व वाले आश्रयों की स्थापना हेतु शिक्षित कर सकते हैं।
 - भारत में शीत लहरों से उत्पन्न चुनौतियों से निपटने के लिए एक व्यापक और बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता है। लक्षित सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों में तकनीकी प्रगति का समावेश और सामुदायिक सहभागिता लचीलापन निर्माण के लिए महत्वपूर्ण हैं।

निष्कर्षण विधि

1. सतही खनन (ओपन-कास्ट विधि): सतह के निकट खनिजों के लिए आदर्श। यह एक कम लागत वाला दृष्टिकोण है जो जल्दी से बड़ी मात्रा में उत्पादन करता है।
2. भूमिगत खनन (शाफ्ट विधि): जब अयस्क गहरा होता है, तो इस विधि में खनिज निष्कर्षण और परिवहन के लिए ऊर्ध्वाधर शाफ्ट को डुबोने और दीर्घाओं के निर्माण की आवश्यकता होती है।

भारत में महत्वपूर्ण खनिजों का वितरण



खनिजों की मांग में वृद्धि

- दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा खपत वाला देश होने के नाते, देश में ऊर्जा और बिजली की मांग हमेशा बढ़ी रहती है, इसलिए कोयले की मांग में भी वृद्धि होती है।
- स्टील की मांग 10% बढ़ने की संभावना है क्योंकि सरकार का सड़कों, रेलवे, हवाई अड्डों आदि के निर्माण में वृद्धि के साथ बुनियादी ढांचे के विकास पर ध्यान केंद्रित करना जारी है।
- भारत ने 2030-31 तक प्रति वर्ष 300 मिलियन मीट्रिक टन (एमटीपीए) की कुल कच्चे इस्पात की क्षमता और 255 एमटीपीए की कुल कच्चे इस्पात की मांग और उत्पादन प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है।

राष्ट्रीय खनिज नीति 2019

- इसमें ऐसे खंड शामिल हैं जो खनन उद्योग का समर्थन करेंगे, जैसे: राजस्व-साझाकरण दृष्टिकोण के माध्यम से निजी क्षेत्र की खोज को प्रोत्साहित करना।
- निजी क्षेत्र का समर्थन करने के लिए, कार्यक्रम का उद्देश्य करों, लेवी और रॉयल्टी को वैश्विक मानकों के साथ संरेखित करना भी है।
- विनियमों में अब आईटी-सक्षम सिस्टम, जागरूकता और सूचना अभियान और ई-गवर्नेंस के प्रावधान शामिल हैं।
- परियोजना प्रभावित व्यक्तियों और समुदायों के समान विकास को बढ़ावा देने के लिए जिला खनिज निधि का उपयोग।
- यह अंतर-पीढ़ीगत समानता की अवधारणा को भी प्रस्तुत करता है, जो वर्तमान और भविष्य दोनों पीढ़ियों की भलाई को संबोधित करता है।
- यह खनन में दीर्घकालिक विकास सुनिश्चित करने की पद्धति को संस्थागत बनाने के लिए एक अंतर-मंत्रालयी परिषद की स्थापना का भी सुझाव देता है।

भारत में खनन कानून

- सूची II (राज्य सूची) की क्रम संख्या 23 राज्य सरकारों को अपनी सीमाओं के भीतर खनिजों का स्वामित्व रखने का आदेश देती है।
- सूची I (केंद्रीय सूची) के क्रम संख्या 54 की प्रविष्टि यह निर्धारित करती है कि केंद्र सरकार भारत के विशेष आर्थिक क्षेत्र के खनिजों का मालिक है। खान और खनिज (विकास और विनियमन) (एमएमडीआर) अधिनियम 1957 अधिनियमित किया गया था।

खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2021 के तहत प्रावधान

- यह अधिनियम भारत में खनन क्षेत्र को नियंत्रित करता है और यह 1957 के खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम में संशोधन करता है।
- आरक्षित खदानें
 - ✓ अधिनियम केंद्र सरकार को नीलामी के माध्यम से विशिष्ट अंतिम उपयोग के लिए खदानों (कोयला, लिग्नाइट और परमाणु खनिजों को छोड़कर) को आरक्षित करने की अनुमति देता है।
- उत्पादन विक्रय
 - ✓ बिल कैप्टिव खनिकों (परमाणु खनिजों को छोड़कर) को उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने के बाद अपने वार्षिक खनिज उत्पादन का 50% तक खुले बाजार में बेचने की अनुमति देता है।
- खनिज रियायत वार्ता

- ✓ अधिनियम राज्यों को खनिज रियायतों (कोयला, लिग्नाइट और परमाणु खनिजों को छोड़कर) के लिए बातचीत करने की अनुमति देता है। विधेयक राष्ट्रीय सरकार को राज्य सरकार के साथ मिलकर नीलामी प्रक्रिया को पूरा करने के लिए समय सीमा निर्धारित करने का अधिकार देता है।
- ✓ समाप्त हो रहे खनन पट्टे (कोयला, लिग्नाइट और परमाणु खनिजों को छोड़कर) नए मालिकों को नीलाम किए जाते हैं। पूर्व पट्टेदार की वैधानिक मंजूरी दो साल की अवधि के लिए नए पट्टेदार को दी जाती है।
 - केंद्र सरकार सरकारी उद्यमों के लिए खनन पट्टों का विस्तार करेगी।
- खनन पट्टा समाप्ति की शर्तें: यदि पट्टा 2 साल के भीतर परिचालन शुरू करने में विफल रहता है तो राज्य सरकार पट्टे की सीमा अवधि बढ़ा सकती है।
- गैर-विशिष्ट टोही: पहले, यह सर्वेक्षणों के माध्यम से प्रारंभिक खनिज पूर्वक्षण की अनुमति देता था। विधेयक इस परमिट की आवश्यकता को समाप्त कर देता है। अधिनियम गैर-विशिष्ट टोही अनुमति (कोयला, लिग्नाइट और परमाणु खनिजों के अलावा अन्य खनिजों के लिए) प्रदान करता है।

चुनौतियाँ

- विस्थापन: बड़े पैमाने पर विस्थापन के कारण लोग अलग-थलग हो जाते हैं और सरकारी तंत्र पर अविश्वास करते हैं, जिसके परिणामस्वरूप शिकायतें और पुनर्वास के अपर्याप्त प्रयास होते हैं। सिर्फ ज़मीन से ज़्यादा, स्थानीय आबादी अपनी जनजातीय जीवन शैली और सांस्कृतिक विरासत को खो रही है।

सुरक्षा चिंता का विषय

- उपयोग की जाने वाली आदिम प्रक्रियाएं और पर्याप्त सुरक्षा उपकरणों और प्रोटोकॉल की कमी खनिकों के जीवन को खतरे में डालती है।
- खदान से संबंधित मौतों, अपर्याप्त पुनर्वास और विकास प्रयासों और अन्य कारकों के परिणामस्वरूप मानवाधिकारों का उल्लंघन हुआ है।
- उदाहरण के लिए, 2018 में मेघालय के जैन्तिया हिल्स में केएसएएन कोयला खदान में खदान संबंधी दुर्घटनाएं हुईं।

अवैध खनन

- सरकारी अधिकारियों से उचित अनुमति, लाइसेंस या नियामक मंजूरी के बिना भूमि या जल निकायों से खनिजों, अयस्क या अन्य मूल्यवान संसाधनों का शोषण अवैध खनन है।
- मेघालय (केएसएएन कोयला खदान आपदा) जैसे उत्तर पूर्वी राज्यों में प्रचलित है।
- राजस्थान में लिथियम भंडार की खोज की गई। जम्मू-कश्मीर के बाद राजस्थान के डेगाना में लिथियम भंडार की खोज हुई है।

टिप्पणी

- खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम (एमएमडीआर अधिनियम) 1957 की धारा 23 सी राज्य सरकारों को

खनिजों के अवैध खनन, परिवहन और भंडारण को रोकने के लिए उपाय तैयार करने के लिए अधिकृत करती है।

पर्यावरण/स्वास्थ्य मुद्दे

- खनन गतिविधियों से जैव विविधता और सांस्कृतिक विरासत का नुकसान हुआ है। राजस्थान में मकराना की संगमरमर की खदानों ने पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया; कर्नाटक में ग्रेनाइट खदानों ने जमीन में एक बड़ा गड्ढा बना दिया; और कोयला खनन ने दामोदर नदी को गंभीर रूप से प्रदूषित कर दिया।
- किसी विशिष्ट स्थान पर खनन करने से श्रमिकों और स्थानीय लोगों दोनों में फाइब्रोसिस, न्यूमोकोनियोसिस और सिलिकोसिस जैसी बीमारियाँ पैदा होती हैं।
- जल प्रदूषण: खनन क्षेत्रों में, नदियों और नालों का पानी संक्षारक हो गया है और पीने के लिए असुरक्षित हो गया है।
- खनन-समृद्ध क्षेत्रों में, उच्च कणों वाली गंदी हवा भी एक गंभीर चिंता का विषय है।

प्रशासनिक मुद्दे

- मनमाने ढंग से कोयला खदान आवंटन के कारण लंबे समय तक मुकदमेबाजी, आवंटन रद्द करना और ब्लॉक आवंटन में भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं।
- नौकरशाही बाधाओं के कारण पर्यावरणीय मंजूरी में देरी होती है।
- न्यायिक हस्तक्षेप के परिणामस्वरूप निवेशकों को काफी देरी और नुकसान का सामना करना पड़ता है।

✓ उदाहरण के लिए, 2017 में, सुप्रीम कोर्ट ने हरित मंजूरी के बिना अवैध खनन के लिए आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक और ओडिशा में कड़ी सजा का आदेश दिया। 2018 में, वेदांता समूह को ओडिशा के नियमगिरि हिल्स में काम करने से रोक दिया गया था, जबकि गोवा में 88 अवैध खनन पट्टे रद्द कर दिए गए थे।

सरकार की पहल

- भारतीय खनन क्षेत्र के दीर्घकालिक विकास के लिए एक रूपरेखा तैयार करने के लिए खनन पट्टों को स्टार रेटिंग दी जाती है।
- **जनवरी 2016 में**, भारतीय खान ब्यूरो (आईबीएम) और राष्ट्रीय रिमोट सेंसिंग सेंटर (एनआरएससी), इसरो ने अवैध खनन को रोकने के लिए «उपग्रह इमेजरी का उपयोग करके खनन गतिविधि निगरानी» पर एक पायलट परियोजना संचालित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।
- खनन निगरानी प्रणाली (एमएसएस) एक ऐसी तकनीक है जो अवैध खनन का पता लगाने के लिए स्वचालित रिमोट सेंसिंग का उपयोग करती है।
- **प्रधान मंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना [पीएमकेकेकेवाई]** के तहत, खनन प्रभावित लोगों और क्षेत्रों के लाभ के लिए जिला खनिज फाउंडेशन फंड (डीएमएफ) की स्थापना की गई थी।
- निजी अन्वेषण कंपनियों को लुभाने के लिए राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण नीति प्रकाशित की गई थी।
- धातु और अधातु अयस्कों के खनन और अन्वेषण के लिए स्वचालित मार्ग से 100% एफडीआई की अनुमति है।

6.3. लीची की खेती

संदर्भ

हाल ही में, राष्ट्रीय लीची अनुसंधान केंद्र (एनआरसीएल) इस विस्तार को सुविधाजनक बनाने के लिए किसानों को तकनीकी सहायता, पौध सामग्री और प्रशिक्षण के साथ सक्रिय रूप से समर्थन देता है।

लीची की खेती के बारे में अधिक जानकारी

- लीची की खेती अब बिहार के मुजफ्फरपुर तक ही सीमित नहीं है, बल्कि अब पूरे भारत के 19 राज्यों में फल-फूल रही है।
- विभिन्न क्षेत्रों में व्यावसायिक खेती की ओर बदलाव, एनआरसीएल के प्रयासों से प्रोत्साहित, किसानों की बढ़ती रुचि और आत्मविश्वास को दर्शाता है।

लीची

- लीची, एक मीठा और रसदार फल है, जिसकी उत्पत्ति दक्षिण पूर्व एशिया में हुई और सदियों से कैटोनीज़ लोगों द्वारा इसे पसंद किया जाता रहा है।
- इसका आनंद ताजा, डिब्बाबंद या सुखाकर लिया जाता है, जो सुगंधित और मांसल से लेकर अम्लीय और मीठे तक कई प्रकार के स्वाद प्रदान करता है।

- जमैका (1775) और फ्लोरिडा (1916) में पश्चिमी परिचय के साथ, चीन और भारत में व्यावसायिक खेती फलती-फूलती है।
- सदाबहार लीची का पेड़ साल भर चमकीले हरे पत्तों वाला होता है।
- इसके अंडाकार, स्ट्रॉबेरी-लाल फल एक पारभासी सफेद मांस और एक बड़े बीज से घिरे होते हैं।
- प्रसार बीज या वायु परत के माध्यम से होता है, जिसमें न्यूनतम छंटाई और नियमित पानी की आवश्यकता होती है।
- 3-5 वर्षों के भीतर परिपक्वता और फलने तक पहुंच जाते हैं।
- आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, ओडिशा, मणिपुर, असम, पंजाब, महाराष्ट्र, जम्मू और कश्मीर, गुजरात, अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान और मिजोरम लीची की खेती को अपना रहे हैं।
- हाइपोग्लाइसेमिक एन्सेफैलोपैथी और मृत्यु से जुड़ा हुआ है, मुख्य रूप से भारत, बांग्लादेश और वियतनाम में कुपोषित बच्चों में।

- विषाक्त पदार्थ हाइपोग्लाइसीन ए और मेथिलीन साइक्लोप्रोपाइल-ग्लाइसिन ग्लूकोज संश्लेषण को रोकते हैं, जिससे तीव्र हाइपोग्लाइसीमिया होता है।
- भारत में अब 0.1 मिलियन हेक्टेयर से अधिक भूमि लीची की खेती के लिए समर्पित है, जो फल की बढ़ती लोकप्रियता और आर्थिक महत्व का प्रमाण है।

राष्ट्रीय लीची अनुसंधान केंद्र (एनआरसीएल)

• आईसीएआर-राष्ट्रीय लीची अनुसंधान केंद्र की स्थापना 6 जून, 2001 को कृषि मंत्रालय, भारत सरकार

6.4. लिथियम ब्लॉक के लिए अर्जेंटीना के साथ भारत का समझौता

संदर्भ

हाल ही में, भारत अर्जेंटीना में अन्वेषण और विकास के लिए पांच लिथियम ब्लॉक हासिल करने के समझौते के करीब पहुंच गया है और बातचीत अंतिम चरण में पहुंच गई है।

समझौते के बारे में अधिक जानकारी

- खान मंत्रालय ने राज्य के स्वामित्व वाली खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड (KABIL) के माध्यम से, पांच-विषम लिथियम ब्लॉकों के संभावित अधिग्रहण और विकास के लिए अर्जेंटीना के खनिक कैमयेन के साथ एक मसौदा अन्वेषण और विकास समझौते में प्रवेश किया है।
- कंपनी ने खनिज के "संभावित अन्वेषण, निष्कर्षण, प्रसंस्करण और व्यावसायीकरण" के लिए चिली की खनन कंपनी ENAMI के साथ एक गैर-प्रकटीकरण समझौता भी किया है और ऑस्ट्रेलिया में निवेश योग्य परियोजनाओं की पहचान के लिए परामर्शदाता प्रमुख PwC को नियुक्त किया है।



लिथियम

- लिथियम एक नरम, चांदी-सफेद, धातु है जो तत्वों की आवर्त सारणी

द्वारा की गई थी।

- यह लीची पर अनुसंधान और विकास करने और राष्ट्रीय स्तर पर नेतृत्व प्रदान करने वाला प्रमुख राष्ट्रीय संस्थान है।
- यह लीची उत्पादन, प्रसंस्करण, मूल्य संवर्धन पर जानकारी के राष्ट्रीय भंडार के रूप में भी कार्य करता है और अंतिम उपयोगकर्ताओं को परामर्श सेवाएं प्रदान करता है।

- एनआरसीएल सक्रिय रूप से शाही, चीन, गंडकी लालिमा, गंडकी सम्पदा और गंडकी योगिता जैसी उच्च उपज देने वाली लीची किस्मों का विकास और वितरण करता है, जिससे उत्पादन और किसानों की आय में वृद्धि होती है।

के समूह 1, क्षार धातु समूह का प्रमुख है।

- यह पानी के साथ तीव्र प्रतिक्रिया करता है। इसे संग्रहित करना एक समस्या है। इसे सोडियम की तरह तेल के नीचे नहीं रखा जा सकता, क्योंकि यह कम घना होता है और तैरता है।

लिथियम का उपयोग

- लिथियम का सबसे महत्वपूर्ण उपयोग मोबाइल फोन, लैपटॉप, डिजिटल कैमरे और इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए रिचार्जबल बैटरी में होता है।
- लिथियम का उपयोग हृदय पेसमेकर, खिलौने और घड़ियों जैसी कुछ गैर-रिचार्जबल बैटरियों में भी किया जाता है।
- लिथियम धातु को एल्यूमीनियम और मैग्नीशियम के साथ मिश्रधातु में बनाया जाता है, जिससे उनकी ताकत में सुधार होता है और वे हल्के हो जाते हैं।
- कवच चढ़ाने के लिए मैग्नीशियम-लिथियम मिश्र धातु का उपयोग किया जाता है। एल्यूमीनियम-लिथियम मिश्र धातु का उपयोग विमान, साइकिल फ्रेम और हाई-स्पीड ट्रेनों में किया जाता है।

विश्व में लिथियम भंडार

- चिली, जिसके पास दुनिया के लिथियम भंडार का 11 प्रतिशत (दुनिया का सबसे बड़ा लिथियम भंडार) है, 26 प्रतिशत आवश्यकताओं की आपूर्ति करता है; जबकि वैश्विक संसाधनों के लगभग पांचवें हिस्से के साथ अर्जेंटीना लगभग 6 प्रतिशत की आपूर्ति करता है।
- भारत के बाद अर्जेंटीना (2.7 मिलियन टन) और चीन (2 मिलियन टन) का स्थान है।

- लिथियम ऑक्साइड का उपयोग विशेष ग्लास और ग्लास सिरेमिक में किया जाता है।
- लिथियम क्लोराइड ज्ञात सबसे अधिक हीट्रोस्कोपिक सामग्रियों में से एक है और इसका उपयोग एयर कंडीशनिंग और औद्योगिक सुखाने प्रणालियों (जैसे लिथियम ब्रोमाइड) में किया जाता है।

उत्पादन

- लिथियम का उत्पादन वर्तमान में कठोर चढ़ाने या नमकीन खदानों से किया जाता है।

- **हार्ड रॉक खदानों से उत्पादन के साथ ऑस्ट्रेलिया दुनिया का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता है।** अर्जेंटीना, चिली और चीन मुख्य रूप से नमक की झीलों से इसका उत्पादन करते हैं।
- वैश्विक लिथियम उत्पादन 2021 में पहली बार 100,000 टन को पार कर गया, जो 2010 से चौगुना हो गया। **वर्तमान में, ऑस्ट्रेलिया अकेले दुनिया के 52% लिथियम का उत्पादन करता है।**

लिथियम त्रिकोण

- चिली, अर्जेंटीना और बोलीविया - जिन्हें एक साथ "लिथियम त्रिकोण" कहा जाता है - दुनिया की 75 प्रतिशत से अधिक आपूर्ति अपने नमक फ्लैटों के नीचे रखते हैं।
- लिथियम त्रिकोण पृथ्वी पर सबसे शुष्क स्थानों में से एक है, जो लिथियम निष्कर्षण की प्रक्रिया को जटिल बनाता है: खनिकों को नमकीन, खनिज युक्त नमकीन पानी को सतह पर पंप करने के लिए नमक के फ्लैट में छेद करना पड़ता है।

- **मार्च में ऑस्ट्रेलियाई उद्योग, विज्ञान और संसाधन विभाग की संसाधन और ऊर्जा त्रैमासिक रिपोर्ट के अनुसार,** 2022 में विश्व उत्पादन 737,000 टन लिथियम कार्बोनेट समतुल्य (एलसीई) था और 2023 में 964,000 टन और 2024 में 1,167,000 टन तक पहुंचने का अनुमान है।

भारत में लिथियम

- फरवरी 2023 में, भारत ने जम्मू और कश्मीर के रियासी जिले के सलाल-हैमाना क्षेत्र में 5.9 मिलियन टन के लिथियम-अनुमानित संसाधनों की खोज की।
✓ खदानें प्रारंभिक अन्वेषण चरण में हैं (जिन्हें G3 भी कहा जाता है)
- देश लिथियम खदानों के इन ब्लॉकों की नीलामी साल के अप्रैल और जून के बीच करने की योजना बना रहा है। भारतीय कंपनियां और स्थानीय सहायक कंपनियों वाली विदेशी संस्थाएं नीलामी में भाग ले सकती हैं।
- भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (जीएसआई) राज्य के इसी जिले के

पनासा-दुग्गा-बलधनम-चाकर-संगामार्ग क्षेत्र की भी खोज कर रहा है। सलाल-हैमाना ब्लॉक की नीलामी के बाद पट्टेदार द्वारा निकाले जाने योग्य रिजर्व की स्थापना की जाएगी।

यह भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण है?

- **लिथियम-आयन बैटरी:** लिथियम लिथियम-आयन बैटरी, इलेक्ट्रिक वाहनों, इलेक्ट्रॉनिक्स और नवीकरणीय ऊर्जा भंडारण को शक्ति देने वाला एक महत्वपूर्ण घटक है। भारत का लक्ष्य विद्युत गतिशीलता में बदलाव और नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देना है, इसलिए लिथियम को सुरक्षित करना महत्वपूर्ण हो गया है।
- **आयात पर निर्भरता कम करना:** वर्तमान में, भारत लिथियम आयात पर बहुत अधिक निर्भर है, जिससे उच्च लागत और आपूर्ति श्रृंखला कमजोरियां होती हैं।
- **भू-राजनीतिक लाभ:** अर्जेंटीना में लिथियम संसाधनों को सुरक्षित करने से लैटिन अमेरिका के साथ भारत के संबंध मजबूत होते हैं और महत्वपूर्ण खनिजों के लिए चीन जैसे देशों पर निर्भरता कम हो जाती है।
- **आर्थिक विकास :** इस सौदे से संभावित रूप से अन्वेषण, खनन और बैटरी निर्माण में निवेश हो सकता है, जिससे आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा और नई नौकरियां पैदा होंगी।
- **हरित ऊर्जा संक्रमण:** लिथियम तक सुरक्षित पहुंच भारत के महत्वाकांक्षी नवीकरणीय ऊर्जा और इलेक्ट्रिक वाहन लक्ष्यों को सुविधाजनक बनाती है, कार्बन उत्सर्जन को कम करने और जलवायु परिवर्तन से निपटने में सहायता करती है। देश का 2030 तक 500 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता का लक्ष्य है।

6.5. पृथ्वी विज्ञान (पृथ्वी) योजना

संदर्भ

प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की व्यापक योजना "पृथ्वी विज्ञान (पृथ्वी)" को स्वीकृति प्रदान की गयी है।

पृथ्वी विज्ञान (पृथ्वी) योजना

- पृथ्वी योजना का लक्ष्य **पृथ्वी प्रणाली और इसमें होने वाले परिवर्तनों के महत्वपूर्ण संकेतों को रिकॉर्ड करने के लिए वायुमंडल, महासागर, भूमंडल, क्रायोस्फीयर और पृथ्वी के ठोस आवरण के दीर्घकालिक अवलोकनों का संवर्धन और रखरखाव करना है।**
- इसका उद्देश्य मौसम, महासागर और जलवायु संकटों को समझने और भविष्यवाणी करने और जलवायु परिवर्तन के विज्ञान को समझने के लिए मॉडलिंग सिस्टम का विकास करना भी है।
- वर्तमान में इस योजना के अंतर्गत संचालित पाँच उप-योजनाओं में शामिल हैं
✓ "वायुमंडल और जलवायु अनुसंधान-मॉडलिंग अवलोकन प्रणाली और सेवाएँ (ACROSS)",
✓ "महासागर सेवाएँ, मॉडलिंग अनुप्रयोग, संसाधन और प्रौद्योगिकी (O-SMART)",

- ✓ "ध्रुवीय विज्ञान और क्रायोस्फीयर अनुसंधान (PACER)»,
- ✓ "भूकंप विज्ञान और भूविज्ञान (SAGE)" और
- ✓ "अनुसंधान, शिक्षा, प्रशिक्षण और आउटरीच (REACHOUT)"।
- **व्यापक पृथ्वी योजना के प्रमुख उद्देश्य निम्न हैं**
✓ पृथ्वी प्रणाली और इसमें होने वाले परिवर्तनों के महत्वपूर्ण संकेतों को रिकॉर्ड करने के लिए वायुमंडल, महासागर, भूमंडल, क्रायोस्फीयर और ठोस पृथ्वी के दीर्घकालिक अवलोकनों का संवर्धन और रख-रखाव।
✓ मौसम, महासागर और जलवायु खतरों को समझने और भविष्यवाणी करने और जलवायु परिवर्तन के विज्ञान को समझने के लिए मॉडलिंग सिस्टम का विकास।
✓ नई घटनाओं और संसाधनों की खोज की दिशा में पृथ्वी के ध्रुवीय और उच्च समुद्री क्षेत्रों की खोज;
✓ सामाजिक अनुप्रयोगों के लिए समुद्री संसाधनों की खोज और

सतत दोहन के लिए प्रौद्योगिकी का विकास।

- ✓ पृथ्वी प्रणाली विज्ञान से प्राप्त ज्ञान और अंतर्दृष्टि का सामाजिक, पर्यावरणीय और आर्थिक लाभ सेवाओं में परिवर्तन।

योजना का महत्व

- पृथ्वी की व्यापक योजना पृथ्वी प्रणाली विज्ञान की समझ में सुधार लाने और देश के लिए विश्वसनीय सेवाएं प्रदान करने के लिए पृथ्वी प्रणाली के सभी पाँच घटकों से समग्र रूप से संबंधित होगी।
- ✓ पृथ्वी प्रणाली विज्ञान पृथ्वी प्रणाली के सभी पाँच घटकों: वायुमंडल, जलमंडल, भूमंडल, क्रायोस्फीयर, और जीवमंडल और उनके बीच के जटिल अंतर्संबंध से संबंधित है।
- पृथ्वी विज्ञान की व्यापक योजना पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय से सम्बंधित संस्थानों में एकीकृत बहु-विषयक पृथ्वी विज्ञान अनुसंधान और नवाचारी कार्यक्रमों के विकास को सक्षम करेगी।

- ये एकीकृत अनुसंधान एवं विकास प्रयास मौसम और जलवायु, महासागर, क्रायोस्फीयर, भूकंपीय विज्ञान और सेवाओं की बड़ी चुनौतियों का समाधान करने के साथ-साथ उनके स्थायी दोहन के लिए जीवित और निर्जीव संसाधनों का पता लगाने में मदद करेंगे।
- यह योजना अंतर-विषयक परियोजनाओं को शुरू करने और यहां तक कि अलग-अलग कार्यक्षेत्रों के लिए आवंटित धन का एक साथ उपयोग करने में सहायक होगी। इस प्रकार, यह अनुसंधान को भी सरल बनाएगी।
- ये एकीकृत अनुसंधान एवं विकास प्रयास मौसम और जलवायु, महासागर, क्रायोस्फीयर, भूकंपीय विज्ञान और सेवाओं की बड़ी चुनौतियों का समाधान करने में सहायक होंगे।
- यह उनके टिकाऊ दोहन के लिए जीवित और निर्जीव संसाधनों की खोज में भी मदद करेगी।
- यह योजना मंत्रालय को विदेशी संस्थानों को अनुसंधान परियोजनाएं प्रदान करने में सहायक होगी।

6.6. आइसबर्ग A23a

संदर्भ

हाल ही में, अंटार्कटिक समुद्र में अभियान नेता इयान स्ट्रेचन द्वारा दुनिया के सबसे बड़े हिमखंड, ए23ए (A23a) की खोज ने ध्यान आकर्षित किया है।

आइसबर्ग- A23a क्या है?

- A23a, एक दांत के आकार का हिमखंड है, जो ग्रेटर लंदन के आकार से लगभग दोगुना है।
- 30 वर्षों तक अटके रहने के बाद, अब यह एक ट्रिलियन टन ताज़ा पानी लेकर उत्तर की ओर यात्रा पर है।
- एलीफेंट द्वीप और दक्षिण ओर्कनेय द्वीप समूह के बीच बहता हुआ A23a हिमखंड की मोटाई 400 मीटर तक है।
- वर्ष 1986 में सृजित A23a हिमखंड दुनिया का सबसे पुराना और सबसे बड़ा हिमखंड है।

- A23a एक प्राकृतिक प्रक्रिया का हिस्सा है, जो अन्य विशाल हिमखंडों के समान पथ का अनुसरण करता है।
- ऐसी आशंका है कि गर्म पानी और बड़ी लहरों के कारण दक्षिणी महासागर में प्रवेश करते ही यह टूट सकती है।
- ईवाईओएस अभियान का नेतृत्व कर रहे डॉ. स्ट्रेचन ने एक निजी अंटार्कटिक दौरे के दौरान इसकी जानकारी साझा की।
- अभियान दल ने दक्षिण जॉर्जिया द्वीप पर बर्ड फ़्लू के प्रकोप के कारण योजनाएं बदल दीं।

7. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

7.1. दुर्लभ रोग

संदर्भ

एक हालिया सर्वेक्षण के अनुसार ज्ञात दुर्लभ बीमारियों की संख्या लगभग 7,000 हैं, जो दुनिया की लगभग 8% आबादी को प्रभावित करती हैं और जिसमें 75% रोगी बच्चे हैं।

दुर्लभ बीमारी

- प्रति 1000 जनसंख्या पर 1 या उससे कम की व्यापकता वाली आजीवन बीमारी या विकार की स्थिति को विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) द्वारा एक दुर्लभ बीमारी के रूप में परिभाषित किया गया है।
- एक दुर्लभ बीमारी (जिसे “अनाथ” रोग भी कहा जाता है) कम प्रसार वाली एक स्वास्थ्य स्थिति है जो सामान्य आबादी में अन्य प्रचलित बीमारियों की तुलना में कम संख्या में लोगों को प्रभावित करती है।
- ऐसा अनुमान है कि चिकित्सा क्षेत्र में नियमित रूप से नई दुर्लभ बीमारियों के शामिल होने के साथ विश्व स्तर पर लगभग 6000 से 8000 दुर्लभ बीमारियाँ मौजूद हैं।
- हालाँकि, दुर्लभ रोगों से ग्रसित सभी रोगियों में से 80% लगभग 350 दुर्लभ रोगों से प्रभावित होते हैं।
- भारत में लगभग 72 से 96 मिलियन लोग दुर्लभ रोगों से प्रभावित हैं।
- भारत में, जबकि लगभग 500 दुर्लभ रोग ज्ञात हैं, DCGI द्वारा अनुमोदित उपचार वर्तमान में केवल कुछ रोगों के लिए उपलब्ध है, जिनमें गौचर रोग, पोम्पे रोग, एमपीएस, और फैब्री रोग शामिल हैं।

दुर्लभ रोगों के प्रकार

- **आनुवंशिक रोग:** ये जीन या गुणसूत्रों में परिवर्तन के कारण होते हैं। उदाहरणों में सिस्टिक फाइब्रोसिस, सिकल सेल एनीमिया और डाउन सिंड्रोम शामिल हैं।
- **मेटाबोलिक रोग:** ये शरीर द्वारा भोजन या पोषक तत्वों के विघटन या उपयोग करने के तरीके में हुई समस्याओं के कारण होते हैं। उदाहरणों में टे-सैक्स रोग, फेनिलकेटोनुरिया (PKU), और मेपल सिरप मूत्र रोग शामिल हैं।
- **तंत्रिका संबंधी रोग:** ये तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करते हैं। इसके उदाहरणों में एमियोट्रोफिक लेटरल स्क्लेरोसिस (ALS), हंटिंगटन रोग और मल्टीपल स्क्लेरोसिस (MS) शामिल हैं।
- **कैंसर:** कुछ प्रकार के कैंसर को दुर्लभ माना जाता है, जैसे ल्यूकेमिया और हॉजकिन लिम्फोमा।
- **संक्रामक रोग:** कुछ संक्रामक रोग दुर्लभ हैं, जैसे क्रुटज़फ़ेल्ड-जैकब रोग (CJD) और इबोला वायरस रोग।

दुर्लभ रोगों के खिलाफ लड़ाई में चुनौतियाँ

- **सीमित उपचार:** 5% से भी कम दुर्लभ रोगों का उपचार उपलब्ध है, जबकि लगभग 95% रोगों कोई अनुमोदित विकल्प नहीं हैं।
- **वित्तीय तनाव:** दुर्लभ रोगों के लिए उपलब्ध दवाएं अक्सर बेहद महंगी होती हैं।
- **अधूरा नीति ढांचा:** हालाँकि भारत में दुर्लभ रोगों के लिए एक राष्ट्रीय

नीति (NPRD) है, किन्तु इसका कार्यान्वयन धीमा होने के कारण बाधाओं का सामना करना पड़ता है।

✓ वित्तीय सहायता और निर्धारित उपचार केंद्रों तक पहुंच अभी भी सीमित है।

- **नैदानिक विकास सम्बन्धी चुनौतियाँ:** छोटे रोगी समूह, अलग-अलग स्थानों पर रोगियों तक पहुंचने में लॉजिस्टिकल जटिलताएँ, मान्यता प्राप्त बायोमार्कर की कमी, सीमित सरोगेट समापन बिंदु, और नैदानिक विशेषज्ञता और विशेषज्ञ केंद्रों की कमी जैसी बाधाएँ मौजूद हैं।

- **महामारी विज्ञान डेटा गैप:** भारत में अनुमानित 70 मिलियन रोगियों के बावजूद, विस्तृत प्रसार जानकारी का अभाव प्रभावी प्रबंधन और संसाधन आवंटन में बाधा उत्पन्न करता है।

सरकारी पहल

- **दुर्लभ बीमारियों के लिए राष्ट्रीय नीति (NPRD), 2021**

✓ **दुर्लभ बीमारियों को वर्गीकृत करता है:** समूह 1 (एक बार में उपचार), समूह 2 (दीर्घकालिक उपचार, कम लागत), और समूह 3 (महंगी, आजीवन चिकित्सा)।

✓ **वित्तीय सहायता:** निर्धारित उत्कृष्टता केंद्रों (CoEs) पर किसी भी श्रेणी के लिए 50 लाख रु. तक वित्तीय सहायता।

✓ **निदान और उपचार:** पूरे भारत में 8 उत्कृष्टता केंद्र और 5 निदान केंद्र स्थापित किए गए हैं।

✓ **अनुसंधान एवं विकास और वहन क्षमता:** स्थानीय दवा उत्पादन को बढ़ावा देना और विशिष्ट मामलों के लिए आयातित दवाओं पर कर छूट प्रदान करना।

- **राष्ट्रीय दुर्लभ रोग समिति,** जो दुर्लभ बीमारियों वाले रोगियों के सामने आने वाली चुनौतियों का समाधान करने के लिए मिलकर काम करने हेतु एक पांच सदस्यीय पैनल, दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा स्थापित किया गया था।

- **रेयर डिजीज इंटरनेशनल (RDI)** दुर्लभ बीमारी से पीड़ित सभी व्यक्तियों के लिए अधिक इक्विटी सुनिश्चित करने के लिए रोगी संगठनों का एक वैश्विक गठबंधन है।

आगे की राह

- **सभी के लिए किफायती स्वास्थ्य देखभाल** एक राष्ट्रीय प्राथमिकता होनी चाहिए।

- **सरकार को स्वेच्छिक क्राउडफंडिंग से आगे बढ़कर,** यहां तक कि सबसे वंचित लोगों की देखभाल तक समान पहुंच सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाने और नवीन समाधान खोजने की जरूरत है।

7.2. हनटिंगटन रोग

संदर्भ

हाल ही में, हैदराबाद के निज़ाम इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में मेडिकल जेनेटिक्स क्लिनिक में हंटिंगटन रोग के मासिक मामले सामने आए हैं, जो परिवारों को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करते हैं।

हनटिंगटन रोग (Huntington's Disease)

- मस्तिष्क को प्रभावित करने वाला एक **क्रमिक रूप से बढ़ने वाला आनुवंशिक विकार है जो अनियंत्रित गतिविधियों, संतुलन और संचरण के खराब समन्वय**, संज्ञानात्मक क्षमताओं में गिरावट, ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई और याददाश्त में कमी, मूड में बदलाव और व्यक्तित्व में बदलाव का कारण बनता है।
- **यह रोग एचटीटी(HTT)** नामक जीन में उत्परिवर्तन के कारण होता है।
- एचटीटी जीन **हंटिंग्टिन नामक प्रोटीन का निर्माण करते हैं।**
- वे प्रोटीन **निर्माण के निर्देश प्रदान करते हैं।**
- जब जीन उत्परिवर्तित होते हैं, तो वे दोषपूर्ण निर्देश प्रदान करते हैं जिससे **असामान्य हंटिंग्टिन प्रोटीन का उत्पादन होता है और ये समूह के रूप में बनते हैं।**
- ये **समूह मस्तिष्क कोशिकाओं के सामान्य कामकाज को बाधित** करके अंततः मस्तिष्क में न्यूरोन्स की मृत्यु का कारण बनते हैं, जिसके परिणामस्वरूप हंटिंगटन रोग होता है।
- हालांकि यह ज्ञात है कि असामान्य **हंटिंग्टिन प्रोटीन द्वारा गठित समूह कई कोशिकीय प्रक्रियाओं को बाधित करते हैं** किन्तु अभी यह ज्ञात नहीं किया जा सका है कि क्या वे कोशिका में अन्य प्रोटीन के निर्माण में महत्वपूर्ण प्रक्रिया को भी प्रभावित करते हैं।

आनुवंशिक आधार और प्रभुत्व

- व्यक्तियों में एचटीटी जीन की दो प्रतियां होती हैं; यदि एक प्रति भी उत्परिवर्तित (**प्रमुख वंशानुक्रम**) होती है तो भी रोग उत्पन्न हो जाता है।
- उत्परिवर्तित जीन असामान्य एचटीटी प्रोटीन को कूटबद्ध करते हैं जो चलने, सोचने और स्मृति को नियंत्रित करने वाले न्यूरोन्स को नुकसान पहुंचाते हैं।
- पॉलीग्लुटामाइन ट्रैक्ड और न्यूरोन विकृति:

- ✓ विस्तारित पॉलीग्लुटामाइन ट्रैक्ट वाले उत्परिवर्ती जीन न्यूरोनल विकृति का कारण बनते हैं।
- ✓ पॉलीग्लुटामाइन के छोटे टुकड़े कोशिकीय प्रक्रियाओं में हस्तक्षेप करते हैं, जिससे विषाक्तता उत्पन्न होती है।
- **फल मक्खियों के उपयोग पर अनुसंधान**
- ✓ हंगरी के सेज्ड विश्वविद्यालय (University of Szeged) के शोधकर्ताओं ने हंटिंगटन की बीमारी की प्रगति का अध्ययन करने के लिए आनुवंशिक रूप से इंजीनियर फल मक्खियों (**ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर**) का प्रयोग किया।

हनटिंगटन रोग के कारण

- आनुवंशिक उत्परिवर्तन: एचटीटी का प्राथमिक कारण एचटीटी जीन में उत्परिवर्तन है। यह उत्परिवर्तन एक माता-पिता से विरासत में मिला है, प्रत्येक बच्चे को यह विरासत में मिलने की %50 संभावना है।
- बाहरी कारक: जबकि आनुवंशिक उत्परिवर्तन प्राथमिक ट्रिगर है, कुछ पर्यावरणीय कारक, जैसे सिर की चोटें या कुछ विषाक्त पदार्थों के संपर्क में आना, रोग की शुरुआत या प्रगति को प्रभावित कर सकते हैं।
- **जीएल4/यूएस(Gal4/UAS) प्रणाली**
- ✓ इसका प्रयोग **फल मक्खी न्यूरोन्स में उत्परिवर्तित एचटीटी जीन को चुनिंदा रूप से व्यक्त करने के लिए** किया गया था।
- ✓ **120 बार के पॉलीग्लुटामाइन ट्रैक्ट वाली फल मक्खियों में** हंटिंगटन रोग जैसे लक्षण प्रदर्शित होते हैं।
- **योड1 जीन की भूमिका:**
- ✓ लंबे पॉलीग्लुटामाइन ट्रैक्ट के साथ फल मक्खियों में योड1 जीन की अधिक अभिव्यक्ति से **न्यूरोन विकृति, मोटर विकार रोग जैसे प्रभाव कम हो गए और व्यवहार्यता और दीर्घायु में कमी आई।**
- **संभावित चिकित्सीय निहितार्थ**
- ✓ फल मक्खियों में योड1 के सुधारात्मक प्रभावों की पहचान करने से मनुष्यों में हंटिंगटन रोग के लिए संभावित चिकित्सीय प्रभाव का पता चलता है।

7.3. मलेरिया के टीके की शुरुआत

संदर्भ

हाल ही में, अफ्रीकी महाद्वीप का कैमरून (Cameroon) नामक देश बच्चों के लिए आरटीएस, एस मलेरिया टीके (RTS, S malaria vaccine) को सामान्य राष्ट्रीय टीकाकरण सेवाओं में शामिल करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है।

आरटीएस, एस मलेरिया टीका (RTS, S Malaria Vaccine)

- **यूनिसेफ की परियोजना:** इस टीके को यूनिसेफ (UNICEF) की परियोजना के एक भाग के रूप में शुरू किया गया है, जिसकी पहली खुराक की आपूर्ति हेतु जीएसके (GSK) नामक ब्रिटिश फर्म से अनुबंध किया गया है।

- **वित्तपोषण:** यूनिसेफ की इस पहल को 170 मिलियन डॉलर तक के अनुबंध द्वारा प्रायोजित किया गया है, जिसके परिणामस्वरूप तीन वर्षों में 18 मिलियन खुराक उपलब्ध कराई जाएगी।
- **विनिर्माण और आपूर्ति:** सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया (Serum Institute of India) दूसरी खुराक (R21) का विनिर्माण करेगा,

जिसे ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय प्रतिवर्ष 100 मिलियन खुराक के लक्ष्य के साथ शुरू करने की योजना बना रहा है।

- **खुराक का निर्धारण:** पाँच महीने और उससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए, टीके की चार खुराक की आवश्यकता होती है, जबकि स्थायी मलेरिया जोखिम वाले क्षेत्रों में एक वर्ष के बाद पाँचवीं खुराक दी जा सकती है।

टीके (vaccine) का महत्व

- **लोगों की जान बचाने की क्षमता:** यह टीका विशेष रूप से अधिक जोखिम वाले क्षेत्रों में मलेरिया के प्रभाव के रोकथाम और उन्मूलन की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है।
- **समान पहुँच:** गावी (GAVI) और अन्य संगठनों का उद्देश्य दुनिया के सबसे गरीब देशों में बच्चों के लिए टीके तक समान पहुँच प्रदान करना है।

वैश्विक मलेरिया रोग का बोझ

- 30 से अधिक देशों में मध्यम से उच्च संचरण दर के साथ मलेरिया दुनिया भर में विशेष रूप से पाँच वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए एक बड़ा खतरा बना हुआ है।
- **क्षेत्रीय असमानताएँ:** विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के अनुसार, दुनिया भर में मलेरिया के 94 प्रतिशत मामले और 95 प्रतिशत मौतें अफ्रीका में देखने को मिलती हैं, लेकिन दक्षिण-पूर्व एशिया में दर्ज किए गए मलेरिया के मामलों का 66 प्रतिशत भारत में दर्ज किया गया।

मलेरिया उन्मूलन से संबंधित वैश्विक पहल

- विश्व स्वास्थ्य संगठन का वैश्विक मलेरिया कार्यक्रम (GMP):**
 - विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा चलाया जा रहा वैश्विक मलेरिया कार्यक्रम (Global Malaria Programme-GMP) मलेरिया के रोकथाम और उन्मूलन हेतु विश्व स्वास्थ्य संगठन के वैश्विक प्रयासों के समन्वय के लिए जबाबदेह है।
 - विश्व स्वास्थ्य सभा (World Health Assembly) ने मलेरिया के लिए मई, 2015 में वैश्विक तकनीकी रणनीति 2016-2030 को अपनाया, जिसमें वर्ष 2021 में संशोधन किया गया था।
 - इस पहल का लक्ष्य वर्ष 2030 तक वैश्विक मलेरिया संक्रमण के मामलों और इससे होने वाली मृत्यु दर को कम से कम 90 प्रतिशत तक कम करना है।
- ई-2025 पहल: वर्ष 2021 में, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने ई-2025 (E-2025) पहल को प्रारंभ किया था। इस पहल का उद्देश्य वर्ष 2025 तक 25 देशों में मलेरिया के संक्रमण दर को कम करना है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने वर्ष 2025 तक मलेरिया के पूर्णतः उन्मूलन की क्षमता वाले 25 देशों की पहचान की है।**
- मलेरिया उन्मूलन पहल: बिल और मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन (Bill and Melinda Gates Foundation) के नेतृत्व में इसका लक्ष्य उपचार तक बढ़ी हुई पहुँच, मच्छरों की आबादी में कमी और तकनीकी विकास के माध्यम से विभिन्न उपायों का प्रयोग करके मलेरिया का उन्मूलन करना है।**

भारत में मलेरिया के मामले

- वर्ष 2022 में, विश्व स्वास्थ्य संगठन के आँकड़ों के अनुसार, भारत चिंताजनक रूप से दक्षिण-पूर्व एशिया में मलेरिया के 66% मामलों के लिये ज़िम्मेदार था।
- **प्लाज्मोडियम विवैक्स (Plasmodium vivax) नमक एक प्रोटोजोआ परजीवी,** इस क्षेत्र में 46 प्रतिशत से अधिक मामलों के लिए उत्तरदायी था।
- वर्ष 2015 से मलेरिया के मामलों में 55 प्रतिशत की गिरावट के बावजूद, वैश्विक मलेरिया बोझ में भारत का योगदान उच्च बना हुआ है।
- वर्ष 2023 में बेमौसम बारिश के कारण मलेरिया के मामलों में वृद्धि सहित भारत को इसके उन्मूलन में समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है।
- **विश्व स्वास्थ्य संगठन के दक्षिण-पूर्व एशिया क्षेत्र में मलेरिया से होने वाली लगभग 94 प्रतिशत मौतें भारत और इंडोनेशिया में होती हैं।**

मलेरिया के उन्मूलन से संबंधित भारत की पहल

- राष्ट्रीय फ्रेमवर्क**
 - **मलेरिया उन्मूलन के लिए राष्ट्रीय फ्रेमवर्क** 2016-2030, विश्व स्वास्थ्य संगठन के दृष्टिकोण के अनुरूप है और इसकी योजना मलेरिया मुक्त क्षेत्रों को बनाए रखते हुए वर्ष 2030 तक भारत में मलेरिया का उन्मूलन करना है।
 - **राष्ट्रीय वेक्टर-जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम** रोकथाम और नियंत्रण रणनीतियों का उपयोग करके मलेरिया सहित विभिन्न प्रकार की वेक्टर-जनित बीमारियों को नियंत्रित करता है।
- राष्ट्रीय मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम (NMCP)**
 - वर्ष 1947 में भारत की आज़ादी के समय यह अनुमान लगाया गया था कि देश की 22 प्रतिशत आबादी मलेरिया से प्रभावित थी, जिसमें सालाना 75 मिलियन लोग इससे प्रभावित हुए तथा 0.8 मिलियन लोगों की मौत हुई थी।
 - वर्ष 1953 में, मलेरिया के घातक प्रभावों को कम करने के लिए **राष्ट्रीय मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम (NMCP)** की शुरुआत की गई थी।
 - यह कार्यक्रम तीन मुख्य गतिविधियों पर आधारित है, जिसमें शामिल है: डीडीटी (DDT) के साथ कीटनाशक अवशिष्ट स्प्रे (insecticidal residual spray-IRS), संक्रमण के मामले की निगरानी एवं निरीक्षण तथा संक्रमित रोगी का उपचार।
- उच्च जोखिम और उच्च प्रभाव (High Burden to High Impact Initiative-HBHI):** वर्ष 2019 में, चार राज्यों (पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, झारखंड और छत्तीसगढ़) ने अपने राज्यों में मलेरिया उन्मूलन से संबंधित कार्यक्रमों की गति को तेज करने के लिए इस पहल को शुरू किया था।

चुनौतियाँ

- **मलेरिया और जलवायु परिवर्तन:** जलवायु परिवर्तन मलेरिया संचरण और इसके बोझ को प्रभावित करने वाले एक प्रमुख कारक के रूप में उभरा है।
- तापमान बढ़ने और जलवायु परिस्थितियों में बदलाव के कारण **भारत के पूर्वी क्षेत्र, बांग्लादेश के पहाड़ी इलाके, म्यांमार के कुछ हिस्से और**

इंडोनेशिया के पापुआ जैसे क्षेत्र काफी अधिक संवेदनशील हैं।

- **अपर्याप्त अवसंरचना:** मलेरिया मुख्य रूप से अपर्याप्त अवसंरचनाओं और कम वित्तपोषित निम्न और मध्यम आय वाले देशों को प्रभावित करता है। इन देशों में टीका बनाने वाली कंपनियों के पास मलेरिया के टीके विकसित करने के लिए सीमित प्रोत्साहन है और इसके साथ-साथ इस कंपनियों का ध्यान औद्योगिकीकृत वैश्विक बाजारों पर केंद्रित है। यहाँ तक कि इस रोग पर उतना ध्यान नहीं दिया जाता है जैसा कि एचआईवी/एड्स जैसी अन्य बीमारियों पर दिया जाता है।

आगे की राह

- **ढाँचागत रूप से टीके की शुरुआत:** आयु-आधारित या समयानुकूल प्रशासन दृष्टिकोण का उपयोग करके ऋतु-संबंधी या बारहमासी

मलेरिया संचरण वाले क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

- **सतत दृष्टिकोण:** जलवायु परिवर्तन को देखते हुए मलेरिया से निपटने के प्रयास दीर्घकालिक और लचीले होने चाहिए।
- **क्षेत्रवार अनुकूलन:** जो क्षेत्र मलेरिया हेतु जलवायु परिवर्तन के प्रभाव के प्रति संवेदनशील हैं, उसे अपने निवारक और उपचारात्मक प्रयासों को उसके अनुसार समायोजित करना चाहिए।
- **सहयोग के प्रयास:** प्रभावी टीका वितरण और क्रियान्वयन के लिए स्थानीय सरकारों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के बीच सहयोग की आवश्यकता है।
- **अनुसंधान और विकास के लिए वैश्विक सहयोग:** बेहतर टीकाकरण और मलेरिया रोकथाम रणनीतियों के लिए अनुसंधान और विकास में निरंतर वित्तपोषण आवश्यक है।

7.4. गर्भाशय ग्रीवा कैंसर (Cervical Cancer)

प्रसंग

सरकार गर्भाशय ग्रीवा कैंसर (Cervical Cancer) से निपटने के लिए टीकाकरण अभियान शुरू करने की तैयारी में है। सरकार गर्भाशय ग्रीवा कैंसर के टीके को सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम में शामिल करने पर विचार कर रही है। यह टीकाकरण अभियान मुख्य रूप से 09 से 14 वर्ष की लड़कियों पर केंद्रित है एवं इस साल के अंत में इसके शुरु होने का अनुमान है।

गर्भाशय ग्रीवा कैंसर

- सर्विकल कैंसर या गर्भाशय ग्रीवा कैंसर एक प्रकार का कैंसर रोग है जो गर्भाशय ग्रीवा (गर्भाशय का निचला हिस्सा जो योनि से जुड़ता है) की कोशिकाओं में होता है।
- यह एक गैर संचारी रोग है।
- गर्भाशय ग्रीवा कैंसर के अधिकांश मामले ह्यूमन पैपिलोमा वायरस (HPV) के विभिन्न स्ट्रेन (Strain) से संबंधित होते हैं।
- लगभग 85% ग्रीवा कैंसर के मामलों का कारण विशिष्ट उच्च जोखिम वाले एचपीवी स्ट्रेन के साथ नियमित संक्रमण है।

कारण

- ग्रीवा कैंसर के अधिकांश मामले ह्यूमन पैपिलोमा वायरस (HPV) के उच्च जोखिम टाइप (high-risk type) से लगातार संक्रमण के कारण होते हैं, जो मुख्य रूप से यौन संपर्क के माध्यम से फैलता है।
- कैंसर उत्पन्न करने की क्षमता वाले अभी तक कम से कम 14 अभिज्ञात कैंसरकारी (Oncogenic) एचपीवी टाइप हैं।
- दुनिया भर में ग्रीवा कैंसर के लगभग 70% मामलों के लिए विशेष रूप से एचपीवी टाइप 16 और 18 (जिन्हें सबसे अधिक कैंसरकारी माना जाता है), जिम्मेदार हैं।

ग्रीवा कैंसर का प्रसार

- भारतीय महिलाओं में स्तन कैंसर के बाद ग्रीवा कैंसर दूसरा सबसे अधिक प्रचलित कैंसर है।
- विश्व स्तर पर ग्रीवा कैंसर के कुल मामलों में से अधिकांश मामले भारत में पाए जाते हैं, जिसके परिणामस्वरूप वैश्विक स्तर पर इस कैंसर से

होने वाली प्रत्येक चार मौतों में से लगभग एक मौत भारत में होती है।

उपलब्ध एचपीवी टीकों के प्रकार

1. **क्वाड्रिवैलेंट वैक्सीन (गार्डसिल, सर्वावैक):** यह चार एचपीवी प्रकारों (16, 18, 6, और 11) से बचाता है, जिनमें से अंतिम दो प्रकारों से जननांग मस्से पैदा उत्पन्न होते हैं।
2. **बाइवैलेंट वैक्सीन (सर्वावैक्स):** केवल एचपीवी टाइप 16 और 18 से बचाता है।
3. **नॉनवैलेंट वैक्सीन (गार्डसिल 9):** नौ एचपीवी स्ट्रेन के विरुद्ध सुरक्षा कवच के रूप में काम करता है।

सर्वावैक (Cervavac)

- 'सर्वावैक' पुणे स्थित सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया (SII) द्वारा विकसित पहली स्वदेशी एचपीवी वैक्सीन है।

ह्यूमन पैपिलोमावायरस (HPV)

यह डीएनए वायरस का एक समूह है जो जननांग क्षेत्र, साथ ही मुँह और गले को भी संक्रमित कर सकता है। यह विश्व स्तर पर सबसे आम यौन संचारित संक्रमण (STI) है। एचपीवी के 200 से अधिक प्रकार होते हैं और उन्हें कैंसर के साथ उनकी सम्बद्धता के आधार पर उच्च जोखिम या कम जोखिम के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

1. **कम जोखिम वाले एचपीवी प्रकार:** ये जननांग और गैर-जननांग दोनों प्रकार के मस्सों से सम्बंधित हैं। हालाँकि वे कष्टप्रद हो सकते हैं, लेकिन उनसे कैंसर होने की संभावना नहीं होती है।
2. **उच्च जोखिम वाले एचपीवी प्रकार:** ये ऐसे प्रकार हैं जो कैंसर का कारण बन सकते हैं। विशेष रूप से, उच्च जोखिम वाले एचपीवी के साथ नियमित संक्रमण ग्रीवा कैंसर का एक प्रमुख कारण है। यह अन्य कैंसर का कारण भी बन सकता है, जिसमें योनिमुख, योनि, लिंग, गुदा और गले का कैंसर शामिल है।

- इसका उद्देश्य ग्रीवा कैंसर और अन्य एचपीवी सम्बंधित कैंसरों को रोकना है।

- अध्ययन में 9 से 15 साल की लड़कियों और लड़कों पर ध्यान केंद्रित किया गया था, जिसमें पर्याप्त संख्या में लड़के-लड़कियों को शामिल किया गया था।
- शोध का उद्देश्य मर्क (Merck) के क्वाड्रिवैलेंट एचपीवी वैक्सीन (गार्डसिल) की तुलना में 'सर्वावैक' की सुरक्षा और प्रतिरक्षात्मकता का आकलन करना था।

विश्व स्वास्थ्य संगठन

- विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) का अनुमान है कि वैश्विक स्तर पर महिलाओं में गर्भाशय ग्रीवा कैंसर चौथा सबसे आम कैंसर है।
 - ग्रीवा कैंसर से होने वाली लगभग 90% मौतें निम्न और मध्यम आय वाले देशों में होती हैं।
 - विश्व स्वास्थ्य संगठन की वैश्विक रणनीति: विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा प्रस्तावित गर्भाशय ग्रीवा कैंसर को खत्म करने की वैश्विक रणनीति, गर्भाशय ग्रीवा कैंसर उन्मूलन की दिशा में आगे बढ़ने हेतु देशों के लिए वर्ष 2030 तक प्राप्त किए जाने वाले 90-70-90 लक्ष्यों की रूपरेखा तैयार करती है:
1. 15 साल की उम्र तक 90% लड़कियों का एचपीवी वैक्सीन का पूर्ण टीकाकरण।
 2. 70% महिलाओं की 35 और 45 वर्ष की आयु में उच्च-प्रदर्शन परीक्षण से जांच करना।
 3. गर्भाशय ग्रीवा कैंसर से पीड़ित 90% महिलाओं को उपचार प्राप्त होना (90% प्री-कैंसर मामलों का इलाज, और 90% तेजी से फैलते कैंसर के मामलों का प्रबंधन किया जाता है)।

भारत के प्रयास

1. राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM)
 - भारत ने ग्रीवा कैंसर से निपटने के लिए रोकथाम, जांच और उपचार पर ध्यान केंद्रित करते हुए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत विभिन्न कार्यक्रम लागू किए हैं।
2. जांच कार्यक्रम
 - भारत सरकार ने 'पैप स्मीयर टेस्ट' ('Pap smear test') जैसे स्क्रीनिंग कार्यक्रम शुरू किए हैं और हाल ही में एचपीवी परीक्षण की शुरुआत की है।
3. टीकाकरण कार्यक्रम
 - युवतियों में ग्रीवा कैंसर की रोकथाम के लिए राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम में एचपीवी टीकाकरण की शुरुआत की गई है।
 - राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम (National Immunization Program)
 - ✓ हालांकि मौजूदा एचपीवी टीके महंगे हैं, लेकिन 'सर्वावैक' को

भारत के राष्ट्रीय कार्यक्रम में शामिल किए जाने का अनुमान है।
✓ इस टीके को वर्ष 2024 के प्रारंभ में सात राज्यों में शुरू करने की तैयारी है।

4. जागरूकता अभियान

- महिलाओं को नियमित जांच, बीमारी का शीघ्र पता लगाने और टीकाकरण के महत्व के बारे में शिक्षित करने के लिए जन जागरूकता अभियान चलाना।
- 5. आशा कार्यकर्ता
 - जमीनी स्तर पर जागरूकता उत्पन्न करने और स्वास्थ्य सेवाओं को सुविधाजनक बनाने में मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता (आशा) महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
- 6. कैंसर, मधुमेह, हृदय रोग और दौरा की रोकथाम और नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम (NPCDCS):
 - एनपीसीडीसीएस में ग्रीवा कैंसर सहित कैंसर नियंत्रण के लिए उपाय शामिल हैं।

चुनौतियाँ

1. जागरूकता की कमी: भारत में अधिकांश महिलाओं में ग्रीवा कैंसर, निवारक उपायों और शीघ्र पता लगाने के महत्व के बारे में जागरूकता की कमी है।
2. अवसंरचना और पहुंच की समस्या: सीमित स्वास्थ्य देखभाल अवसंरचना और दूरदराज के क्षेत्रों तक सीमित पहुंच प्रभावी जांच और टीकाकरण कार्यक्रमों को लागू करने में चुनौतियां उत्पन्न करती है।
3. कलंक और सांस्कृतिक बाधाएँ: प्रजनन स्वास्थ्य से जुड़े सामाजिक-सांस्कृतिक कारक और कलंक जागरूकता और निवारक उपायों में बाधा बन सकते हैं।

विश्वव्यापी पहल

1. टीका और टीकाकरण के लिए वैश्विक गठबंधन (GAVI)
 - जीएवीआई ग्रीवा कैंसर की रोकथाम के लिए विकासशील देशों में एचपीवी टीकों की शुरुआत में सहायता करता है।
2. ग्रीवा कैंसर के उन्मूलन में तेजी लाने हेतु डब्ल्यूएचओ की वैश्विक रणनीति
 - डब्ल्यूएचओ (WHO) ने सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में ग्रीवा कैंसर को खत्म करने हेतु एक वैश्विक रणनीति शुरू की है।
- c. ग्रीवा कैंसर-मुक्त गठबंधन
 - अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और गठबंधन विश्व स्तर पर ग्रीवा कैंसर को खत्म करने की दिशा में काम कर रहे हैं।

7.5. सेमीकंडक्टर डिज़ाइन-लिंकड प्रोत्साहन योजना

संदर्भ

विशेषज्ञों के अनुसार भारत की सेमीकंडक्टर डिज़ाइन-लिंकड प्रोत्साहन योजना में सुधार और सुदृढ़ीकरण से देश की प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त बेहतर होगी और वैश्विक सेमीकंडक्टर मूल्य श्रृंखला के अन्य क्षेत्रों में इसका दायरा बढ़ाने में सहायता मिलेगी।

योजना का विवरण

- **उद्देश्य:** डिज़ाइन-लिंक्ड प्रोत्साहन योजना **इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY)** के तहत एक **केंद्रीय क्षेत्र की योजना** है जिसका उद्देश्य भारत में फैब या सेमीकंडक्टर विनिर्माण संयंत्र स्थापित करने वाली कंपनियों को वित्तीय और अवसंरचनात्मक सहायता प्रदान करना है।

वित्तीय सहायता

- भारत में फैब स्थापित करने वाले अर्ह प्रतिभागियों के लिए कुल लागत की 50% तक राजकोषीय सहायता।
- देश में मिश्रित अर्धचालक, सिलिकॉन फोटोनिक्स और सेंसर निर्माण संयंत्रों के निर्माण हेतु पूंजीगत व्यय की 30% तक राजकोषीय सहायता।

सेमीकंडक्टर डिज़ाइन कंपनियों के लिए प्रोत्साहन

- इंटीग्रेटेड सर्किट, चिपसेट, चिप्स पर सिस्टम, सिस्टम और आईपी कोर के लिए सेमीकंडक्टर डिज़ाइन में संलग्न कंपनियां इस योजना के लिए पात्र हैं।
- पांच साल की अवधि के लिए शुद्ध बिक्री पर 4% से 6% तक का प्रोत्साहन।

अपेक्षित प्रभाव

- अगले पांच वर्षों में ₹1500 करोड़ से अधिक कारोबार करने वाली न्यूनतम 20 स्वदेशी सेमीकंडक्टर डिज़ाइन कंपनियों की अनुमानित बढ़ोत्तरी।

सेमीकंडक्टर

- परिभाषा: सेमीकंडक्टर, सुचालकों (जैसे-धातु) और ऊष्मारोधियों (जैसे-अधातु) के बीच विद्युत चालकता युक्त पदार्थ हैं। चालकता को नियंत्रित और संशोधित किया जा सकता है, जिससे वे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के लिए आवश्यक हो जाते हैं।
- उदाहरण: सिलिकॉन (Si), जर्मेनियम (Ge), गैलियम (Ga)
- किस्म
 - ✓ आंतरिक सेमीकंडक्टर: अशुद्धियों के बिना शुद्ध सेमीकंडक्टर।
 - ✓ बाह्य सेमीकंडक्टर: चालकता बढ़ाने के लिए अतिरिक्त अशुद्धियों के साथ डोप किए गए सेमीकंडक्टर।
 - ✓ N-प्रकार: ऐसे तत्वों से डोप किया गया जो अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन प्रदान करते हैं।
 - ✓ P-प्रकार: ऐसे तत्वों से डोप किया गया जो इलेक्ट्रॉन "छिद्र" या रिक्तियां बनाते हैं।
- इनका उपयोग ट्रांजिस्टर, इंटीग्रेटेड सर्किट (IC), डायोड, प्रकाश उत्सर्जक डायोड (LEDs), सौर सेल, मेमोरी डिवाइस, माइक्रोप्रोसेसर, सेंसर आदि में किया जाता है।
- वैश्विक सेमीकंडक्टर की बिक्री वर्ष 2022 में 618 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गई, जो केवल दो वर्षों में 30 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि को दर्शाती है। उद्योग का वैश्विक बाजार राजस्व वर्ष 2030 तक 1.2 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है।

पूर्ण सुधार की आवश्यकता क्यों है?

घरेलू दर्जा पर प्रतिबंध

- लाभार्थी स्टार्ट-अप को वित्तीय प्रोत्साहन प्राप्त करने के बाद कम से कम तीन साल तक घरेलू दर्जा बनाए रखने की आवश्यकता।
- प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के माध्यम से अपेक्षित पूंजी का 50% से अधिक जुटाने की सीमा एक महत्वपूर्ण बाधा के रूप में काम कर रही है।

वित्तपोषण परिदृश्य में चुनौतियाँ

- सेमीकंडक्टर अनुसंधान और विकास (R&D) के परिणाम प्रायः दीर्घकाल में परिलक्षित होते हैं, जिससे स्टार्ट-अप के लिए वित्तपोषण व्यवहार्यता चुनौतियां उत्पन्न होती हैं।
- भारत में हार्डवेयर उत्पादों के लिए एक परिपक्व स्टार्ट-अप वित्तपोषण पारिस्थितिकी तंत्र की कमी के कारण पूंजी प्राप्त करने में कठिनाई होती है।
- पूंजी की आवश्यकताएं और भारत में सफल चिप स्टार्ट-अप उपक्रमों की अनुपस्थिति संयुक्त रूप से घरेलू निवेशकों की जोखिम उठाने की क्षमता को कम करती हैं।

कम प्रोत्साहन

- डीएलआई योजना अपेक्षाकृत मामूली प्रोत्साहन प्रदान करती है जिसकी सीमा, उत्पाद डीएलआई के लिए ₹15 करोड़ और प्रति आवेदन परिनियोजन से जुड़े प्रोत्साहन (Deployment Linked Incentive) के लिए ₹30 करोड़ तय की गई है।
- विशेष रूप से दीर्घकालिक वित्तपोषण पर संभावित सीमाओं को देखते हुए अपर्याप्त प्रोत्साहन को स्टार्ट-अप के लिए एक सार्थक समझौता नहीं माना जा सकता है।

नोडल एजेंसी के बारे में चिंताएँ

- नोडल एजेंसी के रूप में सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग (CDAC) की भूमिका हितों का टकराव पैदा कर सकती है, क्योंकि यह भी भारतीय चिप डिज़ाइन क्षेत्र में बाजार प्रतिस्पर्धी के रूप में मौजूद है।

अन्य सरकारी पहल

- भारतीय सेमीकंडक्टर उद्योग का बाजार मूल्य (जिसका अनुमान लगभग 23.2 बिलियन डॉलर है) के उल्लेखनीय रूप से बढ़ने का अनुमान है, जो वर्ष 2028 तक 80.3 बिलियन डॉलर तक पहुंच जाएगा। पूर्वानुमान अवधि के दौरान इस वृद्धि के 17.10% की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (सीएजीआर) पर होने का अनुमान है। उद्योग को सहायता देने के लिए सरकार ने कई पहल प्रारंभ की हैं:
- **भारत सेमीकंडक्टर मिशन (ISM), इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण और डिज़ाइन के लिए एक वैश्विक केंद्र** के रूप में भारत के उद्भव को सक्षम करने के लिए एक जीवंत सेमीकंडक्टर पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करेगा।
- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत में सेमीकंडक्टर विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र के विकास के लिए 76,000 करोड़ रुपये के वित्तीय परिव्यय को मंजूरी दी।
- वर्ष 2021 में, सरकार ने 10 बिलियन डॉलर की **प्रोडक्शन-लिंक्ड इंसेंटिव (पीएलआई) योजना** शुरू की, जिसका उद्देश्य देश में सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले विनिर्माण को बढ़ावा देना है।
- **मोहाली में सेमीकंडक्टर प्रयोगशाला (SCL)** का आधुनिकीकरण और व्यावसायीकरण।

आगे की राह

- भारत में स्वदेशी चिप डिज़ाइन क्षमताओं को बढ़ावा देने की दिशा

में नीति में बदलाव का समर्थन करने के लिए योजना के वित्तीय परिव्यय में पर्याप्त वृद्धि की आवश्यकता है।

- सेमीकंडक्टर डिजाइन विकास से स्वामित्व को अलग करने और अधिक स्टार्ट-अप-अनुकूल निवेश दिशानिर्देशों को अपनाने का सुझाव दिया गया है।
- कर्नाटक में सेमीकंडक्टर फैबलेस एक्सेलेरेटर लैब (SFAL) जैसी एक स्वतंत्र और निष्पक्ष कार्यान्वयन एजेंसी स्थापित करने का सुझाव दिया गया है।

पहलू	केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएँ	केंद्र प्रायोजित योजनाएँ (CSS)
कार्यान्वयन	केंद्र सरकार की मशीनरी	राज्य/केंद्रशासित प्रदेश सरकारें
वित्तपोषण अनुपात	100% वित्तपोषित	केंद्र और राज्यों के बीच 60:40 (डिफॉल्ट), 80:20 (कुछ मामलों में), 90:10 (उत्तर-पूर्वी राज्य)
उदाहरण योजना	पीएम किसान सम्मान निधि, पीएम किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान, पीएम श्रम योगी मानधन योजना, खेलो इंडिया-नेशनल प्रोग्राम फॉर डेवलपमेंट ऑफ स्पोर्ट्स	महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MGNREGA), प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (PMKSY), प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY), ग्रामीण पेयजल मिशन, स्वच्छ भारत मिशन (SBM)

7.6. इनसैट-3DS उपग्रह

संदर्भ

हाल ही में, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) द्वारा श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से इनसैट-3DS उपग्रह के आगामी प्रक्षेपण की घोषणा की गयी।

इनसैट-3DS

- **उद्देश्य:** इनसैट-3DS, इसरो द्वारा निर्मित एक विशिष्ट मौसम संबंधी उपग्रह है जिसका प्राथमिक उद्देश्य अपनी कक्षा में मौजूद इनसैट-3D और 3DR उपग्रहों को सेवाओं की निरंतरता प्रदान करना है।
- **असेंबली और परीक्षण:** यू.आर. राव सैटेलाइट सेंटर, बेंगलुरु में उपग्रह की असेंबली, एकीकरण और परीक्षण गतिविधियों को पूरा कर लिया गया है।
- **प्री-शिपमेंट समीक्षा:** 25 जनवरी, 2024 को उपयोगकर्ता समुदाय के सदस्यों की भागीदारी के साथ प्री-शिपमेंट समीक्षा आयोजित की गई थी।
- **उपयोगकर्ता-वित्त पोषित परियोजना:** इनसैट-3DS पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के सहयोग से एक उपयोगकर्ता-वित्त पोषित परियोजना है। यह उपग्रह इसरो के परीक्षण प्रमाणित I-2k बस प्लेटफॉर्म पर आधारित है, जिसका लिफ्ट ऑफ (Lift Off) द्रव्यमान 2275 किलोग्राम है।
- **भारतीय उद्योगों का योगदान:** भारतीय उद्योगों ने उपग्रह के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

• पेलोड

- ✓ **मौसम संबंधी पेलोड:** इसमें बेहतर मौसम संबंधी अवलोकन और स्थलीय एवं महासागरीय सतहों की निगरानी के लिए एक 6-चैनल इमेजर (Imager) और एक 19-चैनल साउंडर (Sonder) शामिल है।
- ✓ **संचार पेलोड:** मौसम विज्ञान, जल विज्ञान और समुद्र विज्ञान डेटा प्राप्त करने के लिए डेटा रिले ट्रांसपोंडर (DRT) की सुविधा है, जो मौसम संबंधी पूर्वानुमान क्षमताओं को बढ़ाता है।
- ✓ **सैटेलाइट-सहायता प्राप्त खोज और बचाव (SAS&R) ट्रांसपोंडर:** वैश्विक कवरेज के साथ खोज और बचाव सेवाओं के लिए खतरे का संकेत/अलर्ट प्रसारित करने के लिए शामिल किया गया।
- ✓ **समग्र रूप से,** इनसैट-3DS को उन्नत पेलोड और क्षमताओं के साथ मौसम की भविष्यवाणी, आपदा चेतावनी और खोज व बचाव कार्यों में योगदान देने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

7.7. थर्टी मीटर टेलीस्कोप (Thirty Meter Telescope)

संदर्भ

हाल ही में विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के एक आधिकारिक प्रतिनिधिमंडल ने टीएमटी परियोजना की चुनौतियों पर चर्चा करने के लिए हवाई द्वीप पर मौना केआ का दौरा किया।

- **टीएमटी परियोजना का विवरण**
 - ✓ थर्टी मीटर टेलीस्कोप (TMT) अमेरिका, जापान, चीन, कनाडा और भारत का एक सहयोगात्मक प्रयास है।
 - ✓ इसे 30 मीटर व्यास वाले ऑप्टिकल और इन्फ्रारेड प्राइमरी मिरर टेलीस्कोप के रूप में डिज़ाइन किया गया है।
- **भारत की भूमिका**
 - ✓ 2014 में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित भारत, टीएमटी(TMT) परियोजना में एक प्रमुख भागीदार है।
 - ✓ भारत से हार्डवेयर, इंस्ट्रुमेंटेशन और सॉफ्टवेयर में 200 मिलियन डॉलर के योगदान की अपेक्षा की गयी है।

- ✓ भारत के योगदान में टेलीस्कोप के लिए आवश्यक सटीक रूप से पॉलिश किए गए 492 दर्पणों में से 83 दर्पण शामिल हैं।
- **मौना केआ में चुनौतियाँ**
 - ✓ हवाई में एक निष्क्रिय ज्वालामुखी मौना केआ को शुरू में परियोजना स्थल के रूप में चुना गया था।
 - ✓ धार्मिक और सांस्कृतिक चिंताओं पर आधारित स्थानीय विरोध के परिणामस्वरूप 2015 में परमिट अमान्य कर दिए गए।
 - ✓ 2018 में परमिट बहाल कर दिए गए, लेकिन चल रहे स्थानीय विरोध के कारण निर्माण में देरी हुई।
- **वैकल्पिक स्थान**
 - ✓ एक वैकल्पिक स्थल के रूप में स्पेन के कैनरी द्वीप समूह में ऑब्ज़र्वेटोरियो डेल रोके डे लॉस मुचाचोस (ORM) पर विचार।
- **वैश्विक सहयोग और विलंब संबंधी चिंताएँ**
 - ✓ थर्टी मीटर टेलीस्कोप उन्नत अंतरिक्ष अवलोकन के लिए वैश्विक सहयोग को दर्शाता है।
 - ✓ निर्माण के दौरान भविष्य में संभावित अशांति से बचने के लिए परियोजना को स्थानांतरित करने की योजना है।
- **भारतीय योगदान का महत्व**
 - ✓ भारत के महत्वपूर्ण योगदान में टेलीस्कोप की कार्यक्षमता के लिए आवश्यक प्रमुख घटक प्रदान करना शामिल है।

मौना केआ

- मौना केआ हवाई के बड़े द्वीप पर स्थित एक महत्वपूर्ण भौगोलिक और सांस्कृतिक विशेषता है।
- **अवस्थिति**
 - ✓ मौना केआ हवाई द्वीप पर स्थित है, जो मध्य प्रशांत महासागर में हवाई द्वीप समूह का हिस्सा है।
 - **भूवैज्ञानिक प्रकृति**
 - ✓ यह एक सुप्त या निष्क्रिय ज्वालामुखी है और इसे हवाई द्वीप का निर्माण करने वाले पांच ज्वालामुखियों में से एक माना जाता है।
 - **ऊँचाई**
 - ✓ मौना केआ हवाई राज्य का सबसे ऊँचा स्थान है, जिसका शिखर समुद्र तल से लगभग 13,796 फीट (4,205 मीटर) ऊँचाई पर है।
 - **सांस्कृतिक महत्व**
 - ✓ हवाई संस्कृति में प्रतिष्ठित, मौना केआ को एक पवित्र स्थल माना जाता है और यह विभिन्न मिथकों और किंवदंतियों से जुड़ा हुआ है।
 - **वेधशालाएँ**
 - ✓ मौना केआ का शिखर अपनी अधिक ऊँचाई, साफ आसमान और न्यूनतम प्रकाश प्रदूषण के कारण कई खगोलीय वेधशालाओं का घर है।
 - **जैव विविधता**
 - ✓ अपनी अधिक ऊँचाई के बावजूद, यह पर्वत विविध पारिस्थितिक तंत्रों का आवास है, जिनमें कठोर परिस्थितियों के लिए अनुकूलित अद्वितीय पौधों और जंतुओं की प्रजातियाँ शामिल हैं।
 - **चुनौतियाँ और विवाद**
 - ✓ मौना केआ पर वेधशालाओं का निर्माण पर्यावरणीय प्रभाव और स्थल की पवित्रता के बारे में चिंताओं के साथ विवाद और विरोध का एक स्रोत रहा है।
 - **मनोरंजन**
 - ✓ मौना केआ आगंतुकों के लिए तारों के अवलोकन और लंबी पैदल यात्रा (Hiking) जैसी मनोरंजक गतिविधियों के लिए आकर्षक है, हालांकि इसके संवेदनशील पारिस्थितिकी तंत्र की रक्षा के लिए शिखर तक पहुंच को विनियमित किया जाता है।
 - **ज्वालामुखीय विशेषताएँ**
 - ✓ ज्वालामुखी में विभिन्न ज्वालामुखीय विशेषताएँ हैं, जिनमें सिंडर शंकु और लावा प्रवाह शामिल हैं, जो क्षेत्र के भूवैज्ञानिक इतिहास में अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं।
 - **जलवायु क्षेत्र**
 - ✓ मौना केआ अपनी ऊँचाई के कारण जलवायु क्षेत्रों की एक श्रृंखला प्रदर्शित करता है, इसके आधार पर उष्णकटिबंधीय से लेकर इसके शिखर के पास अल्पाइन और आर्कटिक स्थितियाँ शामिल हैं।

7.8. विशाल रेडियो टेलीस्कोप (स्क्वायर किलोमीटर ऐरे ऑब्ज़र्वेटरी)

संदर्भ

हाल ही में भारत, पुणे स्थित नेशनल सेंटर फॉर रेडियो एस्ट्रोफिजिक्स और कुछ अन्य संस्थानों के माध्यम से, स्क्वायर किलोमीटर ऐरे ऑब्ज़र्वेटरी के विकास में शामिल हुआ है।

स्क्वायर किलोमीटर ऐरे ऑब्ज़र्वेटरी (Square Kilometre Array Observatory-SKAO)

- **एसकेएओ:** उन्नत रेडियो टेलीस्कोप के निर्माण और संचालन के लिए समर्पित अंतरसरकारी संगठन।
- **मुख्यालय:** जोड्रेल बैंक ऑब्ज़र्वेटरी, यूके।
- **नेटवर्क:** ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका के दूरदराज के इलाकों में हजारों एंटेना की स्थापना।

स्क्वायर किलोमीटर ऐरे परियोजना का विवरण

- दो भागों में निर्मित; दिसंबर 2022 में एसकेए1 (SKA) की शुरुआत।
- एसकेए1 का संचालन 2029 में निर्धारित।
- भागीदार देश: यूके, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, कनाडा, चीन, फ्रांस, भारत, इटली, जर्मनी।

एसकेए टेलीस्कोप की डिजाइन और विशेषताएँ

- आवश्यक घटक: एक बड़ा परवल्य के आकार का डिश या छोटे डिशों की एक श्रृंखला, रेडियो तरंगों को विद्युत संकेतों में परिवर्तित करने वाला एक रिसीवर, और डेटा प्रोसेसिंग के लिए एक कंप्यूटर यूनित।
- खगोलविदों को टेलीस्कोप की स्थिति को आकाश के विभिन्न भागों की ओर रखने के लिए सक्षम करता है।
- दक्षिण अफ्रीका में, एसकेए में 197 परवल्य के आकार के रेडियो एंटेना शामिल किए जाएंगे।

भारत की अभिन्न भूमिका

- पुणे में नेशनल सेंटर फॉर रेडियो एस्ट्रोफिजिक्स (NCRA) के माध्यम से महत्वपूर्ण योगदान के साथ, भारत 1990 के दशक से इसका हिस्सा रहा है।

- **एनसीआरए को विशाल मीटरवेव रेडियो टेलीस्कोप (GMRT) के निर्माण और संचालन का काम सौंपा गया था।**

एसकेए टेलीस्कोप का महत्व

- इसका उद्देश्य खगोल भौतिकी, ब्रह्माण्ड संबंधी और खगोलीय घटना संबंधी प्रश्नों के एक स्पेक्ट्रम का समाधान करना है।
- अंतरतारकीय चुंबकत्व, डार्क मैटर, डार्क एनर्जी और अलौकिक जीवन की खोज को समझने का लक्ष्य।
- वैज्ञानिक प्रश्नों में ब्रह्मांड की उत्पत्ति, पहले तारों की उत्पत्ति, आकाशगंगा का जीवनकाल, हमारी आकाशगंगा में तकनीकी रूप से उन्नत सभ्यताओं की खोज और गुरुत्वाकर्षण तरंगों की उत्पत्ति का पता लगाना शामिल है।

रेडियो टेलीस्कोप के मूल बिंदु

- **कार्य:** आकाशीय पिंडों द्वारा उत्सर्जित रेडियो तरंगों का पता लगाना और एकत्र करना।
- **ऑप्टिकल टेलीस्कोप के साथ तुलना:** विशेष रूप से दृश्य प्रकाश के बजाय रेडियो तरंगों का पता लगाने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
- **तरंग दैर्घ्य:** कुछ मिलीमीटर से लेकर कई मीटर तक की लंबी तरंग दैर्घ्य को ग्रहण कर सकता है।
- **प्रयोज्यता:** दिन और रात दोनों समय संचालन योग्य।
- **महत्व:** पल्सर, क्वासर, आकाशगंगाओं और ब्रह्मांडीय माइक्रोवेव

बैकग्राउंड विकिरण जैसी खगोलीय घटनाओं के विश्लेषण के लिए आवश्यक।

- **लाभ:** ब्रह्मांड के बारे में व्यावहारिक डेटा प्रदान करता है, विशेष रूप से रेडियो-उत्सर्जक वस्तुओं और प्रक्रियाओं के सन्दर्भ में।
- **आब्ज़र्वेशन रेंज:** खगोलविदों को रेडियो फ्रीक्वेंसी रेंज में अवलोकन करके ऑप्टिकल स्पेक्ट्रम में अदृश्य खगोलीय घटनाओं और प्रक्रियाओं की जांच करने की अनुमति देता है।

दुनिया भर में प्रमुख रेडियो टेलीस्कोप

- **जीएमआरटी (भारत):** विशाल मीटरवेव रेडियो टेलीस्कोप।
- **फास्ट (चीन):** फाइव हंड्रेड मीटर एपर्चर स्फेरिकल टेलीस्कोप।
- **आरटी-70 (यूक्रेन):** येवपटोरिया आरटी-70(Yevpatoria RT-70)।
- **जीबीटी (यूएसए):** ग्रीन बैंक ऑब्ज़र्वेटरी।
- **अल्मा (चिली):** अटाकामा लार्ज मिलीमीटर/सबमिलीमीटर ऐरे।

निष्कर्ष

- स्व्वायर किलोमीटर ऐरे ऑब्ज़र्वेटरी परियोजना में भारत की भागीदारी तकनीकी विकास, वैश्विक सहयोग और प्रतिभा विकास के अवसरों का प्रतीक है और अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक समुदाय में भारत की प्रतिष्ठा को बढ़ाती है। यह भारत को केवल वैज्ञानिक उपकरणों के उपभोक्ता के बजाय वैज्ञानिक अन्वेषण में एक सक्रिय योगदानकर्ता के रूप में स्थापित करती है।

7.9. दृष्टि 10 स्टारलाइनर : मानव रहित हवाई वाहन

संदर्भ

भारत में निर्मित पहले दृष्टि 10 स्टारलाइनर मानव रहित हवाई वाहन (Unmanned Aerial Vehicle) का अनावरण भारतीय नौसेना के प्रमुख एडमिरल आर. हरि कुमार द्वारा किया गया।

स्टारलाइनर मानवरहित हवाई वाहन (UAV)

- यह खुफिया जानकारी, निगरानी और जासूसी के लिए(Intelligence, Surveillance, and Reconnaissance -ISR) एक उन्नत प्लेटफॉर्म है।
- इसे अडानी डिफेंस एंड एयरोस्पेस द्वारा विकसित किया गया है।
- प्रौद्योगिकी प्रदाता यह प्रौद्योगिकी एक इजरायली रक्षा कंपनी एल्विट सिस्टम्स से प्राप्त की गयी है।

मानवरहित हवाई वाहन (UAV)

- यह एक ऐसा विमान है जिसमें कोई मानव पायलट या यात्री नहीं होता है।
- यूएवी जिन्हें कभी-कभी ड्रोन भी कहा जाता है, पूरी तरह या आंशिक रूप से स्वायत्त हो सकते हैं किन्तु उन्हें प्रायः मानव पायलट द्वारा दूर से नियंत्रित किया जाता है।
- अब्राहम ई. करीम को यूएवी प्रौद्योगिकी के जनक के रूप में जाना जाता है। उन्होंने अपना पहला ड्रोन इजराइली वायु सेना के लिए योम किप्पूर युद्ध के दौरान निर्मित किया था।

स्टारलाइनर मानवरहित हवाई वाहन की विशेषताएं

- यह 36 घंटे तक लगातार उड़ान भरने के साथ-साथ उल्लेखनीय रूप से

450 किलोग्राम की पेलोड क्षमता से युक्त है।

- यह 60% से अधिक स्वदेशी सामग्री से निर्मित है।
- यूएवी भविष्य के नौसैनिक अभियानों को आकार देने और हिंद महासागर क्षेत्र में भारत के राष्ट्रीय समुद्री हितों की रक्षा करने में महत्वपूर्ण होंगे।
- यूएवी नौसेना की समुद्री क्षेत्र जागरूकता को बढ़ावा देते हुए उनके समुद्री डकैती रोधी मिशन को बेहतर बनाएंगे।
- यह उड़ान योग्यता के लिए नाटो के STANAG 4671 (मानकीकृत अनुबंध 4671) के साथ प्रमाणित एकमात्र सभी मौसम में संचालन योग्य सैन्य मंच है , जो इसे पृथक(Segregated) और गैर-पृथक(Non-segregated) दोनों हवाई क्षेत्रों में संचालन के लिए सक्षम बनाता है।
- दृष्टि 10 स्टारलाइनर अत्याधुनिक सेंसरों, अधिक समय तक लगातार उड़ने की क्षमता, उन्नत संचार क्षमताओं और अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों से सुसज्जित है।

7.10. रिजुपेव प्रौद्योगिकी

संदर्भ

हाल ही में अरुणाचल प्रदेश ने अधिक ऊंचाई पर स्थित बिटुमिनस सड़कों के लिए सीएसआईआर-सीआरआरआई (CSIR-CRRI) द्वारा स्वदेशी सड़क तकनीक, रिजुपेव(REJUPAVE) को अपनाया। इसे शीतकालीन निर्माण चुनौतियों पर काबू पाने के लिए शून्य से कम तापमान की परिस्थितियों के लिए विकसित किया गया है।

रिजुपेव प्रौद्योगिकी

- रिजुपेव टेक्नोलॉजी सीएसआईआर-सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट (सीएसआईआर-सीआरआरआई) द्वारा विकसित एक सड़क निर्माण तकनीक है।
- इसका उपयोग अधिक ऊंचाई वाले और ठंडे क्षेत्रों में बिटुमिनस सड़कों के निर्माण और रखरखाव के लिए किया जाता है, जैसे कि अरुणाचल प्रदेश में भारत-चीन सीमा के पास। इसके निम्नलिखित लाभ हैं:
- यह तकनीक बिटुमिनस मिश्रण के उत्पादन और रोलिंग तापमान को 30°C से 40°C तक कम करती है, जिससे ऊर्जा की बचत होती है और ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन कम होता है।
- यह ढुलाई में देरी होने और बर्फबारी की स्थिति में भी परिवहन के दौरान बिटुमिनस मिश्रण तापमान को बनाए रखती है।
- यह बिटुमिनस सड़कों के स्थायित्व और थर्मल क्रैकिंग और पहिये से बनने वाली लकीर (Rutting) के प्रतिरोधन में सुधार करती है।
- इसमें जैव-तेल-आधारित उत्पाद का उपयोग किया जाता है, जो पर्यावरण के अनुकूल और जैव निम्नीकरणीय (biodegradable) है।
- रिजुपेव टेक्नोलॉजी भारत-चीन सीमा पर रक्षा बलों की परिचालन क्षमता बढ़ाने के साथ-साथ अरुणाचल प्रदेश के दूरस्थ और रणनीतिक क्षेत्रों में प्रत्येक मौसम में संपर्क स्थापित करने के लिए एक महत्वपूर्ण नवाचार है।

सीमा सड़क संगठन (BRO) द्वारा कार्यान्वयन

- इस तकनीक का उपयोग अरुणाचल प्रदेश में सेला रोड सुरंग और एलडीवाई (LDY) सड़क के निर्माण में किया गया।
- इसे विशेष रूप से चीन सीमा के पास चुनौतीपूर्ण इलाकों के लिए तैयार किया गया है।
- शीत के महीनों के दौरान बीआरओ को पारंपरिक बिटुमिनस सड़क निर्माण में कठिनाइयों का सामना करना पड़ा।

अधिक ऊंचाई वाली बिटुमिनस सड़क निर्माण में चुनौतियाँ

- शीत ऋतु के दौरान निर्माण में रुकावट या देरी।
- गर्म बिटुमिनस मिश्रण उत्पादन के लिए उच्च तापमान की आवश्यकता होती है।
- पहाड़ी इलाकों में परिवहन के दौरान मिश्रण का ठंडा होना।

रणनीतिक निहितार्थ और भविष्य की संभावनाएँ

- उत्तरी सीमा के बुनियादी ढांचे के लिए निर्माण कार्यक्रम के रूपांतरण

की क्षमता।

- रक्षा बलों और सीमावर्ती आबादी के लिए प्रत्येक मौसम में कनेक्टिविटी को बेहतर करती है।
- भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा विकसित लागत प्रभावी स्वदेशी तकनीक को बढ़ावा देती है।

सेला सुरंग

सेला सुरंग का विवरण

- ✓ 3,000 मीटर की ऊंचाई पर निर्माणाधीन सुरंग मार्ग, जो गुवाहाटी को अरुणाचल प्रदेश में तवांग से जोड़ता है।
- ✓ 13,000 फीट की ऊंचाई पर दुनिया की सबसे लंबी दो लेन की सुरंग होने का अनुमान है।
- ✓ नेचिफू सुरंग मार्ग: अरुणाचल प्रदेश और पूरे पूर्वोत्तर भारत में पहला सुरंग मार्ग।



अवस्थिति और संपर्क

- ✓ ट्रांस-अरुणाचल राजमार्ग के एक भाग एनएच 13 पर 4,200 मीटर सेला दर्रे के नीचे सेला सुरंग की खुदाई की गई।
- ✓ 12.4 किमी लम्बी नई सड़क के माध्यम से एनएच 13 से जोड़ी गयी।
- ✓ इसका लक्ष्य दिरांग और तवांग के बीच की दूरी को 10 किमी कम करना है।

सामरिक महत्व

- ✓ अरुणाचल प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र में तवांग के साथ प्रत्येक मौसम में संपर्क को बेहतर करेगी।
- ✓ पूरे वर्ष के लिए एक महत्वपूर्ण परिवहन लिंक प्रदान करती है।

प्रभाव

- ✓ ट्रांस-अरुणाचल राजमार्ग प्रणाली में योगदान देने वाली महत्वपूर्ण परियोजना।
- ✓ सुगम परिवहन के लिए भौगोलिक चुनौतियों और ऊँचाइयों का समाधान करती है।
- ✓ मौसम संबंधी व्यवधानों को सीमित करते हुए, तवांग तक साल भर पहुंच को सुनिश्चित करती है।
- ✓ यह परियोजना आसान परिवहन की सुविधा प्रदान करके क्षेत्रीय विकास और पर्यटन को बढ़ावा देगी।

7.11. पेम्बा प्रभाव (Mpemba Effect)

संदर्भ

पेम्बा प्रभाव को शताब्दियों पहले अरस्तू, फ्रांसिस बेकन और रेने डे-कार्ट जैसे शुरुआती विद्वानों द्वारा ज्ञात किया गया था, जिसके संदर्भ में हाल के दिनों में वैज्ञानिकों की रुचि फिर से बढ़ी है।

पेम्बा प्रभाव

- तंजानिया के छात्र इरेस्टो पेम्बा (जिन्होंने वर्ष 1969 में इस घटना पर प्रकाश डाला कि समान परिस्थितियों में ठंडा पानी के बजाय गर्म पानी तेजी से जम सकता है) के नाम पर पेम्बा प्रभाव का नाम रखा गया है।
- कई प्रयोगों के बावजूद, पेम्बा प्रभाव के कारणों पर एक सर्वसम्मत निष्कर्ष अस्पष्ट बना हुआ है।
- कई संभावित योगदान कारक प्रस्तावित किए गए हैं:
 - ✓ सूक्ष्म बुलबुले: उबलते पानी में छोटे हवा के बुलबुले (सूक्ष्म बुलबुले) बनते हैं जो बर्फ के क्रिस्टल बनने के लिए न्यूक्लियेशन साइट के रूप में कार्य करते हैं, जो संभावित रूप से जमने की दर को बढ़ाते हैं।
 - ✓ वाष्पीकरण: गर्म पानी अधिक आसानी से वाष्पीकरण के माध्यम

से ऊष्मा खो देता है, जिससे यह तेजी से ठंडा होता है। इससे पता चलता है कि पसीना हमें ठंडा क्यों करता है।

- ✓ संवहन: गर्म पानी का कम घनत्व मजबूत संवहन धाराओं को बनाये रखता है, जो ठंडा होने की प्रक्रिया के दौरान पानी से ऊष्मा को कुशलतापूर्वक स्थानांतरित करती है।
- ✓ ठंडी उष्मारोधी परत: ठंडा पानी सतह पर ठंडी उष्मारोधी परत बनाता है, जो गर्म पानी की तुलना में इसके आगे ठंडा होने की प्रक्रिया को थोड़ा धीमा कर सकता है।
- ✓ घुली हुई अशुद्धियाँ: पानी में खनिज या अन्य अशुद्धियाँ उबलने के दौरान अवक्षेपित हो सकती हैं और पुनः पानी ठंडा होने पर फिर से घुल सकती हैं, जिससे हिमांक बदल जाता है और संभावित रूप से प्रक्रिया प्रभावित होती है।

7.12. अभ्यास साइक्लोन

संदर्भ

भारत-मिस्र संयुक्त विशेष बल अभ्यास साइक्लोन (India-Egypt Joint Special Forces Exercise CYCLONE) का दूसरा सत्र 22 जनवरी से 1 फरवरी, 2024 तक अंशास, मिस्र में आयोजित किया जाएगा।

अभ्यास साइक्लोन

- उद्देश्य: रेगिस्तानी/अर्ध-रेगिस्तानी इलाकों में विशेष अभियानों की पृष्ठभूमि में दोनों पक्षों की संचालन प्रक्रियाओं को एक-दूसरे से साझा करना।
- इसे द्विपक्षीय सैन्य सहयोग को विकसित करने तथा सामरिक सैन्य अभ्यासों की चर्चा और पूर्वाभ्यास के माध्यम से दोनों सेनाओं के बीच संबंधों को मजबूत करने के लिए तैयार किया गया है।
- इस अभ्यास में उप पारंपरिक क्षेत्र में विशेष अभियानों का योजना निर्माण और कार्यान्वयन शामिल होगा।
- इसे तीन चरणों में आयोजित किया जाएगा:
 - ✓ चरण I: इसमें सैन्य प्रदर्शन और सामरिक संपर्क शामिल होगा।
 - ✓ चरण II: इस चरण में इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइसेस (IED), काउंटर-आईईडी और कॉम्बैट फर्स्ट एड (लड़ाई में प्राथमिक उपचार) से संबंधित प्रशिक्षण पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।
 - ✓ चरण III: इसमें कृत्रिम रूप से निर्मित क्षेत्र में लड़ाई और बंधकों के

बचाव परिदृश्यों पर आधारित संयुक्त सामरिक अभ्यास शामिल होगा।

भारत-मिस्र संबंध

- दुनिया की दो सबसे पुरानी सभ्यताओं (भारत और मिस्र) के बीच निकट संपर्क का एक लंबा इतिहास रहा है।
- अशोक के शिलालेखों में टॉलेमी द्वितीय के अधीन मिस्र के साथ उसके संबंधों का उल्लेख है।
- आधुनिक समय में, राष्ट्रपति नासिर और प्रधानमंत्री नेहरू (जो करीबी मित्र थे) के समय में दोनों देशों के संबंध विकसित हुए और दोनों देशों ने वर्ष 1955 में मैत्री संधि पर हस्ताक्षर किये।
- राजनीतिक संबंध
 - ✓ दोनों देशों ने बहुपक्षीय मंचों पर एक साथ मिलकर काम किया है और दोनों ही देश गुटनिरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक सदस्य हैं।
 - ✓ वर्ष 2023, भारत-मिस्र राजनयिक संबंधों की 76वीं वर्षगांठ है।

7.13. सैन्य अभ्यास 'सदा तनसीक'

संदर्भ

हाल ही में, राजस्थान के महाजन के रेगिस्तानी इलाके में भारत-सऊदी अरब संयुक्त सैन्य अभ्यास 'सदा तनसीक' ('SADA TANSEEQ') का प्रारंभिक संस्करण संपन्न हुआ।

सैन्य अभ्यास 'सदा तनसीक'

- भागीदार सदस्य
 - ✓ सऊदी अरब का सैन्य दल: इसमें रॉयल सऊदी लैंड फोर्स के 45 कर्मी शामिल हैं।
 - ✓ भारतीय सेना का सैन्य दल: 45 कर्मियों के साथ ब्रिगेड ऑफ द गार्ड्स (मैकेनाइज्ड इन्फैंट्री) की एक बटालियन।
 - ✓ उद्देश्य: 'सदा तनसीक' का प्राथमिक लक्ष्य संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अध्याय VII में उल्लिखित अर्ध-रेगिस्तानी इलाके में संयुक्त अभियानों के लिए दोनों देशों के सैनिकों को प्रशिक्षित करना है।
- मुख्य लक्षित क्षेत्र
 - ✓ रणनीति, तकनीक और प्रक्रियाएं: उप-पारंपरिक क्षेत्र के भीतर संचालन करने में शामिल रणनीति, तकनीक और प्रक्रियाओं में सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने की सुविधा प्रदान करना।
 - ✓ अंतरसंचालनीयता: अपनी सहयोगात्मक क्षमताओं को बढ़ाने के लिए सऊदी अरब और भारतीय सैन्य दलों के बीच अंतरसंचालनीयता विकसित करना।
 - ✓ मित्रता और सौहार्द: सहयोग की भावना को मजबूत करते हुए दोनों पक्षों के सैनिकों के बीच मिलनसारिता और सौहार्द को बढ़ावा देना।
 - ✓ अन्य अभ्यास: 'सदा तनसीक' के अलावा दोनों देशों ने हाल ही में अपना पहला नौसैनिक संयुक्त अभ्यास आयोजित किया, जिसका नाम 'अभ्यास अल-मोहद अल-हिंदी' है।

8. आंतरिक सुरक्षा

8.1. यूरोपीय बंदरगाह गठबंधन

संदर्भ

हाल ही में यूरोपीय संघ ने मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ लड़ाई और इस ब्लॉक के बंदरगाहों में आपराधिक घुसपैठ से निपटने के तरीकों में सामंजस्य स्थापित करने के लिए "यूरोपीय बंदरगाह गठबंधन" का उद्घाटन किया है।

यूरोपीय बंदरगाह गठबंधन (European Ports Alliance)

गठबंधन में भागीदार देश

- यूरोपीय बंदरगाह गठबंधन, यूरोपीय आयोग, यूरोपीय संघ के परिषद की बेलजियम प्रेसीडेंसी, 16 यूरोपीय संघ के बंदरगाहों और समुद्री परिवहन संगठनों के बीच एक साझेदारी है।

गठन

- इसे 24 जनवरी, 2024 को एंटवर्प, बेलजियम में लॉन्च किया गया था।

गठबंधन के उद्देश्य

- गठबंधन का मुख्य लक्ष्य सभी प्रासंगिक हितधारकों के बीच सुरक्षा, सहयोग और सूचना-साझाकरण को बढ़ाकर यूरोपीय संघ के बंदरगाहों में मादक पदार्थों की तस्करी और संगठित अपराध से लड़ना है।
- यह गठबंधन मादक पदार्थों की तस्करी और संगठित अपराधों से उत्पन्न गंभीर सुरक्षा खतरे से निपटने के लिए यूरोपीय संघ की व्यापक रणनीति का हिस्सा है।

समर्थन

- गठबंधन को सार्वजनिक-निजी भागीदारी का भी समर्थन प्राप्त है, जो बंदरगाह अधिकारियों और शिपिंग कंपनियों को अपने रसद, कर्मचारियों और प्रक्रियाओं को आपराधिक घुसपैठ से बचाने में मदद करेगा।

वैश्विक स्तर पर मादक पदार्थों की तस्करी की स्थिति

- वैश्विक मादक पदार्थों की तस्करी का बाज़ार 32\$ बिलियन का होने का अनुमान है, जो इसे अवैध गतिविधियों के सबसे आकर्षक रूपों में से एक बनाता है।
- विश्व औषधि रिपोर्ट 2023 के अनुसार-
 - ✓ प्रत्येक 17 लोगों में से एक ने किसी एक दवा का प्रयोग किया था, जो पिछले एक दशक की तुलना में 23 प्रतिशत अधिक था।

वैश्विक परिणाम

- लत और स्वास्थ्य चिंताएं: नशीली दवाओं के उपयोग से लत, निर्भरता और कई प्रकार की स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न होती हैं, जिनमें मानसिक स्वास्थ्य विकार, अंग क्षति और एचआईवी/एड्स जैसे संक्रामक रोगों की संभावना बढ़ जाती है।
- हिंसा और अपराध: मादक पदार्थों की तस्करी हिंसा और आपराधिक गतिविधियों को बढ़ावा देती है, जो गिरोहों के बीच संघर्ष, क्षेत्रीय विवादों

और प्रणालीगत भ्रष्टाचार के रूप में प्रकट होती हैं, जिससे समुदाय अस्थिर होते हैं और सार्वजनिक सुरक्षा के समक्ष जोखिम उत्पन्न होते हैं।

यूरोपीय संघ (EU)

- यह एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है जिसमें 27 यूरोपीय देश शामिल हैं और आम आर्थिक, सामाजिक और सुरक्षा नीतियों को नियंत्रित करते हैं।
- यूरोपीय संघ के सदस्य ऑस्ट्रिया, बेलजियम, बुल्गारिया, क्रोएशिया, साइप्रस, चेक गणराज्य, डेनमार्क, एस्टोनिया, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, ग्रीस, हंगरी, आयरलैंड, इटली, लातविया, लिथुआनिया, लक्ज़मबर्ग, माल्टा, नीदरलैंड, पोलैंड, पुर्तगाल, रोमानिया, स्लोवाकिया, स्लोवेनिया, स्पेन और स्वीडन हैं।

- आर्थिक तनाव: नशीली दवाओं की लत स्वास्थ्य देखभाल प्रणालियों पर दबाव डालती है, जिसके परिणामस्वरूप सार्वजनिक स्वास्थ्य संसाधनों पर बोझ के कारण आर्थिक उत्पादकता कम हो जाती है।
- पारिवारिक और सामुदायिक विघटन: नशीली दवाओं का दुरुपयोग पारिवारिक और सामुदायिक संबंधों को भंग कर सकता है, सामाजिक अलगाव को बढ़ावा दे सकता है और व्यक्तियों के बीच विश्वास को कम कर सकता है।
- पर्यावरणीय क्षरण: अवैध दवाओं का उत्पादन प्रायः पर्यावरणीय क्षरण में योगदान देता है, जिसमें वनों की कटाई, विषाक्त अपशिष्ट और जल प्रदूषण जैसे मुद्दे शामिल हैं।
- भ्रष्टाचार और अस्थिरता: मादक पदार्थों की तस्करी के कारण सरकारी संस्थानों में घुसपैठ और उनके भ्रष्ट होने की सम्भावना होती है, जिससे शासन संरचनाएं कमजोर होती हैं और समग्र विकास बाधित होता है।
- संघर्ष और आतंकवाद: नशीली दवाओं के व्यापार से जुड़े आपराधिक संगठन संघर्ष और आतंकवाद को भड़का सकते हैं, जिससे राष्ट्रीय सुरक्षा को वास्तविक खतरा उत्पन्न हो सकता है।

भारत पर प्रभाव

- भू-राजनीतिक कमजोरियाँ
 - ✓ गोल्डन क्रिसेंट (अफगानिस्तान और पाकिस्तान) और गोल्डन ट्रायंगल (म्यांमार, लाओस और थाईलैंड) के बीच भारत की रणनीतिक भौगोलिक स्थिति इसे अवैध दवाओं, विशेष रूप से हेरोइन के लिए एक महत्वपूर्ण पारगमन मार्ग बनाती है।
- सामाजिक प्रभाव
 - ✓ भारत नशीली दवाओं के दुरुपयोग की एक बड़ी समस्या से जूझ रहा है, लाखों लोग ओपिओइड, कैनबिस (भांग) और सिंथेटिक दवाओं की लत से जूझ रहे हैं।
 - ✓ सुइयों और सिरिज के सामुदायिक उपयोग ने भारत में एचआईवी/एड्स महामारी के मामलों की वृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, जो दुनिया में सबसे बड़ी महामारी में से एक है।

नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार, भारत में लगभग 70% अवैध दवाओं की तस्करी बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से समुद्री मार्गों के माध्यम से की जाती है।

- **आर्थिक और सामाजिक लागत**
 - ✓ भारत में नशीली दवाओं के दुरुपयोग से काफी आर्थिक और सामाजिक हानि होती है जिससे **उत्पादकता प्रभावित होती है, स्वास्थ्य देखभाल संसाधनों पर दबाव पड़ता है और सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों पर बोझ बढ़ता है**। बहुआयामी लागत विभिन्न क्षेत्रों में फैली हुई है, जिससे शमन और रोकथाम के लिए व्यापक रणनीतियों की आवश्यकता होती है।

नशीली दवाओं की लत में योगदान देने वाले कारक

- **डोपामाइन प्रभाव:** नशीली दवाएं विशिष्ट न्यूरोट्रांसमीटर, जैसे डोपामाइन, को लक्षित करती हैं, जो ब्रेन रिवॉई सिस्टम में प्रमुख हॉर्मोन है। यह हेरफेर तीव्र उल्लासोन्माद उत्पन्न करता है, मस्तिष्क के रसायन विज्ञान को बदलता है और व्यसनी व्यवहार को मजबूत करता है।
- **विविध उत्पत्ति:** दोनों प्राकृतिक (उदाहरण के लिए-कोकीन, गांजा) और सिंथेटिक (उदाहरण के लिए- मेथमफेटामाइन, एक्स्टसी) दवाएं अत्यधिक नशे की लत की संभावना से युक्त हो सकती हैं, जो मस्तिष्क के साथ उनके विशिष्ट संपर्क पर निर्भर करती हैं।
- **वैधता लत की संभावना का संकेत नहीं है:** लत की संभावना अलग-अलग होती है; **तंबाकू और शराब** जैसे वैध मादक पदार्थ अत्यधिक नशे की लत से युक्त हो सकते हैं, जबकि गांजा जैसी कुछ अवैध मादक पदार्थ की लत की दर कम हो सकती है।
- **जिज्ञासा और सहकर्मी दबाव:** प्रारंभिक मादक पदार्थों का उपयोग प्रायः जिज्ञासा, सहकर्मी दबाव, या स्वयं मादक पदार्थ के सेवन के प्रयास से - प्रारम्भ होता है।
- **सकारात्मक सुदृढीकरण**
 - ✓ **आनंद के साथ जुड़ाव :** मस्तिष्क नशीली दवाओं के उपयोग को आनंद और पारितोषिक के साथ जोड़ता है, डोपामाइन के स्राव के माध्यम से इसकी लत को मजबूत करता है।
 - ✓ **चक्र निर्माण:** यह सकारात्मक सुदृढीकरण सकारात्मक भावनाओं के पुनःनिर्माण के लिए मादक पदार्थ की तलाश का एक चक्र स्थापित करता है।

नशीली दवाओं की तस्करी का मुकाबला करने के लिए वैश्विक पहल

- **नशीली दवाओं और अपराध पर संयुक्त राष्ट्र कार्यालय (UNODC):**
 - ✓ यूएनओडीसी नशीली दवाओं की तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों के समन्वय के लिए केंद्रीय केंद्र के रूप में कार्य करता है। प्रमुख कार्यक्रमों में **विश्व औषधि रिपोर्ट, वैश्विक सिंथेटिक्स निगरानी कार्यक्रम और कंटेनर नियंत्रण कार्यक्रम** शामिल हैं।
- **अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स नियंत्रण बोर्ड (INCB)**
 - ✓ एक स्वतंत्र विशेषज्ञ निकाय के रूप में, आईएनसीबी अंतर्राष्ट्रीय दवा नियंत्रण संधियों के कार्यान्वयन की निगरानी करता है।

- ✓ नशीली दवाओं के नियंत्रण उपायों के साथ देशों के अनुपालन का आकलन करता है।
- **विश्व सीमा शुल्क संगठन (WCO)**
 - ✓ **डब्ल्यूसीओ सीमा सुरक्षा बढ़ाने और अवैध वस्तुओं की आवाजाही को नियंत्रित करने के लिए वैश्विक सीमा शुल्क अधिकारियों के साथ सहयोग करता है।**
- **वित्तीय कार्रवाई कार्य बल (FATF):**
 - ✓ **मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद वित्तपोषण से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानक स्थापित किए हैं।**

भारत में नशीली दवाओं की तस्करी

- **उत्पादन विशिष्ट**
 - ✓ **भाग:** मुख्य रूप से हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पूर्वोत्तर राज्यों के पहाड़ी इलाकों में खेती की जाती है। इसके अतिरिक्त, इसकी खेती आंध्र प्रदेश, ओडिशा और तमिलनाडु में होती है।
 - ✓ **अफ्रीम:** मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश जैसे स्वर्ण त्रिभुज राज्य महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। अफ्रीम की खेती राजस्थान और मध्य प्रदेश में भी की जाती है।
 - ✓ **सिंथेटिक ड्रग्स:** महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के दूरदराज के इलाकों में गुप्त रूप से संचालित होते हैं।
- **तस्करी के मार्ग**
 - ✓ **गोल्डन ट्रायंगल:** म्यांमार और लाओस में उत्पादित अफ्रीम पूर्वोत्तर के रास्ते भारत में लायी जाती है। फिर इसका या तो घरेलू स्तर पर उपभोग किया जाता है या यूरोप और उत्तरी अमेरिका में तस्करी कर के माध्यम से भेजा जाता है।
 - ✓ **भारत-नेपाल सीमा:** नेपाल से भारत में भांग और हशीश की तस्करी की होती है, जिसके बाद पूरे देश में वितरण होता है।
 - ✓ **तटीय मार्ग:** विशेष रूप से दक्षिण पूर्व एशिया और अफ्रीका की ओर भेजे जाने वाली सिंथेटिक दवाओं की तस्करी के लिए बंदरगाहों और समुद्र तट का उपयोग किया जाता है।

नशीली दवाओं की तस्करी से निपटने के लिए भारत के उपाय

- **स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ (NDPS) अधिनियम, 1985:** यह अधिनियम नशीले पदार्थों और मनःप्रभावी पदार्थों के उत्पादन, कब्जे, बिक्री, खरीद, परिवहन और उपभोग को प्रतिबंधित करता है।
- **स्वापक औषधियों और मनःप्रभावी पदार्थों के अवैध व्यापार की रोकथाम अधिनियम (PITNDPS), 1988:** यह अधिनियम मादक पदार्थों की तस्करी से निपटने में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करता है और भारत को अंतर्राष्ट्रीय औषधि नियंत्रण संधियों के तहत अपने दायित्वों को पूरा करने में सक्षम बनाता है।
- **अंतर्राष्ट्रीय सहयोग**
 - ✓ **यूएनओडीसी (UNODC):** भारत प्रशिक्षण कार्यक्रमों, सूचना साझाकरण और संयुक्त संचालन सहित विभिन्न पहलों में ड्रग्स और अपराध पर संयुक्त राष्ट्र कार्यालय (UNODC) के साथ सक्रिय रूप से सहयोग करता है।

- ✓ **इंटरपोल:** भारत इंटरपोल का सदस्य है और खुफिया जानकारी साझा करने, संयुक्त जांच और नशीली दवाओं के तस्करों के प्रत्यर्पण में अन्य देशों के साथ सहयोग करता है।
- ✓ **द्विपक्षीय समझौते:** भारत ने सीमा सुरक्षा बढ़ाने, सूचना आदान-प्रदान और मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ संयुक्त अभियान के लिए कई पड़ोसी देशों के साथ द्विपक्षीय समझौते किए हैं।

आगे की राह

- नशीली दवाओं की तस्करी के खिलाफ वैश्विक लड़ाई को बढ़ाने

के लिए, अतिरिक्त संसाधन आवंटित करना और यूएनओडीसी, इंटरपोल और क्षेत्रीय सहयोग जैसी प्रमुख पहलों के बीच सहयोग बढ़ाना महत्वपूर्ण है।

- **गरीबी, असमानता और अवसरों की कमी** जैसे मूल कारणों का समाधान करना आवश्यक है, जो अवैध नशीलीदवाओं की मांग को कम करने में महत्वपूर्ण योगदान देगा। सामाजिक और आर्थिक चुनौतियों के प्रति एक समग्र दृष्टिकोण आवश्यक है।
- **शैक्षिक कार्यक्रमों और जागरूकता अभियानों** सहित निवारक उपायों को प्राथमिकता देना चाहिए।

8.2. भारत-म्यांमार मुक्त आवाजाही व्यवस्था (FMR)

प्रसंग

गुवाहाटी में असम पुलिस कमांडो की पार्सिंग आउट परेड के दौरान गृह मंत्री अमित शाह द्वारा घोषणा की गयी कि भारत और म्यांमार के बीच सीमा पर जल्द ही बाड़ लगाई जाएगी।

भारत-म्यांमार मुक्त आवाजाही व्यवस्था (FMR) क्या है?

- आपसी समझौते के माध्यम से स्थापित, मुक्त आवाजाही व्यवस्था (Free Movement Regime) एक ऐसी व्यवस्था है जिसके तहत साझा सीमा पर रहने वाली जनजातियों को बिना वीज़ा के एक-दूसरे के क्षेत्र में **16 किमी तक आवागमन करने की अनुमति** है।
- भारत सरकार की **एक्ट ईस्ट नीति** के तहत **2018 में अधिनियमित** मुक्त आवाजाही व्यवस्था ने म्यांमार में बढ़ते चीनी प्रभाव के बीच अपना महत्व स्थापित किया।

भारत- म्यांमार सीमा की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि - (IMB)

- भारत-म्यांमार के साथ 1643 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करता है, जो इसके चार पूर्वोत्तर राज्यों अरुणाचल प्रदेश (520 किमी), नागालैंड (215 किमी), मणिपुर (398 किमी), और मिजोरम (510 किमी) से होकर गुजरती है।



- भारत-म्यांमार सीमा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और अवा के राजा के बीच **24 फरवरी 1826 को यंदाबो की संधि** के माध्यम

से स्थापित की गयी थी जो 1969 तक औपनिवेशिक विरासत के रूप में कायम रही।

- 1969 में, भारत गणराज्य की सरकार और बर्मा संघ (अब म्यांमार) ने एक सीमा समझौते पर हस्ताक्षर किए, जो औपनिवेशिक युग की व्यवस्था के अंत का प्रतीक था।

मुक्त आवाजाही व्यवस्था के पीछे तर्क

ब्रिटिश सीमांकन (1826)

- ब्रिटिश शासन ने स्थानीय निवासियों का संज्ञान लिए बिना 1826 में भारत-म्यांमार सीमा का सीमांकन कर दिया , जिसके परिणामस्वरूप **समान जातीयता और संस्कृति साझा करने वाले लोग** उनकी सहमति के बिना दो देशों में विभाजित हो गए।

पारंपरिक और आर्थिक अधिकारों की सुरक्षा

- मुक्त आवाजाही व्यवस्था (FMR) का उद्देश्य विशेषतः क्षेत्र की कम आय वाली अर्थव्यवस्था के संदर्भ में सीमा पार वाणिज्य के समृद्ध इतिहास वाले क्षेत्र में सीमा शुल्क और सीमा हाट के माध्यम से स्थानीय व्यापार और व्यवसायों को बढ़ावा देना है।
- सीमा के पास म्यांमार में रहने वाले लोगों के लिए, भारतीय शहर अपने देश की सुविधाओं की तुलना में व्यवसाय, शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल के लिए अधिक सुलभ हैं।

नृजातीय संबंध और सामाजिक बंधन

- म्यांमार के चिन राज्य में रहने वाले चिन लोग, जो मिज़ोरम से सटे हुए हैं, मिज़ोरम और मणिपुर के कुकी-जोमी के साथ एक समान नृजातीयता साझा करते हैं।
- म्यांमार में बड़ी संख्या में नागा आबादी है, जो मुख्य रूप से म्यांमार के सागांग क्षेत्र में नागा स्व-प्रशासित क्षेत्र में केंद्रित है।

मुक्त आवागमन व्यवस्था (एफएमआर) पर पुनर्विचार की आवश्यकता

सुरक्षा चुनौतियाँ

- मणिपुर में केवल 10 किलोमीटर लम्बी बाड़ लगाई गई है; जबकि पहाड़ियों और जंगलों के कारण भारत-म्यांमार सीमा का शेष भाग बाड़ रहित है।
- सुरक्षा बलों को यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट (UNLF), यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम (ULFA), और नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड (NSCN) जैसे चरमपंथी समूहों से चुनौतियों का सामना करना पड़ता है जो म्यांमार के चिन और सागांग क्षेत्रों में गुप्त रूप से काम कर रहे हैं।

नशीली दवाओं के व्यापार से संबंधित चिंताएँ

- सीमा पार आवाजाही नशीली दवाओं की आंतरिक तस्करी और वन्यजीव शरीर के अंगों की बाह्य तस्करी जैसी चिंताओं से जुड़ा हुआ है।

अवैध प्रवासन से सम्बंधित मुद्दे

- म्यांमार में गृह युद्ध के दौरान, कुछ हज़ार म्यांमार नागरिकों ने मई 2023 में संघर्ष के साथ, मणिपुर में शरण की मांग की।
- बहुसंख्यक मैतेई और आदिवासी कुकी-ज़ोमी समुदायों के बीच संघर्ष के लिए मुख्य रूप से म्यांमार के नागरिकों, विशेष रूप से कुकी-चिन की कथित 'आमद' को जिम्मेदार ठहराया गया था।

जनजाति	स्थान	भाषा	धर्म	सांस्कृतिक विशेषताएँ
कुकी	पूर्वोत्तर भारत (मणिपुर, मिज़ोरम, नागालैंड) और म्यांमार में चिन राज्य	कुकी-चिन भाषाएँ	मुख्य रूप से ईसाई (प्रोटेस्टेंट और रोमन कैथोलिक) पारंपरिक एनिमिस्टिक मान्यताओं के साथ	अपनी मार्शल परंपराओं, विशिष्ट बुनाई पैटर्न और जीवंत त्योहारों के लिए जाना जाता है। ऐतिहासिक रूप से स्थानांतरित कृषि में संलग्न हैं।
ज़ोमी	पूर्वोत्तर भारत (मणिपुर, मिज़ोरम), म्यांमार और बांग्लादेश	ज़ोमी भाषा (जिसे मिज़ो या लुशाई भी कहा जाता है)	मुख्य रूप से ईसाई, बापटिस्ट, रोमन कैथोलिक और अन्य संप्रदायों की मिश्रित आबादी के साथ	मुख्य रूप से कृषि प्रधान, वे अपनी समृद्ध मौखिक परंपराओं, पारंपरिक नृत्यों और त्योहारों के लिए जाने जाते हैं। मजबूत सामुदायिक संबंध और एक सोपानिकसामाजिक संरचना।

मेइती	मणिपुर (मुख्यतः इंफाल घाटी में), भारत	मेइतिलोन (मणिपुरी)	मुख्य रूप से हिंदू धर्म, एक अल्पसंख्यक समुदाय सनमहिज़म (स्वदेशी धर्म) को मानता है	यह शास्त्रीय नृत्य, संगीत और कला के इतिहास के साथ सांस्कृतिक रूप से समृद्ध है - मुख्य रूप से बसे हुए कृषक। रास लीला नृत्य और कंगला का किला महत्वपूर्ण सांस्कृतिक प्रतीक हैं। मैतेई समाज में मैदानी और पहाड़ी दोनों प्रकार के निवासी हैं।
-------	---------------------------------------	--------------------	---	--

आगे की राह

- स्थानीय आकांक्षाएँ: भारत की म्यांमार रणनीति में उत्तर पूर्व क्षेत्र (NER) के निवासियों की आकांक्षाओं पर सक्रिय रूप से विचार करते हुए एक स्पष्ट मुक्त आवागमन व्यवस्था विकसित करना।
- औपचारिक व्यापार और बुनियादी ढाँचा: एलसीएस में बुनियादी ढाँचे के विकास, प्रभावी नियामक तंत्र और कुशल इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट (ICPs) के माध्यम से व्यापार को औपचारिक बनाने के लिए एफएमआर को संशोधित करना।
- प्रवेश बिंदु और सतर्कता: निर्दिष्ट बिंदुओं के अनुपालन के लिए सीमा बलों द्वारा कड़ी निगरानी सुनिश्चित करते हुए, भारत-म्यांमार सीमा के साथ कई प्रवेश बिंदु स्थापित करना।
- विकास पहल: कनेक्टिविटी और आवश्यक बुनियादी ढाँचे में सुधार; युवाओं को अवैध गतिविधियों से रोकने के लिए स्कूल, अस्पताल और व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करना।
- जनशक्ति की तैनाती: व्यापारियों की आवाजाही पर नजर रखने और अवैध गतिविधियों को रोकने के लिए 7/24 जनबल की तैनाती करना, संख्या बढ़ाना और जांच तेज करना।
- निगरानी और समीक्षा: उभरती चुनौतियों और आवश्यकताओं के अनुरूप रणनीतियों को अनुकूलित करने के लिए नियमित निगरानी और समय-समय पर समीक्षा के लिए एक प्रणाली लागू करना।

निष्कर्ष

- एक रणनीतिक मुद्दा होने के अलावा, एफएमआर एक **भावनात्मक मुद्दा बन गया है**, जो स्थानीय लोगों के हृदयों के बहुत करीब है, और नई दिल्ली के किसी भी गलत निर्णय से प्रतिकूल परिणाम हो सकते हैं। नई दिल्ली को 'बिना लाठी तोड़े सांप को मारने' का सावधानीपूर्वक नपा-तुला दृष्टिकोण अपनाकर इस मुद्दे से निपटना चाहिए।

8.3. विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम, 1976

संदर्भ

हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा नई दिल्ली में एक प्रमुख सार्वजनिक नीति अनुसंधान संस्थान सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च (CPR) का विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम (FCRA) पंजीकरण रद्द कर दिया गया है।

विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम (FCRA) 1976

- एफसीआरए को 1976 में आपातकाल के दौरान विदेशी शक्तियों द्वारा स्वतंत्र संगठनों के माध्यम से धन भेज कर भारत के मामलों में हस्तक्षेप करने की आशंका में अधिनियमित किया गया था।
- एफसीआरए विदेशी दान को विनियमित करता है। इस अधिनियम के द्वारा यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाता है कि ऐसे अंशदानों का आंतरिक सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं होना चाहिए।

नीति अनुसंधान केंद्र (CPR)

नीति अनुसंधान केंद्र, 1973 से एक अग्रणी नीति थिंक-टैंक है, जो भारत की 21वीं सदी की चुनौतियों पर ध्यान केंद्रित करते हुए नीति-प्रासंगिक मुद्दों की एक विस्तृत श्रृंखला पर उन्नत और गहन शोध करता है।

एफसीआरए के मुख्य प्रावधान

- प्रयोजनीयता: एफसीआरए उन सभी संघों, समूहों और गैर सरकारी संगठनों पर लागू होता है जो विदेशी दान प्राप्त करते हैं।

आवेदक की पात्रता/आवेदकों से अपेक्षाएं

- भारत में विदेशी अंशदान प्राप्त करने के लिए, किसी संगठन को कुछ मानदंडों को पूरा करना आवश्यक है:
- **कानूनी पंजीकरण:** सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, भारतीय ट्रस्ट अधिनियम, कंपनी अधिनियम के तहत धारा 8 कंपनी के रूप में, या किसी अन्य आवश्यक कानून के तहत पंजीकृत होना चाहिए।
- **ट्रैक रिकॉर्ड:** अपने चुने हुए क्षेत्र में अपनी गतिविधियों के माध्यम से समाज में सकारात्मक योगदान का इतिहास प्रमाणित करना होगा।
- **वित्तीय स्थिरता:** अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए पिछले 3 वर्षों में कम से कम 10 लाख रुपये (प्रशासनिक लागत को छोड़कर) का व्यय किया गया हो। पिछले 3 वर्षों के लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण आवश्यक है।
- **नए संगठनों के लिए विशिष्ट आवेदन:** नई पंजीकृत संस्थाएं किसी विशिष्ट उद्देश्य, या गतिविधि के लिए और किसी विशिष्ट स्रोत से विदेशी अंशदान प्राप्त करने की अनुमति के लिए "पूर्व अनुमति (PP)" विधि के माध्यम से गृह मंत्रालय में आवेदन कर सकती हैं।

कौन विदेशी फंडिंग स्वीकार नहीं कर सकता?

- विधायिका के सदस्यों (सांसदों, विधायकों, एमएलसी) और राजनीतिक दलों, सरकारी अधिकारियों, न्यायाधीशों और मीडियाकर्मियों को कोई भी विदेशी अंशदान प्राप्त करने से प्रतिबंधित किया गया है।
- हालांकि, 2017 में वित्त विधेयक मार्ग के माध्यम से गृह मंत्रालय द्वारा एफसीआरए कानून में संशोधन किया गया, जिससे राजनीतिक दलों

के लिए किसी विदेशी कंपनी की भारतीय सहायक कंपनी या किसी विदेशी कंपनी, जिसमें एक भारतीय के पास 50% या अधिक शेयर हों, से धन प्राप्त करने का मार्ग प्रशस्त हो गया।

अनिवार्य प्रावधान

- **उन सभी गैर सरकारी संगठनों को एफसीआरए के तहत स्वयं को पंजीकृत करना होगा जो विदेशी दान प्राप्त करना चाहते हैं।**
- ऐसे सभी एनजीओ के लिए आयकर के आधार पर वार्षिक रिटर्न दाखिल करना अनिवार्य है।

ऐसे आधार जिन पर विदेशी अंशदान स्वीकार किया जा सकता है

- पंजीकृत संघ/संगठन सामाजिक, शैक्षिक, धार्मिक, आर्थिक और सांस्कृतिक उद्देश्यों के लिए विदेशी अंशदान प्राप्त कर सकते हैं।

वैधता और नवीनीकरण प्रक्रिया

- पंजीकरण प्रारंभ में पांच साल के लिए वैध होता है और यदि सभी मानदंडों का अनुपालन किया जाता है तो इसे बाद में नवीनीकृत किया जा सकता है।
- गैर सरकारी संगठनों से पंजीकरण की समाप्ति की तारीख के छह महीने के भीतर नवीनीकरण के लिए आवेदन की अपेक्षा की गयी है।
- नवीनीकरण के लिए आवेदन करने में विफलता के मामले में, पंजीकरण समाप्त माना जाता है, और ऐसी स्थिति में एनजीओ गृह मंत्रालय की अनुमति के बिना विदेशी धन प्राप्त करने या अपने मौजूदा धन का उपयोग नहीं कर सकते हैं।

पंजीकरण रद्द करने के आधार?

- विदेशी फंडिंग को रोकने की आवश्यकता है क्योंकि इसे "अवांछनीय उद्देश्यों" के लिए विदेशी धन प्राप्त हो रहा था, जिससे देश के आर्थिक हित प्रभावित होने की संभावना थी।
- इसमें आरोप लगाया गया कि सीपीआर ने एफसीआरए का उल्लंघन करते हुए विदेशी अंशदान को अन्य संस्थाओं में हस्तांतरित कर दिया तथा अंशदान को बेनामी खातों में जमा कर दिया है।

अतीत में निलंबन

- गृह मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2011 के बाद से, विदेशी अंशदान के दुरुपयोग, अनिवार्य वार्षिक रिटर्न जमा न करने और अन्य उद्देश्यों के लिए विदेशी फंड के विपथन जैसे उल्लंघनों के लिए 20,664 संघों का पंजीकरण रद्द कर दिया गया था।

एफसीआरए के तहत पंजीकृत संघ

- 11 सितंबर, 2023 तक, 49,843 एफसीआरए-पंजीकृत संघ हैं।

एफसीआरए के तहत खाते, सूचना और ऑडिट

- एफसीआरए के तहत पंजीकृत इकाई केवल प्रमाणपत्र में निर्दिष्ट शाखा के माध्यम से एकल खाते में विदेशी अंशदान प्राप्त कर सकती है।
- विदेशी अंशदान प्राप्तकर्ता को निर्धारित समय के भीतर विदेशी अंशदान के स्रोत और राशि की जानकारी केंद्र सरकार को देनी होगी।
- इस अधिनियम के तहत पंजीकृत इकाई को प्राप्त किसी भी विदेशी अंशदान और इसका उपयोग कैसे किया गया, इसका लेखा-जोखा रखना होगा।

निरीक्षण खोज और जब्ती प्राधिकारी

- केंद्र सरकार के अंतर्गत समूह-A पद धारण करने वाले राजपत्रित अधिकारी को खातों या अभिलेखों का निरीक्षण करने के लिए अधिकृत किया जा सकता है।
- निरीक्षण के बाद, अधिकारी के पास यह विश्वास करने का कोई उचित कारण है कि इस अधिनियम के किसी प्रावधान या विदेशी मुद्रा से संबंधित किसी भी कानून का उल्लंघन किया गया है, तो वह ऐसे खाते या अभिलेख को जप्त कर सकता है।

एफसीआरए के तहत एक अपील

- इस अधिनियम के अंतर्गत अपील का प्रावधान किया गया है, पीड़ित व्यक्ति सत्र न्यायालय के आदेश के विरुद्ध उच्च न्यायालय में अपील कर सकता है।

एफसीआरए के तहत अपराध और दंड

दंड

- एफसीआरए का उल्लंघन करने पर गंभीर दंड दिया जा सकता है जो निम्नलिखित हो सकता है:
 - ✓ विदेशी अंशदान प्राप्तियों की जब्ती और कब्जा होना।
 - ✓ खर्च किए गए विदेशी अंशदान के मूल्य का 5 गुना तक जुर्माना।
 - ✓ खातों और अभिलेखों का निरीक्षण और जब्ती होना।
 - ✓ गैर सरकारी संगठन के एफसीआरए के तहत पंजीकृत होने पर भी पूर्व अनुमति की आवश्यकता अनिवार्य है।
 - ✓ 5 वर्ष तक की कैद और/या जुर्माना लगाना।
 - ✓ दो बार दोषी ठहराए गए व्यक्तियों पर 3 साल के लिए विदेशी अंशदान स्वीकार करने पर प्रतिबंध लगाना।

संशोधन

एफसीआरए संशोधन 2010

- विदेशी धन के उपयोग पर "कानून को सख्त करना" और "राष्ट्रीय हितों के लिए किसी भी अहितकर गतिविधि के लिए उनके उपयोग पर रोक लगाना"।

एफसीआरए संशोधन 2015

- वर्ष 2015 में, गृह मंत्रालय ने नए नियमों को अधिसूचित किया, जिसके तहत गैर सरकारी संगठनों के लिए इस वचनबद्धता को निर्धारित किया गया था कि विदेशी धन की स्वीकृति से भारत की संप्रभुता और अखंडता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने या किसी विदेशी राज्य के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों पर प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है और सांप्रदायिक सद्भाव भंग नहीं होता है।

एफसीआरए संशोधन 2020

- निधि उपयोग का अनुपात: गैर सरकारी संगठन पहले प्रशासनिक उपयोग के लिए 50% तक धनराशि का उपयोग कर सकते थे, नए संशोधन ने इस उपयोग को 20% तक सीमित कर दिया।
- लोक सेवकों द्वारा विदेशी धन प्राप्त करने पर प्रतिबंध: अधिनियम लोक सेवकों को विदेशी अंशदान प्राप्त करने से रोकता है।
- अधिनियम किसी अन्य व्यक्ति को विदेशी अंशदान के हस्तांतरण पर भी रोक लगाता है।
- विदेशी अंशदान प्राप्त करने वाले व्यक्ति के सभी पदाधिकारियों, निदेशकों या प्रमुख पदाधिकारियों के लिए पहचान दस्तावेज के रूप में आधार संख्या अनिवार्य की गई है।
- विदेशी अंशदान केवल भारतीय स्टेट बैंक, नई दिल्ली की ऐसी शाखाओं में बैंक द्वारा एफसीआरए खाते के रूप में नामित खाते में प्राप्त की जा सकती है।
- इस खाते में विदेशी अंशदान के अलावा कोई धनराशि प्राप्त या जमा नहीं की जा सकती है।

एफसीआरए संशोधन 2022

- विदेश में रिश्तेदारों से प्राप्त 10 लाख रुपये से कम के अंशदान के लिए सरकार को सूचना देने से छूट - पहले की सीमा 1 लाख रुपये थी, और
- बैंक खाते खोलने की सूचना देने की समय सीमा में वृद्धि की गई।

एफसीआरए से संबंधित चिंताएँ

- नौकरशाही संबंधी बाधाएँ: एफसीआरए कागजी कार्रवाई और नियमों के कड़ाई से पालन की अपेक्षा करता है, जिससे गैर-सरकारी संगठनों के लिए मार्ग-निर्देशन(navigate) करना कठिन हो गया है। कानून की व्याख्या में अस्पष्टता के कारण अधिकारियों द्वारा विशिष्ट संगठनों को लक्षित करने की सम्भावना होती है।
- समय साध्य प्रक्रियाएँ: पंजीकरण और नवीनीकरण की लंबी प्रक्रियाएँ परिचालन को रोक सकती हैं और महत्वपूर्ण धन तक पहुंच में बाधा उत्पन्न कर सकती हैं।
- स्पष्टता का अभाव: प्रायः यह सवाल उठता है कि एनजीओ एफसीआरए के तहत प्राप्त विदेशी धन को कैसे खर्च करते हैं। चिंता तब बढ़ जाती है जब इन निधियों का इच्छित उद्देश्य और लाभार्थी अस्पष्ट रहते हैं।
- असमान कार्य क्षेत्र: जटिल पंजीकरण प्रक्रिया कई संगठनों के लिए एक बाधा के रूप में कार्य करती है, जो विदेशी अंशदान तक पहुंचने

की उनकी क्षमता को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करती है।

- **राजनीतिक हस्तक्षेप:** एफसीआरए प्रक्रिया में राजनीतिक प्रभाव की अफ़वाह पंजीकरण अनुमोदन और अस्वीकृति के संबंध में अनुचित निर्णयों के बारे में चिंता उत्पन्न करती हैं।

आगे की राह

- **पारदर्शिता और निष्पक्षता में वृद्धि:** स्पष्ट दिशानिर्देश और स्वतंत्र निरीक्षण तंत्र एफसीआरए के निष्पक्ष और पारदर्शी अनुप्रयोग को सुनिश्चित कर सकते हैं, पूर्वाग्रह और राजनीतिक हस्तक्षेप के आरोपों को कम कर सकते हैं।
- **सरलीकृत पंजीकरण प्रक्रिया:** पंजीकरण प्रक्रिया को सुव्यवस्थित

करने और अनुपालन आवश्यकताओं को सरल करने से वैध सुरक्षा चिंताओं से समझौता किए बिना एनजीओ पर बोझ कम किया जा सकता है।

- **आनुपातिक विनियम:** संगठनों की प्रकृति और आकार के अनुरूप नियमों को तैयार करने से एक जीवंत नागरिक समाज की आवश्यकता के साथ जोखिम मूल्यांकन को संतुलित किया जा सकता है।
- **खुला संवाद और सहयोग:** गैर सरकारी संगठनों और नागरिक समाज संगठनों के साथ खुले संवाद में शामिल होने से विश्वास और सहयोग को बढ़ा सकता है, जिससे अधिक प्रभावी और संतुलित नियम बन सकते हैं।

8.4. ऑपरेशन सर्वशक्ति

संदर्भ

हाल ही में, भारतीय सेना ने जम्मू एवं कश्मीर में ऑपरेशन सर्वशक्ति शुरू किया।

ऑपरेशन सर्वशक्ति का विवरण

- **मिशन:** इसका मिशन जम्मू-कश्मीर में पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला, विशेषकर राजौरी-पुंछ सेक्टर में उत्पन्न होने वाले आतंकवादी खतरों को बेअसर करना।
- **संयुक्त प्रयास:** अन्य एजेंसियों और अर्धसैनिक बलों के साथ श्रीनगर स्थित 15 कोर और नगरोटा स्थित 16 कोर के सुरक्षा बल इस महत्वपूर्ण ऑपरेशन में सहयोग करेंगे।
- **ऑपरेशन ऑन द लाइन:** वर्ष 2003 के ऑपरेशन सर्पविनाश (जिसने क्षेत्र में लगभग 100 आतंकवादियों को सफलतापूर्वक समाप्त कर दिया) से प्रेरणा लेते हुए सर्वशक्ति का लक्ष्य नए सिरे से समान परिणाम प्राप्त करना है।

सर्वशक्ति की आवश्यकता

- **आतंकवादी गतिविधियों में नवीनतम वृद्धि:** पाकिस्तान द्वारा परोक्ष रूप से समर्थित आतंकवादी गतिविधि में वृद्धि ने राजौरी-पुंछ सेक्टर में लगभग 20 भारतीय सैनिकों की जान ले ली है। इस क्षेत्र और इसके लोगों की सुरक्षा के लिए निर्णायक कार्रवाई की आवश्यकता है।
- **आतंकवादी तंत्र को बाधित करना:** ऑपरेशन का उद्देश्य पीर पंजाल रेंज के घने जंगलों, पहाड़ों और गुफाओं के भीतर छिपे आतंकवादी ठिकानों को नष्ट करना है, जिससे उनके तंत्र और संचालन को प्रभावी ढंग से बाधित किया जा सके।
- **शांति और स्थिरता बहाल करना:** अंततः ऑपरेशन सर्वशक्ति का उद्देश्य क्षेत्र में शांति और स्थिरता को बढ़ावा देकर जम्मू एवं कश्मीर के निवासियों के लिए एक सुरक्षित वातावरण तैयार करना है।

9. सामाजिक मुद्दे

9.1. जातिगत जनगणना

संदर्भ

आंध्र प्रदेश, बिहार के बाद जाति जनगणना कराने वाला दूसरा राज्य बन गया है।

जातिगत सर्वेक्षण क्या है?

- जातिगत जनगणना एक सरकारी जनसंख्या सर्वेक्षण है जिसमें असमानताओं का अध्ययन करने और सरकारी नीति के प्रभाव और जाति-आधारित भेदभाव का समाधान करने के लिए लोगों की जाति या सामाजिक समूह को रिकॉर्ड किया जाता है।

जनगणना क्या है?

- जनसांख्यिकी (आयु, लिंग, शिक्षा, आदि) को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक 10 वर्ष में आयोजित आवधिक जनसंख्या गणना जो नीति, अनुसंधान और व्यावसायिक निर्णयों के लिए महत्वपूर्ण होती है।

मतभेद

- जातिगत जनगणना लक्षित सकारात्मक कार्रवाई में सहायक होती है, भेदभाव की निगरानी करती है और सामाजिक वास्तविकताओं की समझ को बढ़ाती है।
- जनगणना व्यापक जनसांख्यिकी को कवर करती है, नियमित रूप से संपन्न होती है (प्रत्येक 10 वर्ष में), और व्यापक रूप से स्वीकार की जाती है।
- जातिगत जनगणना विशिष्ट है, ऐतिहासिक रूप से बहुत कम बार आयोजित होती है। यह विमर्श का विषय है, और इसके आंकड़ों उपलब्धता सीमित होती है।
- चूंकि जनगणना 1948 के अधिनियम के अंतर्गत आती है, इसलिए सभी आंकड़ों को गोपनीय माना जाता है, जबकि सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना (SECC) के आंकड़े सरकारी विभागों द्वारा परिवारों को लाभ देने और/या प्रतिबंधित करने के लिए उपयोग के लिए उपलब्ध होते हैं।
- भारत में सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना (SECC) (2011) जाति और सामाजिक-आर्थिक आंकड़ों को दोनों को शामिल करती है। कुछ राज्य स्वतंत्र जाति सर्वेक्षण कराते हैं, जिससे समग्र विमर्श में जटिलता आ जाती है।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

- पहली व्यापक जाति जनगणना वर्ष 1871 में लॉर्ड रिस्ले के नेतृत्व में आयोजित की गई थी।
- 1871 की जनगणना ने प्रशासनिक उद्देश्यों के लिए भारतीय आबादी को जातियों और समुदायों में वर्गीकृत किया, यह परम्परा बाद की जनगणनाओं में भी जारी रही।
- अंतिम जाति जनगणना 1931 में हुई थी, और आंकड़े ब्रिटिश सरकार द्वारा सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित किए गए थे।

- जाति जनगणना मंडल आयोग की रिपोर्ट और उसके बाद सरकार द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण नीतियों के कार्यान्वयन का आधार बनी।
- 1951 के बाद : भारत के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभभाई पटेल ने राष्ट्रीय एकता और एकीकरण में संभावित व्यवधानों को रोकने के लिए राष्ट्रीय जनगणना में जाति गणना को शामिल करना बंद कर दिया।
- 1952: स्वतंत्रता के बाद मैसूर राज्य (अब कर्नाटक) में एक व्यापक जाति सर्वेक्षण आयोजित किया गया, जो इस तरह की गणना का एक अनूठा उदाहरण था।
- 1980-90का दशक: जाति जनगणना की बढ़ती मांगों, विशेषकर अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) द्वारा, सामने आई।
- उन्होंने तर्क दिया कि सटीक आंकड़ों की कमी नीति और संसाधन आवंटन में उनके प्रतिनिधित्व में बाधक है।
- 2011 की जनगणना में पृथक जाति जनगणना कराने की चर्चा हुई थी, जो अंततः संपन्न नहीं हुई।
- इसके स्थान पर, सरकार ने 2011 में सामाजिक-आर्थिक और जाति जनगणना (SECC) के माध्यम से सामाजिक-आर्थिक आंकड़ों को एकत्र किया।
- राजस्थान, ओडिशा, महाराष्ट्र, असम और कर्नाटक सहित कई राज्य जाति सर्वेक्षण की योजना बना रहे हैं या उसका आयोजन कर रहे हैं।

सामाजिक-आर्थिक और जाति जनगणना (SECC)

- इसके माध्यम से ग्रामीण और शहरी परिवारों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति का मूल्यांकन किया जाता है, जिससे पूर्वनिर्धारित मापदंडों के आधार पर रैंकिंग संभव होती है।
- अलग-अलग प्राधिकारियों द्वारा संचालित लेकिन भारत सरकार के ग्रामीण विकास विभाग द्वारा समन्वयित।
- मुख्य निष्कर्ष:
 - ✓ कुल ग्रामीण परिवार: 17.91 करोड़।
 - ✓ अगणित परिवार: 39.39%, स्वतः शामिल: %0.92।
 - ✓ वंचित परिवार: 10.69 करोड़।
 - ✓ वंचित वर्ग के आंकड़े: इसमें आवास, जनसांख्यिकी, दिव्यांग, एससी/एसटी परिवार और साक्षरता जैसी श्रेणियां शामिल हैं।

सामाजिक-आर्थिक और जाति जनगणना में शामिल मंत्रालय

- वेब सर्च परिणामों के अनुसार, एसईसीसी 2011 भारत सरकार के ग्रामीण विकास विभाग के समग्र समन्वय के तहत तीन अलग-अलग प्राधिकरणों द्वारा आयोजित की गयी थी। लेकिन एसईसीसी में तीन मंत्रालय शामिल थे।

- गृह मंत्रालय ने केंद्र सरकार के स्तर पर सर्वेक्षण के समन्वय के लिए एक समिति का गठन किया।
- ग्रामीण विकास मंत्रालय ने ग्रामीण क्षेत्रों में जनगणना की और मनरेगा, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम और दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना जैसे विभिन्न कार्यक्रमों के लिए आंकड़ों का उपयोग किया।
- आवास और शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय (MoHUPA) ने शहरी क्षेत्रों में जनगणना की और शहरी विकास योजनाओं की योजना और कार्यान्वयन के लिए आंकड़ों का उपयोग किया।
- एकत्र किए गए आंकड़े सामाजिक न्याय मंत्रालय को सौंप दिए गए।

2011 एसईसी जाति आंकड़े प्रकाशित करने के खिलाफ सरकार का तर्क

- डेटा गुणवत्ता संबंधी चिंताएँ
 - ✓ कोई मानकीकृत जाति सूची नहीं होने के कारण विभिन्न वर्तनी, गलत व्याख्याएं और बढ़ी हुई जाति श्रेणियां सामने आईं।
 - ✓ सीमित प्रशिक्षण के कारण संभावित गलतफहमियाँ और अशुद्धियाँ उत्पन्न हुईं।
 - ✓ विभिन्न राज्यों की जाति सूचियाँ विसंगतियों में शामिल हो गईं।
- नीतिगत निर्णयों के लिए अनुपयुक्त
 - ✓ 46 लाख जातियों को दर्ज किया गया, जो यथार्थवादी अनुमानों से अधिक है, जिससे सार्थक निष्कर्ष असंभव हो जाते हैं।
 - ✓ कई जातियों की 100 से कम आबादी प्रतिनिधित्वशीलता पर संदेह उत्पन्न करती हैं।
 - ✓ त्रुटिपूर्ण आंकड़े अविश्वसनीय नीतियों और संभावित भेदभाव को जन्म दे सकते हैं।
- गोपनीयता और सामाजिक चिंताएँ
 - ✓ विस्तृत जाति आंकड़े जारी होने से गोपनीयता संबंधी चिंताएं और भेदभाव का जोखिम बढ़ सकता है।
 - ✓ गलत या भड़काऊ आंकड़े मौजूदा सामाजिक तनाव और जाति विभाजन को और अधिक बढ़ा सकते हैं।
- प्रशासनिक चुनौतियाँ
 - ✓ विशाल डेटासेट को संसाधित करना और अनामित करना जटिल, संसाधन-गहन चुनौतियों का सामना करता है।
 - ✓ आंकड़ों की गोपनीयता और गणना वैधता के संबंध में संभावित कानूनी चुनौतियाँ।
- मौजूदा डेटा पर ध्यान
 - ✓ सरकार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षणों से संबंधित मौजूदा आंकड़ों पर निर्भरता पर जोर देती है।
 - ✓ एसईसीसी सीमाओं को दूर करने के लिए भविष्य में अधिक केंद्रित और कठोर जाति सर्वेक्षण करने के लिए स्पष्टता

जाति सर्वेक्षण का महत्व

- नीतिगत निर्णयों की जानकारी देना - सर्वेक्षण जनसंख्या की जाति संरचना पर महत्वपूर्ण आंकड़े प्रदान करता है, जिससे नीति

निर्माताओं को सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए लक्षित नीतियां तैयार करने में सहायता मिलती है।

- **ओबीसी कोटा बढ़ाना**- सर्वेक्षण के निष्कर्ष ओबीसी कोटा को मौजूदा %27 से आगे बढ़ाने और संभावित रूप से ईबीसी के लिए उप-कोटा बनाने की मांग को जन्म दे सकते हैं।
- **जस्टिस रोहिणी आयोग**, जो ओबीसी उप-वर्गीकरण का अध्ययन कर रहा है, ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है, लेकिन सिफारिशों का खुलासा अभी तक नहीं किया गया है।
- **आरक्षण सीमा का पुनर्निर्धारण** - यह सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अधिरोपित 50% आरक्षण सीमा पर पुनर्विचार करने के लिए प्रेरित कर सकता है, क्योंकि आंकड़ों के माध्यम से विभिन्न जाति समूहों की आबादी के आधार पर समायोजन को उचित ठहराया जा सकता है।
- **सामाजिक-आर्थिक विकास**- सर्वेक्षण विभिन्न जाति समुदायों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति को समझने, असमानताओं को कम करने और समावेशिता को बढ़ावा देने के प्रयासों का मार्गदर्शन करने में सहायता करता है।
- **संवैधानिक दायित्व** - भारतीय संविधान के अनुच्छेद 340 के तहत राष्ट्रपति भारतद्वारा सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की स्थितियों की जांच के लिए एक आयोग नियुक्त किया जा सकता है।
- **असमानता में कमी**- आंकड़ों का उपयोग असमानता को कम करने, समानता को बढ़ावा देने और लंबी अवधि में सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने के लिए लक्षित उपाय करने के लिए किया जा सकता है।
- **सर्वोदय को साकार करना**- जाति जनगणना व्यापक असमानता से निपटने, समानता को बढ़ावा देने और लंबी अवधि में सामाजिक न्याय को आगे बढ़ाने के लिए लक्षित रणनीति विकसित करने में सहायता कर सकती है।

भारत में जातिगत जनगणना के संबंध में चिंताएँ

- जाति व्यवस्था का सुदृढीकरण
 - ✓ जातियों की स्पष्ट पहचान और गिनती जाति की पहचान को मजबूत कर संभावित रूप से जाति व्यवस्था को सुदृढ कर सकती है।
 - ✓ सामाजिक विभाजन में वृद्धि और मौजूदा असमानताओं का बढ़ना।
- जातियों को परिभाषित करने में जटिलता:
 - ✓ हज़ारों जातियाँ और उपजातियाँ सटीक वर्गीकरण को चुनौतीपूर्ण बनाती हैं।
 - ✓ आंकड़ों के संग्रहण के दौरान जटिलता के कारण भ्रम, अशुद्धियाँ और विवाद उत्पन्न हो सकते हैं।
- सामाजिक विभाजन की संभावना:
 - ✓ जाति जनगणना से मतभेदों के बारे में जागरूकता बढ़ सकती है, जिससे सामाजिक तनाव बढ़ सकता है।
 - ✓ भेदभाव का सामना करने वाले वंचित वर्गों के लिए विशेष रूप से हानिकारक।
- डेटा का दुरुपयोग
 - ✓ व्यक्तियों या शक्तिशाली संस्थाओं द्वारा भेदभाव के लिए जातिगत आंकड़ों का दुरुपयोग किया जा सकता है।

- ✓ राजनीतिक दल अपने उद्देश्यों के लिए आंकड़ों का दुरुपयोग कर सकते हैं।
- पद्धतिगत और लॉजिस्टिकल चुनौतियाँ
 - ✓ व्यापक जाति जनगणना कराना जटिल और महंगा है।
 - ✓ गणनाकारों को प्रशिक्षण देना, सटीकता सुनिश्चित करना और गोपनीयता की रक्षा करना महत्वपूर्ण चुनौतियाँ हैं।
- वंचित वर्गों को बाहर करना
 - ✓ दलित मुस्लिम और दलित ईसाई जैसे समूहों को कम गिना जा सकता है या गलत वर्गीकृत किया जा सकता है।
 - ✓ जाति-आधारित असमानता दृश्य को और अधिक हाशिए पर धकेलना और विकृत करना।
- जातीय अभिजात्य वर्ग की कम गिनती
 - ✓ कोई जाति नहीं विकल्प शामिल करने से ऊंची जातियों की गिनती कम हो सकती है।
 - ✓ आर्थिक और सामाजिक असमानताओं को कायम रखने में जाति की भूमिका को अस्पष्ट करना।
- बाहरी निरीक्षण और सार्वजनिक इनपुट
 - ✓ सटीकता और नैतिक उपयोग सुनिश्चित करने के लिए, बाहरी निरीक्षण और जाति-विरोधी संगठनों से इनपुट महत्वपूर्ण हैं।
 - ✓ आंकड़ों के दुरुपयोग को रोकना और यह सुनिश्चित करना कि आंकड़ों का उपयोग संरचनात्मक असमानताओं को दूर करने के लिए किया जाए।

जाति जनगणना पर सरकार का रुख

- एसईसीसी-2011 डेटा की खामियाँ: जनगणना से पहले जाति रजिस्ट्री की कमी के कारण आंकड़े अविश्वसनीय हो गए और जातियाँ बढ़ती गईं, जिससे यह उपयोग के लिए अव्यावहारिक हो गया।
- अव्यावहारिक अपरिष्कृत आंकड़े जारी करना: सरकार ने खामियों और दुरुपयोग की संभावना का हवाला देते हुए अपरिष्कृत एसईसीसी-2011 के आंकड़े जारी करने से इनकार कर दिया।
- प्रशासनिक चुनौतियाँ: सूची में असमानताओं, गणनाकार प्रशिक्षण मुद्दों और जनगणना व्यवधानों के कारण 2021 की जनगणना में जाति संबंधी प्रश्नों को जोड़ना अव्यावहारिक माना गया।
- सरकार का कथन है कि जाति जनगणना एक नीति है, न्यायिक निर्णय नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने जनगणना सामग्री पर सरकार के विवेक को स्वीकार किया।

- सरकार का तर्क है कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण पर मौजूदा आंकड़े नीतिगत आवश्यकताओं के लिए पर्याप्त हैं।
- राजनीतिक दलों की मांग: ओबीसी-प्रतिनिधित्व करने वाली पार्टियाँ आरक्षण नीतियों का समर्थन करने और जाति-आधारित असमानताओं को दूर करने के लिए जाति जनगणना पर जोर देती हैं।
- विद्वानों का तर्क: कुछ विद्वान जातिगत वास्तविकताओं को समझने के लिए उच्च जातियों को शामिल करते हुए एक व्यापक जाति जनगणना का समर्थन करते हैं।

आगे की राह

- भारत में जाति-संबंधी चुनौतियों से निपटने के लिए बहुआयामी दृष्टिकोण आवश्यक है। पहल में नीति की प्रासंगिकता सुनिश्चित करने के लिए विशिष्ट क्षेत्रों या समुदायों में लक्षित और अच्छी तरह से डिज़ाइन किए गए सर्वेक्षण शामिल होने चाहिए। इसके साथ ही, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और सामाजिक-आर्थिक संकेतकों पर आंकड़ों के संग्रह को बढ़ावा देना सूचित नीति निर्माण के लिए एक व्यापक आधार प्रदान करता है।
- जाति के बावजूद, जाति-तटस्थ विकास पहलों को प्राथमिकता देना, दीर्घकालिक सामाजिक गतिशीलता और समावेशिता को बढ़ावा देता है।
- जाति के बारे में खुले संवाद को बढ़ावा देना, नागरिक समाज और हाशिए पर रहने वाले समुदायों को शामिल करना, गहरे मुद्दों को समझने और समाधान करने के लिए एक मंच तैयार करता है।
- इसके अतिरिक्त, एक अधिक न्यायसंगत और न्यायपूर्ण समाज के निर्माण, जाति-आधारित पूर्वाग्रहों से निपटने और सभी के लिए निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए भेदभाव-विरोधी कानूनों को सख्ती से लागू करना महत्वपूर्ण है।

निष्कर्ष

- भारत में संभावित जाति जनगणना को लेकर विविध चिंताएँ हैं जिन पर सावधानीपूर्वक ध्यान देने की आवश्यकता है। यद्यपि आंकड़े जाति-आधारित असमानताओं में मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान कर सकते हैं, इन चिंताओं का समाधान करना और सुरक्षा उपायों को लागू करना अनपेक्षित परिणामों को रोकने के लिए सर्वोपरि है।

9.2. एएसईआर (ASER) अध्ययन

संदर्भ

शिक्षा की वार्षिक स्थिति रिपोर्ट (एएसईआर) ने अपना 'बियॉन्ड बेसिक्स' संस्करण पेश किया। नागरिक समाज संगठन प्रथम द्वारा आयोजित सर्वेक्षण में 14 से 18 वर्ष की आयु के ग्रामीण छात्रों के दृष्टिकोण को जानने पर ध्यान केंद्रित किया गया।

एएसईआर 2023 तीन प्राथमिक डोमेन की खोज करता है

- ✓ गतिविधि: भारत के युवाओं की वर्तमान व्यस्तताओं की जांच करता है।

- ✓ योग्यता: मौलिक पढ़ने और गणित कौशल का मूल्यांकन करता है।
- ✓ डिजिटल जागरूकता और कौशल : स्मार्टफोन पहुंच, उपयोग और दक्षता की जांच करता है।

- ✓ सर्वेक्षण कवरेज : 26 राज्यों के 28 जिलों में आयोजित , 14-18 आयु वर्ग के 34,745 ग्रामीण युवाओं तक पहुंचा।

रिपोर्ट की मुख्य खोज

1. युवा सहभागिता प्रोफाइल (उम्र 14-18)

- उपस्थिति पंजी
 - ✓ कुल मिलाकर, 14-18 वर्ष के 86.8% बच्चे शैक्षणिक संस्थानों में नामांकित हैं।
 - ✓ आयु-आधारित अंतर उल्लेखनीय हैं, 14-वर्षीय बच्चों के लिए 3.9% गैर-नामांकन और 18-वर्षीय बच्चों के लिए 32.6% है।
 - ✓ नामांकन में मामूली लिंग अंतर मौजूद है।
- स्ट्रीम प्राथमिकताएं
 - ✓ इस आयु वर्ग में अधिकांश लोग कला/मानविकी स्ट्रीम को चुनते हैं, विशेष रूप से कक्षा XI या उच्चतर (55.7%) में।
 - ✓ एसटीईएम स्ट्रीम नामांकन में उल्लेखनीय असमानता, 36.3% पुरुषों और 28.1% महिलाओं ने इसे चुना।
- व्यावसायिक प्रशिक्षण
 - ✓ केवल 5.6% युवा व्यावसायिक प्रशिक्षण या संबंधित पाठ्यक्रम अपना रहे हैं।
 - ✓ कॉलेज स्तर के युवा, विशेष रूप से, व्यावसायिक प्रशिक्षण (%16.2) में संलग्न होते हैं, अक्सर छोटी अवधि के पाठ्यक्रमों का विकल्प चुनते हैं।
- काम में वचनबद्धता
 - ✓ महिलाओं (28%) की तुलना में पुरुषों का अधिक प्रतिशत (40.3%) पिछले महीने में कम से कम 15 दिनों के लिए घरेलू काम के अलावा अन्य गतिविधियों में संलग्न रहे।
 - ✓ गैर-घरेलू कार्यों में शामिल युवा मुख्य रूप से पारिवारिक खेतों में योगदान करते हैं।

2. युवा क्षमता

- 14-18 आयु वर्ग के युवाओं के लिए मूलभूत कौशल
 - ✓ लगभग 25% युवा अपनी क्षेत्रीय भाषा में कक्षा II स्तर के पाठ को धाराप्रवाह पढ़ने में संघर्ष करते हैं।
 - ✓ आधे से अधिक को 3-अंकीय और 1-अंकीय विभाजन की समस्याओं का सामना करना पड़ता है; केवल 43.3% ही सही प्रदर्शन करते हैं, जो कक्षा III/IV के लिए एक अपेक्षा है।
 - ✓ लगभग 57.3% अंग्रेजी में वाक्य पढ़ने में दक्षता प्रदर्शित करते हैं, और 73.5% उनके अर्थ समझते हैं।
 - ✓ महिलाएं अपनी क्षेत्रीय भाषा में कक्षा II स्तर का पाठ पढ़ने में पुरुषों से बेहतर प्रदर्शन करती हैं (76% बनाम 70.9%), जबकि पुरुष अंकगणित और अंग्रेजी पढ़ने में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हैं।
- प्रतिदिन की गणना
 - ✓ लगभग 85% युवा 0 सेमी से शुरू होने वाले पैमाने का उपयोग करके लंबाई माप सकते हैं, लेकिन शुरुआती बिंदु को स्थानांतरित करने पर यह घटकर %39 रह जाता है।
 - ✓ कुल मिलाकर, लगभग %50 दैनिक जीवन से संबंधित अन्य

सामान्य गणनाओं में योग्यता प्रदर्शित करते हैं।

- लिखित निर्देश पढ़ना और समझना - दैनिक जीवन अनुप्रयोग :
 - ✓ कम से कम कक्षा I स्तर का पाठ पढ़ने में सक्षम युवाओं में से, लगभग दो-तिहाई ओआरएस पैकेट के आधार पर 4 में से कम से कम 3 प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं।
- वित्तीय गणना
 - ✓ एसईआर अंकगणित परीक्षण में कम से कम घटाव में कुशल युवाओं का मूल्यांकन सामान्य वित्तीय गणनाओं पर किया गया।
 - ✓ में सक्षम 60% से अधिक लोग बजट का प्रबंधन कर सकते हैं, लगभग 37% छूट लागू कर सकते हैं, लेकिन केवल 10% ही पुनर्भुगतान की गणना कर सकते हैं।
- 3. डिजिटल जागरूकता और कौशल
 - डिजिटल पहुंच
 - ✓ लगभग 90% युवाओं के पास घर पर स्मार्टफोन है और उन्हें इसका उपयोग करने का ज्ञान है।
 - ✓ पास अपना स्मार्टफोन रखने की संभावना दोगुनी है (%43.7 बनाम %19.8)।
 - संचार और ऑनलाइन सुरक्षा:
 - ✓ लगभग 90.5% युवा सोशल मीडिया का उपयोग करते हैं , जिसमें महिलाओं (87.8%) की तुलना में पुरुषों (93.4%) का अनुपात थोड़ा अधिक है।
 - शिक्षा और सीखना
 - ✓ स्मार्टफोन का उपयोग करने वाले दो-तिहाई युवा संदर्भ सप्ताह के दौरान शैक्षिक गतिविधियों में संलग्न होते हैं, जैसे ऑनलाइन अध्ययन से संबंधित वीडियो देखना या अध्ययन नोट्स का आदान-प्रदान करना।
 - सेवाएं और मनोरंजन
 - ✓ लगभग 80% युवा स्मार्टफोन का उपयोग मनोरंजन गतिविधियों जैसे फिल्में देखने या संगीत सुनने के लिए करते हैं।
 - डिजिटल कार्य (सर्वेक्षण टीम की उपस्थिति में स्मार्टफोन पर किए गए)
 - ✓ महिलाओं (62%) की तुलना में पुरुषों (72.9%) द्वारा स्मार्टफोन उपलब्ध कराने की संभावना अधिक थी।
 - ✓ भारत में 14-18 वर्ष के युवाओं की शिक्षा, कौशल और डिजिटल साक्षरता के लिए प्रासंगिक सरकारी नीतियां और अभियान।
 - मसौदा राष्ट्रीय युवा नीति, युवा मामले और खेल मंत्रालय, 2023:
 - ✓ इसका उद्देश्य सामंजस्यपूर्ण सामाजिक विकास के लिए भारत के युवाओं (15-29 वर्ष) की आकांक्षाओं में तालमेल बिठाना है।
 - प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) दिशानिर्देश 4.0, 2023
 - ✓ 2015 में लॉन्च किया गया, यह निःशुल्क लघु अवधि के प्रशिक्षण और प्रमाणन के लिए मौद्रिक पुरस्कार के माध्यम से कौशल विकास को बढ़ावा देता है। यह 15-45 आयु वर्ग के व्यक्तियों को लक्षित करता है, यह ताजा कौशल, पुनः कौशल/अपस्किलिंग और हाशिए पर रहने वाले समूहों पर केंद्रित है।

- राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020
 - ✓ एनईपी 2020 लचीलेपन, व्यावसायिक प्रशिक्षण, प्रौद्योगिकी एकीकरण और डिजिटल असमानताओं को खत्म करने पर ध्यान देने के साथ एक समग्र और समावेशी शिक्षा प्रणाली की कल्पना करता है।
- प्रधान मंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान (पीएमजीडिशा) 2017
 - ✓ 'डिजिटल इंडिया' के तहत लॉन्च किया गया, पीएमजीडिशा ग्रामीण भारत में सार्वभौमिक डिजिटल साक्षरता के लिए प्रयास करता है, जो डिजिटल रूप से सशक्त समाज और ज्ञान अर्थव्यवस्था की व्यापक दृष्टि के साथ संरेखित होता है।

बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम, 2009

- ✓ यह अनुच्छेद 21-ए के तहत अधिनियमित, प्रत्येक बच्चे को औपचारिक स्कूल में गुणवत्तापूर्ण प्रारंभिक शिक्षा के अधिकार की गारंटी देता है।
- ✓ 6-14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा की गारंटी देता है।
- कौशल विकास और उद्यमिता के लिए राष्ट्रीय नीति 2015
 - ✓ यह 'कौशल भारत' पहल के साथ जुड़ा है, जो रोजगार योग्य कौशल के साथ युवाओं को सशक्त बनाने पर केंद्रित है।
 - ✓ मुख्य उद्देश्यों में नियोज्यता आवश्यकताओं और कार्यबल कौशल के बीच अंतर को पाटना शामिल है।

गिरावट के कारण

- नामांकन में गिरावट
 - ✓ शीघ्र विवाह और पारिवारिक जिम्मेदारियाँ, विशेषकर लड़कियों के लिए।
- स्ट्रीम प्राथमिकताएँ

- ✓ एसटीईएम विषयों को ग्रामीण जीवन के लिए कठिन और कम प्रासंगिक मानना।
- सीमित व्यावसायिक प्रशिक्षण
 - ✓ शैक्षणिक अध्ययन की तुलना में व्यावसायिक शिक्षा की नकारात्मक धारणा।
- मूलभूत कौशल में गिरावट
 - ✓ मूलभूत कौशल विकास के लिए प्रभावी शिक्षण विधियों और शिक्षाशास्त्र का अभाव।
- प्रतिदिन की गणना और समस्या-समाधान:
 - ✓ रटना और गणित कौशल के व्यावहारिक अनुप्रयोग पर जोर की कमी।
- पहुंच और दक्षता में लिंग अंतर
 - ✓ लड़कियों के लिए स्मार्टफोन और इंटरनेट कनेक्टिविटी तक सीमित पहुंच।
- सीमित ऑनलाइन सुरक्षा जागरूकता
 - ✓ ऑनलाइन खतरों और घोटालों के बारे में शिक्षा और जागरूकता का अभाव।

भारत के संविधान में अनुच्छेद 21-ए: छह से चौदह वर्ष की आयु के सभी बच्चों को मौलिक अधिकार के रूप में मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना, जैसा कि राज्य, कानून द्वारा निर्धारित कर सकता है।

शिक्षा रिपोर्ट की वार्षिक स्थिति (एसईआर)

- इसकी स्थापना जनवरी 2008 में प्रथम नेटवर्क के भीतर एक स्वतंत्र इकाई के रूप में की गई थी।
- इसका उद्देश्य न केवल साक्ष्य उत्पन्न करना और प्रसारित करना है बल्कि साक्ष्य और कार्रवाई के बीच संबंध को मजबूत करना भी है।
- कुशलतापूर्वक डिजाइन करने, संचालित करने और समझने के लिए व्यक्तियों और संस्थानों की क्षमता निर्माण पर ध्यान केंद्रित किया गया है।
- शहरी और ग्रामीण भारत में प्रथम के व्यापक कार्य में निहित है, विशेष रूप से बच्चों के बीच बुनियादी पढ़ने और अंकगणित कौशल को बढ़ाने में।

9.3. डब्ल्यूएचओ पोषण मानक बनाम भारतीय मानक

संदर्भ

भारत में बच्चों में कुपोषण का उच्च स्तर बना हुआ है, जो भोजन सेवन, आहार विविधता, स्वास्थ्य, स्वच्छता, महिलाओं की स्थिति और गरीबी के व्यापक संदर्भ जैसे कारकों से प्रेरित है।

डब्ल्यूएचओ बहुकेंद्रीय विकास संदर्भ अध्ययन (एमजीआरएस)

- इसे दुनिया भर में शिशुओं और छोटे बच्चों की वृद्धि और विकास का आकलन करने के लिए नए विकास वक्र उत्पन्न करने के लिए 1997 और 2003 के बीच शुरू किया गया था।
- एमजीआरएस ने व्यापक रूप से विभिन्न जातीय पृष्ठभूमि और सांस्कृतिक सेटिंग्स (ब्राजील, घाना, भारत, नॉर्वे, ओमान और संयुक्त

राज्य अमेरिका) से लगभग 8500 बच्चों से प्राथमिक विकास डेटा और संबंधित जानकारी एकत्र की।

- नए विकास वक्रों से एक एकल अंतरराष्ट्रीय मानक प्रदान करने की उम्मीद की जाती है जो जन्म से लेकर पांच वर्ष की आयु तक के सभी बच्चों के लिए शारीरिक विकास का सर्वोत्तम विवरण प्रस्तुत करता है और स्तनपान करने वाले शिशु को वृद्धि और विकास के लिए मानक मॉडल के रूप में स्थापित करता है।

विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ)

- 1948 में स्थापित, यह संयुक्त राष्ट्र एजेंसी है जो स्वास्थ्य को बढ़ावा देने, दुनिया को सुरक्षित रखने और कमजोर लोगों की सेवा करने के लिए राष्ट्रों, भागीदारों और लोगों को जोड़ती है - ताकि हर कोई, हर जगह स्वास्थ्य के उच्चतम स्तर को प्राप्त कर सके।

संबंधित डेटा

- ग्लोबल हंगर इंडेक्स (2022) में भारत 121 देशों में सबसे नीचे 107वें स्थान पर है।
- 2019-21 के राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एनएफएस-5) ने बताया कि पांच साल से कम उम्र के बच्चों में, 35.5% का विकास अवरुद्ध था, 19.3% में कमजोरी देखी गई, और 32.1% का वजन कम था।
- गंभीर तीव्र कुपोषण के सबसे अधिक मामले उत्तर प्रदेश (3,98,359) में हैं, इसके बाद बिहार (2,79,427) हैं।

भारत-विशिष्ट बाल विकास मानकों के लिए आईसीएमआर की पहल

- भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) ने देश का पहला बाल विकास संदर्भ मानक विकसित करने के लिए एक बहु-केंद्रित अनुसंधान परियोजना शुरू की।
- आईसीएमआर के अध्ययन का उद्देश्य मौजूदा वैश्विक मानकों की सीमाओं को संबोधित करते हुए **भारत-विशिष्ट बाल विकास मानकों को तैयार करना है।**
- यह पहल भारतीय संदर्भ में महत्वपूर्ण महत्व रखती है, जो देश भर में बाल स्वास्थ्य मूल्यांकन में सुधार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है।

निष्कर्ष

- इस स्तर पर WHO-MGRS मानकों को पूरी तरह से छोड़ना जल्दबाजी होगी। ये मानक, अपनी सीमाओं के बावजूद, कई लाभ प्रदान करते हैं।
- उन्होंने बच्चों के विकास के लिए महत्वाकांक्षी लेकिन प्राप्त करने योग्य लक्ष्य निर्धारित किए, अन्य देशों के साथ तुलना करने और समय

WHO-MGRS का उपयोग करने के लिए तर्क

- अनुदेशात्मक दृष्टिकोण: इष्टतम परिस्थितियों में आदर्श विकास पैटर्न निर्धारित करता है, न कि केवल देखी गई वृद्धि का संदर्भ देता है।
- तुलना की वैधता: उच्च असमानता के कारण बड़े भारतीय सर्वेक्षणों में एमजीआरएस मानदंडों को पूरा करने वाले समकक्ष नमूने ढूंढना मुश्किल है।
- पद्धतिगत अंतर: एमजीआरएस में अन्य सर्वेक्षणों के विपरीत, फीडिंग परामर्श जैसे हस्तक्षेप शामिल थे।
- अन्य देशों में बेहतर परिणाम: समान देशों ने इन मानकों का उपयोग करके प्रगति हासिल की है।
- भारत के भीतर क्षेत्रीय विविधताएँ: कुछ राज्य एमजीआरएस के साथ स्टंटिंग में महत्वपूर्ण कमी दर्शाते हैं।
- आनुवंशिक क्षमता में बदलाव: सामाजिक आर्थिक विकास समय के साथ औसत जनसंख्या ऊंचाई को प्रभावित कर सकता है।
- जनसंख्या रुझान को समझना: एमजीआरएस अंतरराष्ट्रीय तुलनाओं और अंतर-देशीय रुझानों के लिए मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान करता है।

WHO-MGRS के विरुद्ध तर्क

- अल्पपोषण का अधिक अनुमान: विशेषाधिकार प्राप्त घरों से लिया गया एमजीआरएस नमूना, संभावित रूप से राष्ट्रव्यापी अनुमान बढ़ा रहा है।
- आनुवंशिक और मातृ ऊंचाई में अंतर: एमजीआरएस मानक भारतीय जनसंख्या में भिन्नता को पूरी तरह से ध्यान में नहीं रख सकते हैं।
- गलत निदान और अधिक स्तनपान: उच्च मानकों के कारण गलत वर्गीकरण और अनुचित हस्तक्षेप हो सकता है।
- आहार संबंधी अंतराल और कार्यक्रम कवरेज: मौजूदा योजनाओं के बारे में चिंताएं जो आहार संबंधी आवश्यकताओं को पर्याप्त रूप से संबोधित नहीं कर रही हैं।
- बौनेपन के दूरस्थ निर्धारक: गरीबी, शिक्षा और महिला सशक्तिकरण के लिए व्यापक हस्तक्षेप की आवश्यकता है।

के साथ प्रगति पर नज़र रखने की सुविधा प्रदान की।

9.4. भारत में बाल विवाह सम्बन्धी चिंताएं**संदर्भ**

भारत में बाल विवाह पर लैसेट रिपोर्ट के अनुसार बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र जैसे कुछ राज्यों को छोड़कर, देश भर में बाल विवाह में समग्र रूप से गिरावट आई है।

विवरण

- भारत में बाल विवाह में कमी आ रही है, लेकिन यह अभी भी विशेषकर बिहार (%16.7), पश्चिम बंगाल (%15.2), उत्तर प्रदेश (%12.5) और महाराष्ट्र (%8.2) जैसे राज्यों में प्रचलित है।
- पश्चिम बंगाल में लगभग 500,000 बाल विवाह हुए, जिसके परिणामस्वरूप जनसंख्या में %32.3 की वृद्धि हुई। पश्चिम बंगाल में बाल विवाह की दर उच्च बनी हुई है जहाँ 20-24 आयु वर्ग की महिलाओं में बाल विवाह का प्रतिशत 41.6% है।
- यूनिसेफ के अनुसार, उत्तर प्रदेश में बाल विवाह की संख्या सर्वाधिक है। भारत में लगभग चार में से एक युवा महिला (23 प्रतिशत) अपने 18वें जन्मदिन से पहले विवाहित या जोड़े में बंध चुकी थी।
- आर्थिक रूप से कमजोर क्षेत्र मुर्शिदाबाद में बाल विवाह की दर %53.5 से बढ़कर %55.4 हो गई है।

- **बाल विवाह** : यूनिसेफ के अनुसार, बाल विवाह का तात्पर्य 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे और एक वयस्क या अन्य बच्चे के बीच किसी औपचारिक विवाह या अनौपचारिक बंधन से है।

भारत में बाल विवाह के कारण

4. **परंपरा और संस्कृति**: इस प्रथा को व्यापक रूप से रीति-रिवाजों और सामाजिक प्रतिष्ठा को संरक्षित करने के साधन के रूप में माना जाता है, उदाहरण के लिए राजस्थान में अक्षय तृतीया के अवसर पर आयोजित बाल विवाह समारोह।
5. **अभावग्रस्त गरीबी**: पीड़ित परिवार द्वारा बाल विवाह को अपने वित्तीय बोझ को कम करने के एक तरीके के रूप में देखा जाता है क्योंकि कम उम्र में बेटी के विवाह का अर्थ भरण पोषण के लिए एक व्यक्ति के कम होने के रूप में देखा जाता है।

6. **लैंगिक असमानता:** समाज में गहन रूप से व्याप्त लैंगिक असमानता और महिलाओं के लिए सीमित विकल्प बाल विवाह को बढ़ाते हैं। सामान्यतः लड़कियों को बोझ समझा जाता है और कम उम्र में उनकी शादी कर देने से उनका भविष्य सुरक्षित माना जाता है।
7. **दहेज प्रथा:** भारत में बाल विवाह का एक अन्य कारण दहेज की इच्छा है। जबकि कम उम्र में शादी होने पर दहेज की मांग कम होती है। जैसे-जैसे महिलाओं की उम्र बढ़ती है, दहेज की मांग बढ़ती जाती है।
8. **शिक्षा की कमी:** लड़कियों की शिक्षा तक पहुंच सीमित होने से बाल विवाह अधिक आम हो जाता है। अशिक्षित माता-पिता महिलाओं को शिक्षित करने के लाभों से अनभिज्ञ हो सकते हैं और शिक्षा के स्थान पर शीघ्र विवाह को प्राथमिकता देते हैं।
9. **अपर्याप्त कानूनी प्रवर्तन:** यद्यपि भारत में बाल विवाह के खिलाफ कानून मौजूद हैं, किन्तु कार्यान्वयन और प्रवर्तन में कमी है। जो व्यक्ति शादियों का साधारण आयोजन करते हैं उन्हें कोई गंभीर कानूनी प्रभाव नहीं झेलना पड़ता जिस कारण यह प्रथा जारी है।

बाल विवाह का प्रभाव

- **लड़कियों में बढ़ती निरक्षरता:** बाल वधुओं को नियमित रूप से स्कूल से निकाल दिया जाता है और उन्हें अपनी शिक्षा जारी रखने की अनुमति नहीं दी जाती है।
- **मानवाधिकारों का उल्लंघन:** बाल विवाह स्त्रियों के मानवाधिकारों का उल्लंघन है और साथ ही अधिकारियों द्वारा उन्हें ध्यान देने योग्य विषय नहीं माना जाता है।
- **घरेलू हिंसा:** नाजुकता के कारण, बाल दुल्हनें विशेष रूप से अपने विवाहित घरों में दुर्व्यवहार और घरेलू हिंसा के प्रति संवेदनशील होती हैं। दुर्व्यवहार और हिंसा के परिणामस्वरूप पोस्ट-ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर (PTSD) और विषाद हो सकता है।
- **स्वास्थ्य चिंताएं**
 - ✓ वृद्धि और विकास में देरी
 - ✓ समयपूर्व गर्भाधारण
 - ✓ उच्च मातृ मृत्यु दर
 - ✓ उच्च शिशु मृत्यु दर
 - ✓ गरीबी का अंतरपीढ़ीगत चक्र

बाल विवाह को कम करने के प्रयास

1. **ऐतिहासिक प्रयास**
 - **1860:** 1860 में पारित कानून द्वारा लड़कियों की विवाह योग्य आयु बढ़ाकर 10 वर्ष कर दी गई।
 - **1891:** 1891 के सहमति आयु अधिनियम में इस आयु को बढ़ाकर 12 वर्ष कर दिया गया।
 - **शारदा अधिनियम 1929:** जोशी समिति ने 20 जून, 1929 को अपने निष्कर्ष प्रस्तुत किए और इसे 28 सितंबर, 1929 को इंपीरियल विधायी काउंसिल द्वारा पारित किया गया और 1 अप्रैल, 1930 को यह कानून बन गया जिसके अंतर्गत संपूर्ण ब्रिटिश भारत में विवाह की उम्र लड़कियों के लिए 14 वर्ष और लड़कों के लिए 18 वर्ष तक बढ़ा दी गई।

2. **विधायी प्रयास और सरकारी नीतियां**
 - a. **हिंदू विवाह अधिनियम 1955** के अनुसार, विवाह की उम्र लड़कियों के लिए 18 वर्ष और लड़कों के लिए 21 वर्ष है।
 - b. **बाल विवाह निषेध अधिनियम (PCMA), 2006:** यह बाल विवाह पर रोक लगाता है और बाल विवाह के पीड़ितों की सुरक्षा करता है।
 - c. **बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ**
 - d. **2013 का आपराधिक कानून (संशोधन) अधिनियम:** इस कानून द्वारा यौन सहमति के लिए कानूनी रूप से स्वीकार्य उम्र 16 से बढ़ाकर 18 कर दी गयी। अधिनियम की धारा 375 «बलात्कार» को 18 वर्ष से कम उम्र की महिला के साथ उसकी सहमति या असहमति के साथ यौन संपर्क के रूप में परिभाषित करती है।
4. **अंतर्राष्ट्रीय प्रयास**
 - a. **यूएनएफपीए-यूनिसेफ पहल**
 - बाल विवाह समाप्त करने के लिए वैश्विक कार्यक्रम (दूसरा चरण: 2020-2023, एक यूएनएफपीए-यूनिसेफ पहल) किशोरों के विवाह में देरी के अधिकारों को बढ़ावा देता है।
 - b. **दुल्हनें नहीं लड़कियाँ :** ग्लोबल पार्टनरशिप टू एंड चाइल्ड मैरिज एक अंतर्राष्ट्रीय गैर-सरकारी संगठन है जिसका मिशन बाल विवाह को रोकने के लिए दुनिया भर के नागरिक समाज संगठनों को एक साथ लाकर विश्व स्तर पर बाल विवाह को समाप्त करना है।
 - c. **सतत विकास लक्ष्य: एसडीजी-5 के लक्ष्य 'लैंगिक समानता प्राप्त करना और सभी महिलाओं और लड़कियों को सशक्त बनाना' में बाल विवाह लक्ष्य 5.3 के रूप में शामिल है-** «बाल, कम उम्र और जबर्न विवाह और महिला जननांग अंगच्छेदन सहित सभी हानिकारक प्रथाओं को खत्म करना»।

बाल विवाह रोकने के लिए आवश्यक उपाय

- शिक्षा को बढ़ाना और लड़कियों को सशक्त बनाना।
- लिंग संवेदीकरण कार्यक्रम।
- प्रभावी कानून प्रवर्तन।
- समुदाय को संगठित करना।

भारत में अल्पपोषण/कुपोषण को संबोधित करने वाली सरकारी पहलों की सूची

- एकीकृत बाल विकास सेवा (आईसीडीएस) योजना
- प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (पीएमएमवीवाई)
- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA), 2013
- राष्ट्रीय पोषण मिशन (एनएनएम) या पोषण अभियान
- एनोमिया मुक्त भारत अभियान
- मध्याह्न भोजन (एमडीएम) योजना
- राष्ट्रीय पोषण रणनीति

निष्कर्ष

- बाल विवाह से बचपन खत्म हो सकता है। यह बच्चों के शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा के अधिकारों को प्रभावित करता है। ये परिणाम न केवल लड़की बल्कि उसके परिवार और समुदाय को भी प्रभावित करते हैं। इस प्रथा को समाप्त करने के लिए सख्त कानून और जागरूकता की जरूरत है।

9.5. सपिंड विवाह

संदर्भ:

हाल ही में, दिल्ली उच्च न्यायालय ने दो सपिंड हिंदुओं के बीच विवाह पर रोक लगाने वाली हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 5 (v) की संवैधानिकता को दी गई चुनौती खारिज कर दी है। अर्थात् भारत में हिंदुओं के बीच सपिंड विवाह पर प्रतिबंध जारी रहेगा।

हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 5(v)

- इसमें कहा गया है कि विवाह के पक्षकारों को एक-दूसरे का सपिंड नहीं होना चाहिए, जब तक कि उनका रिवाज या उपयोग इस तरह के विवाह की अनुमति न दे।

सपिंड कौन हैं?

- सपिंड ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनके पूर्वज एक ही होते हैं और श्राद्ध समारोह में एक ही पूर्वज को पिंड (चावल के गोले) दान हैं।
- सपिंड संबंध माता के माध्यम से आरोहण की दिशा में तीसरी पीढ़ी तक और पिता के माध्यम से आरोहण की पंक्ति में पांचवीं पीढ़ी तक विस्तारित होता है।
- यदि दो व्यक्ति एक-दूसरे के सपिंड हैं और उनका रीति-रिवाज या उपयोग उनकी शादी की अनुमति नहीं देता है, तो उनकी शादी हिंदू विवाह अधिनियम के तहत अमान्य है।
- हिंदू विवाह अधिनियम के लिए सपिंडा संबंधों को अधिनियम की धारा 3 में परिभाषित किया गया है।
 - ✓ दो व्यक्तियों को एक-दूसरे का सपिंड कहा जाता है यदि उनमें से एक सपिंड संबंध की सीमा के भीतर दूसरे का वंशज लगन है, या यदि उनके पास एक सामान्य वंशानुगत लगन है जो उनमें से प्रत्येक के संबंध में सपिंड संबंध की सीमा के भीतर है। धारा 3(एफ)(ii) कहती है।
 - ✓ हिंदू विवाह अधिनियम के प्रावधानों के तहत, माता की ओर से, एक हिंदू व्यक्ति किसी ऐसे व्यक्ति से शादी नहीं कर सकता जो "चढ़ाई की रेखा" में उनकी तीन पीढ़ियों के भीतर हो।
 - ✓ पिता की ओर से, यह निषेध व्यक्ति की पांच पीढ़ियों के भीतर किसी पर भी लागू होता है।
 - ✓ व्यवहार में, इसका मतलब यह है कि अपनी माँ की ओर से, कोई व्यक्ति अपने भाई-बहन (पहली पीढ़ी), अपने माता-पिता (दूसरी पीढ़ी), अपने दादा-दादी (तीसरी पीढ़ी) या किसी ऐसे व्यक्ति से शादी नहीं कर सकता है जो तीन पीढ़ियों के भीतर इस वंश को साझा करता हो।
 - ✓ उनके पिता की ओर से, यह निषेध उनके दादा-दादी, और पांच पीढ़ियों के भीतर इस वंश को साझा करने वाले किसी भी व्यक्ति तक लागू होगा।
- यदि कोई विवाह सपिंड विवाह होने की धारा 5(v) का उल्लंघन करता हुआ पाया जाता है, और कोई भी स्थापित परंपरा ऐसी प्रथा की अनुमति नहीं देती है, तो इसे शून्य घोषित कर दिया जाएगा।
- इसका मतलब यह होगा कि विवाह शुरू से ही अमान्य था, और ऐसा माना जाएगा जैसे कि यह कभी हुआ ही नहीं।

सपिंड के विवाह पर रोक लगाने के पीछे का तर्क

- अनाचारपूर्ण विवाहों को रोकने के लिए
- हिंदू परिवार प्रणाली की पवित्रता को बनाए रखना।
- अंतःप्रजनन से उत्पन्न होने वाले आनुवंशिक दोषों और बीमारियों से बचने के लिए।
- रिश्तेदारी और गठबंधन के दायरे का विस्तार करके सामाजिक सद्भाव और एकीकरण को बढ़ावा देना।
- उन धार्मिक और सांस्कृतिक मानदंडों का सम्मान करना जो सपिंड विवाह को वर्जित या पाप मानते हैं।

कुछ अपवाद

- "कस्टम" शब्द की परिभाषा एचएमए की धारा 3(ए) में प्रदान की गई है। इसमें कहा गया है कि एक प्रथा को "लगातार और समान रूप से लंबे समय तक मनाया जाना चाहिए", और इसे स्थानीय क्षेत्र, जनजाति, समूह या परिवार में हिंदुओं के बीच पर्याप्त वैधता प्राप्त होनी चाहिए, जैसे कि इसे "कानून की शक्ति" प्राप्त हो।
- इन शर्तों के पूरा होने के बाद भी किसी प्रथा की रक्षा नहीं की जा सकती। विचाराधीन नियम "निश्चित होना चाहिए और अनुचित या सार्वजनिक नीति के विपरीत नहीं होना चाहिए" और, "किसी नियम के मामले में [जो] केवल एक परिवार पर लागू होता है", इसे "परिवार द्वारा बंद नहीं किया जाना चाहिए"।

मामले की पृष्ठभूमि

- बालुसामी रेड्डीर बनाम बालकृष्ण रेड्डीर (1956) और शकुंतला देवी बनाम अमर नाथ (1982), संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय ने सपिंडा विवाह पर प्रतिबंध को बरकरार रखा।
- 2007 में, महिला के विवाह को तब अमान्य घोषित कर दिया गया जब उसके पति ने सफलतापूर्वक यह साबित कर दिया कि उन्होंने सपिंड विवाह किया था और महिला उस समुदाय से नहीं थी जहां ऐसे विवाह को एक प्रथा माना जा सकता है।
- इस फैसले को दिल्ली उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई, जिसने अक्टूबर 2023 में अपील खारिज कर दी।
- इसके बाद महिला ने सपिंड विवाह पर प्रतिबंध की संवैधानिक वैधता को चुनौती देते हुए फिर से उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया।
- उसने तर्क दिया कि सपिंडा प्रथा का कोई प्रमाण न होने पर भी विवाह प्रचलित है। इसलिए, धारा 5(v) जो सपिंड विवाह पर रोक लगाती है जब तक कि कोई स्थापित परंपरा न हो, संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत समानता के अधिकार का उल्लंघन करती है।

- याचिकाकर्ता ने यह भी तर्क दिया कि शादी को दोनों परिवारों की सहमति मिली थी, जिससे शादी की वैधता साबित हुई।

विश्व भर में सपिंड विवाह की स्थिति

- फ्रांस में, 1810 की दंड संहिता के तहत अनाचार के अपराध को समाप्त कर दिया गया था, जब तक कि विवाह सहमति से वयस्कों के बीच होता था।
- आयरलैंड गणराज्य ने 2015 में समान-लिंग विवाह को मान्यता दी, लेकिन समान-लिंग संबंधों में व्यक्तियों को शामिल करने के लिए अनाचार पर कानून को अद्यतन नहीं किया गया है।
- संयुक्त राज्य अमेरिका में, सभी 50 राज्यों में अनाचारपूर्ण विवाहों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, हालांकि न्यू जर्सी और रोड आइलैंड में सहमति से वयस्कों के बीच अनाचारपूर्ण संबंधों की अनुमति है।
- सपिंड विवाह पर प्रतिबंध के पीछे कई तर्कों के बावजूद, कई लोग यह तर्क दे सकते हैं कि सपिंड विवाह के कुछ लाभ भी हैं, जैसे:
- यह परिवार या कबीले के बंधन और एकजुटता को मजबूत कर सकता है।
- यह संपत्ति या विरासत पर संघर्ष या विवादों के जोखिम को कम कर सकता है।
- यह वंश या जाति की पवित्रता और निरंतरता को सुरक्षित रख सकता है।
- इससे अलग परिवार या संस्कृति में शादी करने की जटिलताओं या समायोजन से बचा जा सकता है।
- ये तर्क इस धारणा पर आधारित हैं कि सपिंड विवाह समारोह की

परंपरा या रीति-रिवाज का एक हिस्सा है, और उन्हें अपने परिवारों और समुदायों की सहमति और अनुमोदन प्राप्त है। हालांकि, ये तर्क आधुनिक समाज में मान्य या स्वीकार्य नहीं हो सकते हैं, जहाँ व्यक्तिगत अधिकारों और विकल्पों को सामूहिक मानदंडों और दायित्वों से अधिक महत्व दिया जाता है। इसके अलावा, सपिंड विवाह के कुछ नुकसान भी हो सकते हैं, जैसे:

- इससे संतान में आनुवंशिक दोष या रोग होने की संभावना बढ़ सकती है।
- यह पार्टियों के मानवाधिकारों और गरिमा का उल्लंघन कर सकता है, खासकर यदि उन्हें इस तरह के विवाह के लिए मजबूर किया गया हो।
- यह पार्टियों और उनके बच्चों के लिए सामाजिक कलंक या बहिष्कार पैदा कर सकता है, क्योंकि सपिंड विवाह को आम तौर पर वर्जित या पाप माना जाता है।
- यह समाज की विविधता और गतिशीलता को कमजोर कर सकता है, क्योंकि सपिंड विवाह विचारों और मूल्यों के परस्पर मेल-मिलाप और आदान-प्रदान के दायरे को सीमित कर सकता है।
- इसलिए, सपिंड विवाह एक जटिल और विवादास्पद मुद्दा है, जिसमें शामिल पक्षों के परिप्रेक्ष्य और संदर्भ के आधार पर कुछ फायदे और नुकसान हो सकते हैं। हालांकि, कानून और समाज आम तौर पर सपिंड विवाह को हतोत्साहित और प्रतिबंधित करते हैं, क्योंकि इससे पक्षों और उनकी संतानों के लिए सकारात्मक से अधिक नकारात्मक परिणाम हो सकते हैं।

10. अभ्यास प्रश्न

Q 1. भारतीय स्टाम्प अधिनियम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें :

1. यह प्रतिभूतियों और रियल एस्टेट पर लगाए गए आयकर के समान है।
2. राज्य सरकार संविधान के अनुच्छेद 268 के तहत स्टॉप शुल्क लगाती है।
3. समय पर स्टाम्प ड्यूटी फेल करने का कोई कानूनी प्रावधान नहीं है।

उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं/हैं?

- (a) केवल एक
- (b) केवल दो
- (c) सभी तीन
- (d) कोई नहीं

Q 2. सीमा सुरक्षा बल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. इसका गठन भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष की प्रतिक्रिया में की गई थी।
2. यह केंद्रीय अधिनियमों के तहत दंडनीय कृत्यों और अनधिकृत विदेशी प्रवेश के संबंध में, तलाशी लेता और अन्य कार्रवाइयां करता है।
3. बीएसएफ और स्थानीय पुलिस के पास अपराधियों को दंडित करने का पूरा अधिकार है।

उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं/हैं?

- (a) केवल एक
- (b) केवल दो
- (c) केवल तीन
- (d) सभी चार

Q 3. निम्नलिखित पहलों पर विचार करें:

1. राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम।
2. राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम।
3. प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना।
4. प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना।

उपरोक्त में से कितनी पहलें अनुसूचित जाति (एससी) के कल्याण से संबंधित हैं/हैं?

- (a) केवल एक
- (b) केवल दो
- (c) केवल तीन
- (d) सभी चार

Q 4. गिनी गुणांक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें

1. गिनी गुणांक आय असमानता का एक माप है।
2. धन का असमान वितरण भारत के कम गिनी गुणांक का प्राथमिक कारण है।
3. गिनी गुणांक में वृद्धि से पता चलता है कि सरकारी नीतियां आय असमानताओं को दूर करने में अप्रभावी हैं।

उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं/हैं?

- (a) केवल एक
- (b) केवल दो
- (c) सभी तीन
- (d) कोई नहीं

Q 5. भारत में आय असमानता पर एसबीआई के हालिया शोध के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. कर योग्य आय के लिए गिनी गुणांक में पिछले दशक में काफी गिरावट आई है।
2. यह शोध कम आय वाले लोगों के एक बड़े हिस्से को छोड़कर, केवल करदाता डेटा पर केंद्रित है।
3. आय का ध्रुवीकरण उच्चतम और निम्नतम कमाने वालों के बीच मौजूद है, खासकर स्व-रोज़गार वाले व्यक्तियों के बीच।

उपरोक्त में से कितने एसबीआई शोध पत्र के प्रमुख निष्कर्ष हैं/हैं?

- (a) केवल एक
- (b) केवल दो
- (c) केवल तीन
- (d) कोई नहीं

Q 6. "भारत में आय असमानता: एक वास्तविकता जांच" नामक रिपोर्ट निम्नलिखित शोध संस्थानों में से किसके एक द्वारा प्रकाशित की जाती है:

- (a) प्रतिस्पर्धात्मकता संस्थान
- (b) भारतीय अर्थव्यवस्था निगरानी केंद्र (सीएमआईई)
- (c) अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंधों पर भारतीय अनुसंधान परिषद (आईसीआरआईईआर)
- (d) नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया (नीति आयोग)

Q 7. निम्नलिखित पर विचार कीजिए:

1. बहरीन और ईरान
2. इराक और कुवैत
3. ओमान और कतर
4. जॉर्डन और मिस्र

उपरोक्त देशों में से कितने देश फारस की खाड़ी के साथ सीमा साझा करते हैं/हैं?

- (a) केवल एक
- (b) केवल दो
- (c) केवल तीन
- (d) सभी चार

Q 8. भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) 2023 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. बीएनएस पहली बार संगठित अपराध को सामान्य आपराधिक कानून के दायरे में लाता है।
2. यह धोखेबाज़ तरीकों का इस्तेमाल करके या शादी का वादा करके यौन संबंध बनाने को अपराध मानता है।
3. बीएनएस पहली बार आतंकवाद को सामान्य आपराधिक कानून के दायरे में लाता है।

उपरोक्त में से कौन सा/से कथन सही हैं/हैं?

- (a) केवल 1 और 2
- (b) केवल 2 और 3
- (c) केवल 1 और 3
- (d) 1, 2 और 3

Q 9. भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) 2023 के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. बीएनएस ने 1860 की पूर्ववर्ती भारतीय दंड संहिता की धारा 377 के सभी पहलुओं को पूरी तरह से निरस्त कर दिया है।
2. इसने राजद्रोह (आईपीसी की धारा 124ए) को उसके सभी रूपों में पूरी तरह से निरस्त कर दिया है।
3. भारतीय दंड संहिता की धारा 497 के तहत दिए गए व्यभिचार के प्रावधान को पूरी तरह से हटा दिया है।

उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं/हैं?

- (a) केवल एक (b) केवल दो
(c) सभी तीन (d) कोई नहीं

Q 10. भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) 2023 के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. बीएनएस के तहत, 'फर्जी समाचार' फैलाना एक आपराधिक अपराध बना दिया गया है।
2. बीएनएस में वैवाहिक बलात्कार को अपराध घोषित करने का प्रावधान है, जिससे भारत एशिया के उन कुछ देशों में शामिल हो गया है, जिन्होंने वैवाहिक बलात्कार को अपराध घोषित कर दिया है।
3. बीएनएस ने पहली बार छोटे अपराधों के लिए सजा के रूप में सामुदायिक सेवा को जोड़ा है।

निम्नलिखित में से कौन सा/से कथन सही हैं/हैं?

- (a) केवल 1 और 2 (b) केवल 2 और 3
(c) केवल 1 और 3 (d) 1, 2 और 3

Q 11. सर्वाइकल कैंसर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. सर्वाइकल पुणे स्थित सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया (SII) द्वारा विकसित क्वाड्रिवैलेंट पहला स्वदेशी एचपीवी वैक्सीन है।
2. भारत ने सर्वाइकल कैंसर उन्मूलन की दिशा में आगे बढ़ने के लिए देशों के लिए 2030 तक हासिल किए जाने वाले 90-70-90 लक्ष्यों की रूपरेखा तैयार की है।
3. सर्वाइकल कैंसर ह्यूमन पेपिलोमावायरस (एचपीवी) के कारण होता है, जो आरएनए वायरस का एक समूह है।

उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं/हैं?

- (a) केवल एक (b) केवल दो
(c) सभी तीन (d) कोई नहीं

Q 12. निम्नलिखित युगों पर विचार कीजिए:

पुरापाषाण युग के	उपकरण
1. निम्न या प्रारंभिक पुरापाषाणकालीन	सरल कंकड़ उपकरण और कच्चे पत्थर काटने वाले उपकरण
2. मध्य पुरापाषाण काल	परतदार उपकरण
3. उच्च या उत्तर पुरापाषाण काल	हड्डी, सींग और हाथीदांत के उपकरण

उपरोक्त में से कितने युग सही सुमेलित हैं/हैं?

- (a) केवल एक (b) केवल दो
(c) सभी तीन (d) कोई भी नहीं

Q 13. हाल ही में समाचारों में चर्चित डाकघर अधिनियम, 2023 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. इसे 1898 के भारतीय डाकघर अधिनियम के स्थान पर लाया गया है।
2. अधिनियम में स्पष्ट रूप से "आपातकाल" के आधार का उल्लेख है, जिस पर पोस्ट को रोका जा सकता है।
3. 2023 का यह अधिनियम पहली बार निजी कोरियर सेवाओं को अपने दायरे में लाकर उन्हें नियंत्रित करता है।

उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं/हैं?

- (a) केवल एक
(b) केवल दो
(c) सभी तीन
(d) कोई नहीं

Q 14. शीत लहर घोषित करने के लिए भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) के मानदंड के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. मैदानी इलाकों में शीत लहर की घोषणा तब की जाती है जब न्यूनतम तापमान 10°C से नीचे हो।
2. पहाड़ी क्षेत्रों में शीत लहर घोषित करने के लिए पूर्ण न्यूनतम तापमान मानदंड 0°C से नीचे होना चाहिए।

उपरोक्त में से कौन सा/से कथन गलत हैं/हैं?

- (a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) कोई नहीं

Q 15. शीत लहर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. मैदानी और पहाड़ी क्षेत्रों में तापमान सीमा शीत लहर की घोषणा में एकरूपता सुनिश्चित करती है।
2. प्रस्थान-आधारित मानदंड शीत लहर की भविष्यवाणी की सटीकता को बढ़ाते हैं।
3. आईएमडी के मानदंड प्रभावी तैयारी उपायों में सहायता करते हुए समय पर संचार में योगदान करते हैं।

उपरोक्त में से कितने कथन गलत हैं/हैं?

- (a) केवल एक (b) केवल दो
(c) सभी तीन (d) कोई नहीं

Q 16. भारत की जनजातियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. राज्य सरकार द्वारा बनाए गए कानून द्वारा ही किसी जनजाति या जनजातीय समुदाय को सूची में शामिल या बाहर किया जा सकता है।
2. कुकी जनजाति में मातृसत्तात्मक विरासत और उत्तराधिकार की परंपरा है।
3. उनकी जीवनशैली मुख्य रूप से शिकार, वन उत्पाद इकट्ठा करना और घरेलू जानवरों को पालने पर आधारित है।

उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं/हैं?

- (a) केवल एक
(b) केवल दो
(c) सभी तीन
(d) कोई नहीं

Q 17. कुकी संस्कृति में, "चवांग कुट" शब्द का तात्पर्य क्या है?

- (a) तलवार नृत्य
- (b) शरद उत्सव
- (c) मक्का उत्सव
- (d) समूह नृत्य

Q 18. प्रेरणा: एक अनुभवात्मक शिक्षण कार्यक्रम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. यह चयनित छात्रों के लिए एक महीने का आवासीय कार्यक्रम है।
2. प्रेरणा में कक्षा पांच से बारहवीं तक के विद्यार्थियों का चयन किया जाता है।
3. 20 चयनित छात्रों के एक बैच में लड़कियों और लड़कों का अनुपात समान संख्या में है, जो कार्यक्रम में भाग लेंगे।

ऊपर दिए गए कथनों में से कितने सही हैं/हैं?

- (a) केवल एक
- (b) सिर्फ दो
- (c) सभी तीन
- (d) कोई भी नहीं

Q 19. खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2021 से संबंधित निम्नलिखित कथन पर विचार करें:

1. बिना बातचीत के केंद्र सरकार विशिष्ट अंतिम उपयोगकर्ताओं के लिए खदानें आरक्षित कर सकती है।
2. गैर-विशिष्ट टोही इस अधिनियम में शामिल सर्वेक्षण प्रावधानों के माध्यम से प्रारंभिक खनिज पूर्वोक्षण की अनुमति देती है।
3. राज्य सरकार पट्टे की सीमा बढ़ा सकती है।

उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं/हैं?

- (a) केवल एक
- (b) केवल दो
- (c) सभी तीन
- (d) कोई नहीं

Q 20. निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता बाब-अल-मंडेब जलडमरूमध्य को दुनिया के सबसे व्यस्त चोकपाइंड्र में से एक बनाता है?

- (a) हिंद महासागर में एक प्रमुख मछली पकड़ने वाले क्षेत्र के रूप में इसकी भूमिका।
- (b) भूमध्य सागर को हिंद महासागर से इसके द्वारा जोड़ना।
- (c) इसका अरब प्रायद्वीप और हॉर्न ऑफ अफ्रीका के बीच एक प्राकृतिक प्रवेश द्वार के रूप में कार्य करना।
- (d) इस जलडमरूमध्य की पर्यावरणीय जैव विविधता।

Q 21. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. मेघामलाई पहाड़ियों में सिल्वरलाइन तितली की एक नई प्रजाति, सिगारिटिस मेघामलैएसिस की खोज की गई है।
2. पेरियार टाइगर रिजर्व यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल का हिस्सा नहीं है।
3. यूनेस्को की मान्यता बफर जोन तक ही सीमित है, मुख्य क्षेत्रों तक नहीं।

उपरोक्त में से कितने सही हैं/हैं?

- (a) केवल एक
- (b) केवल दो
- (c) सभी तीन
- (d) कोई नहीं

Q 22. जाति जनगणना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. जातिगत जनगणना का संचालन एवं समन्वयन ग्रामीण विकास विभाग द्वारा किया जाता है।
2. टीएसआर सुब्रमण्यम आयोग ने ओबीसी उप-वर्गीकरण पर नवीनतम रिपोर्ट प्रस्तुत की है।
3. बिहार जाति जनगणना कराने वाला पहला राज्य बन गया।

उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं/हैं?

- (a) केवल एक
- (b) केवल दो
- (c) सभी तीन
- (d) कोई नहीं

Q 23. आनुवंशिक रूप से संशोधित (जीएम) फसलों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. बीटी कपास जैसी जीएम फसलों ने कीटनाशकों के उपयोग को काफी कम कर दिया है, जिससे पर्यावरणीय लाभ हुआ है।
2. जीएम फसलों से बढ़ी पैदावार विकासशील देशों में खाद्य सुरक्षा संबंधी चिंताओं को कम कर सकती है।
3. धारा सरसों हाइब्रिड-11 एकमात्र स्वीकृत जीएम फसल है, जो देश के सरसों क्षेत्र के एक तिहाई-चौथाई से अधिक हिस्से पर उगाई जाती है।

उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं/हैं?

- (a) केवल एक
- (b) केवल दो
- (c) सभी तीन
- (d) कोई नहीं

Q 24. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. आईएनएस विशाखापत्तनम के जहाज का डिजाइन 100% स्वदेशी है।
2. प्रोजेक्ट 15बी जहाज उन्नत स्टील्थ तकनीक से लैस हैं।
3. आईएनएस विशाखापत्तनम की स्टील्थ तकनीक में फुल बीम सुपरस्ट्रक्चर डिजाइन शामिल है।

उपरोक्त कथनों में से कितने सही हैं/हैं?

- (a) केवल एक
- (b) केवल दो
- (c) सभी तीन
- (d) कोई नहीं

Q 25. निम्न पर विचार कीजिए:

1. वायुमंडल
2. हीट्रास्फीयर
3. बीओस्फिअ
4. जीओस्फेयर
5. क्रायोस्फेयर

उपरोक्त में से कौन सी पृथ्वी प्रणालियाँ पृथ्वी योजना के अंतर्गत शामिल हैं/हैं?

- (a) केवल 1, 2 और 3
- (b) केवल 2, 3, और 4
- (c) केवल 2, 3, 4 और 5
- (d) ऊपर के सभी

- Q 26. लेमनग्रास के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. लेमनग्रास दक्षिण अमेरिका की स्थानिक प्रजाति है।
 2. सिट्रल, इसकी सिट्रस सुगंध के लिए जिम्मेदार प्राथमिक घटक है।
 3. आयुर्वेद किसी भी औषधीय प्रयोजन के लिए लेमनग्रास को मान्यता नहीं देता है।

उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं/हैं?

- (a) केवल एक (b) केवल दो
(c) सभी तीन (d) कोई नहीं

- Q 27. हाल ही में समाचारों में आए बरबेरा बंदरगाह के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. यह अदन की खाड़ी में स्थित एक बंदरगाह है।
2. बंदरगाह इथियोपियाई क्षेत्र का हिस्सा है।
3. यह स्वेज नहर तक पहुंच प्रदान करता है।

उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं/हैं?

- (a) केवल एक (b) केवल दो
(c) सभी तीन (d) कोई नहीं

- Q 28. REJUPAVE प्रौद्योगिकी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. यह स्वदेशी सड़क निर्माण तकनीक है।
2. इसका उपयोग अरुणाचल प्रदेश में सेला रोड सुरंग के निर्माण में किया गया है।
3. यह एक पर्यावरण-अनुकूल तकनीक है।

उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं/हैं?

- (a) केवल एक (b) केवल दो
(c) सभी तीन (d) कोई नहीं

- Q 29. 'भारत रत्न' के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार 'भारत रत्न' 1978 में शुरू किया गया था।
2. यह केवल भारतीय नागरिक या भारतीय मूल के व्यक्ति को ही प्रदान किया जा सकता है।
3. इसके लिए प्रधान मंत्री द्वारा राष्ट्रपति को औपचारिक सिफारिश की आवश्यकता होती है।

उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं/हैं?

- (a) केवल एक
(b) केवल दो
(c) सभी तीन
(d) कोई नहीं

- Q 30. निम्नलिखित में से कौन सा एक यूरोपीय बंदरगाह गठबंधन का मुख्य उद्देश्य है?

- (a) यूरोपीय संघ के बंदरगाहों में मादक पदार्थों की तस्करी और संगठित अपराध से लड़ना।
(b) यूरोपीय संघ के बंदरगाहों के बीच कार्गो आवाजाही प्रक्रिया को सरल बनाना।
(c) यूरोपीय संघ के बंदरगाहों में पर्यावरणीय स्थिरता को बढ़ाना।
(d) यूरोपीय संघ के भीतर बंदरगाह श्रमिकों के लिए आब्रजन प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करना।

- Q 31. गोल्डन क्रिसेंट और गोल्डन ट्राएंगल के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. गोल्डन क्रिसेंट अफगानिस्तान और पाकिस्तान से जुड़े क्षेत्र को संदर्भित करता है और अवैध अफीम पोस्त की महत्वपूर्ण खेती के लिए जाना जाता है।
2. गोल्डन ट्राएंगल में म्यांमार, लाओस और थाईलैंड शामिल हैं और यह अफीम उत्पादन का केंद्र होने के लिए कुख्यात है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से सही हैं/हैं?

- (a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों
(d) न तो 1, न ही 2

- Q 32. वार्षिक शिक्षा स्थिति रिपोर्ट (ASER) के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. रिपोर्ट शिक्षा मंत्रालय (MoE) द्वारा प्रकाशित की जाती है।
2. नवीनतम रिपोर्ट एसटीईएम(STEM) विषयों की तुलना में मानविकी में अधिक नामांकन दर्शाती है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से सही हैं/हैं?

- (a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों
(d) न तो 1, न ही 2

- Q 33. समाजवादी नेता 'कर्पूरी ठाकुर' के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. वह उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री थे।
2. उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया है।
3. उन्होंने अपने राज्य में पिछड़े वर्गों के लिए 26% आरक्षण लागू किया, जो प्रसिद्ध रूप से मुंगेरी लाल आयोग की सिफारिशों पर आधारित था।

उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं/हैं?

- (a) केवल एक (b) केवल दो
(c) सभी तीन (d) कोई नहीं

- Q 34. विश्व औषधि रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है:

- (a) अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स नियंत्रण बोर्ड (INCB)
(b) विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO)
(c) ड्रग्स और अपराध पर संयुक्त राष्ट्र कार्यालय (UNOD)
(d) विश्व सीमा शुल्क संगठन (WCO)

- Q 35. गहरे समुद्र में मूंगों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. इन्हें ठंडे पानी के मूंगे के रूप में भी जाना जाता है।
2. ये अपने अस्तित्व के लिए प्रकाश संश्लेषण पर निर्भर नहीं रहते।
3. ये आम तौर पर ग्लोबल वार्मिंग के कारण ब्लीचिंग से पीड़ित नहीं होते हैं।

उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं/हैं?

- (a) केवल एक (b) केवल दो
(c) सभी तीन (d) कोई नहीं

Q 36. निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए:

रीफ़ का प्रकार विवरण

1. फ्रिजिंग रीफ़्स : बिना किसी केंद्रीय द्वीप वाले लैगून के चारों ओर गोलाकार चट्टानें
2. बैरियर रीफ़्स : तट के समानांतर लेकिन एक लैगून द्वारा अलग।
3. एटोल रीफ़्स : ये चट्टानें तट के करीब स्थित हैं और सीधे समुद्र तट से जुड़ी हुई हैं।

उपरोक्त में से कितने युग्म सही सुमेलित हैं/हैं?

- (a) केवल एक (b) केवल दो
(c) तीनों (d) कोई नहीं

Q 37. हाल ही में समाचारों में आए ' दृष्टि 10 स्टारलाइनर ' के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. यह भारतीय नौसेना का नवीनतम अत्याधुनिक टोही जहाज है।
2. यह गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एण्ड इंजीनियर्स (जीआरएसई) द्वारा डिजाइन और निर्मित किया गया है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों
(d) न तो 1 और न ही 2

Q 38. निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए:

दूरबीन	संबंधित देश
1. विशाल मेट्रोवेव रेडियो टेलीस्कोप (जीएमआरटी)	चीन
2. पांच सौ मीटर एपर्चर गोलाकार टेलीस्कोप (फास्ट)	भारत
3. ग्रीन बैंक वेधशाला (जीबीटी)	यूएसए
4. अटाकामा लार्ज मिलीमीटर/सबमिलीमीटर ऐरे (एएलएमए)	मेक्सिको

उपरोक्त में से कितने युग्म सही सुमेलित हैं/हैं?

- (a) केवल एक
(b) केवल दो
(c) केवल तीन
(d) सभी चार

Q 39. दक्षिण कोरिया की सीमा किसके साथ लगती है?

1. उत्तर कोरिया
2. ताइवान
3. जापान सागर
4. पूर्वी चीन समुद्र

उपरोक्त में से कितने सही है/हैं?

- (a) केवल एक (b) केवल दो
(c) केवल तीन (d) सभी चार

Q 40. भारत-कोरिया रक्षा सहयोग के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. भारत ने चिकित्सा कर्मियों और युद्धविराम प्रस्ताव के माध्यम से कोरियाई युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
2. रक्षा नीति संवाद एक स्टैंडअलोन मंच है और "2+2 संवाद" का हिस्सा नहीं है।
3. दोनों देशों ने रक्षा उद्योग सहयोग के रोडमैप पर हस्ताक्षर किए हैं।
4. दोनों देश आसियान-भारत समुद्री अभ्यास में भागीदार हैं।

उपरोक्त में से कितने कथन सही है/हैं?

- (a) केवल एक (b) केवल दो
(c) केवल तीन (d) सभी चार

Q 41. हंटिंगटन रोग (HD) के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. एचडी एचटीटी जीन में उत्परिवर्तन के कारण होता है।
2. एचटीटी जीन में उत्परिवर्तन के कारण गुच्छे बनने लगते हैं।

उपरोक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

- (a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) कोई नहीं

Q 42. 1899 के भारतीय स्टाम्प अधिनियम के बारे में कथनों पर विचार कीजिए:

1. सरकार ने 1899 के भारतीय स्टाम्प अधिनियम को निरस्त करने का प्रस्ताव दिया है।
2. भारत में स्टांप शुल्क मुख्य रूप से रियल एस्टेट लेनदेन पर लगाया जाता है।

उपरोक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

- (a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) कोई नहीं

Q 43. भारत-ब्रिटेन संबंधों के संबंध में कथनों पर विचार कीजिए:

1. भारत ब्रिटेन से भारतीय युद्धपोतों के लिए विद्युत प्रणोदन तकनीक प्राप्त करेगा।
2. यूनाइटेड किंगडम संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) में स्थायी सदस्यता के भारत के अनुरोध का समर्थन करता है।

उपरोक्त में से कौन सा /से कथन सही है/हैं?

- (a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) कोई नहीं

Q 44. भारत में लीची की खेती के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. लीची की खेती मुख्यतः बिहार राज्य तक ही सीमित है।
2. राष्ट्रीय लीची अनुसंधान केंद्र (NRCL) किसानों को तकनीकी सहायता, पौध सामग्री और प्रशिक्षण के संदर्भ में सहायता प्रदान करता है।
3. लीची का सेवन हाइपोग्लाइसेमिक एन्सेफैलोपैथी और मृत्यु से जुड़ा हुआ है, मुख्य रूप से अल्पपोषित वयस्कों में।
4. एनआरसीएल सक्रिय रूप से शाही, चीन, गंडकी लालिमा, गंडकी सम्पदा और गंडकी योगिता जैसी लीची किस्मों का विकास और वितरण करता है।

उपरोक्त में से कितने कथन सही है/हैं?

- (a) केवल एक (b) केवल दो
(c) केवल तीन (d) कोई नहीं

Q 45. भारत में खनन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

- 1957 का खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम भारत में खनन क्षेत्र को नियंत्रित करता है।
- खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2021, कैप्टिव खनिकों को अपने वार्षिक खनिज उत्पादन का 50% तक खुले बाजार में बेचने की अनुमति देता है।
- हालिया संशोधनों के तहत सरकारी उद्यमों के लिए खनन पट्टों को अनिश्चित काल तक बढ़ा दिया गया है।
- खनन निगरानी प्रणाली (एमएसएस) अवैध खनन को बढ़ावा देने के लिए स्वचालित रिमोट सेंसिंग का उपयोग करने वाली एक तकनीक है।

उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं/हैं?

- (a) केवल एक (b) केवल दो
(c) केवल तीन (d) सभी चार

Q 46. पालना योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

- पालना योजना मुख्य रूप से बाल देखभाल सहायता प्रदान करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों पर केंद्रित है।
- योजना के तहत, मौजूदा आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के साथ दो अतिरिक्त क्रेच कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को तैनात किया गया है।
- कम आय वर्ग की महिलाएं, जो महीने में कम से कम 10 दिन काम करती हैं, पालना योजना के तहत क्रेच सुविधाओं के लिए पात्र हैं।
- योजना के तहत सब्सिडी वाली सुविधाओं के लिए मासिक शुल्क सभी परिवारों के लिए एक समान है, चाहे उनकी आय कुछ भी हो।

उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं/हैं?

- (a) केवल एक (b) केवल दो
(c) केवल तीन (d) सभी चार

Q 47. विशेषाधिकार समिति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

- विशेषाधिकार समिति 20 सदस्यों से बनी है, जिसमें लोकसभा और राज्यसभा से समान प्रतिनिधित्व है।
- समिति के अध्यक्ष का चुनाव सदन के सदस्यों द्वारा किया जाता है।
- यह समिति संसदीय विशेषाधिकारों के उल्लंघन और सदन की अवमानना के मामलों की जांच के लिए जिम्मेदार है।

4. संसदीय विशेषाधिकार में संसद के सत्र के दौरान दीवानी मामलों में गिरफ्तारी से मुक्ति भी शामिल है।

उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं/हैं?

- (a) केवल एक (b) केवल दो
(c) केवल तीन (d) सभी चार

Q 48. अभ्यास चक्रवात के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

- इसका उद्देश्य रेगिस्तानी क्षेत्रों में भारत और मिस्र के विशेष बलों की संचालन प्रक्रियाओं का विश्लेषण करना है।
- इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइसेज पर प्रशिक्षण अभ्यास का एक हिस्सा है।
- अभ्यास का तीसरा चरण बचाव कार्यों के प्रशिक्षण और प्राथमिक चिकित्सा प्रदान करने पर केंद्रित है।

उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं/हैं?

- (a) केवल एक (b) केवल दो
(c) सभी तीन (d) कोई नहीं

Q 49. बाब-अल-मन्देब जलसंधि जोड़ती है:

- (a) भूमध्य सागर और काला सागर को
(b) मैक्सिको की खाड़ी और कैरेबियन सागर को
(c) लाल सागर और अदन की खाड़ी को
(d) अराफुरा सागर और पापुआ की खाड़ी को

Q 50. हाल ही में समाचारों में रहे 'मौना के' (Mauna Kea) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

- यह हवाई का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है।
- इसका प्रतिनिधित्व विभिन्न ऊंचाई पर उष्णकटिबंधीय, अल्पाइन और साथ ही आर्कटिक जलवायु क्षेत्रों द्वारा किया जाता है।
- आसपास के क्षेत्रों के मूल निवासियों द्वारा इसे एक पवित्र स्थल के रूप में पूजा जाता है।
- यहां कई खगोलीय वेधशालाएं स्थित हैं।

उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं/हैं?

- (a) केवल एक (b) केवल दो
(c) केवल तीन (d) सभी चार

उत्तरमाला

1. a	6. a	11. a	16. a	21. d	26. b	31. c	36. a	41. c	46. a
2. b	7. c	12. c	17. b	22. a	27. b	32. a	37. d	42. c	47. b
3. d	8. d	13. b	18. a	23. b	28. d	33. b	38. a	43. c	48. b
4. c	9. b	14. d	19. a	24. b	29. d	34. c	39. c	44. b	49. c
5. c	10. c	15. a	20. c	25. d	30. a	35. c	40. c	45. c	50. c

दिसंबर अंक के प्रश्नों
की व्याख्या के लिए इस
QR कोड को स्कैन करें



Our Other Programmes

यूपीएससी (प्रीलिम्स + मेन्स) फाउंडेशन बैच 2025 हिन्दी माध्यम

Offer fee
~~₹10,000/-~~ ₹8,500/-

Register Now

By Khan Sir & Team

- ✓ 1000+ घंटे की इंटरैक्टिव लाइव कक्षाएँ
- ✓ टेस्ट सीरीज़ (विषयवार + फुल लेंथ + करेंट अफेयर्स)
- ✓ मासिक करेंट अफेयर्स पीडीएफ
- ✓ अपडेटेड विषयवार अध्ययन सामग्री (e-PDF)



NCERT

Foundation Batch

BILINGUAL Live Classes

OFFER FEE

₹1299/-

For UPSC & Various State PSC Exams

Register Now

By Khan Sir & Team

- ✓ 500+ Hours of live classes covering all Relevant NCERTs from 6th to 12th
- ✓ Detailed Analysis of Each Topic
- ✓ UPSC & State PSC PYQ Analysis & Discussion
- ✓ UPSC & State PSC Current Affairs Booklets

UPSC

PRELIMS + MAINS

FOUNDATION BATCH 2025

English Medium

Fee : ~~₹10,000/-~~ ₹8,500/-

Register Now

By Khan Sir & Team

- ✓ 1000+ Hours of Interactive Live Classes
- ✓ Test Series (Subject Wise + Full Length + Current Affairs)
- ✓ Monthly Current Affairs PDF
- ✓ Updated subject wise study material (e-PDF)



KHAN GLOBAL STUDIES

Most Trusted Learning Platform



**Read
Daily**
Current Affairs



Our Other Offline Center's Now in:



Delhi



Prayagraj



Dehradun



Patna

Follow Us



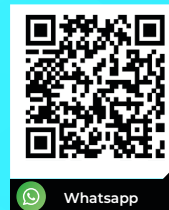
YouTube



Website



Telegram



Whatsapp

For more information: ☎ 8757354880 | ✉ enquiry@khanglobalstudies.com